चतुर्दश माला, खंड 18, अंक 17

शुक्रवार, 10 मार्च, 2006
19 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....60.....
Dated....30.oct.2007

(खण्ड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्रतिमा श्रीवास्तव
मुख्य सम्पादक

सरिता नागपाल
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 18, सातवां सत्र, 2006/1927 (शक)]

अंक 17, शुक्रवार, 10 मार्च, 2006/19 फाल्गुन, 1927 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	282 से 287	2–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	288 से 301	34–68
अतारांकित प्रश्न संख्या	2164 से 2313	68–298
सभा पटल पर रखे गए पत्र		298–302
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन		302
राज्य सभा से संदेश		303
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों संबंधी जनगणना, 2002		
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह		303–307
कार्य मंत्रणा समिति के तेइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		307
औषधि (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2006		307
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) विशाखापत्तनम और निजामुद्दीन के बीच प्रतिदिन समता एक्सप्रेस चलाए जाने और रायपुर एवं भुवनेश्वर के बीच रेल सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
श्री बिक्रम केशरी देव		317
(दो) मध्य प्रदेश के मंदसौर में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता		
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय		318

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(तीन) देश में बेरोजगार युवकों का शोषण रोकने के उद्देश्य से नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने वाले झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीता पटौरिया 319

(चार) विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ के गोंडिया जिले में किसानों के लाभार्थ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल पटले 319

(पांच) राजस्थान में उपजाए जाने वाले गुआर, मोठ, धनिया और जीरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 320

(छह) काजू गिरी के मूल्य में गिरावट के कारण काजू उद्योग में संकट का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन 320

(सात) केरल में वेम्बनाड वेटलैण्ड सिस्टम के निर्माण हेतु एक कार्ययोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज 321

(आठ) रथ (हमीरपुर) और गरौठा (झांसी) के बीच सड़क और पुल के निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा स्वीकृति किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 322

(नौ) उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी 322

(दस) बोधगया और वाराणसी को जोड़ने वाली नई उड़ानों द्वारा दिल्ली और भुवनेश्वर को जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 323

विषय कॉलम

(ग्यारह) देश में बीड़ी उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों को महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई 323

(बारह) झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल पटले 324

(तेरह) कर्नाटक, के बंगलौर में चिप विनिर्माण एककों की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना. 324

(चौदह) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण संबंधी विद्यमान नीति को सांविधिक आधार देते हुए उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 325

सामान्य बजट, 2006-2007—सामान्य चर्चा

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2005-2006

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2003-2004

श्री गिरधारी लाल भार्गव 227

श्री गणेश सिंह 328

श्री हंसराज जी. अहीर 330

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 334

श्री रेवती रमन सिंह. 339

श्री रायापति सांबासिवा राव 342

श्री पी. चिदम्बरम 346-379

विनियोग विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 379

विषय — कॉलम

खंड 2, 3 और 1 381

पारित करने के लिए प्रस्ताव 381

विनियोग (सख्यांक 2) विधेयक, 2006

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 381

खंड 2, 3 और 1 382

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश

और

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

श्री प्रबोध पाण्डा 384

श्री एम.ए.ए. फातमी 384

श्री बची सिंह रावत "बच्चा" 385

श्री मधुसूदन मिस्त्री 393

श्री रामजीलाल सुमन 401

मोहम्मद सलीम 404

श्री विजय कृष्ण 409

श्री इलियास आजमी. 412

श्री भर्तृहरि महताब 416

प्रो. रासा सिंह रावत 421

श्री जे.एम. आरून रशीद 428

श्री टी.के. हमजा 434

श्री शैलेन्द्र कुमार 435

श्री असादुद्दीन ओवेसी 438

श्री फ्रांसिस फैन्थम 443

श्री वरकला राधाकृष्णन. 446

श्री एस.के. खारवेनथन 449

विषय	कॉलम
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	452
श्री इकबाल अहमद सरडगी	459
श्री खारबेल स्वाईं	462
श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा	466
श्री आलोक कुमार मेहता	468
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	469
मोहम्मद शाहिद	471
खण्ड 2 से 10 और 1	479
पारित करने के लिए प्रस्ताव	479

कार्य मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	495-496
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	495-506

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	507-507
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	507-510

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 10 मार्च, 2006/19 फाल्गुन, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वैश्चन आवर सस्पैंड करने का नोटिस दिया है। एक बहुत बड़ा सिक्योरटी लैप्स हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 12 बजे बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहयोग करने का अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपको बारह बजे अनुमति दूंगा। अब केवल 58 मिनट शेष रह गए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह मामला बहुत सीरियस है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बारह बजने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, हाउस की सिक्योरटी का मामला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी टिप्पणी दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सभी लीडर्स बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आपको अनुमति नहीं देनी है। मैं आपको अनुमति दूंगा। वह 'सुपर स्पीकर' नहीं हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह सुपर स्पीकर नहीं हैं। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद। प्र.सं. 282 ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

मासिक आय खातों पर बोनस

+

*282. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :***
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघर मासिक आय खातों के परिपक्वता मूल्य पर दिए जाने वाले 10 प्रतिशत बोनस को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के लघु बचत पर मिलने वाले विद्यमान लाभ को कम करने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार के इस निर्णय से डाकघरों की लघु बचतों पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) मासिक आय योजना का विकल्प देने वाले लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। डाकघर मासिक आय खाता (पीओएमआईए) योजना के अंतर्गत दिनांक 13.2.2006 को अथवा उसके बाद खोले गए खातों की जमाराशियों पर बोनस नहीं दिया जाएगा। तथापि, दिनांक 13.2.2006 से पहले खोले गए खातों में उपलब्ध जमाराशियां पहले की तरह बोनस के लिए पात्र बनी रहेंगी। यह संशोधन इस योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रभावी आय को अन्य तुलनीय बचत साधनों के समान लाने के लिए किया गया है।

इसके साथ ही, पीओएमआई के अंतर्गत जमाराशियों को परिपक्वता से पहले निकालने पर उस पर लगने वाली जुर्माने की दरों को भी दिनांक 10.2.2006 से संशोधित कर दिया गया है। यदि खाता, खाता खोलने की तारीख 1 से 3 वर्षों के बीच बंद कर दिया जाता है तो जमाराशि के 2 प्रतिशत की दर पर कटौती की जाएगी, (3.5 प्रतिशत की पिछली दर की तुलना में) और यदि खाता 3 वर्ष बाद बंद किया जाता है तो कटौती जमा राशि 1 प्रतिशत की दर पर की जाएगी।

(घ) और (ङ) पीओएमआईए सरकार द्वारा प्रस्तावित लघु बचत साधनों में से एक है। इन संशोधनों का न तो लघु बचतों की वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ने और न छोटे बचतकर्ताओं के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा है। पीओएमआईए योजना के अंतर्गत प्रभावी प्रतिलाभ जो मासिक तौर पर 8 प्रतिशत वार्षिक की दर पर देय है, अन्य तुलनीय बचत साधनों पर प्रतिलाभों की अपेक्षा अभी भी अधिक है। जहां एक ओर संशोधित जुर्माना दरें ऐसे जमाकर्ताओं को राहत प्रदान करेंगी जो अपना खाता 3 वर्षों से पहले बंद करने की जरूरत महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर आशा की जाती है कि 3 वर्षों के बाद 1 प्रतिशत का नाममात्र जुर्माना जमाकर्ताओं को अपनी जमाराशियों को परिपक्वता अवधि तक खाते में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि संशोधनों से लघु बचतों पर प्रभाव पड़ने या लघु निवेशकों की हितों पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना नही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये डाकघर बचतें, भी यूं कहिए कि लघु बचतें, कुल मिलाकर लघु और मध्यम आय वर्ग के सेवानिवृत्त लोगों और ऐसे लोगों जिनका कोई और सहारा नहीं है, के लिए है। अब इस संशोधन द्वारा सरकार ने पहले यह प्रस्ताव किया है कि लघु बचतों से हतोत्साहित किया जाएगा और दूसरे लघु बचतकर्ताओं की आय अब पहले जैसी नहीं होगी।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह लघु बचतों से पूर्णत: हतोत्साहित करने के लिए है या उन्हें कुछ भी नहीं देकर गरीब बनाना है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इन दोनों में से कोई भी नहीं। लघु बचतों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा। किंतु लघु बचतें जाती कहां हैं? राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से समूची लघु बचतों को ऋणस्वरूप लेना पड़ता है। यदि 'क' हजार करोड़ रुपये राज्य से जमा होते हैं तो राज्य सरकार द्वारा 'क' हजार करोड़ रुपये ऋणस्वरूप लेने पड़ेंगे। कुछ समय में एनएसएसएफ में लघु बचतों की अनुमानित लागत और उसमें अत्यल्प प्रबंधन लागत को जोड़ने पर अब लागत 9.9 प्रतिशत है। राज्यों को यह राशि 9.5 प्रतिशत ब्याज दर पर दी जा रही है किंतु राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें यह राशि 9.5 प्रतिशत पर नहीं चाहिए। हम बाजार से न्यूनदरों पर ऋण ले सकते हैं। मेरे पास एकतरफ तो वो राज्य हैं जो कहते है कि, हमें यह पैसा नहीं चाहिए, हम न्यूनदरों पर बाजार से ऋण ले सकते हैं।'' और दूसरी ओर लघु बचतकर्ताओं के प्रति भी मेरा यह कर्त्तव्य है कि उन्हें बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

अतएव, समिति की सिफारिशों के आधार पर हम लघु बचतों की दरों को तार्किक बना रहे हैं और केवल—मैं दोहराता हूं—केवल वरिष्ठ नागरिकों को दिये जाने वाली ब्याज दर को 9 प्रतिशत रखा गया है। यदि वरिष्ठ नागरिकों का दर 9 प्रतिशत है तो अन्य सभी दरों को तार्किक बनाया जा रहा है और तार्किक बनाए जाने के पश्चात् पीओएमआईए की प्रभावी दर 8.2 प्रतिशत है जो वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाली दर के बाद सबसे अधिक है।

अतएव, पीओएमआईए अभी भी वरिष्ठ नागरिकों की 9 प्रतिशत वाली बचत दर के बाद सर्वाधिक आकर्षक लघु बचत दर है। लघु बचतों के महत्व को कम करने का कोई प्रयास नहीं है। लघु बचतों को हतोत्साहित करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। वस्तुत: यह साल दर साल तेजी से बढ़ रही है। मेरे आंकड़े बताते हैं कि गत वर्ष लघु बचतों में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतएव, महोदय, कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। यह तो मात्र औचित्यपूर्ण बनाना है ताकि लघु बचतों को लगभग 8.2 प्रतिशत के प्रभावी दर पर लाया जा सके क्योंकि यह मासिक रूप से देय है। यह 8.2 प्रतिशत है। वरिष्ठ नागरिकों की बचत दर को छोड़कर यह अभी भी उच्चतम दर है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री ने कहा कि अभी भी यह बाजार में उपलब्ध उच्चतम दर है। यहीं समस्या आती है। अब सरकार कमजोर तबकों के प्रति अपनी जवाबदेही त्याग रही है। इस सभा में, हमने भविष्य-निधि की ब्याज दर के बारे में कई बार चर्चा की है। यही जवाब मिलता है, "बाजार दर"। बाजार दर गिर रही है और इसके शिकार बन रहे हैं कमजोर वर्ग। जैसा कि इन्होंने कहा, ये थोड़ी सी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मेरी अपील है कि इसे और आकर्षक बनाने तथा लोगों की सहायता करने के लिए 'थोड़ी अधिक जिम्मेदारी' लें।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने वही जवाब दिया है। अपील अनुपूरक नहीं है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मेरा अनुपूरक है कि क्या इस पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, किसी विचाराधारा या तकनीकी बहसबाजी में पड़े बिना व्यापक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि मुद्रास्फीति की दर नीचे रहे और बचतकर्त्ता को ऐसी दर दी जाए जो मुद्रास्फीति दर से ऊपर हो। उदाहरणार्थ, आज जापान में किसी भी उद्योग को शून्य या अधिक से अधिक 0.5 प्रतिशत की दर पर ऋण मिल सकता है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या हमारी भी स्थिति वैसी होगी?

श्री पी. चिदम्बरम : अवश्य ही हमें ऐसा करना चाहिए यदि हमें प्रतिस्पर्धात्मक बने रहना है तो।

आज मुद्रास्फीति की दर 4 से 4.5 प्रतिशत के बीच है। जब मुद्रास्फीति की दर 8 या 9 प्रतिशत थी तब बचत या बैंक जमा पर 12 और 13 प्रतिशत की ब्याज दर कोई औचित्य था। जब बचतकर्त्ता 12 या 13 प्रतिशत प्राप्त करता है तो ऋणी को 14 प्रतिशत ओर 15 प्रतिशत के बढ़े दर पर ऋण मिलेगा। मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण ब्याज दरों में कमी आ रही है। और मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत है तो मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि 8.2 प्रतिशत की बचत दर आदर्श है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहूंगा कि बोनस कम करने का जो निर्णय लिया गया हे, क्या उसका सर्वे कराया गया है कि अल्प बचत में जो लोग फाइनेंस करते हैं, उन्हें कितना बोनस देना पड़ता है? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को 9 परसेंट ब्याज दिया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा क्या है? एक तरफ केंद्र सरकार उनकी उम्र 60 वर्ष मान रही है, राज्य सरकार कहीं 62 वर्ष और कहीं 65 वर्ष मान रही है। वरिष्ठ नागरिक साठ वर्ष के बाद मानना चाहिए लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं मान रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्रालय वरिष्ठ नागरिक की उम्र 60 वर्ष मानेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ नागरिक होने के लिए आयु सीमा क्या है? आप किसे वरिष्ठ नागरिक मानते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : पुष्टि के अध्यधीन वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत आयुसीमा 60 वर्ष है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी आपको थोड़ी देर लगेगी। श्री राम कृपाल यादव।

(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ब्याज दर लघु बचत योजना के अंतर्गत घटाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में कर्मचारियों के हित को देखते हुए इसे बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक ही बात है। माननीय मंत्री, आप अपना उत्तर दुहरा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं सुन सका।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या आप ब्याज दर बढ़ाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा है कि जो लघु बचत योजना के अंतर्गत ब्याज की दर घटाई है, जिससे आम लोगों को तकलीफ हुई है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कम से कम आपको तो श्री राम कृपाल यादव जी की बात पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : क्या आप उस पर विचार करेंगे ताकि कर्मचारियों को लाभ मिल सके और लघु बचत योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी अपनी राशि कटाते हैं, उससे उन्हें जो बाद में लाभ मिलता है, वे उससे वंचित हो रहे हैं, क्या उस पर आप कोई विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ब्याज दर में वृद्धि करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसाकि मैंने बताया है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रभावी ब्याज दर 9.1 प्रतिशत है चूंकि ब्याज की अदायगी तिमाही की जाती है। दूसरी ओर, डाकघर मासिक आय खाता (पी ओ एम आई ए) योजना पर प्रभावी दर 8.2 प्रतिशत है क्योंकि ब्याज दर की अदायगी मासिक रूप से की जाती है। मेरे विचार से और यह मेरा अनुरोध भी है कि मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए ये दोनों ब्याज दरें आकर्षक दरें हैं। कोई भी यह नहीं चाहता है कि मुद्रास्फीति बढ़े। यदि मुद्रास्फीति 4 से 4.5 प्रतिशत अथवा 4.5 से 5 प्रतिशत के बीच रहती है और पी ओ एम आई ए योजना के लिए वापसी की प्रभावीदर 8.2 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9.1 प्रतिशत रहती है – ये आकर्षक दरें हैं – तो फिर उनपर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारत-पाकिस्तान दूरसंचार संपर्क

\+

*283. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच दूरसंचार संपर्कों के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समझौते पर हस्ताक्षर करते समय सुरक्षा पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए, अन्य देशों के सेवा प्रदाताओं के साथ करार करने हेतु स्वतंत्र हैं।

मैसर्स रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड (आरआईएल), मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीसीएनएल) एवं मैसर्स भारतीय टेली वेन्चर्स लिमिटेड ने भारत और पाकिस्तान के बीच भू-भागीय ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली स्थापित करते हुए दूरसंचार लिंक संस्थापित करने हेतु पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, ये लिंक अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) सुरक्षा एजेंसियों को दोनों देशों की बीच की प्रस्तावित ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली के बारे में जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता, सुरक्षा एजेंसियों से तत्संबंधी क्लीयरेंस लेने के बाद ही भू-भागीय ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली पर वाणिज्यिक परियात (ट्रैफिक) भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में घुमा-फिरा कर यह जवाब दिया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में दूरसंचार के बारे में समझौता हुआ है। मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि क्या सुरक्षा के संबंध में विचार किया गया है, माननीय मंत्री जी ने उसका काफी घुमा-फिरा कर जवाब दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, यह सच है कि पाकिस्तान रोज आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, क्या ऐसी स्थिति में जरूरी है कि संचार सुविधाएं बढ़ा कर, संचार माध्यमों से आतंकवाद को और बढ़ावा दिया जाए? इसमें मंत्री जी जरा सफाई दें।

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और सदन को कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इनके प्रश्न से लग रहा है कि पाकिस्तान से पहली बार हमारा टेलीकम्युनिकेशन लिंक स्थापित हो रहा है। देश में पाकिस्तान से ही नहीं, हमारी दुनिया के लगभग 200 से अधिक देशों के साथ टेलीकम्युनिकेशन संबंध हैं और इस मामले में निश्चित रूप से हमारे स्वर्गीय नेता, श्री राजीव गांधी जी बधाई के पात्र हैं, जिनके इनिशिएटिव से और हमारे इंजीनियर्स एवं टैकिनशियंस की मेहनत से हमने इतना बड़ा टेलीकम्युनिकेट नेटवर्क स्थापित किया है। हम दुनिया के 200 से अधिक देशों से टेली कम्युनिकेशन सेवा से बात कर सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। इस सदन में जैमर लगा है, अगर कोई चाहे तो सदन के बाहर सेंट्रल हॉल में जाकर

पाकिस्तान से अपने मोबाइल से बात कर सकता है, अगर उसमें आईएसडी सुविधा उपलब्ध है। आपने पूछा था कि क्या पाकिस्तान और भारत से कोई समझौता हुआ है या नहीं, एमओयू साइन हुआ है या नहीं। भारत और पाकिस्तान से कोई एमओयू साइन सरकारी स्तर पर नहीं हुआ है, जो प्राईवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं या जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस देता है, उन्हें साथ-साथ यह परमिशन भी देता है कि वे अपने बिजनेस के लिए अगर चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंटरनेशनल लौंग डिस्टेंस में सम्पर्क स्थापित करने के लिए एमओयू कर सकते हैं। जहां तक एमओयू की बात है, इसके बारे में हमारा जो डिपार्टमेंट है, उसमें सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उन्हें खबर कर दी गई है, उनके ग्रीन सिगनल के बाद ही उन्हें प्रोविजनल परमिशन दी गई है। जब यह स्थापित हो जाएगा तो उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां उसे चैक करेंगी और चैक करने के बाद उन्हें कमर्शियल यूज का अधिकार मिलेगा। इसलिए यह डायरेक्ट किया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट अभी भी स्थापित है, यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सिक्योरिटी एजेंसी की हालत यह है कि यह पार्लियामेंट में भी ठीक नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे। मेरा कहना यह है कि श्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा और क्या सोचा, उसे लेकर आज देश नहीं चल सकता। अगर देश को चलाना है तो आज की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुये रणनीति तय करनी होगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में प्रश्न पूछिये।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने ऐसा जवाब दे दिया कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता नहीं हुआ हो, ये विदेशी एजेंसियां हों, ये इनकी ही एजेंसियां हैं। बी.एस.एन.एल. के साथ समझौता किया है, ऐसा माननीय मंत्री जी का जवाब है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसे रोकने के लिये अब तक क्या इन्तजाम किये गये हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं?

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि बी.एस.एन.एल. ने इस मामले में कोई एम ओ यू साइन नहीं किया है। विदेश संचार निगम, भारती टेली वैंचर, रिलायंस इन्फोकॉम टेक्नोलोजी – इन तीनों का पाकिस्तान का टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। जहां तक सुरक्षा एजेंसियों का सवाल है, इस संबंध में गृह मंत्री की जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पार्लियामेंट की सुरक्षा की चर्चा कर रहे हैं, मेरा कहना है कि इस तरह राजनीतिक प्रश्न का हवाला प्रश्नकाल में नहीं होना चाहिये। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, उस समय किस की सरकार थी, वह कृपया इसे याद करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह हमें यह सबक न पढ़ायें।

अध्यक्ष महोदय, जब हम फोन से इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, तो दो जगह सेफगार्ड की व्यवस्था होती है। एक, जब फोन एक्सचेंज से बाहर निकल जाता है और दूसरे, देश के बाहर फोन जाता है तो दोनों जगह सिक्योरिटी एजेंसियां रहती हैं। जो लॉफुल इंटरसेप्शन का प्रावधान हे, कानून है, उसके तहत हम सुरक्षा का पालन करेंगे, उसमें कहीं भी देश की सुरक्षा की समस्या नहीं आयेगी। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार देश की सुरक्षा के सवाल पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर में अपने देश से बात करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफी समय तक सिस्टम बाधित रहता है। अगर कोई मोबाइल से बात करना चाहे तो सम्भव नहीं है परंतु पाकिस्तान से उनकी बातें होती रहती हैं, आतंकवादी पाकिस्तान से बातें कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपने देश में रहने वाले अपने देश में पूरी बात नहीं कर सकते। वे बात कर सकें, इसके लिये सरकार ने क्या प्रावधान किये हैं?

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, जो एम ओ यू साइन किया गया है, वह लाहौर-अमृतसर के केबल लिंक के लिये किया गया है। माननीय सदस्य ने जम्मू कश्मीर के विषय में जो प्रश्न किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। हमारा नियम है कि 10 किलोमीटर के अंदर तक जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, टावर नहीं लगाना चाहिये और वहां जितने मोबाईल फोन्स, हैं, उनका सिग्नल बाहर नहीं जाना चाहिये। इसकी इज़ाजत टेलीकॉम डिपार्टमेंट नहीं देता है। अगर ऐसा लिंक स्थापित करने की जरूरत हो तो गृह मंत्रालय सारी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के बाद ही अनुमति देता है। इसके लिये भारत सरकार और यू.पी.ए. की सरकार बिलकुल कृत-संकल्प है कि ऐसा देश में नहीं करेंगे। इस संबंध में लाइसेंस देते समय निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी लाल सिंह जी, यह संगत अनुपूरक प्रश्न होना चाहिए।

चौधरी लाल सिंह : महोदय यह बहुत ही संगत प्रश्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि उन्होंने

पाकिस्तान में लौंग डिस्टैंस केबल बिछाने का काम प्राइवेट कंपनियों को दिया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बॉर्डर के साथ बसे गांव हैं जैसे, हीरानगर, गगवाल, आर.एस.पुरा, पुंछ, राजौरी – वहां कहीं भी टेलीकॉम की सुविधा नहीं है, मोबाइल नहीं चलता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ आप उधर तो जोड़ रहे हैं लेकिन बॉर्डर के किनारे पर बैठे हुये लोग जो सदियों से पाकिस्तान की जिल्लत झेल रहे हैं, क्या उन लोगों के लिये कोई प्रावधान करेंगे ताकि उन लोगों को भी मोबाइल और टेलीकॉम का फायदा मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी तरह से एक अलग मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है और इसका वर्तमान प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह एमओयू लैंडलाइन के बारे में साइन किया गया है। जहां तक मोबाइल के बारे में सरकार की स्थिति है, जो नियम है, वह मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है लेकिन निश्चित रूप से हमारी इच्छा है कि बॉर्डर के किनारे रहने वाले लोगों को टेलीकॉम और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें मिल सकें। देश की सुरक्षा के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मगर पीपल्स-टू-पीपल्स कॉन्टेक्ट और जो कांफिडैंस बिल्डिंग मैजर्स हो रहे हैं, बसें जा रही हैं, रेल चल रही है तो निश्चित रूप से जब हम दूसरे देश के लोगों को सुविधायें देते हैं तो अपने देश के लोगों को सुविधायें देने का प्रयास करेंगे और जो कमी है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक यह प्रमाणित हो चुका है कि जो भी आतंकवाद की घटनाएं घटती हैं, उसके केन्द्रबिन्दु में कहीं न कहीं पाकिस्तान जुड़ा होता है। बनारस में जो घटना घटी, उसके संबंध में अखबारों में समाचार छपा कि आतंकवादी नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग चुके हैं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि 210 से अधिक देशों से हमारा टेलीफोन संपर्क का काम चल रहा है। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए पूर्व से ही प्रयास किए जा रहे हैं। रिश्ते सुधर जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस संबंध में जब तक पाकिस्तान के माध्यम से आतंकवाद की घटनाएं इस देश में समाप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक क्या पाकिस्तान से दूरसंचार व्यवस्था को आप समाप्त करना चाहेंगे?

अध्यक्ष महोदय : अरे! क्या प्रश्न है? आप 'हां' या 'न' में जवाब दे दीजिए।

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यह लाइन क्यों बन रही है। आज माननीय प्रभुनाथ सिंह जी चाहें तो सेन्ट्रल हाल में जाकर अपने मोबाइल से पाकिस्तान बात कर सकते हैं। दो तरह से पाकिस्तान बात होती है। एक सैटेलाइट के द्वारा और दूसरा केबल के द्वारा। सैटेलाइट के द्वारा कॉल डायरैक्ट चली जाती है और केबल के द्वारा एक तीसरे देश से होकर जाती है जिसमें ज्यादा खर्चा आता है। उसको कम करने के लिए ही डायरैक्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाई जा रही है। मैंने बार-बार कहा है कि हम डायरैक्ट केबल लगाएंगे। जब तक केबल अपने देश से होकर जा रही है, हमें लॉफुल इंटरसैप्शन का अधिकार है और हमारी सिक्यूरिटी एजेंन्सियों को जिस पर शक होगा, उसका हम लॉफुल इंटरसैप्शन करेंगे। देश की सुरक्षा के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत को एक केबल लाइन से बाघा सीमा से पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। यदि हां, तो भारत में लैंडिंग स्टेशन कहां पर होगा?

डा. शकील अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, दोनों देशों की ओर से अमृतसर और लाहौर के बीच बाघा सीमा तक केबल बिछाई जाएगी। दोनों देशों के दूरसंचार ऑपरेटर अपने संबंधित देशों की सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ जो एम.ओ.यू. किया गया है, मैं उस संबंध में सवाल करना चाहता हूं। जब भी पाकिस्तान से जुड़ा कोई प्रश्न आता है तो वह मामला सीधा आतंकवाद से जुड़ जाता है। यह दुर्भाग्य की बात है, और इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि हम पिछले कई वर्षों से आतंकवाद से जूझ रहे हैं। आतंकवाद आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। पिछले कुछ दिनों में भी जब हमने कुछ बॉर्डर वहां खोले हैं, तब से इस देश में आतंकवाद बढ़ा है। देश की जनता के मन में उसके कारण भय भी है। हमारे मन में यह आशंका है कि जब ये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम होगा तो उस समय भी आतंकवादियों के इस देश में फिर घुसने की संभावना है। यह जिम्मेदारी निश्चित रूप से गृह मंत्रालय की है लेकिन दूरसंचार मंत्रालय ने जो एम.ओ.यू. साइन किया है और उस पर काम करने जा रहा है, यह मंत्रालय भी सरकार का अंग होने के नाते इस काम को करते वक्त सिक्यूरिटी के मामले में कोई खास ध्यान देने के लिए कोई प्रावधान किया है? यदि नहीं किया है, तो क्या करने का इरादा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या पूरी सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है?

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान से आज भी टेलीफोन लिंक स्थापित है। गीते जी सीनियर मैम्बर हैं और वे यह जानते हैं। आज भी वॉइस डैटा, एस.एम.एस. वगैरह सब जा सकता है। यह सिर्फ कॉस्ट को कम करने के लिए है। मैंने बार-बार कहा कि सिक्यूरिटी एजेन्सी आई. बी. इसकी नोडल एजेन्सी है। इसके अलावा तीन-चार एजेन्सियां और हैं जो इसको मॉनीटर करती हैं। आई.बी., नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रैवेन्यू इंटैलिजैन्स, सीबीआई, एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट और आर्मी भी इसको मॉनीटर करती है। इसलिए सुरक्षा का पूरा ख्याल रखकर ही कोई काम आगे होगा, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

मोहम्मद सलीम : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी संपर्क की बात होती है खासकर पाकिस्तान के साथ, तो यथार्थ रूप से हमारे मन में ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से सुरक्षा से संबंधित शंकाएं आती हैं। मंत्री महोदय ने जवाब में बताया कि टेलीफोन से संबंध है, लेकिन तीसरे देश के द्वारा है। आतंकवाद का मामला ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी तो उससे ज्यादा होगा, बल्कि यदि हमारे सामने ग्रीन चैनल उपलब्ध होता है तो दोनों देश की जनता का, कारोबार करने वाले व्यापारियों का एक दूसरे देश से संपर्क ज्यादा आसान हो जाता है और इससे वे आतंकवाद के बारे में ज्यादा होशियार हो जाते हैं। आतंकवादी आपस में बात करने के लिए सॉफैस्टिकेटेड सैटेलाइट टेलीफोन इक्विपमैंट्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे बांग्ला में एक कहावत है – *बज्रो आटुणी फस्का गेरे* – जिसका मतलब है कि यदि हम किसी चीज को बहुत तेजी से बांधते हैं तो वह ढीली हो जाती है। आज वे लोग शंकाएं कर रहे हैं जो मुशर्रफ़ और वाजपेयी के हैंडशेक से वोट लेकर आए हैं कि अच्छा संपर्क हो रहा है। जब निकट संपर्क संचार होता है तो उसके लिए हम बधाई देते हैं और दूरसंचार होता है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

[अनुवाद]

इसमें निजी स्थान शामिल है इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं। किंतु पाकिस्तान में टी.वी. कम्युनिकेशन कंपनी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की बात कीजिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : जो पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइडर है, वह अपने इंटरनेशनल आर्म्स के जरिये हिन्दुस्तान में जो प्राइवेट मोबाइल कंपनीज जो यहां सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यही कंपनी पाकिस्तान और यहां तक कि भारत में भी सेवा प्रदाताओं पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में सरकार क्या सोच रही है?

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि क्या निजी कंपनियों पर आपका नियंत्रण है।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समझौता हुआ है भारती, रिलायंस और विदेश संचार निगम का, यह पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी लिमिटेड के साथ हुआ है। इनको डिपार्टमैंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स ने लाइसेन्स दिया है और इसमें लिखा है कि आप अगर चाहिए तो दूसरे इंटरनेशनल लांग डिस्टैन्स टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से कान्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यह उनके अपने बिजनैस का मामला है। कौन किसको टेकओवर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, यह उनको देखना है। इनका सिर्फ पाकिस्तान से ही समझौता नहीं हुआ है बल्कि सिंगापुर, जापान से भी समझौता है। हमारी सरकारी कंपनी बीएसएनएल श्रीलंका के लिए सब मैरीन केबल डाल रही है। यह बिजनैस का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी पर चढ़ाई वगैरह का मामला नहीं है। हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने स्वेच्छा से वहां के टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के साथ समझौता किया है।

श्री रामदास आठवले : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान के संबंध और अच्छे बनाने के लिए हमारे यहां से बस और रेल सेवा चालू है और हवाई सेवाएं भी चालू हैं। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ यह एग्रीमैंट किया है। मेरा कहना है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए दूरसंचार के क्षेत्र में मोबाइल सेवाएं अच्छी होनी चाहिए। यदि भारत-पाकिस्तान के संबंध सुधारने हैं तो दूरसंचार को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि दोनों देशों के संबंध अच्छे बनाने के लिए जल्दी इस काम को पूरा करने की आवश्यकता है। मंत्री जी इस संबंध में क्या कर रहे हैं? उनको जल्दी इस संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : यहां हमारे देश में जो संचार होता है, वह तो ज्यादातर...*(व्यवधान)* मेरा प्रश्न इतना है कि क्या माननीय मंत्री जी मोबाइल सेवा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आप चालू कर दीजिए, उनका सुझाव ले लीजिए।

डा. शकील अहमद : महोदय, ले लिया सुझाव।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 284, श्री अनंत गुढ़े – उपस्थित नहीं।

श्री हंसराज जी. अहीर

[अनुवाद]

डाकघरों का बंद किया जाना

+

*284. **श्री हंसराज जी. अहीर :**
श्री अनंत गुढ़े :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिग क्षेत्र, टेलीफोन सुविधाओं तथा संचार के अन्य साधनों में तेजी से सुधार होने के कारण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के कार्यभार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अब तक कितने डाकघर बंद किए गए हैं अथवा बंद करने की सिफारिश की गई है;

(घ) फालतू (सरप्लस) डाक कर्मचारियों की सेवाओं के उपयोग हेतु क्या बहाली योजना तैयार की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा डाक सेवाओं को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संबंध में सरकार को न्यूनतम हानि हो?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) डाकघर नेटवर्क डाक के संग्रहण, पारेषण और वितरण (प्रीमियम उत्पाद सहित), धनांतरण, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग और बीमा तथा विविध रिटेल सेवा जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है। विभिन्न सेवाओं की मांग में घटत-बढ़त सामान्य बात है और विभाग द्वारा प्रदान की जा रही विविध सेवाओं को ध्यान में रखते हुए महसूस किया जा रहा है कि कुल मिलाकर व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है। राजस्व के मामले में पिछले कुछ वर्षों में विभाग ने वृद्धि का रुझान दिखाया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि डाक विभाग की कर्मचारियों की कटौती की कोई नीति नहीं है, इसलिए पुनर्वास का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ है। डाक विभाग की सेवाएं केन्द्रीय बजट से सब्सिडीयुक्त हैं। मुख्य रूप से, यह सब्सिडी इसलिए दी जाती है क्योंकि विभाग पर सब्सिडीयुक्त लागत की अपनी सेवाओं को देश भर के शहरी, ग्रामीण, जनजातीय, दूरदराज, पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में पहुंचाने का सामाजिक दायित्व है। जनसाधारण के लिए इन सेवाओं और उत्पाद की कीमतें उनकी सामर्थ्य के अनुरूप रखी जाती हैं। 2001-02 से 2003-04 की अवधि के दौरान राजस्व, व्यय और घाटे के विवरण निम्नानुसार है:-

मद (करोड़ रु. में)	2001-02	2002-03	2003-04
राजस्व	3697.11	4009.65	4256.93
व्यय	5108.62	5374.05	5632.153
घाटा	1411.51	1364.40	1375.22

यह देखा जा सकता हे कि कुल मिलाकर घाटा स्थिर है, इस तथ्य के बावजूद कि इस अवधि के दौरान महंगाई भत्ते में 38% से 61% की वृद्धि के साथ वेतनों में वृद्धि हुई है। विभाग केन्द्र सरकार के अनेक मंत्रालयों/विभागों से हटकर अपने पूर्व कर्मचारियों की पेंशन अदायगियों को स्वयं वहन करता है जिसकी कुल राशि 2003-04 में 1107 करोड़ रुपए रही। यह प्रसन्नता की बात है कि डाक विभाग ने अपने राजस्व में 2001-02 में 3697.11 करोड़ रु. से 2003-04 में 4256.93 करोड़ रु. की वृद्धि की है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि डाक विभाग में निरंतर आय में वृद्धि का रुझान है। साथ में कहा है कि डाक सेवा ग्रामीण जनजातीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व के रूप में दी जाती है। साथ में यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार से सब्सीडी मिलती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अनेक डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में आपके द्वारा बंद किए जा रहे हैं और किए भी गए हैं। फिर भी आप लिखते हैं कि डाकघर बंद नहीं किए गए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बंद करके वहां पंचायत संचार एजेंटों का काम बंद किया गया है। जिसकी वजह से ग्रमीण क्षेत्रों की डाक

सेवा प्रभावित हुई है, बंद हुई है और दूर-दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को यह सेवा प्राप्त नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री इंसराज चौ. अहीर : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो लिखा है कि हमने डाकघर बंद नहीं किए हैं, आप इस बारे में जानकारी लें कि डाकघर बंद किए गए हैं या नहीं। अगर डाकघर बंद किए गए हैं तो आप फिर से उन डाकघरों की पुनर्बहाली कर पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे?

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विभाग के कारण इस देश में, इस वर्ष कोई डाकघर बंद नहीं किया है। कहीं-कहीं पर अगर डाकघर की बिल्डिंग सही कंडिशन में नहीं है और हमें कोई दूसरी अच्छी जगह डाकघर के लिए नहीं मिली, वहां डाकघर बंद हुए हैं या कहीं कोई डिस्प्यूट है और कोर्ट का कोई आदेश है, वहां डाकघर बंद हुए हैं। लेकिन फाइनेंशियल और इकोनोमिकल वायबल नहीं है तथा आमदनी कम हो रही है, इस वजह से हमने कोई डाकखाना कहीं भी बंद नहीं किया है। हम लोगों ने रिलोकेट किया है, डाकखानों को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया है और अगर कहीं काम ठीक से नहीं चल रहा है तो मर्ज किया है, लेकिन हमने डाकखानों को बंद नहीं किया है। डाकघर बंद किए हैं तो सिर्फ कोर्ट के आदेश से या सपेस्फिक कंडीशन के कारण बंद किए हैं। मेरे पास सर्किल वाईज लिस्ट है।...*(व्यवधान)* विलय का अर्थ है विलय। इसका अर्थ 'बंद करना' नहीं है

अध्यक्ष महोदय : आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट भेज दीजिए और जवाब ले लीजिए।

श्री इंसराज चौ. अहीर : मंत्री जी ने कहा है कि डाकघर घाटे में चलने की वजह से बंद नहीं किए गए हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे 45 डाकघर बंद किए गए हैं, जिनका लिखित रूप में उत्तर दिया गया है कि वे डाकघर घाटे में चलने के कारण बंद किए गए हैं।

[हिन्दी]

मंत्री जी जांच करें और जितने भी डाकघर घाटे में चलने के कारण बंद किए जाने के जवाब मिले हैं, उन्हें फिर से प्रारम्भ करने का क्या मंत्री जी आदेश देंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मुझे बताया गया है कि पिछले सप्ताह भी इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था।

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद : अगर डाकघर इसलिए बंद किए गए हैं कि बिल्डिंग नहीं मिली या मकान नहीं मिला, तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर वे मकान उपलब्ध कराएंगे, तो हम निश्चित रूप से उन डाकघरों को पुनः चालू कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश है या कोर्ट के आदेश के कारण बंद हुए हैं, तो कोर्ट का जैसा आदेश होगा, वैसा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है। वह शब्दों से खेल रहे हैं। डाकघर बंद किए गए हैं। इसका क्या अर्थ है?...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे?...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री येरननायडु, आपकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जा रही है। श्री स्वाईं, आपकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जा रही है क्योंकि मैंने आपको बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मै आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि यह मामला आपको इतना उत्तेजित कर रहा है तो आप इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा कराने हेतु नोटिस दीजिए। मैं इसकी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्राइबल और हिली एरियाज की बात है, हम मंत्री महोदय, से पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट ऑफिसेस बंद नहीं किए हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिली और ट्राइबल एरियाज में पोस्ट ऑफिसेस बंद हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, तो क्या आप बोलती रहेंगी, यह कैसे होगा? मैंने कह दिया है कि इस संबंध में झाफ-एन-ऑवर डिस्कशन के लिए यदि मेरे पास कोई रिक्वैस्ट आएगी, तो मैं उसे अलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रासंगिक नहीं है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

इस विषय में, मैं श्रीमती किरण माहेश्वरी के अलावा, किसी और को बोलने के लिए टाइम नहीं दूंगा। कृपया सब चुप बैठिए। मैं हाफ-एन-ऑवर अलाऊ करूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी, जब माननीय सदस्य ने पूछा, तो माननीय मंत्री जी ने बताया कि दो पोस्ट ऑफिसों का विलय कर दिया है, बंद नहीं किए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि विलय करने में क्या उन्होंने देखा कि जिन दो पोस्ट ऑफिसों का, एक में विलय किया गया है, उससे क्या स्थानीय लोगों को सुविधा मिल रही है? महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि दोनों ही पोस्ट ऑफिसेस एक्स्ट्रीम एंड पर थे और दोनों की आवश्कयता थी, लेकिन मंत्री महोदय बता रहे हैं कि उन्होंने उनका विलय कर दिया है और ऐसा करते समय उन्होंने बताया कि फायनेंश्यल और इकॉनमिकल नुकसान को नहीं देखा, बल्कि जनता की सुविधा को, पब्लिक के हित को ध्यान में रखा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि इसमें पब्लिक का हित कहां और कैसे हुआ? जहां एक पोस्ट ऑफिस ईस्ट और दूसरा वैस्ट में था, दोनों पोस्ट ऑफिसों को मिलाकर उन्होंने विलय कर दिया, तो जिन दोनों जगह के लोगों को अभी तक डाकघर की सुविधा मिल रही थी, वह अब विलय करने के बाद नहीं मिल रही है, तो इसमें पब्लिक हित कहां रहा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। आप बहुत साफ बोलती हैं, भाषण न दें।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रिसाइस क्वश्चन यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो पोस्ट ऑफिसेस बंद किए हैं, उनके आंकड़े बताएं? दूसरे, मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट ऑफिसेस बंद नहीं किए हैं, यह गलत है। वे इस बात को साबित करें कि उन्होंने पोस्ट ऑफिसेस बंद नहीं किए हैं और राज्यवार आंकड़े दें कि पोस्ट ऑफिसेस कहां-कहां चल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खेद है, मैं ऐसे ब्यौरे देने की अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

केवल स्पेसीफिक क्वेश्चन परमिट करूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसीफिक क्वैश्चन यह है कि डाक सेवकों की पिछले तीन साल में कितनी भर्ती हुई है, मंत्री जी, उसके पूरे आंकड़े दें और सारे ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं और यदि ऐसा चलेगा, तो डाक वितरण कैसे होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैंने इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा हेतु अनुमति देने का निर्णय लिया है, अतः अब हम चर्चा हेतु अगले प्रश्न यानी प्रश्न सं. 285 को लेंगे।

[हिन्दी]

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

+

*285. **श्री काशीराम राणा :**
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को देश-वार कुल कितने मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए निर्यात के क्या अनुमान लगाए गए हैं;

(ग) विदेशों में सिले-सिलाए वस्त्रों के लिए नए बाजारों की संभावनाओं का पता लगाने में निर्यात संवर्धन परिषद की क्या भूमिका है; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में निर्यातकों को परिषद द्वारा क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात का कुल मूल्य निम्नलिखितानुसार है:–

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	5753.32	6259.66	6214.44

स्रोत : डीजीसीआईएंड एस, कोलकाता

कुछ प्रमुख देशों को सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात निम्नलिखितानुसार है:-

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

देश	वर्ष		
	2002-03	2003-04	2004-05
यू.एस.ए.	1732.29	1622.21	1858.56
यू.के.	516.42	539.48	619.14
यू.ए.ई.	399.27	615.34	509.58
फ्रांस	398.74	437.46	448.23
जर्मनी	477.33	498.45	424.30
इटली	171.85	223.58	271.98
कनाडा	258.33	241.81	233.23

(ख) निटवियर और अपैरलों के निर्यात के लिए वर्ष-वार अनुमानित आकलन निम्नलिखितानुसार है:-

(बिलियन अमरीकी डालर में)

क्लोदिंग	2006	2007	2008
61-निटवियर	4.01	5.41	7.31
62-अपैरल	5.41	7.03	9.14

(ग) सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाने की दृष्टि से अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेला आयोजित करती है और हांगकांग फैशन वीक, हांगकांग; एसआईएमएम मेला स्पेन; मैजिक फेयर, यूएसए आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण मेलों में भाग लेती है। परिषद के निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण देश संयुक्त राज्य अमेरीका, यू.के., यूरोपीय संघ, ग्रीस, फ्रांस, वियतनाम, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, चिली, चीन, हांगकांग, इटली आदि हैं।

(घ) यह परिषद निम्नलिखित क्षेत्रों में अपने सदस्यों को सहायता प्रदान कर रही है:–

(i) ट्रिमिंग एवं अलंकरण के शुल्क मुक्त आयात की अधिप्राप्ति करना।

(ii) सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्जिन जारी करना।

(iii) बाजार विकास सहायता/बाजार पहुंच प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में विदेश में प्रतिभागिता!

(v) सीमा शुल्क से संबंधित समस्याओं के हल के लिए कार्य करना।

(vi) शुल्क वापसी के लिए लागत आंकड़े एकत्रित करना।

(vii) निचले स्तर पर कुशल कार्मिक बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

(viii) उद्योग और सरकार के बीच समन्वय की सारणी प्रदान करना।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, टैक्सटाइल एक्सपोर्ट के जो फिगर्स उन्होंने अपने उत्तर में दिए हैं, उनसे और सरकार के विजन-2010 के माध्यम से, उन्होंने आशा की है कि उनका टैक्सटाइल एक्सपोर्ट का फिगर 50 बिलियन डॉलर तक पहुच जाएगा, लेकिन जो इकॉनमिक सर्वे हमें अभी मिला है, उसके अनुसार टैक्सटाइल का पूरा एक्सपोर्ट वर्ष 2003-04 में 13.4 बिलियन डॉलर हुआ है ओर वर्ष 2004-05 में वह कम होकर 13.00 बिलियन डॉलर रह गया। अभी जो फायनेंश्यल इयर चल रहा है इसमें नवम्बर तक, जो एक्सपोर्ट हुआ वह 9.3 बिलियन डॉलर का हुआ, और हो सकता है कि वह मार्च के एंड तक शायद 13 बिलियन डॉलर तक हो। इस प्रकार यदि देखें, तो जो पांच वर्ष में 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, उस तक हम नहीं पहुंचेंगे।

महोदय, इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2014 तक हम 70 बिलियन डॉलर तक का टैक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इतना एक्सपोर्ट कर पाना इम्पॉसीबल है। दूसरी तरफ, मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस टारगेट तक पहुंचना है, तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिए।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, 30 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट का टारगेट था और वर्ष 2005 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वह केवल 1.8 बिलियन से 3 बिलियन डॉलर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?

श्री काशीराम राणा : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 30 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा और 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कैसे होगा? मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या टारगेट को एचीव करने के लिए, जिस तरह से चीन अपने एक्सपोर्टरों को अनेक प्रकार की फेसिलिटीज देता है, वैसी फेसिलिटीज भारत सरकार देगी और क्या माननीय मंत्री जी, माननीय फायनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर के साथ बैठकर इस बारे में बात करेंगे,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री काशीराम राणा, मंत्रालय के बारे में आपकी जानकारी काफी गहरी है। कृपया प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : जिस प्रकार की फेसीलिटीज और इकॉनमिक स्टेटस आदि की सुविधाएं जैसे टी.यू.एफ. आदि की हैल्प अभी तक एक्सपोर्टरों की होती रही है, उसमें और बढ़ोत्तरी सरलता से,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का जवाब देने का मौका मंत्री जी को दीजिए।

श्री काशीराम राणा : एक्सपोर्टरों को दी जा रही सुविधाएं किस प्रकार सरलता से और बढ़ाई जाएं, क्या इस पर मंत्री जी विचार करेंगे?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : अध्यक्ष जी, तीन हिस्सों में, बल्कि चार हिस्सों में इन्होंने जवाब मांगा है। मैं यह जरूर कहूंगा कि जो टार्गेट हमने रखा है, वह क्रिसिल की रिपोर्ट के हिसाब से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, यह गुजरात पर वाद-विवाद का रूप ले रहा है।

अध्यक्ष महोदय : स्वाभाविक है, भूतपूर्व मंत्री जी की इस विषय पर काफी विशेषज्ञता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : एक्सपोर्ट आज अमेरिका में कोटा रिजीम खत्म होने के बाद 26 परसेंट बढ़ा है और यूरोपियन कंट्रीज में सितम्बर तक 19 से 20 परसेंट बढ़ा है। यह फीगर 2005-2006 की 15 परसेंट तक पहुंचने की पूरी गुंजाइश है। अभी हम 9-10 परसेंट के बीच हैं, जितनी भी कोशिश करनी चाहिए, पूरी कोशिश के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से, आप साक्षी हैं, सैनवेट पहले बजट में हटाई, बिल्कुल जीरो एक्साइज ड्यूटी करके इन्सपैक्टर राज से मुक्ति देकर बजट से और भी सपोर्ट एक्सपोर्ट को मिला। दूसरे बजट में भी समर्थन मिला और मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं कि तीसरे बजट में भी, जिसमें हमारी कमी थी, इसमें इन्होंने पूर्ति की है, इसलिए एक्सपोर्ट का लक्ष्य हमारा बिल्कुल समय पर सिद्ध होगा। दूसरे जो टप्सका आपने कहा, वह टप्सका में 181 परसेंट हमारा करोड़ रुपयों में बढ़ा है और 268 परसेंट की आज भी बढ़ोत्तरी है। आपके समय जो कम था, वह पिछले तीन साल में तकरीबन आज 43,550 का एक्सपोर्ट हुआ है। वर्ष 2005-2006 में टोटल क्युम्लेटिव इन्वेस्टमेंट हुआ है। रतकरीबन 14 हजार करोड़ का में सिर्फ टिप्सका अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है। चाइना की जो बात आपने कही, चाइना की दुनिया अलग है। चाइना की पावर हमारे से 30-40 परसेंट सस्ती है, वहां लेबर लॉज नहीं हैं, कंट्रोल्ड इकोनोमी है, बहुत बड़े-बड़े जायंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं और इसलिए चाइना से कम्पीटीशन हम नहीं कर सकते। फिर भी वित्त मंत्री जी ने पांच परसेंट को जो टप्सका में रेट ऑफ इण्टरेस्ट का इन्सेंटिव दिया है, 10 से 20 परसेंट कैपीटल सब्सिडी इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर हम मशीन इम्पोर्ट करते हैं तो केवल 5 परसेंट कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो डिबेट बन गई।

श्री शंकर सिंह वाघेला : डिटेल में बहुत इन्सेंटिव्स हमने दिये हैं। हमारे जो भी टार्गेट्स हैं, वह हम समय पर सिद्ध करेंगे, ऐसी हमारी आशा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक विस्तृत प्रश्न था और इसका उत्तर भी उतना ही विस्तृत है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : आन्सर है, फिर भी सप्लीमैंटरी है।

अध्यक्ष महोदय : आन्सर पसंद नहीं आता है। ठीक है, बोलिये।

श्री काशीराम राणा : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारा एक्सपोर्ट 22-23 परसेंट बढ़ गया है। यह इकोनोमिक सर्वे में है, जो गवर्नमेंट का ···क्यूमेंट है, इसमें मैनमेड टैक्सटाइल में जो लास्ट ईयर में था, उसमें अभी बहुत ही कमी हुई है। मैं फीगर देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फीगर तो उनके पास है।

श्री काशीराम राणा : 2004-2005 में अप्रैल-नवम्बर में 1.3 बिलियन डॉलर था, वह कम होकर 1.1 बिलियन डॉलर हो गया। और भी कमी एक्सपोर्ट में मैनमेड फैब्रिक में हो रही है, यह मैनमेड फैब्रिक में जो एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, इसे बढ़ाने के लिए क्या टैक्सटाइल मिनिस्ट्री मैनमेड फैब्रिक में कोई और रिलीफ या बैनीफिट देना चाहेगी?

श्री शंकर सिंह वाघेला : यह रेडीमेड गारमेंट्स का सवाल है, इसमें 8.2 परसेंट एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसमें तकरीबन 45 परसेंट हमारा इसमें बढ़ा है। यह बात सही है कि मैनमेड फैब्रिक वाला कम हुआ है। अभी बजट में जो मैनमेड फाइबर की 16 से आठ परसेंट ड्यूटी की है, वह एक्सपोर्ट में बढ़ोत्तरी में जो इन्सेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से देना चाहिए, वह इसका पार्ट एण्ड पार्शल हिस्सा है।

श्री काशीराम राणा : वह तो 16 की 16 परसेंट है।

श्री जीवाभाई ए. पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, अभी भारत में कपड़ा उद्योग हमारी खेती-बाड़ी के बाद दूसरे नम्बर पर है और बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाता है। आज भी पूरी दुनिया में भारत कपड़े के लिए जाना जाता है। कपड़ा उद्योग के सिलेसिलाए वस्त्रों में हम काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। यह उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। ऊनी एवं मानव निर्मित वस्त्रों का निर्यात घट रहा है और गत दो सालों से इस साल निर्यात कम हुआ है। चीन में संकट आने से हमारे सिलेसिलाए विस्त्रों के निर्यात में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये। यह तो बहुत मुसीबत हो गई।

श्री जीवाभाई ए. पटेल : यह थोड़ा विवरण है।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा लम्बा प्रीफेस हो गया।

श्री जीवाभाई ए. पटेल : बात सही है, लेकिन इसमें थोड़ा विवरण है। परंतु चीन में संकट हमेशा रहेगा, ऐसा सम्भव नहीं है, इसलिए हमें सिलेसिलाए वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए नये बाजार ढूंढने होंगे और निर्यात की समस्या को हल करना होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा!

[हिन्दी]

आप प्रश्न पूछिये, यह प्रश्न आपकी समस्या के लिए नहीं है।

श्री जीवाभाई ए. पटेल : क्या सरकार को सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात में श्रमिकों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अगर हां, तो इस समस्या का समाधान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, रेडीमेड गारमेन्ट के एक्सपोर्ट में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हम चीन से कम्पीटिशन नहीं कर सकते हैं। वहां पावर सस्ती है, लेबर लॉज लचीले हैं, वहां कंट्रोल्ड इकोनोमी है। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट में चीन नंबन वन है और हमारा देश नंबर दो है, बाकी देश तो बिलकुल माइनस में हैं। हमारे एक्सपोर्टर आज भी काफी कम्पीटिशन करने की कोशिश करते हैं और भारत सरकार की ओर से तथा फाइनेन्स और कोमर्स मिनिस्टरी की ओर से जितनी भी मदद इसमें चाहिए, वह हमारे मंत्रालय के माध्यम से इनको मिलती रहती है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, आज के कोटा मुक्त विश्व में, यूरोपीय देशों तथा अमरीका, कनाडा इत्यादि में भी मूल्य और गुणवत्ता के अलावा प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु फैशन, डिजाइन और अभिरुचि से समुचित रूप से वाकिफ होना महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। हमारे पास भी इन सभी बातों के लिए नेशनल इंस्टीच्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। निर्यातकों और उत्पादकों के साथ क्या घटित हो रहा है? अभिरुचि के अनुसार फैशन बदल रहे हैं। हम पाते हैं कि भागीदारी के लिहाज से जर्मनी और कनाडा की सहभागिता घट रही है और वे भारत द्वारा आयोजित मेलों में भाग नहीं ले रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अपेक्षित डिजाइन और फैशन मुहैय्या कराने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि दूसरे देशों के उत्पादक हमारे सामानों का आयात करें।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे यूरोपीयन देश हों, अमरीका हो या दुनिया के अन्य देश हों, ये हमसे फैशन और डिजाइनिंग में आगे हैं, मैं इससे पार्टली सहमत हूं। भारत इस क्षेत्र में पीछे है, ऐसा नहीं है। मैं पैरिस और जर्मनी गया था, वहां के फैशन और हमारे फैशन में तुलनात्मक रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। निफ्ट, निट तथा अन्य प्राइवेट संस्थानों की ओर से भी काफी मार्किटिंग की जा रही है। आने वाले पांच सालों में फैशन

डिजाइनिंग के मामले में हमारा देश एक हब बनने वाला है और यह दुनिया में फैशन के क्षेत्र में नंबर वन बनेगा, ऐसी मुझे आशा है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मंत्री महोदय का उत्तर सुनने के बाद चीन बहुत प्रसन्न होगा कि भारत उनके लिए कोई प्रतिद्वन्दी नहीं बनने वाला है क्योंकि मंत्री जी यह कहते प्रतीत होते हैं कि भारत चीन से बिल्कुल प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। उनके द्वारा उल्लिखित विद्युत की लागत, श्रम की लागत, कठोर श्रम कानूनों जैसी इन कमियों पर विचार करते हुए सरकार इनको दूर करने के बारे में सोच रही होगी और यह पता लगाने के लिए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, नीति प्रस्तुत करेगी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है और भारतीय श्रमिक परिधान तैयार करने में पारंपरिक रूप से कुशल हैं, तो क्या भारत सरकार चीन से प्रतिस्पर्धा करने हेतु नीति की रूप-रेखा प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है जिससे कि भारत में ज्यादा रोजगार का सृजन हो क्योंकि यह सर्वाधिक श्रम आधारित उद्योगों में से एक है?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, सुरेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, चीन और हिन्दुस्तान में पोलिटिकली फर्क है। हमारा लोकतान्त्रिक देश है, जबकि चीन एक कम्यूनिस्ट देश है। उनकी कंट्रोल्ड इकोनोमी है। हमारा एक्सपोर्टर दुखी है क्योंकि रुपया मजबूत रहता है। इतना ही नहीं लेबर इन्सेन्टिव में दो साल में बीस लाख नयी इम्पलायमेंट जनरेशन हुई है। अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। यह और अधिक रोजगार का सृजन कर रहा है। उनकी कंट्रोल्ड इकोनोमी है, वहां डम्पिंग होती है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में हम उनसे काफी अच्छे हैं। आज नहीं तो कल चीन को प्राब्लम होने वाली है, रूस का उदाहरण हमारे सामने है, वैसा ही ह्यल चीन का भी होने वाला है। चीन में पावर सस्ती है। महाराष्ट्र सरकार यदि चाहे तो पावर में कम्पनसेशन दे सकती है। लेबर पॉलिसी के लिए हमने मूव किया है, हम एसईज़ेड और टेक्सटाईल पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसमें लेबर के काम करने के घण्टे बढ़ाए जाने हैं। इसके अलावा मौके पर अगर आर्डर मिलता है तो तीन महीने के लिए लेबर डिप्लाय करने की छूट दी जाए। ऐसा हमारा मूवमेन्ट लेबर मिनिस्टरी से चल रहा है। भारत सरकार इस बारे में बहुत चिन्तित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया। इस पर अब बहस हो रही है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : चीन से हम कम्पीटिशन नहीं कर सकते हैं। वहा मजदूरों के लिए बहुत बड़ा होस्टल होता है, जहां वे 24 घण्टे रहते हैं, उनको खाना-पीना दिया जाता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि वे प्रासंगिक और संक्षिप्त रूप से बोलें।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, क्या वह यह कहने का प्रयास कर रहें कि साम्यवादी देश लोकतांत्रिक देश नहीं होता?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कम्युनिस्ट्स कंट्रीज़ में ऐसा काम होता है, इसलिए उनको फॉलो करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद : सूती कपड़ों का उत्पादन कम हो रहा है क्योंकि इसका चीन, पाकिस्तान और मिश्र को निर्यात हो रहा है। क्या सरकार छोटे कपास निर्यातकों की सुविधा हेतु क्रय केन्द्रों का संचालन करेगी? चूंकि हमारे संबंध अमरीका से अच्छे हुए हैं, तो क्या सरकार को संयुक्त राज्य अमरीका से सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा मिलेगा?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में कॉटन नम्बर वन पर है। हम चीन को 25 लाख कॉटन बेल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल कॉटन का प्रोडक्शन 243 लाख बेल्स था और आज भी उतना ही है। सीसीआई द्वारा पूरी जगह एमएसपी ऑपरेशन और कमर्शियल ऑपरेशन है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रावले अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे। मैं आपसे संक्षिप्त और प्रासंगिक प्रश्न पूछने की अपील करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी 2010 तक टारगैट एचीव करने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे प्रोसैसिंग से सतुष्ट हैं? मुंबई में एनटीसी की मिलें बंद हो रही हैं। जब उनका उत्पादन ही बंद हो रहा है तो कम्पीट कैसे करेंगे। मुंबई में एनटीसी की जिन मिलों को बंद किया गया है, इससे पहले आपने जवाब दिया था कि मुंबई का पैसा मुंबई में ही रहेगा। एनटीसी

मिलों से जो पैसा आएगा, उसे वहीं रखने के लिए क्या महाराष्ट्र में मिलें शुरू करेंगे? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सब पैसा मुंबई में ही रहेगा।

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मिलों को नेशनलाइज़ करने पर भी वहां जो इम्प्लाइज़ काम करते हैं, उन्हें आज भी तनख्वाह मिल रही है। मिलें ड्यू कोर्स में बंद हुई हैं। क्या जिम्मेदारी है, माडर्नाइजेशन आदि के बारे में मैं नहीं जाना चाहता। हमने एनटीसी के 1800 करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से प्राइवेट बांड लेकर वीआरएस में दे दिए और वे सिर्फ मुंबई से नहीं लाए बल्कि बाहर से लाए। 1800 करोड़ रुपये वापिस करके 2020 करोड़ रुपये मुंबई की मिलों से आए हैं। उनमें मैक्सिमम रुपये डाले जाएंगे, लेकिन नेशनल परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जितना भी पैसा आएगा, माडर्नाइजेशन के लिए 22 मिलें तय की गई हैं, जिनमें मुंबई की मिलें भी हैं! माडर्नाइजेशन के लिए पैसा दिया जाएगा। मुंबई को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ध्यान रखा जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया इसका जवाब न दें।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, खेती के बाद सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमैंट वस्त्र उद्योग से मिलती है, लेकिन देखने में आया है कि जगह-जगह मिलें बंद हो रही हैं। इलाहाबाद में एनटीसी की मिल है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : मैं पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे डिसएलाऊ कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : इलाहाबाद में एनटीसी की जो मिल है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेवती जी, आप दूसरा नोटिस दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाघेला जी, आप उन्हें इनवाइट करके बातचीत कर लें।

श्री शंकर सिंह वाघेला : हमने 22 मिलें तय की हैं। आप हमसे बात कर लीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : अध्यक्ष महोदय, जो वस्त्र निर्यात होते हैं, उनमें जरी, एम्ब्राइडरी का काम भारी होता है। उस काम में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनमें महिलाएं काम करती हैं और कुछ सैकशन ऑफ दी सोसाइटी की जीविका का निर्वाह होता है। बंगाल, बिहार और नार्थ इंडिया से जरी का जो कपड़ा बाहर जाता है, उसमें पश्चिमी देशों से रोक लगाई जाती है। अमेरिका या पश्चिमी देश चाइल्ड लेबर आदि के नाम से इस पर रोक लगाते हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं किर क्या सरकार इस नुकसान को पूरा करने और जरी के सामान को बाहर भेजने के लिए कोई स्पेसीफिक योजना बनायेगी जिससे ज्यादा लोगों को काम मिल सके?

श्री शंकर सिंह वाघेला : महोदय, ऐसा हैंडीक्राफ्ट में होता है। अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गयी है। पहले यह सिर्फ कोटा सिस्टम में था, लेकिन अभी ऐसी कोई रोक नहीं है। अभी फ्री-एक्सपोर्ट मामला है। चाइल्ड लेबर का मामला ह्यूमन राइट्स का है। ह्यूमन राइट्स में प्री-कंडीशन होता है कि आपके यहां चाइल्ड लेबर तो काम नहीं करते या चाइल्ड लेबर का शोषण तो नहीं होता। यह सब ह्यूमन राइट्स के हिसाब से होता है। हमारे ऊपर ऐसी कोई रोक नहीं लगी है। कोई आफिशियल इन्फोर्मेशन भी हमारे पास नहीं है कि अमेरिका ने ऐसी कोई रोक हम पर लगाई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) का सुझाव

+

*286. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज** : क्या शहरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (नेशनल कैपिटल

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रीजन प्लानिंग बोर्ड) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 33000 वर्ग किलोमीटर में एकीकृत परिवहन प्रणाली लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली के प्रतिनिधियों की दिल्ली में कोई बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में बोर्ड की मांग पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न कस्बों को आपस में तथा इन्हें दिल्ली के साथ जोड़ने के लिए एक क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) हेतु प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के पहले चरण में एकीकृत रेल एवं बस परिवहन (आईआरबीटी) प्रणाली शामिल है जिसमें तीन कोरीडोर हैं, नामत:

1. शाहदरा से गाजियाबाद
2. त्रिनगर से गुड़गांव
3. साहिबाबाद से शिवाजी ब्रिज

उपरोक्त तीनों कोरीडोर रेल आधारित प्रणालियां होंगी तथा आसपास के व्यापक क्षेत्र से लोगों को लाने ले जाने हेतु फीडर बस सिस्टम से इन्हें जोड़ा जायेगा। 2684 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इन तीन कोरीडोरों की कुल दूरी 62.81 कि.मी. है। इस परियोजना को 1 : 1 की ऋण-इक्विटी संरचना तथा स्पेशल परपज वहिकल के जरिये कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें शहरी विकास मंत्रालय और रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारें शामिल हैं। इस प्रस्ताव को 28.6.2004 को सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु योजना आयोग को भेजा गया था।

विभिन्न लंबित मुद्दों और प्रस्तावित परियोजना की प्रगति की 25.8.2005 को शहरी विकास मंत्रालय में आयोजित क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली संबंधी संचालन समिति की बैठक में समीक्षा की गई थी। इस बैठक में अन्य लोगों के साथ-साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 33000 वर्ग किलोमीटर में एकीकृत परिवहन प्रणाली लागू करने हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली के प्रतिनिधियों की दिल्ली में कोई बैठक बुलाई थी? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, इस अनुपूरक प्रश्न का जवाब दिया जा चुका हैं उसके बाद भी, मैं यह दोहराता हूं कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का प्रस्ताव किया गया था और उसपर विचार चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री दरोगा प्रसाद सरोज : अध्यक्ष महोदय, क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में बोर्ड की मांग पर विचार किया है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिये गये हैं और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, इस प्रस्ताव को योजना आयोग के पास सैद्धांतिक मंजूरी के लिए भेजा गया है। योजना आयोग इस प्रश्न पर इस महीने की 20 तारीख को आगे विचार-विमर्श कर रहा है। तथापि, मैं स्वयं यह उद्घाटित करना चाहता हूं कि आरआरटी इस के प्रथम चरण नामत: एकीकृत रेल एवम् बस परिवहन को इस दृष्टिकोण से तैयार करना होगा कि डीएमआरसी की लाइनों को गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नैशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए नैशनल एक्सप्रैस हाईवे बनाने का चार साल पहले फैसला लिया गया था। उसके लिए लैंड भी एक्वायर हो गयी है। किसानों को उस लैंड का कम्पेनसैशन भी मिल रहा है, लेकिन पिछले डेढ़-दो साल से वह काम शुरू ही नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह एक्सप्रैस हाईवे कब बनना शुरू हो रहा है? उसकी क्या सीमा है यानी वह कब तक बन जायेगा? दूसरा, जिन किसानों से लैंड एक्वायर की गयी, उनको 16-17 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है जबकि उस लैंड की कीमत एक करोड़ रुपये से कम

नहीं है। इस संबंध में किसानों ने आपको रिप्रजैंटेशन भी दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी किसानों का मुआवजा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। जब कभी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, हम पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रौलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नैशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गयी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में राजस्थान को छोड़ा है जबकि उसे भी इसमें शामिल करके इस योजना को कब तक लागू कराने की व्यवस्था करेंगे? कृपया यह बताएं।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मूलत: राजस्थान को सम्मिलित नहीं किया गया था। उस समय इस मामले पर योजना आयोग गंभीरता से विचार कर रहा है। यदि आवश्यक हुआ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि योजना आयोग राजस्थान के कुछ नगरों को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 287। श्री प्रभुनाथ सिंह।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

287. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2010 में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी नई अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं/शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रमंडल खेल-2010 के लिए 15 अनुमोदित और 3 प्रस्तावित खेलों के लिए 18 स्थल चुने गए हैं। खेलों के संबंध में उन्नयन/निर्माण का कार्य, भारतीय खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन द्वारा अपने-अपने नियंत्रणाधीन स्थलों में किया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सड़कों के सुधार और सौंदर्यीकरण, फ्लाईओवरों के निर्माण, परिवहन प्रणाली के सुधार, अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना आदि के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 1314.40 करोड़ रुपये है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण को राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए नए निजामुद्दीन पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के निकट के स्थल में खेल गांव के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए प्रस्तावित उपर्युक्त परियोजनाएं तैयारी और आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हर बार हमारे साथ ऐसा होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय आपको अगली बार मौका मिलेगा!

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर भी रिकार्ड में आ गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मौसम का पूर्वानुमान

*288. **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश ने मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रगति की है; और

(ख) इस मानक को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा मौसम विभाग को कितनी सहायता प्रदान की गई है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जो देश मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में अग्रणी हैं उनके पास प्रेक्षण प्रणालियों, उच्च संगणना क्षमता का एक गहन नेटवर्क है, अत: वे अति उच्च वियोजन के आधुनिकतम अंकीय मौसम भविष्यवाणी मॉडलों को चलाने में सक्षम हैं। उनके पास उपग्रह, डोप्लर मौसम रडार, ब्योज, एअरक्राफ्ट आदि जैसे प्रेक्षणात्मक साधनों से अपारंपरिक आंकड़े ग्रहण करने की क्षमता है जो अब चौबीसो घण्टे उपलब्ध होते हैं। इन सुविधाओं के कारण वे उच्च प्रभाव वाली मौसम की घटनाओं, जो छोटे स्थान और समय में घटित होती हैं, की प्रभावकारी रूप से मानिटरिंग करने में सफल रहते हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) को अल्पावधि पूर्वानुमान (2-3 दिनों की वैधता) और दीर्घकालिक मौसम पूर्वानुमान करना होता है। राष्ट्रीय मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ) को मध्यावधि (4-10 दिनों की वैधता) पूर्वानुमान जारी करने का अधिदेश है। सीमित क्षेत्र मॉडल (एलएएम) ओर पांचवीं पीढ़ी के मेसोस्केल मॉडल (एमएम 5) जैसे अनेक अंकीय मॉडलों का उपयोग अल्पावधि मौसम पूर्वानुमानों के लिए किया जा रहा है। आई.एम.डी. का दीर्घावधि पूर्वानुमान सांख्यिकीय मॉडल पर आधारित है जो प्रिडिक्टर्स नामक अनेक भूमण्डलीय पैरामीटरों का उपयोग करता है जिनका मानसून की वर्षा से अत्यधिक सह-संबंध है। इस समय आई.एम.डी. दीर्घावधि पूर्वानुमानों के लिए 8 से 10 पैरामीटर मॉडलों का उपयोग कर रहा है। अंकीय मॉडलों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आई.एम.डी. ने अंकीय मॉडलों पर आधारित एक परीक्षणात्मक भविष्यवाणी प्रणाली अपनायी है। इस प्रयोजन के लिए आई.एम.डी. ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के साथ एक सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत एक अंकीय मॉडल को अपनाया है जिसे परीक्षणात्मक जलवायु भविष्यवाणी केन्द्र (ईसीपीसी), स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओसियोनोग्राफी, यू.एस.ए. में विकसित किया गया है।

प्रेक्षणात्मक नेटवर्क, संगणना क्षमता और मानव संसाधनों जैसी अपर्याप्त आधार सुविधाओं के कारण अधिक उन्नत देशों की तुलना में मॉडल रिजोल्यूशन और शुद्धता की अपनी सीमाएं हैं। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने और मौसम पूर्वानुमान में भूमण्डलीय मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेक्षणात्मक नेटवर्क का उन्नयन, उच्च वियोजन अंकीय मौसम भविष्यवाणी मॉडलों को चलाने के लिए संगणना सुविधा को बढ़ाने और संचार नेटवर्क के सुधार की आवश्यकता है। आई.एम.डी. के वार्षिक बजट और उसकी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजना स्कीमों का लक्ष्य उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करना है। योजना स्कीमों के अंतर्गत सरकार के बजट अनुदानों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये संसाधनों से आधुनिक प्रगतियों के साथ गति बनाये रखने के लिए आई.एम.डी. ने निरन्तर प्रयत्न किए हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में आई.एम.डी. के योजना बजट परिव्यय हेतु सरकारी अनुदान क्रमश: 130 करोड़ रुपये, 254 करोड़ रुपय और 309 करोड़ रुपय के थे।

सी-डॉट का उन्नयन

*289. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान "सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) द्वारा कुल कितने मूल्य के प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का विनिर्माण किया गया है;

(ख) क्या कुछ विनिर्माण इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सी-डॉट के उन्नयन के अभाव के कारण अनुसंधान और विकास के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में इसकी भूमिका प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) सी-डॉट प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों का स्वयं निर्माण नहीं करता है। सी-डॉट विभिन्न विनिर्माताओं को अपनी प्रौद्योगिकी के लिए अनुज्ञा (लाइसेंस) प्रदान करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान, देश में विनिर्मित सी-डॉट स्विचन प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों के मूल्य निम्नवत हैं:-

2002-03	245 करोड़ रु.
2003-04	147 करोड़ रु.
2004-05	60 करोड़ रु.

(ख) और (ग) चूंकि प्रचालकों का झुकाव फिक्स्ड लाइन प्रौद्योगिकी की अपेक्षा मोबाइल नेटवर्कों की ओर अधिक है, अत: केवल फिक्स्ड लाइन स्विचन प्रौद्योगिकियों का निर्माण करने वाले भारतीय विनिर्माताओं को ऑर्डरों का अभाव रहा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सी-डॉट अपनी प्रौद्योगिकियों का नियमित रूप से उन्नयन करता रहा है। प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के रूप में सी-डॉट की भूमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह अपनी गतिविधियां बदलते दूरसंचार परिदृश्य में अपेक्षित आधुनिक प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित करके इस केन्द्र का नवीकरण कर रहा है। इसने आधुनिकतम प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न उपाय किए हैं:–

(i) नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां जैसे सॉफ्टवेयर इन्टेन्सिव सौल्यूशन्स।

(ii) महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु अपेक्षित प्रणालियां।

(iii) प्रचालन सहायता एवं इंटेलिजेंट नेटवर्क प्रणालियां।

(iv) ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु ब्रॉडबैण्ड बेतार प्रणालियां।

(v) आईपी आधारित अगली पीढ़ी प्रणालियां।

(vi) हाई स्पीड बैकबोन हेतु ऑप्टिकल फाइबर प्रणालियां।

उपर्युक्त कुछ प्रौद्योगिकियां, पहले से ही नेटवर्कों में प्रयोग में लाई जा रही हैं।

सी-डॉट अन्य संगठनों के साथ महत्वपूर्ण गठबंधन करने पर भी कार्य कर रहा है ताकि परस्पर शक्तियों को एकत्र किया जा सके।

[हिन्दी]

धनराशि का अन्यत्र उपयोग

*290. **श्री सुनिल कुमार महतो :***
श्री बीर सिंह महतो :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों द्वारा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए आबंटित धनराशि का कुछ अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) किन-किन राज्यों ने उक्त धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया है और उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए आबंटित की गई निधियों का अन्यत्र उपयोग किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	389.41	—	531.50	—
2.	असम	—	—	—	542.50
3.	बिहार	—	—	100.00	264.46
4.	गुजरात	912.66	372.50	495.00	—
5.	हरियाणा	—	—	—	465.76
6.	हिमाचल प्रदेश	46.70	81.40	438.00	224.00
7.	कर्नाटक	—	389.50	497.40	—
8.	केरल	78.70	—	—	305.90
9.	मध्य प्रदेश	—	542.50	286.30	388.00
10.	महाराष्ट्र	—	826.54	296.00	787.60
11.	मिजोरम	—	20.00	—	127.00
12.	नागालैंड	8.25	—	15.00	—

1	2	3	4	5	6
13.	उड़ीसा	658.28	277.00	230.00	599.40
14.	राजस्थान	—	—	—	980.20
15.	सिक्किम	—	82.70	—	—
16.	तमिलनाडु	347.15	406.50	605.20	—
17.	त्रिपुरा	—	—	148.00	—
18.	उत्तर प्रदेश	376.00	—	—	711.99
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	355.00	870.20
20.	छत्तीसगढ़	281.10	—	164.00	459.60
21.	झारखंड	—	547.20	—	—
22.	उत्तरांचल	—	—	400.60	266.20
23.	दिल्ली	19.27	—	—	—
24.	पांडिचेरी	—	31.35	—	—
	योग	3117.52	3577.19	4562.00	6992.91

*(28.2.2006 की स्थिति के अनुसार)

[अनुवाद]

सतर्कता और निगरानी समितियां

*291. श्री पी.सी. चाको : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतर्कता और निगरानी समितियों के दायरे में आने वाली ग्रामीण विकासात्मक योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव देने, प्रस्तावों की जांच करने तथा इनको स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) दसवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न जिलों और राज्यों में सरकार द्वारा गठित की गई सतर्कता और निगरानी समितियों का कार्यकरण कैसा रहा है;

(ग) क्या सरकार की मंशा ऐसी समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर संज्ञान लेने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यह किस प्रकार किया जाएगा;

(ङ) क्या ऐसी समितियों को निगरानी करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) राज्य तथा जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर समितियां ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, सतर्कता एवं निगरानी करती है। जिला स्तरीय समितियां जिले में कार्यान्वित ग्रामीण विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं की निगरानी तथा विशेष तौर पर विभिन्न माध्यमों से निधियों के प्रवाह पर नजर रखती है और सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), डीआरडीए प्रशासन, डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी (हरियाली) के अंतर्गत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), स्वजलधारा, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) तथा मंत्रालय की किसी अन्य योजना की गहन निगरानी करती है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति को निर्धारित प्रपत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विवरण पेश करता है।

(ख) राज्य सरकारों/जिला प्रशासन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2003-04 के दौरान 18 राज्यों में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें हुई थी तथा 203 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठक हुई थी और अक्टूबर, 2004 में इन समितियों के पुनर्गठन के बाद, 17 राज्यों ने कम से कम एक बार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें आयोजित की तथा 326 जिलों ने कम से कम एक बार जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की बैठकें आयोजित कीं, इन बैठकों में राज्य तथा जिला स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

(ग) से (च) जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियां उपायुक्त/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/परियोजना निदेशक को कोई भी मामला जांच के लिए भेज सकती है अथवा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का सुझाव दे सकती हे जिस पर 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी। यदि इस समय-सीमा के भीतर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है तो संबंधित कार्यक्रम की निधियों को रोका जा सकता है। जब कभी दिशा-निर्देशों से विपथन/इनके उल्लंघन का कोई विशेष मामला भारत सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो राज्य सरकार से परामर्श करके मामले पर उचित कार्रवाई की जाती है। भारत सरकार राज्यों/जिला प्रशासनों और जिला स्तरीय सतर्कता समितियों के अध्यक्षों को बार-बार पत्र लिख रही है कि वे तिमाही में एक बार समितियों की बैठकें कराएं तथा भारत सरकार को नियमित रूप से इसकी रिपोर्ट भेजें।

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) की उपलब्धियां

*292. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने हेतु लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी) (कपार्ट) द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दसवीं योजनावधि के दौरान इस संबंध में राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) हालांकि ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास करता है तथापि लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) का कार्य ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, उनका संवर्धन करना और सहायता देना तथा ग्रामीण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में नई प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराना है।

कपार्ट ने वर्ष 1998-99 तक स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत निधियां मुहैया कराई है:-

(I) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी)

(ii) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)

(iii) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (आट्र्स)

(iv) जन सहयोग (पीसी)

(v) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)

(vi) सामाजिक वानिकी और

(vii) अपंगता

इन योजनाओं को वर्ष 1999-2000 में संशोधित करके सरल बनाया गया और इन्हें निम्नलिखित पांच योजनाओं में पुनर्गठित किया गया:-

(i) जन सहयोग (पीसी)

(ii) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना (आट्र्स)

(iii) लाभार्थियों का गठन

(iv) वाटरशेड विकास, और

(v) अपंगता

कपार्ट गैर-सरकारी संगठनों को ग्रामश्री मेलों के लिए सहायता करता है, महत्वपूर्ण ग्रामीण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और गोष्ठियों का आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त, कपार्ट युवा पेशेवर योजना कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध संस्थाओं से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले लोगों को तीन वर्षों के लिए भर्ती किया जाता है। योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है।

(ख) वर्ष 2002-03, से शुरू होने वाली दसवीं योजना के दौरान कपार्ट ने 218.90 करोड़ रु. की 3458 परियोजनाएं मंजूर की हैं! दसवीं योजना अवधि के दौरान फरवरी, 2006 तक कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या और स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरण-I में दी गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 16.41 लाख है। कपार्ट ने उपर्युक्त अवधि के दौरान 109 ग्रामश्री मेलों का आयोजन किया है। आयोजित मेलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। उक्त अवधि के दौरान 443 युवा पेशेवरों की भर्ती की गई और उनमें से 383 युवा पेशेवरों को कपार्ट के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया।

विवरण-I

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06 (फरवरी, 2006 तक)	
		स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	112	8.64	103	8.08	91	6.60	77	4.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	17	0.47	24	0.58	18	1.01	10	0.37
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0.04	2	0.06	0	0
4.	बिहार	134	10.20	187	14.19	11	1.75	15	0.61
5.	छत्तीसगढ़	3	0.22	1	0.11	7	0.34	5	0.09
6.	चंडीगढ़	1	2.34	4	0.24	0	0	0	0
7.	दिल्ली	17	1.32	23	1.43	4	0.87	1	0.18
8.	गुजरात	18	1.81	44	3.61	13	1.87	49	3.11
9.	हरियाणा	82	5.17	60	5.16	30	1.23	51	2.99
10.	हिमाचल प्रदेश	20	1.24	27	2.43	33	2.07	9	0.84
11.	जम्मू व कश्मीर	13	1.51	18	0.86	13	0.43	11	0.51
12.	झारखंड	16	0.76	18	2.53	1	0.01	2	0.06
13.	कर्नाटक	44	1.57	82	4.07	86	2.49	57	2.65
14.	केरल	29	1.29	58	2.38	50	2.43	48	2.30
15.	मध्य प्रदेश	14	1.34	20	1.72	19	1.53	20	0.56
16.	महाराष्ट्र	31	3.05	73	7.84	23	4.92	11	0.28
17.	मणिपुर	24	0.82	17	0.76	40	1.37	15	0.58
18.	मेघालय	1	0.02	1	0.06	0	0	1	0.01
19.	मिजोरम	1	0.09	5	0.14	3	0.05	3	0.06
20.	नागालैंड	3	0.01	5	0.17	4	0.09	7	0.40
21.	उड़ीसा	59	2.31	55	3.75	30	1.39	45	1.79
22.	पंजाब	11	0.74	6	0.40	11	0.44	2	0.09
23.	राजस्थान	31	2.49	50	4.85	27	0.73	35	1.29
24.	सिक्किम	0	0	1	0.01	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	55	3.44	44	2.97	46	2.49	8	0.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	त्रिपुरा	6	0.09	4	0.10	2	0.11	3	0.05
27.	उत्तर प्रदेश	133	5.46	263	14.14	32	1.99	40	1.57
28.	उत्तरांचल	25	1.68	41	3.19	12	1.18	7	0.36
29.	पश्चिम बंगाल	58	3.55	60	4.68	35	2.24	26	1.09
30.	गोवा	1	0.006	0	0	0	0	0	0
31.	पांडिचेरी	2	0.14	0	0	0	0	0	0
	कुल	961	61.77	1296	90.49	643	39.69	558	26.95

विवरण-II

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजित ग्रामश्री मेले की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मेलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	8
4.	बिहार	7
5.	छत्तीसगढ़	2
6.	दिल्ली	—
7.	गोवा	3
8.	हिमाचल प्रदेश	6
9.	हरियाणा	4
10.	झारखंड	2
11.	जम्मू व कश्मीर	6
12.	केरल	6
13.	कर्नाटक	6
14.	मध्य प्रदेश	1
15.	महाराष्ट्र	9
16.	मणिपुर	1
17.	मिजोरम	1
18.	मेघालय	—
19.	नागालैंड	1
20.	उड़ीसा	7
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	2
23.	त्रिपुरा	1
24.	तमिलनाडु	2
25.	उत्तर प्रदेश	7
26.	उत्तरांचल	4
27.	पश्चिम बंगाल	1

1	2	3
28.	सिक्किम	2
29.	चंडीगढ़	2
30.	लक्षद्वीप	—
31.	गुजरात	5
	कुल	109

मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं

*293. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री प्रह्लाद जोशी :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के मलिन बस्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा उप मिशन (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) दिनांक 3 दिसंबर, 2005 को आरंभ किए जाने के बाद शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को निम्नलिखित राज्यों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं:–

राज्य का नाम	शहरों/कस्बों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश	3 (हैदराबाद में बीएसयूपी के अंतर्गत-I से XII)
मध्य प्रदेश	4 (भोपाल में बीएसयूपी के अंतर्गत)
पश्चिम बंगाल	57 (आईएचएसडीपी के अंतर्गत)

(ग) तकनीकी एजेंसियां, बीएसयूपी के अंतर्गत केन्द्रीय स्वीकृति एवं मानीटरिंग समिति द्वारा तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत केन्द्रीय स्वीकृति समिति द्वारा विचार किए जाने से पूर्व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन कर रही है। केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए उन परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की जाएगी जो सभी तरह से पूर्ण हों तथा बुनियादी औपचारिकताएं पूरी करती हों यथा नगर विकास योजनाएं प्रस्तुत करना (बीएसयूपी परियोजनाओं के लिए) एवं सुधारों के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के साथ करार ज्ञापन सम्पन्न करना (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी परियोजनाओं के लिए)। बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत केन्द्रीय धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट्स

*294. श्री नवनीत सिंह खिद्दू :
श्री एस.के. खारवेनवन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख में राज्यवार कितने 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' काम कर रहे हैं;

(ख) इन न्यायालयों में इस समय कितने मामले लंबित हैं;

(ग) मामलों को शीघ्र निपटाने में 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' की क्या भूमिका है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक 'फास्ट ट्रैक कोर्ट्स' स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सेशन न्यायालयों में अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए थे। तारीख 28.2.2006 को विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार त्वरित निपटान न्यायालय को सौंपे गए 15.28 लाख मामलों में से 8.3 लाख मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) इस समय सेशन स्तर पर कोई और त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	क्रियाशील त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	त्वरित निपटान न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	86	41006
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1301
3.	असम	20	1700
4.	बिहार	150	40980
5.	छत्तीसगढ़	31	9597
6.	गोवा	5	1260
7.	गुजरात	166	232225
8.	हरियाणा	16	2051
9.	हिमाचल प्रदेश	9	975
10.	जम्मू व कश्मीर	—	0
11.	झारखंड	89	18392
12.	कर्नाटक	93	9748
13.	केरल	31	10703
14.	मध्य प्रदेश	66	18720
15.	महाराष्ट्र	187	135111
16.	मणिपुर	2	366
17.	मेघालय	3	216
18.	मिजोरम	3	61
19.	नागालैंड	2	190
20.	उड़ीसा	41	8561
21.	पंजाब	18	3869
22.	राजस्थान	83	21173
23.	सिक्किम	—	0
24.	तमिलनाडु	49	26407
25.	त्रिपुरा	3	18
26.	उत्तरांचल	242	86251
27.	उत्तर प्रदेश	45	16577
28.	पश्चिम बंगाल	119	10721
	योग	1562	698179

[हिन्दी]

निक्षेप संचयन

*295. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में निक्षेप में विदेशी/निजी बैंकों के निक्षेप संचयन क्रियाकलापों में तेजी के कारण गत तीन वर्षों से कमी होती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी/निजी बैंकों के निक्षेप चार्टों का वर्षवार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में निक्षेपों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को कुछेक विदेशी/निजी बैंकों द्वारा जमा राशि बढ़ाने और देयराशि की वसूली के लिए अनैतिक पद्धतियां अपनाने के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियों में गिरावट की अधोमुखी प्रवृत्ति नहीं रही है जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	मार्च, 03	मार्च, 04	मार्च, 05
सरकारी क्षेत्र के बैंक			
कुल जमाराशियां	1079394	1226838	1435853
वार्षिक निरपेक्ष वृद्धि	110645	147444	209015
वार्षिक वृद्धि% में	11.4	13.7	17
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक			
कुल जमाराशियां	200253	262150	314762
वार्षिक निरपेक्ष वृद्धि	37256	61897	52612
वार्षिक वृद्धि% में	22.9	30.9	20.1
विदेशी बैंक			
कुल जमाराशियां	67937	78692	86505
वार्षिक निरपेक्ष वृद्धि	5087	10755	7813
वार्षिक वृद्धि% में	8.5	15.8	9.9

(ग) जमा संग्रहण अलग-अलग बैंकों की जिम्मेदारी है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से नई घरेलू जमा संग्रहण योजनाएं शुरू कर सकते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

*296. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिनका दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेषावधि के दौरान आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना खर्चा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) टेलीफोन एक्सचेंजों और नेटवर्क का निरंतर आधुनिकीकरण कर रहे हैं। पुराने, घिसे-पिटे और कार्यकाल पूरा कर चुके स्विचन उपस्कर को बदलना एक सतत प्रक्रिया है। सभी नए एक्सचेंज और उनसे जुड़े उपस्कर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रयुक्त विभिन्न विनिर्माताओं की विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की सूची नीचे दी गई है।

बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकियां

क्र. सं.	पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन)	मोबाइल संचार नेटवर्क हेतु वैश्विक प्रणाली (जीएसएम)	वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) नेटवर्क
1.	ओसीबी-283	एरिक्सन	मोटरोला
2.	ईडब्ल्यूएसडी	मोटरोला	फुजित्सू
3.	5-ईएसएस	नोकिया	एचएफसीएल-हुआवी
4.	एएक्सई-10	आईटीआई-एल्सुसेंट	एलजी
5.	एफईटीईएक्स-150 एल	सीमेंस	आईटीआई-एल्सुसेंट
6.	एनईएक्स-61ई	नोरटेल	आईटीआई-जैडटीई
7.	सी-डॉट	आईटीआई-अल्काटेल	आईसीओएमएम-जैडटीई
8.	ई-10बी	—	—

(ग) और (घ) एमटीएनएल और बीएसएनएल ने ई-10बी स्विचन उपस्कर को पूर्णत: डिजिटल एक्सचेंजों वाली नई प्रौद्योगिकी से बदलने के लिए 2006-07 के दौरान क्रमश: 61.8 करोड़ रुपए और 44.93 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव किया। 2006-07 के दौरान बदली जाने वाली स्विचन क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ई-10बी स्विचों को बदलने के संबंध में एमटीएनएल और बीएसएनएल की योजनाएं

एमटीएनएल

क्र. सं.	यूनिट/दूरसंचार सर्किल	बदले जाने वाले ई-10बी स्विचन उपस्कर की क्षमता (हजार लाइनों में)
1.	दिल्ली	41.0
2.	मुंबई	166.1

बीएसएनएल

क्र. सं.	यूनिट/दूरसंचार सर्किल	बदले जाने वाले ई-10बी स्विचन उपस्कर की क्षमता (हजार लाइनों में)
1	2	3
1.	असम	6
2.	बिहार	24
3.	छत्तीसगढ़	6
4.	हरियाणा	20
5.	झारखंड	2
6.	केरल	25
7.	मध्य प्रदेश	18
8.	उत्तर पूर्व-I	8
9.	उत्तर पूर्व-II	6
10.	उड़ीसा	2
11.	पंजाब	7
12.	तमिलनाडु	13
13.	उत्तरांचल	6
14.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	3
15.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	17
16.	पश्चिम बंगाल	5
17.	कोलकाता	11
	कुल	179

बैंक डकैतियां

*297. श्री के. धनराजू :
श्री अशोक कुमार मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई बैंक डकैतियों, बैंक लॉकरों से जेवरात गायब होने और अन्य मामलों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ऐसे मामलों में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या बैंकों में नियुक्त सुरक्षा कार्मिकों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा बैंकों में अचूक सुरक्षा के संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) इसके परिणामस्वरूप बैंकों को कुल कितना घाटा हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 2005 के दौरान लूटपाट/डकैतियों और सेंधमारी (जिसमें बैंक के लाकरों से ज्वेलरी निकालने की घटनाएं शामिल हैं) के मामलों जिसकी सूचना बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई थी, का बैंक-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन घटनाओं में शामिल बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई

प्रत्येक बैंक द्वारा अपने आचरण विनियमन के अंतर्गत की जाती है। बैंकों द्वारा पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई जाती हैं।

(घ) और (ङ) बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था प्रत्येक बैंक का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। क्षेत्र विशेष मामलों, शाखा की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता आदि पर निर्भर करते हुए कानून एवं व्यवस्था की विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा संबंधी खतरे के आधार पर प्रत्येक बैंक शाखा सुरक्षाकर्मियों की संख्या निर्धारित की जाती है। जहां तक करेंसी चेस्ट शाखाओं का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक सशस्त्र पुलिस प्रहरियों का अभिनियोजन निर्धारित करता है। अन्य दूसरी शाखाओं, एटीएम आदि पर बैंक अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से अपनी स्वयं की व्यवस्था कर सकते हैं। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है कि बैंकों में तैनात सुरक्षा कर्मी बैंकों के जोखिम आकलन के अनुसार पर्याप्त है।

(च) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले सुरक्षोपायों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में समीक्षा की जाती है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकरों और राज्य सरकारों के अधिकारियों से इस बैठक में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। समिति राज्य में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लेती है और बैंकों को अपेक्षित अनुदेश दिए जाते हैं। भारतीय रिजर्व संघ ने "बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने संबंधी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट" नामक रिपोर्ट के रूप में व्यापक मार्गनिर्देश जारी किया है। इस रिपोर्ट में किसी शाखा द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम के मूल्यांकन और उसके द्वारा शाखा की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सुरक्षा प्रहरियों की संख्या निर्धारित करने संबंधी उपाय दिए गए हैं। बैंकों ने विद्यमान जोखिम के सतर पर निर्भर करते हुए अपनी शाखाओं को वर्गीकृत किया है और जहां कहीं आवश्यक है सशस्त्र प्रहरी तैनात किए हैं और सेंधमारी/लूटपाट निरोधी उपकरण लगाए हैं। अन्य सुरक्षा उपकरणों के अलावा, शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए अलार्म प्रणाली, टाइम लॉक उपकरण तथा क्लोज सर्किट टीवी प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई है।

(छ) लूटपाट/डकैतियों और सेंधमारी के परिणामसवरूप बैंकों को हुई हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005 के दौरान बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित की गई लूटपाट/डकैतियों/सेंधमारी (बैंक लॉकरों से ज्वेलरी गायब होने सहित) का ब्यौरा

(राशि लाख रुपए में)

राज्य	बैंक का नाम	घटनाओं की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूली गई राशि	उठाई गई हानि (4-5)
1	2	3	4	5	6
असम	भारतीय स्टेट बैंक	2	4.59		4.59
आंध्र प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	2	67.36		67.36
	आंध्रा बैंक	1	2.00	2.00	0.00
बिहार	इलाहाबाद बैंक	5	7.83		7.83
	पंजाब नेशनल बैंक	7	21.13		21.13
	इंडियन बैंक	1	0.11		0.11
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	23.45	5.02	18.43
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	4	17.24	1.80	15.44

1	2	3	4	5	6
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	32.50		32.50
	युनाईटेड बैंक आफ इंडिया	4	21.84	13.53	8.31
	यूको बैंक	2	3.51		3.51
	भारतीय स्टेट बैंक	2	1.40		1.40
छत्तीसगढ़	भारतीय स्टेट बैंक	1			0.00
दिल्ली	केनरा बैंक	1	5.27		5.27
गुजरात	बैंक आफ बड़ौदा	2	8.00		8.00
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1	0.70	0.70	0.00
	यूको बैंक	1	1.00		1.00
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	2	13.00		13.00
हरियाणा	इलाहाबाद बैंक	1	5.30		5.30
	बैंक आफ बड़ौदा	1	2.34		2.34
	केनरा बैंक	1	0.65		0.65
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2	3.18	2.42	0.76
	कार्पोरेशन बैंक	1	15.00		15.00
	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	1	0.63		0.63
	पंजाब नेशनल बैंक	6	33.18		33.18
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	0.51	0.00	0.51
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	2.39	1.80	0.59
	भारतीय स्टेट बैंक	1	3.78		3.78
जम्मू एवं कश्मीर	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	4	29.45		29.45
झारखंड	बैंक आफ इंडिया	6	7.33		7.33
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1	29.19		29.19
	इलाहाबाद बैंक	1	2.00		2.00
	युनाईटेड बैंक आफ इंडिया	2	9.03	4.00	5.03

1	2	3	4	5	6
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	0.21		0.21
	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	23.45	5.02	18.43
	भारतीय स्टेट बैंक	2	8.00		8.00
मध्य प्रदेश	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1	3.00		3.00
	इलाहाबाद बैंक	1			0.00
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2	1.10		1.10
	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1	6.00		6.00
	भारतीय स्टेट बैंक	1	1.93		1.93
कर्नाटक	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1	2.00		2.00
	सिटी बैंक	1	90.00	90.00	0.00
महाराष्ट्र	बैंक आफ महाराष्ट्र	3	15.34		15.34
	बैंक आफ बड़ौदा	1	1.00		1.00
	कार्पोरेशन बैंक	1	16.97		16.97
	सिंडिकेट बैंक	1	7.39		7.39
	यूको बैंक	1	5.39		5.39
	दि कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	2	20.82		20.82
	दि साउथ इंडियन बैंक लि.	1	5.00		5.00
मेघालय	बैंक आफ इंडिया	1	10.00		10.00
नागालैंड	यूको बैंक	1	7.30		7.30
उड़ीसा	इंडियन ओवरसीज बैंक	1	17.73	12.88	4.85
	आंध्रा बैंक	1	19.61		19.61
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	1.67		1.67
	यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	1	3.32		3.32
	भारतीय स्टेट बैंक	2	0.18	0.02	0.16
पंजाब	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	2.39		2.39

1	2	3	4	5	6
	पंजाब नेशनल बैंक	2	8.47		8.47
	पंजाब एंड सिंध बैंक	1	0.90		0.90
	यूको बैंक	1	63.00	61.00	2.00
	इलाहाबाद बैंक	1	4.00		4.00
राजस्थान	बैंक आफ बड़ौदा	1	3.00		3.00
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	1	22.00		22.00
	पंजाब एंड सिंध बैंक	1	0.00	0.00	0.00
	पंजाब नेशनल बैंक	2	29.18	3.00	26.18
	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	1	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	भारतीय स्टेट बैंक	1	10.00	0.00	10.00
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	5	14.00		14.00
	बैंक आफ बड़ौदा	3	5.50		5.50
	बैंक आफ इंडिया	2	5.92		5.92
	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1	21.43	0.00	21.43
	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	2	3.38	0.00	3.38
	पंजाब नेशनल बैंक	2	16.91	0.00	16.91
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2	20.98	0.00	20.98
उत्तरांचल	इलाहाबाद बैंक	1	2.00	0.00	2.00
	बैंक आफ इंडिया	1	2.41	2.38	0.03
	यूको बैंक	1	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	इलाहाबाद बैंक	1	3.80	0.00	3.80
	बैंक आफ इंडिया	2	1.97	0.00	1.97
	इंडियन ओवरसीज बैंक	2	0.00	0.00	0.00
	यूको बैंक	2	1.28	1.28	0.00

1	2	3	4	5	6
	यूनियन बैंक आफ इंडिया	1	0.00	0.00	0.00
	भारतीय स्टेट बैंक	2	6.78		6.78
	पंजाब नेशनल बैंक	1	2.00		2.00
	एचडीएफसी बैंक लि.	1	99.00	99.00	0.00
	जोड़	145	992.60	305.85	686.75

बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*298. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :**
श्रीमती अर्चना नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभकारी प्रभाव पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशी निवेशकों की रुचि केवल भारत की घरेलू बचतों पर नियंत्रण प्राप्त करने में है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) घरेलू बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी, हां। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ने बैंकिंग क्षेत्र में और अधिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में, बेहतर पूंजीकरण, और व्यापक विविधीकरण, बेहतर कार्पोरेट अभिशासन तथा अस्थिरता को संभालने और जोखिम को नियंत्रित करने में सहायता की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई कवरेज, नए उत्पाद, जागरूकता तथा उपभोक्ताओं की सेवाओं में बढ़ोतरी जैसे अन्य लाभदायक प्रभाव के अलावा अतिरिक्त पूंजी ले आया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सभी बैंकिंग तथा बीमा कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा उनके विभिन्न बैंकिंग तथा बीमा नियमों के तहत विनियमित की जाती हैं।

[हिन्दी]

समुदाय सूचना केन्द्र

*299. **प्रो. माधवराव शिन्धकर :**
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी के लिए समुदाय सूचना केन्द्र (सीआईसी) शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक स्थापित किए गए ऐसे केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सीआईसी के माध्यम से लोगों को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने के कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अगस्त, 2002 में 8 पूर्वोत्तर राज्यों में ब्लॉक स्तर पर 487 सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित

की है। ब्लॉक स्तर पर 113 सामुदायिक सूचना केन्द्र जम्मू और कश्मीर में चालू हैं। अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के सरकारी स्कूलों में 71 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने की एक परियोजना अनुमोदित की गई है।

स्थापित सामुदायिक सूचना केन्द्र – अरुणाचल प्रदेश (56), असम (219), मणिपुर (33), मेघालय (32), मिज़ोरम (26), नागालैण्ड (52), त्रिपुरा (29), सिक्किम (40), जम्मू और कश्मीर (113) तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (2)।

सरकार ने नीतिगत मध्यस्थता तथा वित्तीय सहयोग सहित एक समर्थनकारी माहौल तैयार करने के लिए एक ढांचे का मसौदा तैयार किया है ताकि इंटरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, तेज गति से चालू किए जा सकें। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की प्रदायगी के लिए 100,000 सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना की एक योजना भी तैयार की है। इन सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है।

(घ) और (ङ) स्थानीय समुदाय को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं। सामुदायिक सूचना केन्द्रों द्वारा प्रदत्त आधारभूत सेवाओं में इंटरनेट अभिगम, ई-मेल, मुद्रण, आंकड़ा प्रविष्टि, शब्द संसाधन तथा कम्प्यूटर के मूलभूत सिद्धांतों पर स्थानीय जनता को प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, कई नागरिक केन्द्रित अथवा सरकार से नागरिक (जीटूसी) सेवाओं की प्रदायगी सामुदायिक सूचना केन्द्रों द्वारा की जाती है। प्रदान की जाने वाली सेवाएं पांच मुख्य श्रेणियों में हैं, अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ई-मेल तथा इंटरनेट अभिगम, सूचना का प्रसार, नागरिक केन्द्रित अनुप्रयोग तथा मनोरंजन एवं समाचार।

[अनुवाद]

एसएफआईओ द्वारा जांच में विलम्ब

*300. **श्रीमती जयाप्रदा** : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा मामलों का पता लगाने और अभियोजन की कार्यवाही के बीच में बहुत समय लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के विशेष कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं कि इन मामलों की जांच को जल्दी पूरा किया जा सके?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एसएफआईओ पहले से ही इसको दिए गए मामलों की जांच का कार्य तीव्रता से निर्धारित समयसीमा के भीतर कर रहा है और अभियोजन मामलों को मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के तुरंत बाद फाइल किया जा रहा है।

छोटे और मझौले शहरों का एकीकृत विकास

*301. **श्री चुन्नी लोहम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2005 के अनुसार छोटे और मझौले शहरों की एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत लाए गए छोटे और मझौले शहरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 में उक्त योजना के अंतर्गत लाए जाने वाले प्रस्तावित नए शहर कौन-कौन से हैं;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित/निर्धारित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने योजनाओं के प्रचालन का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, 1854 छोटे और मझौले कस्बों को छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास (आई डी एस एम टी) के अंतर्गत लाया गया है राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भविष्य में छोटे और मझौले कस्बों में शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं को छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) नामक हाल ही में शुरू की गई नई स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। तथापि, आई डी एस एम टी स्कीम के अंतर्गत पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा जिनके लिए वर्ष 2005-06 और 2006-07 में क्रमश: 100 करोड़ रुपए और 110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आई एच डी पी) सहित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

(जे एन एन यू आर एम) के लिए आवंटन क्रमशः 834 करोड़ रुपए और 4595.93 करोड़ रुपए हैं (संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान को छोड़कर)।

(घ) और (ङ) उपरोक्त स्कीम 3 दिसंबर, 2005 को शुरू की गई है। अतः इस स्तर पर इस स्कीम के मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 1979-80 से 31 मार्च, 2005 तक आई डी एस एम टी स्कीम के अंतर्गत शामिल कस्बों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य	शामिल कस्बे
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	131
2.	अरुणाचल प्रदेश	16
3.	असम	56
4.	बिहार	51
5.	छत्तीसगढ़	39
6.	गोवा	9
7.	गुजरात	115
8.	हरियाणा	35
9.	हिमाचल प्रदेश	24
10.	जम्मू तथा कश्मीर	23
11.	झारखंड	13
12.	कर्नाटक	169
13.	केरल	58
14.	मध्य प्रदेश	146
15.	महाराष्ट्र	178
16.	मणिपुर	22
17.	मेघालय	8
18.	मिजोरम	13
19.	नागालैंड	10
20.	उड़ीसा	67
21.	पंजाब	38
22.	राजस्थान	78
23.	सिक्किम	10
24.	तमिलनाडु	172
25.	त्रिपुरा	18
26.	उत्तरांचल	15
27.	उत्तर प्रदेश	206
28.	पश्चिम बंगाल	121
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
30.	दादरा व नगर हवेली	2
31.	दमन व दीव	1
32.	लक्षद्वीप	1
33.	पांडिचेरी	8
	कुल योग	1854

[हिन्दी]

खातों में धांधली

2164. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों की शाखाओं में बैंकों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं के खातों में धांधली के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों का बैंकवार तथा वर्षवार

ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक सेवाओं की गुणवत्ता में कमी को रोकने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) आरबीआई ने सूचित किया है कि कैलेंडर वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान, जमा खातों में वास्तविक/संदिग्ध धोखाधड़ी के जिन मामलों में बैंकों का स्टाफ लिप्त था, उनकी संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि निम्नानुसार है:-

बैंक	वर्ष 2003		वर्ष 2004		वर्ष 2005	
	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)	संख्या	राशि (लाख में)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	105	1062.76	102	1160.56	88	895.09
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	19	380.88	10	136.24	10	149.96
विदेशी बैंक	3	10.96	3	12.55	—	—
जोड़	127	1454.60	115	1309.35	98	1045.05

बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आरबीआई विभिन्न सकारात्मक उपाय करता रहा है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, लोक सेवाओं में प्रक्रिया व निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधी समिति का गठन करना तथा संशोधित बैंकिंग ओमबड्समैन योजना, 2006 को अधिसूचित करना, जो 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी हुई और जिसका कई नए क्षेत्रों में ग्राहकों की शिकायतों को शामिल करते हुए विस्तारित कार्यक्षेत्र होगा, शामिल हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों (2003, 2004 तथा 2005) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों/गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों/विदेशी बैंकों में खातों के दुर्विनियोजन संबंधी वर्षवार/बैंकवार ब्यौरा

सरकारी क्षेत्र के बैंक

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2003		2004		2005	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	1	28.61	3	16.87	4	33.78
2.	आंध्रा बैंक	4	12.16	4	22.23	4	8.07

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बैंक आफ बड़ौदा	6	44.18	5	23.78	2	17.02
4.	बैंक आफ इंडिया	—	—	3	5.59	6	17.74
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—	—	—	1	12.60
6.	केनरा बैंक	3	5.55	3	73.53	9	58.69
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	9	181.56	7	49.14	7	167.77
8.	कार्पोरेशन बैंक	2	6.21	—	—	3	14.63
9.	देना बैंक	1	1.73	—	—	—	—
10.	इंडियन बैंक	7	46.60	3	15.51	3	17.15
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4	63.75	7	18.99	5	13.03
12.	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	2	7.75	5	30.46	2	51.15
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2	12.45	2	13.95	2	39.30
14.	पंजाब नेशनल बैंक	11	77.46	13	367.32	8	183.69
15.	सिंडिकेट बैंक	3	5.87	1	1.36	2	5.56
16.	यूको बैंक	3	14.19	7	58.00	3	50.83
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2	10.54	7	117.22	1	45.65
18.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2	33.72	4	21.22	1	2.95
19.	विजया बैंक	3	28.20	2	8.51	2	10.63
20.	भारतीय स्टेट बैंक	23	237.59	21	283.26	15	118.09
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	5	165.93	2	21.76	—	—
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	4	23.16	2	6.05	1	2.03
23.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1	6.99	1	5.81	—	—
24.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	1	1.79	—	—	2	5.80
25.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	4	43.64	—	—	—	—
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2	3.13	—	—	3	12.19
28.	आईडीबीआई लि.	—	—	—	—	2	6.74
	जोड़	105	1062.76	102	1160.56	88	895.09

निजी क्षेत्र के बैंक

(राशि रुपए लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2003		2004		2005	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बैंक आफ पंजाब	2	19.85	—	—	—	—
2.	बैंक आफ राजस्थान	3	24.46	—	—	—	—
3.	एचडीएफसी	3	10.34	—	—	—	—
4.	इंडस इंड बैंक	2	4.36	—	—	1	13.50
5.	आईएनजी वैश्य बैंक	2	58.02	1	2.45	2	68.65
6.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक	2	252.95	2	80.54	—	—
7.	कर्नाटक बैंक	1	1.58	1	3.16	—	—
8.	जीटीबी	1	4.75	—	—	—	—
9.	लक्ष्मी विलास बैंक	1	1.02	—	—	—	—
10.	आईसीआईसीआई बैंक	1	1.00	—	—	1	10.40
11.	भारत ओवरसीज बैंक	—	—	—	—	1	1.14
12.	करुर वैश्य बैंक	—	—	—	—	2	11.49
13.	फेडरल बैंक	1	2.55	3	33.22	2	36.93
14.	जे एंड के बैंक	—	—	2	15.12	1	7.85
15.	यूटीआई बैंक	—	—	1	1.75	—	—
	जोड़	19	380.88	10	136.24	10	149.96

विदेशी बैंक

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2003		2004		2005	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2	9.42	3	12.55	–	–
2.	हांगकांग एंड शंघाई बैंक	1	1.54	–	–	–	–
	जोड़	3	10.96	3	12.55	–	–

किसानों के लिए स्टाम्प ड्यूटी

2165. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने उन किसानों से स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के लिए कोई विधान बनाया है, जिन्हें क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पंजाब सरकार ने किसानों से स्टाम्प ड्यूटी की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए जैव-प्रौद्योगिकी पार्क

2166. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में नए जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इसके लिए राज्यवार किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां, जैवप्रौद्योगिकी विभाग देश में जैवप्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर्स पायलट स्तर सुविधाएं और जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने के लिए राज्यों को आवश्यकता आधारित तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और इस समय सरकार के पास नए जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना पर विचार करने के लिए कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान राज्यों द्वारा पहचानित क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर्स, पायलट स्तर सुविधाओं और जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए 1500.00 लाख रुपये की समेकित राशि आबंटित की गई है।

खारापन दूर करने वाले संयंत्र

2167. प्रो. एम. रामदास : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरोमंडल तट के साथ-साथ खारापन दूर करने वाले संयंत्र लगाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के कराईकल सहित देश में कोई खारापन दूर करने वाले संयंत्र लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का पेयजल आपूर्ति विभाग त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्र में खारापन सहित जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए, जिसके लिए राज्यों को रिलीज की गई वार्षिक एआरडब्ल्यूएसपी निधियों का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, परियोजनाएं स्वीकृत करने तथा कार्यान्वित करने की संपूर्ण शक्तियां राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई हैं। फरवरी, 2006 में, इसे संशोधित किया गया तथा खारापन सहित जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए एआरडब्ल्यूएसपी निधियों के 20 प्रतिशत तक धनराशि केन्द्र में रखने का निर्णय लिया गया। ये निधियां खारापन सहित जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए रिलीज की जाएंगी। कराईकल, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित किसी भी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

शहरी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता, जिसमें खारापन दूर करके जल आपूर्ति करना शामिल है, राज्य का विषय है तथा राज्य योजना निधि से जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना का नियोजन, डिजाईन, निष्पादन, प्रचालन तथा रखरखाव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। इसलिए आवश्यकतानुसार कराईकल, पांडिचेरी में एक संयंत्र सहित कोरोमंडल तट पर खारापन दूर करने का संयंत्र स्थापित करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विशेषाधिकार है।

माननीय वित्तमंत्री द्वारा वर्ष 2004-05 के अपने बजट भाषण के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन में – शहरी विकास मंत्रालय ने कोरोमंडल तट पर स्थित शहरी क्षेत्रों में खारापन दूर करने का संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए राज्यों उसे अनुरोध किया था। विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव तथा उनकी स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। योजना आयोग की राय है कि उक्त योजना पर छोटे और मझौले नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)/जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत विचार किया जा सकता है।

तमिलनाडु सरकार/चेन्नई मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एंड सिवरेज बोर्ड (सीएमडब्ल्यूएसएसबी) ने चेन्नई के निकट मिंजूर में योजना बनाएं. निर्माण करे, स्वामित्व लें, चलाएं और हस्तांतरित करें (डीबीओओटी) आधार पर 100 मेगा लीटर की क्षमता वाला खारापन दूर करने का संयंत्र लगाने के लिए मेसर्स बीईएफईएसए कंस्ट्रक्शन वाई टेक्नोलॉजिया एम्बिएन्टल, स्पेन के सहयोग से मेसर्स आईवीसीआरएल के साथ एक बल्क वाटर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रस्तावित विलवणीकरण संयंत्र से पाइपलाइन बिछाने के संबंध में चेन्नई मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सिवरेज बोर्ड ने 25 कि.मी. की दूरी के लिए 1100 मि.मी. व्यास के डीआई पाइप (के 9) के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

दिसम्बर, 2005 में शुरू किए गए जेएनएनयूआरएम तथा यूआईडीएसएसएमटी कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें विलवणीकरण संयंत्र प्रस्तावित/स्थापित कर सकती है और केन्द्रीय सहायता पाने के लिए, दिशानिर्देशों में ऐसी योजनाएं समुद्र तट से 20 कि.मी. के भीतर तथा खारेपन के कारण तथा भू-जल की अनुपलब्धता के कारण जल के अभाव से प्रभावित अन्य शहरी क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार है। अब तक शहरी विकास मंत्रालय को पांडिचेरी सरकार से कराईकल में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

(केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, सीपीएचईओ, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
कोरोमंडल तट पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मंजूर विलवणीकरण आधारित जल आपूर्ति योजनाएं

राज्य/नगर का नाम	जनसंख्या	क्षमता (मिलियन लीटर प्रतिदिन में)	सीपीएच-ईईओ द्वारा तकनीकी अनुमोदन की तारीख	अनुमानित लागत (लाख रु.)		रिलीज की गई निधियां (लाख रु. में)	कार्यान्वयन की अवधि	टिप्पणी
				राज्य सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित	सीपीएच-ईईओ द्वारा यथा अनुमोदित			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
तमिलनाडु								
रामनाथपुरम	52879	2.50	29/1/2005	2009	1741*	शून्य	2 वर्ष	योजना को यूआईडीएसएसएमटी/

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कीलाकराई	299278							जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजा गया।
आंध्र प्रदेश								
भीमुनीपतनम	42054	2.86		1155	635*			योजना को यूआईडीएसएसएमटी/ जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजा गया।
बपत्ला	68103	2.00		1150	एन.ए.			योजना को वापस किया गया क्योंकि प्रति व्यक्ति आपूर्ति 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है।
चिरला	53455	2.00		1123	एन.ए.			योजना को वापस किया गया क्योंकि प्रति व्यक्ति आपूर्ति 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से अधिक है।
उड़ीसा								
गोपालपुर	5403	0.50	31/1/2006	483	461#	115.41	2 वर्ष	वित्तीय मंजूरी 23.2.2005 को एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत जारी की गई।
पांडिचेरी								
मुथियालपेट, पांडिचेरी	40000	4.00	28/1/2005	1350	1074*	शून्य	2 वर्ष	योजना को यूआईडीएसएसएमटी/ जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजा गया।

एन.ए. - गैर-अनुमोदित, एयूडब्ल्यूएसपी - त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम।

* योजना के वित्तपोषण के संबंध में निर्णय न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी।

गोपालपुर नगर की जनसंख्या 20,000 से कम है इसलिए एयूडब्ल्यूएसपी योजना के अंतर्गत विचार किया गया तथा निधियां रिलीज की गईं। किंतु राज्य ने 100 प्रतिशत वित्तपोषण का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

परिवहन के नवीन साधन

2168. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान यातायात की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा मेट्रो रेल के अतिरिक्त यातायात का एक और साधन आरंभ करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में मोनो रेल चलाने की कोई योजना विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को कवर करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने एक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की योजना बनायी है जिसमें मेट्रो का लगभग 115 कि.मी., उच्च क्षमता बस प्रणाली का 294 कि.मी. कोरीडोर, एलिवेटिड हल्की रेल परिवहन प्रणाली का लगभग 74 कि. मी. तथा एलिवेटिड मोनो रेल का 48 कि.मी. शामिल है। इसे अगले 15 वर्षों में तीन फेजों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकिंग सुधार

2169. श्री चसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शीघ्र ही बैंकिंग सुधार के लिए नई रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दों का हल निकल सकेगा;

(ग) क्या सरकार सहकारी बैंकों के लिए एक अलग विनियामक के गठन पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है तथा सहकारी बैंकों के लिए यह कितना उपयोगी होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारत में सामान्य रूप से बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति में सुधार करने के लिए और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा किए गए व्यापक उपायों के साथ-साथ विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं। तथापि, इस समय बैंकिंग सुधारों के लिए नई रूपरेखा प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रो. वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाले कार्यदल ने फरवरी, 2005 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में कतिपय कानूनी और संस्थागत सुधारों की शुरूआत के अध्यधीन ग्रामीण सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान का सुझाव दिया था। भारत सरकार ने अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन के लिए एक पैकेज अनुमोदित किया है और इसकी सूचना सभी राज्य सरकारों को दी है। पैकेज में राज्य सरकारों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकों के ऊपर अपनी नियामक शक्तियों का अधिक कारगर रूप से प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए उपाय करें।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता

2170. श्री गणेश सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं में संसद सदस्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के लिए किसी ठोस नीति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त तरजीह दी जाती है। ऐसे प्रस्तावों की संबंधित योजना/कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के संदर्भ में जांच की जाती है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला पंचायत की वार्षिक योजना के प्रस्तावों को भी माननीय संसद सदस्यों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्य सरकारों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं जिनमें यह बताया गया हो कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में संसद सदस्यों को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है।

नई कंपनियों का पंजीकरण

2171. श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई कंपनियों के ऑन लाइन पंजीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंपनियों को प्रदान की गई अन्य ऑन लाइन सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) एमसीए-21 'ई गवर्नेंस परियोजना' के नाम से कहलाए जाने वाले ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का कार्य कर रहा है। परियोजना का उद्देश्य एमसीए को एक कागज रहित, आधुनिक, सेवा चालित, गुणवत्ता, जागरुकता तथा उपभोक्ता केन्द्रीकृत संगठन में परिवर्तित करना है। यह इन्टरनेट के माध्यम से नई कंपनियों का ऑनलाइन पंजीकरण करने की परिकल्पना करता है। परियोजना को प्रथम पायलेट के रूप में दिनांक 18 फरवरी, 2006 को कंपनी रजिस्ट्रार, कोयम्बतूर में आरंभ किया गया है और इसको चरणबद्ध तरीके से अप्रैल, 2006 के अंत तक अन्य सभी स्थानों पर कार्यान्वित किए जाने का कार्यक्रम है।

(ग) कार्यान्वयन के बाद इन्टरनेट के माध्यम से विद्यमान तथा नई कंपनियों को अन्य प्रदान की गई सेवाओं में वार्षिक विवरणियों तथा तुलन पत्रों की फाइलिंग, अवसर आधारित दस्तावेजों की फाइलिंग तथा दस्तावेजों पर विचार करना आदि है।

[अनुवाद]

डाक टिकट जारी करना

2172. **श्री धनुष्कोडी आर. अतिचन** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महान व्यक्तियों विशेषकर गुर-दा-गद्दी की स्मृति में कुछ डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो व्यक्ति-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन डाक टिकटों को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर महान विभूतियों की स्मृति में डाक-टिकट हर वर्ष जारी किए जाते हैं। हालांकि, गुर-दा-गद्दी पर डाक-टिकट जारी करने के लिए विभाग में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) 2006 के दौरान विभूतियों पर जारी होने वाले डाक-टिकट और जारी होने का संभावित समय निम्नानुसार है:—

क्रम सं.	नाम	जारी करने की प्रस्तावित तारीख
1.	पन्नालाल बारूपाल	अप्रैल, 2006
2.	पंकज मलिक	मई, 2006
3.	लाला दीन दयाल	05-07-2006
4 से 8	महान फिल्म निर्माता एल.वी. प्रसाद (तेलुगू) प्रमतेश बारू (असमिया) ऋत्विक घटक (बंगाली) महबूब खान (हिन्दी) बिमल राय (हिन्दी)	दिसम्बर, 2006

[हिन्दी]

दूरसंचार विभाग में प्राप्त शिकायतें

2173. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश से दूरसंचार से संबंधित अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इनमें से आज की तारीख तक कितनी शिकायतों का निपटान किया गया है;

(ख) सभी लंबित शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग में कोई मुख्य सतर्कता अधिकारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार से संबंधित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के बारे में कुल 1760 शिकायतों की जांच की जा रही थी। तत्पश्चात्, पिछले तीन वर्षों के दौरान, देशभर से इस प्रकार की 13,466 शिकायतें प्राप्त हुईं। उनमें से पिछले तीन वर्षों के दौरान 14,583 शिकायतों का निपटान किया गया है।

(ख) अनियमितताएं और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें/मामले प्राप्त होने पर विभागीय सतर्कता तंत्र द्वारा उसकी जांच की जाती है तथा आरोप सिद्ध होने पर नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, उचित समझे जाने वाले मामलों में, पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी विशेषज्ञता प्राप्त जांच एजेंसियों की सहायता ली जाती है तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता) का एक पद है जो इस समय, भारत संचार निगम लिमिटेड में बोर्ड निदेशक के रूप में पूर्ववर्ती पदधारी की नियुक्ति के फलस्वरूप रिक्त है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से शीघ्र पद भरने का प्रयास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाना

2174. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली की 1,500 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमित करने हेतु निबंधन एवं शर्तों के ब्यौरे सहित अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए लगाए जाने वाले प्रशुल्क का कॉलोनी-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने प्रारम्भ में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए फरवरी, 2001 में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया था। इसके बाद इन दिशानिर्देशों को फरवरी, 2004 में संशोधित किया गया था। इन दिशानिर्देशों में नियमितीकरण हेतु नीतिगत संरचना का उल्लेख है, जिसमें नियमितीकरण के लिए कटऑफ-डेट, पात्रता मानदंड, विकास नियंत्रण मानदंडों का प्रवर्तन, आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने यह अनुरोध किया है कि इन दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों यथा भूमि लागत तथा विकास प्रभार आदि में और संशोधन किया जाये। इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इसी बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने यह सूचित किया है कि उसने 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों की रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशनों/सोसाइटियों से अक्तूबर, 2004 में आवेदन आमंत्रित किए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को 1432 आवेदन प्राप्त हुए थे और उनका सत्यापन शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच समझौता

2175. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात् भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। 7 फरवरी, 2006 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के कोरिया गणराज्य (आरओके), की सरकारी यात्रा के दौरान सिओल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1976 में सिओल में हस्ताक्षरित विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार के अतिक्रमण में किया गया था। इस करार में भारत और कोरिया गणराज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) करार की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:—

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और कोरिया गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस करार के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करना।

2. सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक संयुक्त समिति की स्थापना की जाएगी। यह समितिर प्रगति की पुनरीक्षा भी करेगी। (i) अन्वेषणात्मक मिशनों; (ii) द्विपक्षीय संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/पाठ्यक्रमों; (iii) संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं आदि के माध्यम से सहयोग बढ़ाया जाएगा।

3. यह करार भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों को अलग कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए भी समर्थ बनाएगा।

4. यह करार राजनयिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और जब तक इनमें से किसी भी एक पक्ष द्वारा 12 महीने पहले इस करार को समाप्त करने के अपने इरादे की लिखित सूचना नहीं दी जाती, यह करार और आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए स्वत: लागू रहेगा।

(ग) इस करार के कार्यान्वयन से शिक्षण संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और उद्योग एक-दूसरे के सम्पर्क में आएंगे और कुछ मामलों में उत्पादों/प्रक्रियाओं को वाणिज्यीकरण होगा।

[अनुवाद]

बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता

2176. श्री कौरिन रिजीजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर अरुणाचल प्रदेश राज्य के बेरोजगार, नि:शक्त और युवाओं को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 2004-2005 में कितने बेरोजगार युवा राज्यवार लाभान्वित हुए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और राष्ट्रीय स्कवैंजर उन्मुक्ति एवं पुनर्वास योजना (एनएसएलआरएस) नामक ऋण सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं के तहत अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को शामिल करते हुए बेरोजगार युवाओं, विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पीएमआरवाई संवितरित आवेदन पत्रों की संख्या	एसजीएसवाई लाभग्राहियों की संख्या	एसजेएसआरवाई ऋणों की कुल संख्या	एनएसएलआरएस ऋणों की कुल संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	440	1745	5	0
2.	असम	8226	47188	635	29
3.	मणिपुर	387	406	4	0
4.	मेघालय	565	1650	219	6
5.	मिजोरम	142	793	3	0
6.	नागालैंड	109	2029	428	0
7.	त्रिपुरा	1747	6750	370	0
	जोड़	11616	60561	1664	35

विकास परियोजनाओं हेतु एशियाई विकास बैंक की सहायता

2177. श्रीमती जयश्रीबेन बी. ठक्कर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत को दी जाने वाली सहायता को दोगुना कर 3 बिलियन डालर प्रतिवर्ष करने की पेशकश की है और ऊर्जा, शहरी विकास, रेल फ्रेट कॉरीडोर, सड़कों एवं वायु सेवाओं में निवेश के प्रति अभिरुचि व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई सहायता और किए गए निवेश का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 2006-2008 के लिए एशियाई विकास बैंक के देशीय कार्यनीति कार्यक्रम को अनन्तिम रूप दे दिया है। एशियाई विकास बैंक भारत को दिए जाने वाले अपने ऋण को, यदि राज्यों और अन्य निष्पादनकारी अभिकरणों से ऋण के लिए मांग होगी तो वर्ष 2006 में 2.25 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 2007 में 2.45 बिलियन अमरीकी डालर और 2008 में 2.65 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने के प्रयास करेगा। ये ऋण भारत सरकार द्वारा अभिज्ञात क्षेत्रों में हैं जो आधारभूत ढांचे की अगुवाई में विकास के माध्यम से गरीबी का मुकाबला करने के लिए हैं। तीन वर्षीय कार्यक्रम का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा परिवहन (राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों, ग्रामीण सड़कों, रेलवे और शहरी परिवहन); शहरी विकास (जल और सफाई, नगर विकास, नगर पालिका सुधार); सिंचाई; और ऊर्जा (विद्युत क्षेत्र सुधार, संप्रेषण और वितरण, हाइड्रोपावर) सहित महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं पर केन्द्रित है।

वित्तीय संस्थाओं की मदद से अवसंरचनात्मक परियोजनाएं

2178. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचनात्मक बांडों को जारी करने की अनुमति प्राप्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा आरंभ की गई एवं पूरी की गई विशिष्ट अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का संस्था-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान आरंभ की गई अभी तक अधूरी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को पूरा करने में संस्थाओं द्वारा सामान्यत: कितना समय लिया जाता है;

(घ) लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए अवसंरचना बांडों का कार्यकाल परियोजना के पूरा किए जाने के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। वित्तीय संस्थाओं की भूमिका सिर्फ परियोजनाओं का वित्तपोषण करने से संबंधित है न कि इसके क्रियान्वयन से।

नेशनल फ्लोराइड रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना

2179. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में नेशनल फ्लोराइड रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में आंध्र प्रदेश से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश से हैदराबाद में राष्ट्रीय फ्लोराइड अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का अनुरोध वर्ष 2004 में प्राप्त हुआ था।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

आई ई पी एफ में धन का उपयोग

2180. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख**
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशक संघों, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उपयोग किए जाने वाले इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आई ई पी एफ) के अंतर्गत वर्ष 2005-06 हेतु धन का संवितरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धन का उपयोग मार्च, 2006 से पहले किस प्रकार पूरा किया जाएगा; और

(घ) छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) आई ई पी एफ के लिए वर्ष 2005-2006 में बी ई के अंतर्गत 2.50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी जिसे आर ई में वर्ष

2005-2006 में आई ई पी एफ के अंतर्गत विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। वर्ष के दौरान, आई ई पी एफ के अंतर्गत विभिन्न क्रिया-कलापों/योजनाओं के तहत 2,16,98,525/-रु. की राशि मंजूर की गई थी जिसमें से 66,02,179/-रु. की राशि का आवंटन विभिन्न निवेशक संघों/गैर-सरकारी संस्थाओं (एन जी ओ)/संस्थाओं के बीच किया गया है। इसके अतिरिक्त 1,50,96,346 रु. की राशि का उपयोग निवेशक शिक्षा, जागरुकता तथा संरक्षण से संबंधित अन्य विविध क्रियाकलापों में किया जा चुका है।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नियमों के अनुसार 31 मार्च तक उस कार्य के लिए अनुदान का उपयोग करें जिसके लिए उसकी स्वीकृति दी गई थी तथा संवितरण किया गया था एवं पूर्ण रूप से लेखा परीक्षा किए गए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

(घ) आई ई पी एफ के अंतर्गत छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए निवेशकों के शिक्षा, जागरुकता एवं संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) मिडिया के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम (इलेक्ट्रानिक के साथ-साथ प्रिंट मिडिया);

(ii) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण क्रियाकलापों से जुड़ी स्वैच्छिक संगठनों या संस्थाओं या अन्य संस्थाओं का पंजीकरण तथा शोध-कार्यों समेत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण परियोजनाओं के लिए उन्हें वित्तीय-सहायता प्रदान करना; और

(iii) निवेशक शिक्षा, जागरुकता तथा सुरक्षा क्रियाओं से जुड़ी अन्य संस्थाओं/संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना।

शहरी हाट

2181. **श्री वी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा संस्वीकृत शहरी हाटों को राज्य-वार एवं जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) चालू शहरी हाटों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक चालू नहीं हुए शहरी हाटों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इनको चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) देश में हस्तशिल्प के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए, विपणन सहायता एवं सेवाएं योजना कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके अंतर्गत शीर्ष समितियों, राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों, गैर-सरकारी संगठनों आदि जैसे कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को प्रदर्शनियां, शिल्प बाजार तथा हस्तशिल्प एक्सपोज़ जैसे विपणन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान मुहैया कराया जाता है। हस्तशिल्प उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए संरचनात्मक सुविधा मुहैया कराने हेतु शहरी हाटों तथा एम्पोरियम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ख) अभी तक 37 (सैंतीस) शहरी हाट अनुमोदित किए जा चुके हैं जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 5 (पांच) शहरी हाटों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है जो इस प्रकार हैं – भुवनेश्वर (उड़ीसा), उच्चाना, करनाल (हरियाणा), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), तिरुपति (आंध्र प्रदेश) तथा गोहर महल, भोपाल (मध्य प्रदेश)।

(घ) शेष शहरी हाटों का प्रचालन अभी शुरू होना है। ये शहरी हाट 1998-99 से 2005-06 तक के दौरान विभिन्न वर्षों में अनुमोदित किए गए हैं। चूंकि, शहरी हाट प्रमुखतया एक निर्माण क्रियाकलाप है अत: इसलिए डिजाइन एवं भवन निर्माण विषयक अनुमोदन सहित विभिन्न एजेंसियों से अनुमति की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामले विवादाधीन होने की सूचना है। शेष शहरी हाटों की स्थापना का कार्य निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है।

(ङ) समय-समय पर कार्यान्वयनकारी अभिकरणों तथा राज्य सरकारों के साथ प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा कार्यान्वयनकारी अभिकरणों/राज्य सरकारों से सभी आवश्यक कदम उठाते हुए परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

विवरण

शहरी हाटों का राज्य-वार विवरण

राज्य	शहरी हाटों की संख्या	स्थान
1	2	3
हरियाणा	1	उच्चाना (करनाल)
जम्मू एवं कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
पंजाब	1	पटियाला

1	2	3
राजस्थान	2	जोधपुर, जयपुर
दिल्ली	2	पीतम पुरा, महरौली
उत्तर प्रदेश	6	आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर तथा बरेली
उत्तरांचल	1	देहरादून
पश्चिम बंगाल	1	कोलकाता
उड़ीसा	3	भुवनेश्वर, पूरी तथा कोणार्क
झारखंड	2	रांची, हजारीबाग
आंध्र प्रदेश	1	तिरुपति
केरल	1	त्रिवेन्द्रम
पॉण्डीचेरी	1	पांडीचेरी
कर्नाटक	1	मैसूर
गुजरात	3	गांधीनगर, सूरत, भुज
महाराष्ट्र	2	पुणे, मुंबई
गोवा	1	पणजी
मध्य प्रदेश	2	भोपाल, इंदौर
छत्तीसगढ़	1	रायपुर
असम	1	गुवाहाटी
नागालैण्ड	1	दीमापुर
त्रिपुरा	1	अगरतला
कुल	37	

बैंकों द्वारा अतिरिक्त धन जुटाना

2182. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों ने पूंजी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अतिरिक्त धन जुटाने हेतु शेयर जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा कितना धन जुटाया गया है;

(ग) क्या इन बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र में ऋण संवितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इनमें कुछ बैंकों द्वारा आवास ऋण की ब्याज-दर में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(च) विभिन्न योजनाओं के संबंध में ब्याज दर निर्धारित करने के क्या मानदंड हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के 7 बैंकों (पीएसबी) एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के 15 बैंकों ने अप्रैल, 2004 से अपनी शेयर पूंजी में वृद्धि कर निधियां जुटाई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 18% के लक्ष्य की तुलना में कृषि क्षेत्र को अपने एनबीसी का क्रमशः 15.3% एवं 12.1% अग्रिम प्रदान किया है। कृषि क्षेत्र में कम पूंजी सृजन, राज्य सरकार के प्रायोजक एजेंसियों द्वारा कम संख्या में आवेदन प्रायोजित करने, पर्याप्त आधारभूत सुविधा की कमी एवं तीव्र रूप से अन्य क्षेत्रों के लिए बैंक ऋण में वृद्धि कृषि क्षेत्र में कम ऋण अनुपात के कुछ कारण हैं। समग्र रूप से कृषि के लिए उधार में वर्ष 2003-04 के 86187 करोड़ रुपए वर्ष 2004-05 में वृद्धि होकर 1,25,309 करोड़ रुपए हो गई, इसमें 44% की वृद्धि हुई।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर, 1994 से 2 लाख रुपए से अधिक आवास एवं अन्य खुदरा ऋण सहित अग्रिमों पर प्रभारित होने वाली ब्याज दर को अविनियमित कर दिया है। बैंक द्वारा निधि लागत, परिचालन व्यय, लेन-देन लागत, जोखिम इत्यादि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से ब्याज दर स्वयं ही तय की जाती है।

विवरण

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शेयर पूंजी में बढ़ोतरी (अप्रैल 2004 से)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	राशि
1	2	3
1.	देना बैंक	80
2.	पंजाब नेशनल बैंक	80
3.	इलाहाबाद बैंक	100

1	2	3
4.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	58
5.	सिंडिकेट बैंक	50
6.	आन्ध्रा बैंक	85
7.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	45
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	
1.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	0.04
2.	सेंचूरियन बैंक लि.	71.32
3.	फेडरल बैंक लि.	43.84
4.	एचडीएफसी बैंक लि.	27.39
5.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	207.14
6.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	67.91
7.	कर्नाटक बैंक लि.	80.84
8.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	249.56
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	7.94
10.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	37.75
11.	नैनीताल बैंक लि.	15
12.	रत्नाकर बैंक लि.	1.04
13.	साउथ इंडियन बैंक लि.	11.9
14.	यूटीआई बैंक लि.	57.89
15.	यस बैंक लि.	70

महासागर विकास हेतु योजनाएं

2183. **श्री अधीर चौधरी** : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित तटीय क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यकलापों से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु इन राज्यों को कितना धन आवंटित किया गया है;

(ग) इस संबंध में राज्यों को धन आवंटित करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) तटीय क्षेत्रों का विकास राज्यों का विषय है। महासागर विकास मंत्रालय किसी भी राज्य सरकार को किसी भी विकासात्मक कार्य के लिए कोई भी धनराशि सीधे आवंटित नहीं करता है। परंतु मंत्रालय एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (इकमाम) कार्यक्रम के अंतर्गत तटीय क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी अनुसंधान गतिविधियों को क्रियान्वित करता रहा है। इकमाम कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों से वर्षवार आवंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

2002-03	2003-04	2004-05	कुल
	रुपए लाख में		
227.57	126.76	110.00	464.33

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बैंकों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

2184. **डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उनके सामाजिक दायित्वों के रूप में अपने संचालन क्षेत्र में आरंभ किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ-साथ विशिष्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंक देश में युवाओं, किसानों और महिलाओं के स्वरोजगार हेतु कोई प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्थापित किए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की बैंक-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सभी राज्यों में अपनी शाखाओं के माध्यम से केन्द्र सरकार की ऋण सब्सिडी से जुड़ी योजनाएं अर्थात् सर्वांगीण ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्व-रोजगार योजना), शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना), विशिष्ट वर्ग के लिए रोजगार सृजन योजना (स्कावेंजरों की मुक्ति और पुनरुद्धार की योजना) और 18 से 35 वर्ष की आयु समूह वाले शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम (प्रधानमंत्री रोजगार) कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ख) से (घ) बैंकों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, लघु उद्योग सेवा संस्थानों की विद्यमान आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करके राज्य

सरकारों के साथ संयुक्त रूप से ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की तरह प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे स्व-नियोजित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए बैंकों द्वारा स्थापित किए गए प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्रित नहीं करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि सिंडिकेट बैंक ने केनरा बैंक और श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर एजूकेशन (एसडीएमई) ट्रस्ट के सहयोग से अब तक 12 राज्यों में 20 ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान का केन्द्रीय सचिवालय उजीरे में स्थापित किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरह प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में कई बैंकों अर्थात् बैंक आफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र और गुजरात, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा कुछ गैर-सरकारी संगठनों को भी मार्ग-दर्शन प्रदान किया है।

स्व-सहायता समूहों के लिए ब्याज दरें

2185. **श्री सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्व-सहायता समूहों के लिए ब्याज दरों में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) सरकार को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ब्याज-दर कम करने के लिए विभिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निचले स्तर पर ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज अविनियमित कर दी है और बैंकों को निधियों की लागत, लेन-देन लागत और अन्य सम्बद्ध कारकों के आधार पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह शर्त रखी है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा ऋणों पर ब्याज-बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पेन्नी स्टॉक उतार-चढ़ाव

2186. **डा. राजेश मिश्रा** :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री अवतार सिंह भड़ाना :
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी हाल में पेन्नी स्टॉक संबंधी उतार-चढ़ाव की जांच कर रहा है जिसके अंतर्गत शेयर मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टॉकों का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेबी द्वारा की जा रही जांच का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आमतौर पर "लघु पूंजी स्टॉक" अथवा पेन्नी स्टॉक के नाम से जानी जाने वाली निम्न बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में अल्पावधि में हुई तीव्र वृद्धि तथा कारोबार पर कड़ी निगरानी रख रहा है।

(ख) और (ग) सेबी ने ऐसी अनेक प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों में सक्रिय कंपनियों की तुरंत जांच प्रारंभ की है। सितम्बर, 2005 से सेबी ने कंपनियों के प्रवर्तकों और निदेशकों के विरुद्ध आदेशों सहित 17 अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित किए हैं। इन कंपनियों के नाम निम्नलिखित हैं:-

1. आईएफएसएल लि.
2. प्राइम कैपिटल मार्केट लि.
3. शुभ लक्ष्मी प्रोजेक्ट्स लि.
4. ग्लोबल कैपिलट मार्केट्स लि.
5. बंकम इन्वेस्टमेंट्स लि.
6. एसटी सर्विसेज़ एम लक्की इन्वेस्टमेंट कंपनी लि.
7. कोंकण टायर्स लि.
8. कोनसोरटैक्स कार्ल डोलिटडस (इंडिया) लि.
9. मीनल इंजीनियरिंग
10. प्राइम प्रोपर्टी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
11. पैंटा मीडिया ग्राफिक्स लि.
12. इंड ट्रा डैको. लि.
13. एलट्रोल लि.
14. मैगा कारपोरेशन लि.
15. करुणा केबल्स लि.
16. नागेश्वर इंवेस्टमेंट लि.

17. आदिनाथ वायोलैब्स लि.

18. ग्लोब स्टोक्स एंड सिक्यूरिटीज़ लि.

19. गोयंका बिजनेस एंड फाइनैंस लि.

20. कोरोनेट इंडस्ट्रीज़ लि.

21. मिलेनियम साइबरटैक लि.

ये आदेश विशिष्ट स्क्रिपों में कारोबार को निलंबित करने तथा प्रवर्तकों, निदेशकों, उनकी सहमति से कार्यरत व्यक्तियों, दलालों तथा ग्राहकों को आगामी आदेशों तक कंपनी के शेयरों को खरीदने, बेचने या उनमें कारोबार करने से विवर्जित करने के स्वरूप के हैं।

अवसंरचना संबंधी वृहत परियोजना

2187. **श्री राव्यपति सांबासिवा राव :**
श्री डी. विट्टल राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सरकारी-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु समिति का गठन करने का है जिनकी पूंजीगत लागत अथवा परियोजनाओं की मूल संपत्तियां 100 करोड़ रुपये से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो समिति में कौन-कौन शामिल हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित संघटन के साथ सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) का गठन किया है:–

(i) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (अध्यक्ष)

(ii) सचिव, योजना आयोग

(iii) सचिव, व्यय विभाग

(iv) सचिव, विधि कार्य विभाग, और

(v) परियोजना प्रायोजित करने वाले विभाग का सचिव।

समिति केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगी। उन सभी पीपीपी परियोजनाओं को चाहे उनमें सरकारी निधिकरण शामिल है या नहीं, पीपीपीएसी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया है, जबकि उन परियोजनाओं को जिनमें पूंजी लागत अथवा आधारित परिसम्पत्तियों की लागत 100 करोड़ रुपए से कम है, पीपीपीएसी के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया है। अभी तक पीपीपीएसी को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंक जमा और ऋणों का निजीकरण

2188. **श्री महबूब जाहेदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग संस्थानों को बचतों एवं ऋण जैसी मूलभूत सेवाओं को निजी संगठनों को सौंपने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय से जमाकर्त्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) करोबार सुविधा प्रदाता और कारोबाद सम्पर्की माडलों के उपयोग के माध्यम से बैंकों को वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यवर्तियों की सेवाओं के उपयोग की अनुमति दी गई है। बैंकों को जनवरी, 2006 में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

बैंक सेवाओं की सुविधा प्रदान करके "कारोबार सुविधाप्रदाता" मॉडल के अंतर्गत एनजीओ/किसान क्लबों, सहकारिताओं, समुदाय आधारित संगठनों, पोस्ट ऑफिसों, बीमा एजेंटों, अच्छे ढंग से कार्य कर रही पंचायतें, ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों, कृषि क्लिनिकों/कृषि कारोबार केन्द्रों आदि जैसे मध्यवर्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी सेवाओं में उधारकर्ताओं की पहचान, प्राथमिक सूचना/आंकड़े के सत्यापन सहित ऋण आवेदनों का संग्रह एवं उस पर प्रारम्भिक कार्रवाई, बचत एवं अन्य योजनाओं के बारे में जागरुकता लाना और धन प्रबंधन के बारे में शिक्षा और सलाह तथा ऋण परामर्श आदि शामिल है। "कारोबार सम्पर्की मॉडल" के अंतर्गत सोसायटी/ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एनजीओ/एमएफआई परस्पर समर्थित सहकारी समिति अधिनियम या राज्यों सहकारी समिति अधिनियम, धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां, कंपनियां और पोस्ट आफिस कारोबार सम्पर्की के रूप में कार्य कर सकते हैं। कारोबार सम्पर्कियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में छोटे मूल्य के ऋण का संवितरण, मूलधन की वसूली/ब्याज का संग्रह; छोटे मूल्य की जमाराशियों का संग्रह, व्यष्टि बीमा/म्युचुअल फंड योजना/पेंशन योजना/दूसरी अन्य पक्ष योजनाओं की बिक्री और छोटे मूल्य के विप्रेषणों/अन्य भुगतान लिखतों की प्राप्ति और वितरण।

अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय समावेशन तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच के विस्तार के लक्ष्य के साथ मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम. में अंशदान

2189. **श्री कमला प्रसाद राक्त :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रायोजित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन पर होने वाले व्यय में दस प्रतिशत अथवा पांच प्रतिशत अंशदान कर सकने वाले लोग अथवा प्राधिकरण कौन-कौन से हैं;

(ख) संसद सदस्य उक्त हिस्से में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से किन शर्तों के अंतर्गत अंशदान कर सकता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारों ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोष से इस प्रयोजन हेतु धन प्राप्त करने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए शुरू की गई परियोजनाओं के लिए लागत हिस्सेदारी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्वजलधारा योजना का एक भाग है। स्वजलधारा के अंतर्गत परियोजना लागत का 90% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष 10% सामुदायिक योगदान द्वारा एकत्र किया जाता है।

(ख) एम.पी.एल.ए.डी.एस. दिशानिर्देशों के पैरा 3.20 के अनुसार एम.पी.एल.ए.डी.एस. निधियों को केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे किसी भी कार्यक्रम/योजना में सार्वजनिक अथवा सामुदायिक अंशदान के बदले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसमें ऐसे अंशदान का घटक शामिल है।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

2190. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय और सकारात्मक प्रयास हेतु वन क्षेत्रों से लगे सभी गांवों में वन विभाग के माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था की है कि ऐसे वन गांवों, जो किसी भी मौजूदा ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं हैं, को ग्राम पंचायतों के रूप में समझा जाएगा और उस जिले का वन विभाग ऐसे गांवों के लोगों के परामर्श से वन गांवों में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगा। इसी प्रकार, वाटरशेड विकास के दिशा-निर्देशों में गैर वन बंजरभूमि के आधिक्य पर बल दिया गया है। तथापि, वाटरशेड में राज्य वन विभाग के स्वामित्व वाली ऐसी वन भूमि शामिल की जा सकती है जिसके उपचार की जरूरत है क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्त वाटरशेड को समेकित ढंग से लिया जाना है। हरियाली के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों का उपचार प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुमोदित उपचार योजना की तकनीकी मंजूरी के साथ एक साथ किया जाता है। ऐसी योजनाओं को ग्रामीण वन विकास समितियों द्वारा ग्राम पंचायत, माइक्रो वाटरशेड विकास योजना के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं को कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप

2191. **श्री दुष्यंत सिंह**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भेषज क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भेषज क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बहु-राष्ट्रीय कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की कंपनियां अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए भारत को अपना लक्ष्य बनाने की इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों को क्या सहायता दी गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भेषज क्षेत्रक में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना करने सहित अनेक कदम उठाए हैं और उपाय किए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। निजी क्षेत्रक की कंपनियां देश में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के विस्तार के लिए इच्छुक हैं। यूएनसीटीएडी द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2005 के अनुसार कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भेषज सहित विभिन्न क्षेत्रकों में भारत को एक अनुकूल स्थान माना गया है। सरकार द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए औषधि एवं भेषज कंपनियों सहित उद्योगों को कई वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के भेषज अनुसंधान एवं विकास

सहायता निधि (पीआरडीएसएफ) कार्यक्रम और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की नई सहस्राब्दि भारत प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई) के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए 6 औषधि एवं फार्मा कंपनियों को ऋण सहायता के रूप में 1275 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

लघु उद्योगों को ऋण देना

2192. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आज की तारीख तक सरकार द्वारा लघु उद्योगों को कुल कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या लघु उद्योगों को दिया गया ऋण उनकी आवश्यकता से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या लघु उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(च) सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 एवं सितम्बर, 2005 तक के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए बकाया अग्रिम क्रमशः 52988 करोड़ रुपए, 58278 करोड़ रुपए, 67634 करोड़ रुपए एवं 71793 करोड़ रुपए हैं।

(ख) और (ग) बैंक एसएसआई क्षेत्र से प्राप्त अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं। तथापि, 10 अगस्त, 2005 को संसद में "एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में वृद्धि संबंधी नीतिगत पैकेज" की घोषणा की गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, लघु एवं मझौले उद्यम (एसएमई) के लिए ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 20% की न्यूनतम वृद्धि की प्राप्ति के लिए एसएमई के निधियन हेतु स्व-लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएसआई से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए चार समितियां गठित की थीं, यथा 1992 में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की पर्याप्तता एवं संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए नायक समिति, 1998 में एसएसआई के लिए ऋण से संबंधित उच्च स्तरीय समिति (कपूर समिति), 2004 में एसएसआई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह से संबंधित कार्य समूह (गांगुली समिति) तथा 2005 में एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए आंतरिक समूह (मूर्ति समिति)। इन समितियों की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इन सिफारिशों के आधार पर "एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में वृद्धि संबंधी नीतिगत पैकेज" की घोषणा की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को इन नीतिगत उपायों को लागू करने की सलाह दी है।

सुनामी और चक्रवात प्रवण भारतीय तट

2193. श्री जुएल ओराम : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुनामी और चक्रवात प्रवण भारतीय तटों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुनामी और चक्रवात आने की पूर्व चेतावनी देने और लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बनाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सरकार चक्रवातों/सुनामी के लिए संवेदनशील क्षेत्र के रूप में तेरह तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की पहचान की है। ये राज्य/संघ शासित प्रदेश हैं: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दमन और दीव, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप प्रदेश।

(ग) और (घ) चक्रवात चेतावनियों के लिए सामान्य परंपरागत संचार माध्यमों के अलावा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 352 चक्रवात चेतावनी प्रसारण प्रणाली (सीडब्ल्यूडीएस) का नेटवर्क स्थापित किया है, जो इनसेट उपग्रह के माध्यम से कार्य करता है तथा चक्रवात चेतावनियों के प्रसारण के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है।

महासागर विकास मंत्रालय सम्पूर्ण भारतीय तटरेखा को शामिल करते हुए हिन्द महासागर क्षेत्र में सुनामी तथा तूफान महोर्मि पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रहा है। इस चेतावनी प्रणाली को सितम्बर 2007 तक प्रचालित किया जाना निर्धारित है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केन्द्र (इनकॉयस), हैदराबाद में 24×7 आधार पर एक केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

चक्रवात शरण स्थलों के निर्माण के लिए मॉडल डिजाइन विकसित किए गए हैं तथा उनमें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों से सहायता ली गई है।

बजट अनुमान और व्यय में अन्तर

2194. श्री मोहन रावले :
श्री प्रवेश पाठक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान के.लो.नि.वि. द्वारा किए गए कार्यों "हेतु कार्यालय पद्धति का आधुनिकीकरण" शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार सही बजट अनुमान दर्शाएगी और बजट राशि का समुचित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की प्लान योजना है जिसके लिए बजट उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। योजना के अंतर्गत समस्त कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपा जाता है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के लिए बजट अनुमान इस प्रकार है:-

2004-05 के लिए बजट अनुमान इस प्रकार है:-

वर्ष	उपलब्ध धनराशि	स्वीकृत धनराशि	वास्तविक व्यय*
2003-04	2.70 करोड़ रुपये	2.68 करोड़ रुपये	1.95 करोड़ रुपये
2004-05	3.00 करोड़ रुपये	3.00 करोड़ रुपये	2.41 करोड़ रुपये

*संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कुछ उपयोग प्रमाणपत्र अभी प्राप्त होने हैं।

(ग) बजट के वास्तविक अनुमान और प्रभावी उपयोग के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। कार्य की प्रगति और उसके परिणामस्वरूप बजट का उपयोग अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसकी वजह से वास्तविक व्यय और बजट आवंटन में कुछ अंतर हो जाता है।

(घ) कार्य की प्रगति और बजट के उपयोग की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जाती है ताकि बजट आवंटन और व्यय में विसंगति बहुत कम हो अथवा बिलकुल भी न हो।

[हिन्दी]

ग्रामीण गरीब हेतु धनराशि आवंटन

2195. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण विकास और गरीबों के कल्याण हेतु किए गए कुल आवंटन में से केवल 29 से 30 प्रतिशत भाग ही ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों तक पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) प्रशासनिक व्यय और इन योजनाओं में शामिल अधिकारियों की सुविधाओं पर हुए खर्च को रोकने हेतु क्या रणनीति बनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस रणनीति पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें यह उल्लेख हो कि ग्रामीण विकास और गरीबों के कल्याण के लिए किए गए संपूर्ण आवंटन में से मात्र 29-30 प्रतिशत निधियां ग्रामीण गरीबों तक पहुंच रही हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं का औसत व्यय संतोषजनक है।

(ग) और (घ) योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष जोर देता है। निगरानी तंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, क्षेत्र अधिकारी योजना, क्षेत्र दौरे, निधियों की रिलीज की निगरानी, आवधिक प्रगति रिपोर्टों का विश्लेषण, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों और उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं (एनएलएम) और जिला स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं (डीएलएम) द्वारा निगरानी, समवर्ती और त्वरित मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बहुउद्देशीय कार्यनीति का पालन करें जिसमें ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में बुनियादी स्तर पर जागरुकता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और ग्राम पंचायत द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल है, ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी इन सभी योजनाओं से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए चार सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जिम्मेदारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एसजीआरवाई और एनएफएफडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समिति, जो कार्य के दौरान उसकी प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करेगी, का गठन अनिवार्य है और उस ग्राम पंचायत, जहां कार्य निष्पादित किया गया है, की ग्राम सभा के विचारार्थ कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र के साथ समिति की अंतिम रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी मुद्रणालयों का निजीकरण

2196. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मैसूर, चण्डीगढ़ और भवनेश्वर में सरकारी स्वामित्व वाले पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों के निजीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रियों के समूह ने यह सिफारिश की है कि निजीकरण में उपयुक्त संचालन भूमि क्षेत्र सहित इन मुद्रणालयों की फालतू भूमि को, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किया जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने शिमला में सरकारी मुद्रणालय के आधुनिकीकरण और उसे एक उत्पादन सह-प्रशिक्षण केन्द्र में बदलने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और तदनुसार राज्य सरकारों को किस सीमा तक अनुदेश दिए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) सरकार ने 1.2.2006 को पर्याप्त प्रचलनात्मक भूमि क्षेत्र के साथ मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय का इस शर्त के साथ निजीकरण करने का निर्णय लिया है कि कर्मचारी अपनी शेष सेवा अवधि के पूरा होने तक सेवा में बने रहेंगे। इन मुद्रणालयों की फालतू भूमि का यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारों के सहयोग से विकास किया जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार ने भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला को 2.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र में परिवर्तित करके इसे बनाये रखने और इसका आधुनिकीकरण करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।

(ङ) इन राज्यों में फालतू भूमि का राज्य सरकारों के सहयोग से विकास किया जाएगा।

कोच्चि मेट्रो परियोजना

2197. **श्री पी. करुणाकरन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोच्चि मेट्रो परियोजना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा परियोजनावार क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने अलवाय से पेट्टा (त्रिपुनीतुरा) तक 1966 करोड़ रु. की कर तथा शुल्क युक्त अनुमानित लागत (मई, 2005 के मूल्य) से कोच्चि के लिए 25.3 किमी लंबी एलीवेटेड रेल आधारित लाइट मेट्रो के निर्माण का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी के जरिए इस परियोजना के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया है और इसके लिए उन्हें गैर-सरकारी भागीदारी का पता लगाना है। इस प्रकार बोली प्रक्रिया पूरी होने तथा वित्तीय जरूरतों का स्टीक अनुमान उपलब्ध होने के बाद ही भारत सरकार द्वारा इसर संबंध में कोई कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

चित्तौड़गढ़, राजस्थान में मोबाइल फोन संपर्क

2198. **श्री श्रीचन्द कृपलानी :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल द्वारा मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु इस समय नेटवर्क कार्य किया जा रहा है;

(ख) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया है;

(ग) कितने शहरों में यह कार्य चल रहा है; और

(घ) इन शहरों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड देश में अपने मोबाइल सेवा नेटवर्क का विस्तार करने संबंधी कार्यवाही कर रहा है।

(ख) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड अभी तक चित्तौड़गढ़ जिले के 18 स्टेशनों/स्थानों पर मोबाइल सेवाएं प्रदान कर चुका है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने, इसके अलावा, चित्तौड़गढ़ जिले के 10 अतिरिक्त स्टेशनों/स्थानों पर भी अपनी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है जिसमें से 8 स्थानों पर तत्संबंधी संस्थापना कार्य पहले से ही चल रहा है। सभी 10 स्थानों पर मोबाइल सेवाओं का "रॉल-आउट" उत्तरोत्तर रूप से चालू वर्ष अर्थात् 31.12.2006 तक करने की योजना है।

[अनुवाद]

डाक सेवाओं में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को काम पर लगाना

2199. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण बेरोजगार युवकों को काम पर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कूरियर सेवाओं से मुकाबला करने हेतु लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये योजनाएं निजी कूरियर सेवाओं का मुकाबला करने में किस सीमा तक प्रभावी हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) डाक विभाग डाक के दैनिक वितरण और पत्रों के संग्रहण के माध्यम से देश के सभी हिस्सों, जिनमें ग्रामीण, पहाड़ी, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्र भी शामिल हैं, में किफायती डाक सेवाएं उपलब्ध कराता है जबकि निजी कूरियर सेवाएं मुख्य रूप से या तो शहरी इलाकों के अंदर या इनके बीच काम करती हैं। 31/3/2005 की स्थिति के अनुसार डाक सेवाएं देश के 1,55,516 डाकघरों के कुल नेटवर्क में से 1,39,120 ग्रामीण डाकघरों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। विभाग की डाक के संग्रहण और वितरण के लिए एक विस्तृत प्रणाली है। कुशलतापूर्ण सेवा देना सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली की नियमित रूप से मॉनीटरिंग, पुनरीक्षा और इसका युक्तीकरण किया जाता है। विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पाद जैसे स्पीड पोस्ट, एक्स्प्रेस पार्सल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, ई-पोस्ट और बिल मेल लगातार वृद्धि दर्शा रहे हैं। स्पीड पोस्ट 163 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों और 951 राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है। स्पीड पोस्ट एक गारंटीशुदा, समयबद्ध, प्रीमियम सेवा है और इसके परियात की वृद्धि दर 23% प्रतिवर्ष है। ई-पोस्ट डाकघर की दूरदराज तक पहंच के उपयोग के माध्यम से ऐसे ग्राहकों को सेतु प्रदान करता है जिन्हें कम्प्यूटर व इंटरनेट सुलभ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष महत्व है।

ई-गवर्नेंस

2200. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नेंस अनुक्रमणिका के अनुसार भारत 87वें स्थान पर है जबकि चीन, ब्राजील जैसे अन्य विकासशील देश हमारे देश से काफी ऊपर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना विकसित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अपने ई-गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने हेतु बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियों की सहायता लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक ई-सरकार व्यवस्था रिपोर्ट 2005 : ई-सरकार से ई-समावेश, में विभिन्न देशों का उनकी ई-सरकार व्यवस्था तथा विश्वभर में ई-प्रतिभागिता की सीमा की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। भारत 191 सदस्य देशों में 87वें स्थान पर है।

(ख) ई-सरकार व्यवस्था सूची एक संयुक्त सूची है जिसमें वेब परिमापन सूची, दूरसंचार मूलसंरचना सूची तथा मानव पूंजी सूची शामिल है।

भारत – ई-सरकार व्यवस्था सूची-0.4001 वेब परिमापन सूची-0.5827 (33वां स्थान) दूरसंचार मूलसंरचना सूची-0.0277 मानव पूंजी सूची-0.5900

चीन – ई-सरकार व्यवस्था सूची-0.5078 (57वां स्थान) वेब परिमापन सूची-0.5692 (34वां स्थान) दूरसंचार मूलसंरचना सूची-0.1241 मानव पूंजी सूची-0.8300

ब्राजील – ई-सरकार व्यवस्था सूची-0.5981 (33वां स्थान) वेब परिमापन सूची-0.7500 (16वां स्थान) दूरसंचार मूलसंरचना सूची-0.1644 मानव पूंजी सूची-0.8800

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) तैयार की गई है जिसमें इस समय 26 मिशन मोड परियोजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसमें केन्द्र सरकार की श्रेणी में 9 मिशन मोड परियोजनाएं, राज्य क्षेत्र में 10 परियोजनाएं और एकीकृत सेवा श्रेणी में 7 परियोजनाएं शामिल हैं। एनईजीपी में सामान्य मुख्य मूलसंरचना की स्थापना भी शामिल है जिसमें राज्यव्यापी नेटवर्क (स्वान), राज्य आंकड़ा केन्द्र (एसडीसी) तथा सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) सम्मिलित हैं; सारे कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से धनराशि का आबंटन नहीं किया गया है; अलग-अलग परियोजनाओं पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है और संबद्ध प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर धनराशि का आबंटन किया जाता है।

ई-व्यवस्था सूची में सुधार करने के उद्देश्य से मुख्य मूलसंरचना संबंधी परियोजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(i) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अपने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के जरिए देश में केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों को बैकबोन ई-शासन नेटवर्क तथा तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके अनुसरण में एनआईसी भी राज्य/संघ शासित सरकारों को ई-शासन सहयोग प्रदान कर रहा है। वीडियो सम्मेलन की सुविधा भी कई जिला मुख्यालयों में प्रदान की गई है।

(ii) ब्लॉक स्तर पर न्यूनतम 2 मेबा बाइट्स प्रति सेकण्ड की दर से आंकड़ा सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) की स्थापना की एक योजना मार्च, 2005 में सरकार द्वारा 3,334 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से अनुमोदित की गई है जिसमें पूंजीगत और प्रचालनात्मक व्यय के रूप में 5 वर्ष की अवधि में केन्द्रीय सहायता 2005 करोड़ रुपए है।

(iii) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के लिए राज्यों को मिलने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की विशेष योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षमता निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(iv) सरकार ने अधिकांशत: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000+ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। ये सामान्य सेवा केन्द्र विविध सेवाएं प्रदान करेंगे (सरकारी और गैर-सरकारी, जिसमें स्थानीय सेवाएं शामिल हैं) जिनकी स्थानीय समुदाय को आवश्यकता हो सकती है।

(v) एनईजीपी के अंतर्गत मुख्य मूलसंरचना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर केन्द्रीय आंकड़ा भण्डार बनाने की योजना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सामान्य प्रौद्योगिकी मूलसंरचना की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

(ङ) और (च) बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों सहित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में तकनीकी जानकारियां और सुझाव प्राप्त किए जाते हैं तथा इन्हें ई-शासन के विभिन्न उपायों में समुचित रूप से शामिल किया जाता है।

राज्यों का अनुदान सहायता

2201. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पेयजल आपूर्ति, जल निकासी प्रणाली में सुधार करने और मलिन बस्तियों का विकास करने हेतु अनुदान सहायता के लिए राज्यवार प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों के लिए राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2005-06 हेतु राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार का विकास

2202. **श्री रवेन बर्मन** :
श्री धनुष्कोडी आर. अतिचन :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में विभिन्न राज्यों विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में संचार प्रणाली के विकास हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) देश में संचार प्रणाली के सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में संचार प्रणाली के विकास हेतु खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा देश में संचार प्रणाली में सुधार लाने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित प्रभावी कदम संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में संचार प्रणाली के विकास हेतु खर्च की गई कुल राशि

भारत संचार निगम लिमिटेड

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13.36	7.62	7.70
2.	आंध्र प्रदेश	993.35	367.83	429.33
3.	असम	195.54	163.51	131.45
4.	बिहार	486.14	159.28	233.84
5.	छत्तीसगढ़	126.12	78.90	58.86
6.	गुजरात	896.19	337.21	211.20
7.	हरियाणा	309.74	190.24	279.61
8.	हिमाचल प्रदेश	179.51	79.90	46.43
9.	जम्मू और कश्मीर	144.25	82.53	102.45
10.	झारखंड	265.88	103.52	103.12
11.	कर्नाटक	785.08	309.26	379.07
12.	केरल	670.59	565.81	756.48
13.	मध्य प्रदेश	466.69	222.39	195.84
14.	महाराष्ट्र	1149.18	681.41	579.77
15.	पूर्वोत्तर	132.89	156.39	125.86
16.	उड़ीसा	361.60	155.13	156.88
17.	पंजाब	572.89	268.22	432.77
18.	राजस्थान	503.01	347.10	385.28
19.	तमिलनाडु	971.08	438.22	495.33
20.	उत्तर प्रदेश	1237.20	633.23	879.74
21.	उत्तरांचल	174.01	83.26	50.88
22.	पश्चिम बंगाल	596.63	461.44	443.59

1	2	3	4	5
23.	अन्य*	826.19	674.76	960.18
	जोड़	12057.12	6537.16	7445.66
एमटीएनएल	दिल्ली	741.06	519.26	535.79
एमटीएनएल	मुंबई	312.75	443.18	502.69
	जोड़	1053.91	961.44	1038.48

टिप्पणी:–

*1. अन्य में परियोजना सर्किल, अनुरक्षण क्षेत्र दूरसंचार फैक्ट्रियां, प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल हैं।

2. महाराष्ट्र सर्किल में गोवा शामिल है।

3. पूर्वोत्तर में पूर्वोत्तर-I एवं पूर्वोत्तर-II सर्किल शामिल हैं, तमिलनाडु सर्किल में चेन्नई फोंस शामिल है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश (पश्चिम) एवं उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल शामिल हैं, पश्चिम बंगाल में कोलकाता फोंस एवं सिक्किम शामिल हैं।

विवरण-II

भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा देश में संचार प्रणाली में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

(i) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय माध्यम से जोड़ दिया गया है।

(ii) सभी एक्सचेंजों को डिजिटल एक्सचेंजों में बदल दिया गया है।

(iii) ब्लॉक मुख्यालय स्तर तक वायरलैस इन लोकल लूप प्रणाली और सेल्यूलर मोबाइल सेवा का विस्तार।

(iv) भूमिगत केबल हटाने के लिए डिजिटल लाइन कन्सेन्ट्रेटरों की व्यवस्था।

(v) राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और रेलवे मार्गों को सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं से कवर करना।

(vi) भूमिगत पेपर कोर केबलों को चरणबद्ध तरीके से जेल्ली भरी केबल द्वारा बदलना।

(vii) पोल रहित नेटवर्क का निर्माण।

(viii) ज्यादा टेलीफोन एक्सचेंजों (आरएसयू/आरएलयू) को खोलना।

(ix) एसबीएमको आरएसयू में बदलना।

(x) सी-डॉट 256 पोर्ट एक्सचेंजों को एएन-आरएएक्स (अभिगम नेटवर्क-ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज) में बदलना।

(xi) एसडीसीसी (अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र) में केन्द्रीयकृत दोष दर्ज कराने की सुविधा।

(xii) अधिकाधिक "टॉक टाइम" और स्टैण्डबाई टाइम" प्रदान करने के लिए एफडब्ल्यूटी सहित उच्च क्षमता वाले बाह्य अनुरक्षण रहित बैटरी की व्यवस्था।

(xiii) ज्यादा केन्द्रों के माध्यम से बिलों का भुगतान आसान बनाया गया।

(xiv) "वन इंडिया" योजना सहित आकर्षक टैरिफ पैकेज।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों में कर्मचारियों की कमी

2203. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति और पागी के आदिवासी जिलों तथा चम्बा जिले का भरनभौर मंडल सर्दी के महीनों के दौरान बर्फबारी के कारण कटा रहता है जिससे इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों में कर्मचारियों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निर्बाध दूरसंचार सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सर्दियों में उस स्थिति को छोड़कर जब भारी हिमपात/भूस्खलन के कारण स्टॉफ की गतिविधि और डीजल की आपूर्ति आदि प्रभावित होती है और जिससे कभी-कभी दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन प्रभावित होता है, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर, लाहौल स्पीति और पागी तथा चम्बा जिले के भर्नमौर मंडल में दूरसंचार सुविधाएं साल भर उपलब्ध रहती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस क्षेत्र में बेहतर दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु, अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनः तैनाती के अलावा, डब्ल्यूएलएल और मोबाइल जैसी अतिरिक्त प्रणालियों की संस्थापना तथा मौजूदा पारेषण माध्यम का उन्नयन जैसे उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीय जमाराशि पर ब्याज दर

2204. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीय जमाराशि पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए मानदंड सख्त कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा ऋण

2205. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने वर्ष 2002-03 और वर्ष 2003-04 के दौरान बाजार से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि के उपयोग के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) ऋण की ब्याज दर क्या है और उक्त ऋण का पुनर्भुगतान कब तक किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के विरुद्ध प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर बांड जारी कर 2028.04 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये निधियां कर्मचारियों को संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) के तहत भुगतान करने, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (एफ आई) को उनकी पुरानी बकाया राशि के एक बारगी निपटान (ओटीएस) के निमित्त भुगतान के लिए और फरवरी/मार्च, 2002 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के तहत संचित भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के पुराने संचित बकायों के भुगतान के लिए एकत्रित की गई हैं।

(घ) ऋण की ब्याज-दर और वह समय जब तक वह ऋण लौटाया जाना है, संलग्न विवरण के कालम 4, 6 और 7 में दिया गया है।

विवरण

बांड जारी कर एकत्रित निधियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	बांड की प्रकृति	एकत्रित राशि	ब्याज दर	आवंटन की तिथि	अवधि	परिपक्वता की तिथि	ऋण का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एकबारगी भुगतान करमुक्त बांड	248.69	9.50%	1.1.02	5 वर्ष	31.12.06	बैंक/वित्तीय संस्थाओं को एकबारगी भुगतान
2.	करयोग्य बांड (श्रृंखला I)	133.05	10.00%	3.5.02	5 वर्ष	2.5.07	एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)
3.	करयोग्य बांड (श्रृंखला II)	200.30	10.00%	20.7.02	5 वर्ष	19.7.07	एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)
4.	करयोग्य बांड (श्रृंखला III)	166.00	9.70%	13.9.02	5 वर्ष	12.9.07	एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)
5.	करयोग्य बांड (श्रृंखला IV)	75.60	7.00%	15.2.03	5 वर्ष	14.2.08	एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)
6.	करयोग्य बांड (श्रृंखला V)	174.40	7.75%	28.3.03	5 वर्ष	27.3.08	एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	करयोग्य बांड (श्रृंखला VI)	500.00	6.35%	22.10.03	5 वर्ष	21.10.08	एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)
8.	करयोग्य बांड (श्रृंखला VII)	330.00	6.10%	15.4.04	5 वर्ष	15.4.09	एमवीआरएस (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना)
9.	करयोग्य बांड (श्रृंखला VIII)	82.10	6.15%	12.7.04	5 वर्ष	12.7.09	भविष्य निधि एवं ईएसआई बकायों का भुगतान
10.	करयोग्य बांड (श्रृंखला IX)	117.90	7.05%	06.01.05	5 वर्ष	06.01.10	भविष्य निधि एवं ईएसआई बकायों का भुगतान
	कुल योग (1 से 10)	2,028.04					

[अनुवाद]

अदत्त बिलों की वसूली

2206. श्री निखिल कुमार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के अदत्त टेलीफोन बिलों की देय धनराशि करोड़ों में पहुंच गई है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अदत्त बिलों की वसूली के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) यद्यपि आंकड़ों के अनुसार, बकाया देय राशियों, में वृद्धि हुई है तथापि यह राशि वस्तुतः संबंधित बिलों की कुल राशि का एक अल्पांश है; तथा गत वर्षों के दौरान इसकी प्रतिशतता में कमी आई है।

(ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने, 30 नवम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार, नवम्बर, 2005 के अप्रदत्त बिलों सहित 3345 करोड़ रु. की निवल बकाया देयताओं की सूचना दी है। ये देयताएं बिलों की कुल राशि का लगभग 1.63% है। 31.1.2006 की स्थिति के अनुसार, महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) की ऐसी ही निवल बकाया देयताओं की राशि 1174 करोड़ रु. है जो संबंधित बिल की राशि का 1.69% है।

(ग) और (घ) बकाया देयताओं की वसूली करना बीएसएनएल एवं एमटीएनएल की सीधी जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की निगरानी करती है। बीएसएनएल और एमटीएनएल, अन्य उपायों के साथ-साथ, बकाया बिलों की वसूली हेतु निम्नलिखित कदम उठा रहे हैं:–

(i) चूककर्ताओं को इंटरएक्टिव वॉएस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से/डाक के द्वारा अनुस्मारक/नोटिस भेजे जाते हैं।

(ii) जिन टेलीफोन बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि के भीतर नहीं किया जाता है और वे अप्रदत्त रहते हैं, उन टेलीफोनों को विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर काट दिया जाता है।

(iii) क्षेत्रीय इकाइयों में वसूली की निगरानी हेतु/बकाया उगाही प्रकोष्ठों का गठन किया गया है।

(iv) प्रत्येक सर्किल/महानगर जिले के लिए बिलों की विभिन्न अवधियों की बकाया राशियों के भुगतान हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

(v) निजी वसूली एजेंटों को कमीशन आधार पर बकाया देयताओं की वसूली हेतु नियुक्त किया जाता है।

(vi) उपयुक्त मामलों में देयताओं की वसूली हेतु कानूनी उपचारात्मक कदम भी उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. हेतु सभी के लिए स्वास्थ्य योजना

2207. श्री टेक लाल महतो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे

रह रहे परिवारों हेतु सभी के लिए स्वास्थ्य योजना से राज्यवार कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : बी.पी.एल. हेतु पुनः बनाई गई सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना की शुरूआत से अब तक लाभान्वित परिवारों की संख्या वर्ष 2004-05 में 65,718 तथा फरवरी, 2006 तक 68,296 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	2004-05 में परिवारों की संख्या	2005-06 में परिवारों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	18591	12587
असम	185	3158
बिहार	—	2
चंडीगढ़	174	—
छत्तीसगढ़	890	—
दिल्ली	6	27
गुजरात	6775	1379
हरियाणा	656	452
हिमाचल प्रदेश	381	58
जम्मू एवं कश्मीर	168	81
झारखंड	—	40
कर्नाटक	2692	2201
केरल	24067	36829
मध्य प्रदेश	962	—
महाराष्ट्र	3008	447
उड़ीसा	71	99
पंजाब	671	250
राजस्थान	4227	4272
तमिलनाडु	696	492
उत्तर प्रदेश	1161	714
उत्तरांचल	323	5208
पश्चिम बंगाल	14	—
कुल	65718	68296

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण

2208. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से एशियाई विकास बैंक आदि जैसी कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु स्वीकृति के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए कोई नए मानदंड अथवा निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से विदेशी ऋण सहायता के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के जरिए विविध राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार को विदेशी ऋण सहायता विकास भागीदारों के मानक निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राप्त होती है और 31 मार्च, 2005 तक केन्द्र सरकार द्वारा इसे अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में राज्य सरकारों को जारी किया जाता रहा था। भारत सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को मान लिया है कि विदेशी सहायता, राज्यों को उन्हीं निबंधन व शर्तों पर अंतरित की जाए, जिन पर वह केन्द्र को प्राप्त हुई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सेवा लागत ओर विनिमय में हुई घट-बढ़ को भी राज्यों को अंतरित किया जाएगा। तद्नुसार, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद हस्ताक्षरित, नई परियोजनायों के मामले में, विदेशी सहायता परस्पर आधार पर अंतरित की जाएगी। तथापि, 31 मार्च, 2005 को चल रही परियोजनाओं के संबंध में पूर्ववर्ती व्यवस्था बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसी परियोजनाओं को आगे भी वित्तीय सहायता, एसीए के रूप में जारी की जाती रहेगी। भारत सरकार ने 24 अक्तूबर, 2005 को संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए है, जिनमें विकास और संरचनात्मक समायोजन उद्देश्यों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यों की ऋण वहनीयता का विश्लेषण कराने का प्रावधान है।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अंतर्ग्रस्त राशि
1	2	3	4
	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)		
1.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विकास वित्त परियोजना	400 मि. अमरीकी डालर
2.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास परियोजना	300 मि. अमरीकी डालर
3.	उत्तरांचल	उत्तरांचल राज्य सड़क परियोजना	300 मि. अमरीकी डालर
4.	असम	असम अभिशासन और जन संसाधन प्रबंधन परियोजना	100 मि. अमरीकी डालर
5.	राजस्थान	राजस्थान शहरी विकास परियोजना	200 मि. अमरीकी डालर
6.	उत्तरांचल	उत्तरांचल शहरी विकास परियोजना	150 मि. अमरीकी डालर
7.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र विकास परियोजना-II	250 मि. अमरीकी डालर
8.	असम	असम समेकित बाढ़ नियंत्रण और नदी अपरदन रोकने से संबंधित परि.	200 मि. अमरीकी डालर
9.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विद्युत विकास परियोजना-II	300 मि. अमरीकी डालर
10.	उत्तरांचल	उत्तरांचल पर्यटन विकास परियोजना	150 मि. अमरीकी डालर
11.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परियोजना-II	300 मि. अमरीकी डालर
12.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परियोजना	300 मि. अमरीकी डालर
	विश्व बैंक		
13.	पश्चिम बंगाल	लघु सिंचाई त्वरित विकास योजना	1143 करोड़ रु.
14.	आंध्र प्रदेश	जल क्षेत्र सुधार परियोजना	3000 करोड़ रु.
15.	महाराष्ट्र	संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल)	750 मि. अमरीकी डालर
16.	पंजाब	संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल)	800 मि. अमरीकी डालर
17.	राजस्थान	संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल)	2200 मि. अमरीकी डालर
18.	उत्तर प्रदेश	संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल)	245 मि. अमरीकी डालर
19.	हिमाचल प्रदेश	संरचनात्मक समायोजन ऋण (एसएएल)	राशि विनिर्दिष्ट की गई है।
20.	कर्नाटक	एसएएल-III	250 मि. अमरीकी डालर
21.	उड़ीसा	एसएएल-II	200 मि. अमरीकी डालर

1	2	3	4
22.	आंध्र प्रदेश	एसएएल-III	200 मि. अमरीकी डालर
23.	कर्नाटक	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास और सुधार परियोजना	142 मि. अमरीकी डालर
24.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	100 मि. अमरीकी डालर
25.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश शहरी सुधार और नगरपालिका सफाई परियोजना	233 मि. अमरीकी डालर
26.	कर्नाटक	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	216 मि. अमरीकी डालर
27.	पंजाब	पंजाब राज्य सड़क परियोजना	150 मि. अमरीकी डालर
28.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	150 मि. अमरीकी डालर
29.	असम	असम में राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन	200 मि. अमरीकी डालर
30.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश में उच्च घनत्व कोर नेटवर्क वाली 4,286 कि.मी. सड़कों का सुधार	250 मि. अमरीकी डालर
31.	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	100 मि. अमरीकी डालर
32.	गुजरात	गुजरात शहरी सुधार परियोजना	130 मि. अमरीकी डालर
33.	गुजरात	गुजरात में समेकित ग्रामीण विकास सहायता कार्यक्रम	489.65 करोड़ रु.
34.	त्रिपुरा	त्रिपुरा कृषि विकास परियोजना	403 करोड़ रु.
35.	कर्नाटक	चेतना-अब इसका नाम कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना है	240 मि. अमरीकी डालर
36.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना-II	1001 करोड़ रु.
37.	पंजाब	पंजाब में सहभागी जलसंभर विकास और प्रबंधन परियोजना	259.36 करोड़ रु.
38.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू और कश्मीर में सहभागी जलसंभर प्रबंधन परियोजना	968.75 करोड़ रु.
39.	बिहार	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना	70 मि. अमरीकी डालर
40.	बहुराज्य	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, द्वितीयचरण	500 मि. अमरीकी डालर
41.	तमिलनाडु	तमिलनाड ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना	700 करोड़ रु.
42.	उत्तरांचल	उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना-II	500 करोड़ रु.
43.	पंजाब	पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	2791.26 करोड़ रु.
44.	झारखंड	झारखंड सहभागी वन प्रबंधन	1146.77 करोड़ रु.
45.	झारखंड	झारखंड ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	141.92 मि. अमरीकी डालर
	आईएफएडी		
46.	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश	तेजस्विनी-ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	230 करोड़ रु.

[हिन्दी]

निर्यातकों हेतु ब्याज दर

2209. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों हेतु बैंक ऋण पर ब्याज दर घटाने की योजना को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों हेतु ब्याज दर को घटाने के मुद्दे की जांच करने हेतु गठित कृतिक बल की सिफारिशें लागू कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें मान ली गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) निर्यात ऋण योजना की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, चुनिंदा बैंकों के अधिकारी एवं निर्यातक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने रुपए और विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋणों की चालू ब्याज दर की समीक्षा की थी।

निर्यातक संगठनों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, दल ने दिनांक 9 मई, 2005 की अपनी रिपोर्ट के तहत यह सिफारिश की है कि लघु और मझौले निर्यातकों के हित में रुपए में निर्यात ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान ब्याज दर को फिलहाल जारी रखा जाए।

विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋणों के संबंध में, बैंकों द्वारा विदेश से उधार ली गई निधियों की लागत को पर्याप्त रूप से कवर करने के उद्देश्य से दल ने यह सिफारिश की है कि ब्याज दर में 25 आधार बिन्दुओं की वृद्धि कर दी जाए (अर्थात् लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर+पहली स्लैब के लिए 1% तथा दूसरी स्लैब के लिए और 2% अतिरिक्त)। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

सहकारी बैंकों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते में डालना

2210. **श्री देविदास पिंगले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वित्त वर्ष में बट्टे खाते में डाला गया ऋण पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत वित्त वर्ष के दौरान इन बैंकों द्वारा पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में की गई वसूली का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा प्रदान करने वाली प्रणाली से मांगे गये तरीके से आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। भारत सरकार द्वारा 18 जून, 2004 को घोषण किए गये फार्म ऋण पैकेज के एक भाग के रूप में एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना सहित कुछ ऋण राहत उपाय शुरू किए गये थे। एक बारगी निपटान योजना के तहत सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान (31 जनवरी 2006 की स्थिति के अनुसार) निपटान की गई राशि निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	एक बारगी निपटान
2004-05	220.88
2005-06*	61.16

*आंकड़े अनन्तिम (अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2006 तक)

बैंक बोर्डों को अपने उप-नियमों के अध्यधीन और रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (आरसीएस) के पूर्वानुमोदन से अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) प्रबंधन के एक भाग के रूप में कोई भी समझौता योजना कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता है:-

(घ) 30 जून 2004 और 2005 की स्थिति के अनुसार, राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) द्वारा मांग के प्रतिशत के रूप में वसूलियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

बैंक	मांग के % के रूप में वसूली-2004	मांग के % के रूप में वसूली-2004
एससीबी	83.32	83.51
डीसीसीबी	61.87	71.23
एससीएआरडीबी	43.80	43.70
पीसीएआरडीबी	43.90	50.60

विश्व बैंक/आई.एम.एफ. की सहायता से योजनाएं

2211. **श्री राजेश पाठक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त देश की विभिन्न योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) किन-किन योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या इन ऋणों के लिए कोई विशेष शर्तें लगाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर अदा की जा रही ब्याज दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) से ऋण और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आइडीए) के अंतर्गत उधारों पर निम्नांकित मानक शर्तें पर निबंधन लागू होते हैं:–

शर्तें और निबंधन	आईबीआरडी	आईडीए
वापसी अदायगी की अवधि	5 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित 20 वर्ष	10 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित 35 वर्ष
वचनबद्धता शुल्क	असंवितरित शेष राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष	असंवितरित शेष राशि पर 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
प्रारम्भिक शुल्क	ऋण राशि का एक प्रतिशत	शून्य
ब्याज दर	परिवर्तनीय ब्याज दर के साथ-साथ 6 महीने की "लिबोर" पर आधारित	शून्य
सेवा प्रभार	शून्य	असंवितरित राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनुदानों और उधारों/ऋणों का ब्यौरा (28.2.2006 तक)

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रमांक	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	कुल राशि
1	2	3	4
	अनुदान		
1.	जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका संयोजन परियोजना	2005-06	0.4
2.	पंजाब जलापूर्ति और सफाई	2005-06	0.45
3.	भारत एचआईवी/एडस III का निर्माण	2005-06	0.9
4.	तमिलनाडु सशक्तिकरण और गरीबी कम करने से संबंधित परियोजना	2004-05	0.5
5.	ग्रामस्तरीय संस्थागत सहयोग का क्षमता निर्माण	2004-05	0.4
6.	सामुदायिक वन प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण	2004-05	2.0
7.	सीजीए का आधुनिकीकरण	2004-05	0.5

1	2	3	4
8.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को तकनीकी सहायता	2004-05	0.5
9.	जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना का निर्माण	2004-05	0.3
10.	मलिन बस्ती स्तरोन्यन और राष्ट्रीय सफाई परियोजना का निर्माण	2004-05	0.7
11.	शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि परियोजना का निर्माण	2004-05	0.6
12.	झारखंड सहभागी वन प्रबंधन क्षमता निर्माण परियोजना	2004-05	0.4
13.	सरकारी व्यय प्रबंधन क्षमता निर्माण सुधार परियोजना	2004-05	0.5
14.	पुणे जिला के ग्रामीण इलाकों के लिए प्रायोगिक आईसीटी कार्यक्रम	2004-05	1.0
15.	उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना	2004-05	0.9
16.	वित्त मंत्रालय के एएएडी का संस्थागत सुदृढ़ीकरण	2004-05	0.4
17.	तमिलनाडु ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई	2003-04	0.4
18.	तमिलनाडु सशक्तिकरण और गरीबी कम करने से संबंधित परियोजना	2003-04	0.6
19.	भारत के पेंशन तंत्र को सुधारने हेतु क्षमता निर्माण	2003-04	0.45
20.	कारटाजेना प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन के लिए क्षमता निर्माण	2003-04	1.0
	ऋण/उधार		
21.	विद्युत तंत्र विकास परियोजना III	2005-06	400
22.	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयी जल संभर विकास परियोजना	2005-06	60
23.	तमिलनाडु विकास और गरीबी उपशमन	2005-06	120
24.	तीसरी तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना (टीएनयूडीपी III)	2005-06	300
25.	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	2005-06	325
26.	भारत आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना	2005-06	465
27.	लखनऊ मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	2004-05	620
28.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	2004-05	110.83
29.	असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना	2004-05	154
30.	एसएमई वित्तपोषण और विकास	2004-05	120
31.	उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास ऋण/उधार	2004-05	125
32.	शहरी सड़क परियोजना	2004-05	399.5
33.	मध्य प्रदेश जलसंभर पुनर्संरचना परियोजना	2004-05	394.02
34.	हाइड्रोलॉजी परियोजना, द्वितीय चरण	2004-05	104.98

1	2	3	4
35.	समेकित रोग निगरानी परियोजना	2004-05	68
36.	उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जलसंभर विकास परियोजना	2004-05	69.62
37.	प्रारंभिक शिक्षा परियोजना	2004-05	500
38.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	2004-05	39.5
39.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	2003-04	89
40.	आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम II	2003-04	220
41.	भारत टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना-पूरक	2003-04	83.41
42.	इलाहाबाद बाईपास परियोजना	2003-04	240
43.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई "जलस्वराज्य" परियोजना	2003-04	181
44.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	2003-04	348
45.	खाद्य और दवा क्षमता निर्माण परियोजना	2003-04	54.03
46.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी उपशमन परियोजना	2003-04	112.56

भारत ने 1993 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई सहायता नहीं ली है।

[अनुवाद]

वस्त्रों पर स्टैम्पिंग

2212. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्रों पर स्टैम्पिंग और मार्किंग हेतु मानकों संबंधी सिफारिशें करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति में हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। वस्त्रों पर निशानों की मुहर लगाए जाने की आवश्यकताओं के संबंध में सुझाव देने तथा सिफारिश करने के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा एक समिति गठित की गई है। इस समिति में विनिर्माण क्षेत्र, व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों और खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधि हैं।

(ग) और (घ) इस समिति में विद्युतकरघा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) द्वारा किया जाता है।

(ङ) समिति ने आज तक कोई सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

फोन क्लोनिंग

2213. **श्री रशीद मसूद** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में हाल ही में "गरुड़" और अन्य टैलीफोनों में फोन क्लोनिंग का कोई मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में फोन क्लोनिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। गरुड़ (पोस्ट पेड डब्ल्यूएलएल मोबाइल सेवा) टेलीफोन में क्लोनिंग के दिल्ली में 1166 मामले तथा मुंबई में एक मामला एमटीएनएल के ध्यान में आया है। इसी प्रकार "तरंग" (पोस्ट पेड डब्ल्यूएलएल मोबाइल सेवा) टेलीफोन में क्लोनिंग का एक मामला बीएसएनएल के ध्यान में आया है।

(ख) और (ग) एमटीएनएल, मुंबई में, स्थानीय पुलिस में एक मामला दर्ज कराया गया है। फोन क्लोनिंग को रोकने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:–

- भविष्य में फोन क्लोनिंग को रोकने के लिए सीडीएमए एमएससी में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को एक अतिरिक्त "ए-की" आधारित प्रमाणीकरण फीचर को लागू करके अधिक सुरक्षित बनाया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एमटीएनएल द्वारा इस समय प्राप्त किए जा रहे उपभोक्ता टर्मिनल भी "ए-की" आधारित इस सुरक्षित प्रमाणीकरण फीचर से युक्त होंगे।
- इसके अलावा, सीडीएमए नेटवर्क में पहले से कार्यरत हैंडसेटों को भी "ए-की" से युक्त किया गया है ताकि उन्हें "क्लोनिंग प्रूफ" बनाया जा सके।
- दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) से कोड डिविजन मल्टीप्लैक्स एक्सेस (सीडीएमए) डब्ल्यूएलएल प्रणालियों के विनिर्देशनों में सुरक्षा फीचर शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि भविष्य में फोनों की क्लोनिंग को रोका जा सके।
- नए 400 के. सीडीएमए नेटवर्क में भी "ए-की" आधारित प्रभाणीकरण और ओटीए फीचर शामिल किए गए हैं ताकि उपभोक्ता टर्मिनलों में "ए-की" पर सुरक्षित पारेषण हो सके।
- ऐसे मामलों में जहां उपभोक्ता के हैंडसेट में "ए-की" की सुविधा नहीं है, वहां दुरुपयोग के मामलों को कम करने के लिए एसटीडी/आईएसडी सुविधा को अस्थाई तौर पर वापिस ले लिया गया है।
- पुराने आईएस-5 हैंडसेटों को विशेष छूट योजना के अंतर्गत नए क्लोनिंग प्रूफ IX सीडीएमए हैंडसेटों से बदला गया है।
- पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा कर पुलिस प्राधिकारियों की भी सहायता ली गई है।
- योजना बी (उपभोक्ता का अपना हैंडसेट) को बंद कर दिया गया है।
- अस्थाई रूप से टेलीफोन काटने के लिए असामान्य तौर पर अधिक संख्या में कॉल करने का पता लगाने हेतु, कॉलिंग पैटर्न की पाक्षिक निगरानी करना।

[अनुवाद]

जाली क्रेडिट कार्ड

2214. **श्री मदन लाल शर्मा :**
श्री के.सी. पलनिसामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कई जाली क्रेडिट कार्ड रैकेटों का भंडा फोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्रेडिट कार्ड डीलिंग में फूलप्रूफ प्रणाली प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्ष के दौरान जाली क्रेडिट कार्डों के प्रयोग द्वारा धोखा-धड़ी का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

बैंक का नाम	घटनाओं की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रु. में)
एच.एस.बी.सी. लिमिटेड	27	41.04
स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	7	11.31
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	5	9.36
एच.डी.एफ.सी. बैंक	8	14.07
आईसीआईसीआई बैंक	7	11.26
आंध्रा बैंक	1	19.50

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि आवेदन किए जाने के चरण पर और खोए/चुराए गए, कटे-फटे/हेर-फेर कए गए

क्रेडिट कार्डों के माध्यम से होने वाली धोखा-धड़ी से निपटने के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र स्थापित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.11.2005 को क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में मार्ग निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बैंकों से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अपेक्षाओं को पूरा करने, ग्राहकों के ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने, निबंधन एवं शर्तों का उल्लेख पारदर्शी तरीके से करने, आदि के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पक्के मकान

2215. **श्री अजीत जोगी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को बहु मंजिले भवनों में पक्के मकान उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निवारक उपाय किए हैं कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों द्वारा इन मकानों को अन्य लोगों को न बेचा जाए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने यह सूचित किया है कि उसमें स्लम वासियों के लिए बहु-मंजिले मकानों का निर्माण करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है।

केन्द्र सरकार ने संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके तहखण्ड में स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए बहु-मंजिले मकानों का निर्माण करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए लगभग 16 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की पहचान कर ली गई है जो कि स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए लगभग 3200 ई डब्ल्यू एस उपलब्ध करेगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आगे यह बताया है कि उसने अंतिम स्कीम में मकानों की पुन: बिक्री के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपायों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

वैज्ञानिकों के कार्यकरण की स्थितियां

2216. **श्री रामदास आठवले** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों के कार्यकरण की स्थितियों की समीक्षा करने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी विशेषज्ञ समिति को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विज्ञान में महिलाओं के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज्ञान में महिला प्रैक्टिसनरों के हितों का संरक्षण किया जा रहा है और वैज्ञानिक व्यवसाय को अपनाने हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा उचित उपाय वास्तव में किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

हेल्थ कवर प्रोडक्ट की समीक्षा

2217. **श्री वसुदेव आचार्य** :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 2006 को 'बिजनेस लाइन' में "आई.आर.डी.ए. सीक्स रिव्यू आफ हेल्थ कवर प्रोडक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या विनियामकों द्वारा गठित प्रोडक्ट इन्नोवेशन इन हैल्थ इन्श्योरेंस समिति में केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा संस्तुत इक्विसिव हैल्थ इन्सयूरर हेतु न्यूनतम पूंजी संबंधी मानदंडों को कम करने से इस क्षेत्र में और कंपनियां आकर्षित होंगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न, पणधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए स्वास्थ्य बीमा को प्रोत्साहित करने एवं उसका विकास करने से सम्बद्ध विशेष क्षेत्रों की जांच के लिए स्वास्थ्य बीमा संबंधी एक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल द्वारा नियुक्त एक उप समूह ने सेवा नवोत्पाद के मुद्दे की जांच की है। इस उप-समूह की प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित है:-

- ग्राहकों को विभिन्न मूल्य बिन्दुओं पर बहु स्वास्थ्य बीमा विकल्प दिया जाए।
- कंपनी, आईआरडीए एवं सरकार के सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकताओं के प्रति जागरुकता बढ़ायी जाए।
- स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं की 'बिक्री' की जाए। इस उद्देश्य के लिए बिक्री की आवश्यकता के लिए वैकल्पिक माध्यम की खोज की जाए तथा इसके लिए समर्थ विनियमों की जांच की जाए।
- जीवन बीमा की आधारभूत सुविधाओं के संवितरण को स्वास्थ्य बीमा की बिक्री में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- बचत से जुड़ी सेवाओं (चिकित्सा बचत सेवाओं की तरह) पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह लंबी अवधि देखभाल के वित्तपोषण के लिए एक कारपस बनाने की दिशा में एक कदम होगा।
- ऐसे लोगों के लिए बीमा उपलब्ध कराने के लिए एक सम्मिलित पूल बनाना जो सामान्यतया चिकित्सा बीमा तक नहीं पहुंच पाते।
- एक आम परिभाषा और पहले से स्थित रुग्णता और दशाओं की व्याख्या स्थापित करना।
- जबकि एक ओर बीमा कर्ता को ग्राहक को मूल्य देना चाहिए और बीमा कंपनियों को उनकी सेवाओं के एक भाग के रूप में उपसीमा, स्वयं निगमन, सह-भुगतान और सह-भागीदारी लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक विनियमन होना चाहिए जिसके द्वारा बीमा कंपनियां फर्जी दावे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही शुरू कर सके।

(घ) और (ङ) चूंकि स्वास्थ्य बीमा की बाजार क्षमता बहुत अधिक है, अत: न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को कम करने से इस क्षेत्र में और अधिक कंपनियां आ सकती हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम

2218. **श्री हेमलाल मुर्मू :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कार्यकलापों को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) समय पूर्व सेवानिवृत्ति योजनाओं सहित चल रही कर्मचारी कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम से विशेष खरीद हेतु सरकारी खरीद एजेंसियों को जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन टी सी) के तहत 52 अर्थक्षम मिलों में से इस समय 40 मिलें प्रचालन में हैं। शेष 12 मिलों के अधिकतर कामगारों ने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) का विकल्प चुना है। उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ अर्थक्षम मिलों का आधुनिकीकरण एन टी सी द्वारा खुद ही और अन्य का निजी भागीदारी से किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) कारखाना अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, उपदान अधिनियम आदि के विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के तहत स्वीकार्य सभी कल्याण योजनाएं कामगारों/कर्मचारियों को प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आवास, श्रमिक कल्याण निधि और छात्रवृत्ति आदि जैसी गैर-सांविधिक कल्याण योजनाएं भी एन टी सी कंपनी समूह के तहत विभिन्न मिलों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एन टी सी में 1 जनवरी, 2002 से संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) भी कार्यान्वित की गई है।

(घ) सरकार ने एनटीसी लि. से विशिष्ट खरीद के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों को कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

मैट्रो हेतु वैकल्पिक मार्ग

2219. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय से आई.आई.टी. गेट तक मैट्रो रेल हेतु वैकल्पिक मार्गों की पहचान कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इन मार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मार्गों पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय से आईआईटी गेट के बीच रूट का निर्णय कर लिया गया है। इस खंड में कोई वैकल्पिक रूट चुनने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस रूट में केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, रेस कोर्स, जोर बाग, आईएनए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रीन पार्क और आईआईटी शामिल हैं।

(ग) इस रूट का कार्य शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

बड़े शहरों में अवसंरचनात्मक कमियां

2220. **श्री एन. राजा मोहन रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बड़े शहरों में अवसंरचनात्मक कमियों पर ध्यान देने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है जहां हाल ही की वर्षा के दौरान उनकी ऐसी कमियां उभर कर सामने आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। 63 चुनिंदा शहरों, जिनमें एक मिलियन और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहर शामिल हैं, में अवस्थापना सुविधाओं के एकीकृत विकास पर पूरा ध्यान देने के लिए 3 दिसंबर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I

जे एन एन यू आर एम के विवरण और इसके लक्ष्य

- इस मिशन के दो उप मिशन हैं शहरी अवस्थापना तथा शासन के लिए उप मिशन-I तथा शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं का उप मिशन-II
- मिशन में विभिन्न राज्यों के 63 चुनिन्दा नगरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। (जैसा कि संलग्न अनुबंध में दिया गया है।
- मिशन के तहत शामिल न किए जाने वाले नगरों/कस्बों के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) शुरू की है जबकि शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई एच एस डी पी) नामक स्कीम तैयार की है।
- शहरी विकास मंत्रालय और शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय की निम्नलिखित मौजूदा स्कीमों को जे एन एन यू आर एम में शामिल किया गया है:–

  (i) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास

  (ii) छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास

  (iii) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

  (iv) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष
- केन्द्रीय सहायता का प्रावधान राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल स्तरों पर कुछ अनिवार्य तथा वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन से जुड़ा है।
- सभी अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों का कार्यान्वयन 2005-06 से आरंभ हुई 7 वर्षों की मिशन-अवधि के दौरान पूरा किया जाना है।
- केन्द्रीय सहायता शतप्रतिशत अनुदान के रूप में है, जो अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाएगी।
- शहरों को शहर विकास योजनाएं तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करनी हैं।
- केन्द्रीय अनुदान अथवा वास्तविक जरूरत का 5 प्रतिशत जो भी कम हो, शहरी विकास योजनाएं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने, क्षमता निर्माण, सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) क्रियाकलापों इत्यादि के लिए मुहैया कराया जाता है।
- राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटलों द्वारा केन्द्र सरकार के साथ त्रि-पक्षीय करार ज्ञापन हस्ताक्षर

करना केन्द्रीय धनराशि प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। करार ज्ञापन में राज्य और शहरी स्थानीय निकाय/पैरास्टेटल स्तरों पर सुधारों के कार्यान्वयन में प्रतिबद्धता तथा लक्ष्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

– वित्तपोषण

शहरों की आबादी, भौगोलिक स्थिति तथा शहर की श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित अनुसार धनराशि मुहैया कराई जाती है:–

(i) परियोजनाओं की लागत का 35%/50%/80%/ 90% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा 100% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में किया जाएगा और

(ii) 65% / 50% / 20% / 10% वित्तपोषण राज्य/शहरी स्थानीय निकायों/वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

– धनराशि चार किस्तों में दी जाएगी।

– पहली किस्त करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने तथा शहर विकास योजनाएं/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित होने के बाद दी जाएगी।

– बाद की किस्तें जारी किया जाना सुधार/लक्ष्य प्राप्त करने और परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करेगा।

– मिशन अवधि में केन्द्रीय सहायता के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

1. शहरों में अवसंरचना सेवाओं के समन्वित विकास पर अधिक ध्यान देना।

2. परिसंपत्ति सृजन और परिसंपत्ति प्रबंधन में कारगर सामंजस्य स्थापित करना ताकि शहरों में सृजित अवसंरचना सेवाओं का न केवल कुशलता से रखरखाव हो बल्कि ये सेवाएं समय के साथ-साथ स्वपोषित भी बन सकें।

3. शहरी क्षेत्र में कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का निवेश सुनिश्चित करना।

4. बाहरी-शहरी क्षेत्रों, विस्तार क्षेत्रों और शहरी कारीडोरों सहित चुनिंदा शहरों का नियोजित विकास करना।

5. शहरी गरीबों के लिए नागरिक सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान की सुलभता पर जोर देते हुए इनकी उपलब्धता बढ़ाना।

6. भीड़भाड़ कम करने के लिए शहरी नवीकरण कार्यक्रम अर्थात् अंदरूनी (पुराने नगरीय क्षेत्र का पुनर्विकास, शुरू करना।

अनुबंध

राज्यों के नाम	शहर का नाम	आबादी (लाखों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	57.42
	विजयवाड़ा	10.39
	विशाखापटनम्	13.45
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	0.35
असम	गुवाहाटी	8.19
बिहार	बोध गया	3.94
	पटना	16.98
चंडीगढ़ (यूटी)	चंडीगढ़	8.08
छत्तीसगढ़	रायपुर	7.00
दिल्ली	दिल्ली	128.77
गोवा	पणजी	0.99
गुजरात	अहमदाबाद	45.25
	राजकोट	10.03
	सूरत	28.11
	वडोदरा	14.91
हरियाणा	फरीदाबाद	10.56

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1.45
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	6.12
	श्रीनगर	9.88
झारखण्ड	धनबाद	10.65
	जमशेदपुर	11.04
	रांची	8.63
कर्नाटक	बंगलौर	57.01
	मैसूर	7.99
केरल	कोचीन	13.55
	तिरूवनन्तपुरम	8.90
मध्य प्रदेश	भोपाल	14.58
	इंदौर	16.40
	जबलपुर	10.98
	उज्जैन	4.31
महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	164.34
	नागपुर	21.29
	नांदेड	4.31
	नासिक	11.52
	पुणे	37.60
मणिपुर	इम्फाल	2.50
मेघालय	शिलॉंग	2.68
मिजोरम	एजवाल	2.28
नागालैंड	कोहिमा	0.77
उड़ीसा	भुवनेश्वर	6.56
	पुरी	1.57
पॉडिचेरी	पॉडिचेरी	5.05
पंजाब	अमृतसर	10.03
	लुधियाना	13.98
राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	5.04
	जयपुर	23.27
सिक्किम	गंगटोक	0.29
तमिलनाडु	चेन्नई	65.60
	कोयमबटोर	14.61
	मदुरै	12.03
त्रिपुरा	अगरतला	1.90
उत्तर प्रदेश	आगरा	13.31
	इलाहाबाद	10.42
	कानपुर	27.15
	लखनऊ	22.46
	मथुरा	3.23
	मेरठ	11.61
	वाराणसी	12.04
उत्तरांचल	देहरादून	5.30
	हरिद्वार	2.21
	नैनीताल	2.20
पश्चिम बंगाल	आसनसोल	10.67
	कोलकाता	132.06

[हिन्दी]

रिह्यशी कालोनियों में उद्योगों की अनुमति देना

2221. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रिह्यशी कालोनियों में 119 प्रकार के उद्योगों को चलाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उद्योगों के चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार, मास्टर प्लान-2001 के अनुलग्नक-III(क) में उल्लिखित 118 घरेलू उद्योग रिह्यशी क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित मानदंडों का पालन करते हों:-

(i) श्रमिकों की अधिकतम संख्या - 5

(ii) अधिकतम अनुमेय बिजली भार - 05 किलोवाट

(iii) घरेलू उद्योग श्रेणी में उल्लिखित कोई भी उद्योग निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:-

–	एनोडाइजिंग	–	वार्निशिंग
–	ब्लीचिंग	–	मोल्डिंग कार्य
–	कैनिंग सुविधा	–	धुलाई
–	रंग करना	–	कोयला जलाना
–	इलेक्ट्रोप्लेटिंग	–	सी एफ सी गैसों का प्रयोग

(iv) खतरनाक रसायनों का उत्पादन, संग्रहण तथा आयात नियमावली, 1989 तथा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस अधिनियम 1990 की अनुसूची I तथा/अथवा II के तहत सूचीबद्ध रसायनों का संग्रहण निषिद्ध है।

(v) इकाइयों द्वारा किसी प्रकार का स्राव/धुआं उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ये इकाइयां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि मानदंडों का अनुपालन करेंगी।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार घरेलू उद्योग श्रेणी में आने वाले छोटे उद्योग रिह्यशी क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि वे उच्चाधिकार प्राप्त समिति से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें और दिल्ली मास्टर प्लान मानकों का अनुपालन करें।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

2222. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी बेरोजगार लोगों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की राज्य-वार जनसंख्या कितनी है;

(घ) इस योजना के लिए आवंटित धनराशि में से दिसम्बर, 2005 के अंत तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या राज्यों को इस योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि को गरीबी उपशमन के लिए खर्च किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए दी गई सूचना के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अधीन पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान हुए व्यय (केन्द्रीय तथा राज्य अंश) का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) रोजगार कार्यालयों (शहरी क्षेत्रों में लाइव रजिस्टर) के जरिए रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

योजना आयोग द्वारा 1999-2000 में लगाए गए अनुमान शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2005-06 के लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अधीन 160.00 करोड़ रु. के कुल केन्द्रीय आवंटन में से 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 98.06 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी थी।

(ङ) और (च) इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित धनराशियों का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए किया जाता है।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1.3.2006 तक सूचित विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार (केन्द्र + राज्य अंश) व्यय का विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1137.27	6015.78	149.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	132.68	209.49	41.79
3.	असम	253.94	669.94	415.94
4.	बिहार	575.54	0.00	468.09
5.	छत्तीसगढ़	307.58	73.53	159.08
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	447.39	226.73	377.49
8.	हरियाणा	155.99	580.70	576.87
9.	हिमाचल प्रदेश	34.84	80.22	51.47
10.	जम्मू और कश्मीर	295.41	309.49	326.76
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	1017.10	1676.07	970.30
13.	केरल	451.99	872.75	172.10
14.	मध्य प्रदेश	1250.63	875.43	1455.18
15.	महाराष्ट्र	2493.87	1843.71	2447.52
16.	मणिपुर	151.41	252.50	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	151.47	536.39	174.06
19.	नागालैण्ड	54.00	264.27	146.92
20.	उड़ीसा	398.67	382.65	180.60
21.	पंजाब	81.60	280.58	121.13
22.	राजस्थान	581.81	392.47	353.68
23.	सिक्किम	64.77	73.59	134.81
24.	तमिलनाडु	1001.62	864.10	252.06
25.	त्रिपुरा	55.18	189.76	444.68
26.	उत्तराचंल	122.76	99.56	21.45
27.	उत्तर प्रदेश	1648.18	2576.96	3437.18
28.	पश्चिम बंगाल	763.35	893.53	1114.17
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	77.76	31.97	58.16
30.	चण्डीगढ़	20.75	73.90	49.84
31.	दादरा एवं नगर हवेली	90.87	69.29	7.35

1	2	3	4	5
32.	दमन और दीव	5.34	0.00	0.00
33.	दिल्ली	55.08	26.50	69.82
34.	पांडिचेरी	113.64	197.89	183.45
	कुल	13992.49	20639.75	14361.63

विवरण-II

अगस्त, 2005 की स्थिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में लाइव रजिस्टर

क्र.स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	हजार में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	933.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.6
3.	असम	617.3
4.	बिहार	466.6
5.	छत्तीसगढ़	365.4
6.	दिल्ली	564.4
7.	गोवा	30.9
8.	गुजरात	379.3
9.	हरियाणा	430.0
10.	हिमाचल प्रदेश	117.2
11.	जम्मू और कश्मीर	59.5
12.	झारखण्ड	447.2
13.	कर्नाटक	748.8
14.	केरल	895.7
15.	मध्य प्रदेश	987.7
16.	महाराष्ट्र	1985.4
17.	मणिपुर	153.4
18.	मेघालय	23.4
19.	मिजोरम	28.4
20.	नागालैण्ड	29.8
21.	उड़ीसा	284.6
22.	पंजाब	220.8
23.	राजस्थान	405.1
24.	सिक्किम*	
25.	तमिलनाडु	1883.3
26.	त्रिपुरा	168.9
27.	उत्तरांचल	131.5
28.	उत्तर प्रदेश	955.2
29.	पश्चिम बंगाल	3058.7
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	39.4
2.	चण्डीगढ़	47.6
3.	दादरा एवं नगर हवेली	—
4.	दमन और दीव	7.2
5.	लक्षद्वीप	—
6.	पांडिचेरी	151.1
	कुल	16639.9

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है। राउंडिंग ऑफ के कारण आंकड़े जोड़ में शामिल नहीं होंगे।

विवरण-III

योजना आयोग द्वारा 1999-2000 में लगाये गये अनुमान के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्ति की संख्या

क्र. स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	60.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.18
3.	असम	2.38
4.	बिहार	36.85
5.	छत्तीसगढ़	21.93
6.	गोवा	0.59
7.	गुजरात	28.09
8.	हरियाणा	5.39
9.	हिमाचल प्रदेश	0.29
10.	जम्मू और कश्मीर	0.49
11.	झारखण्ड	12.28
12.	कर्नाटक	44.49
13.	केरल	20.07
14.	मध्य प्रदेश	59.29
15.	महाराष्ट्र	102.87
16.	मणिपुर	0.66
17.	मेघालय	0.34
18.	मिजोरम	0.45
19.	नागालैण्ड	0.28
20.	उड़ीसा	25.40
21.	पंजाब	4.29
22.	राजस्थान	26.78
23.	सिक्किम	0.04
24.	तमिलनाडु	49.97
25.	त्रिपुरा	0.49
26.	उत्तरांचल	5.90
27.	उत्तर प्रदेश	171.98
28.	पश्चिम बंगाल	33.38
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.24
30.	चण्डीगढ़	0.45
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0.03
32.	दमन और दीव	0.05
33.	दिल्ली	11.42
34.	पांडिचेरी	1.77
35.	लक्षद्वीप	0.08
	कुल	670.07

[अनुवाद]

राजस्व भंडार

2223. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक में अपने राजस्व का 20 प्रतिशत भंडार को अतिरिक्त राजस्व के रूप में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सरकार के वित्तीय घाटे और मुद्रास्फीति दर को कम करने में किस प्रकार सहायक होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपकर संग्रहण

2224. श्री सुरेश कुरुप : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए क्षेत्रवार किन-किन उपकरों का संग्रहण किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान कुल कितना उपकर संग्रहित किया गया और प्रत्येक उद्देश्य के लिए संग्रहित किए गए उपकर का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले वर्ष संबंधित कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, प्रत्यक्ष करों पर केवल एक उपकर अर्थात् शिक्षा उपकर है। वर्ष 2005-06 के लिए प्रत्यक्ष करों पर शिक्षा उपकर से संग्रहण संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी वस्तु-वार विभिन्न उपकरों से वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवम्बर) में संग्रहित राजस्व विवरण के रूप में संलग्न।

अन्य मंत्रालयों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

सीमा शुल्क : विभिन्न उपकरों से वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवम्बर) में राजस्व संग्रहण

(रुपए करोड़ों में)

(अनन्तिम)

क्रम सं.	वस्तु	वसूल किया गया राजस्व वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नव.)
1	2	3
1.	कॉफी	0.2
2.	कॉयर	0.8
3.	लाख	0.001
4.	अभ्रक	1.5
5.	तम्बाकू (अन-विनिर्मित)	2.8
6.	ऑयल केक एवं खाना	1.3
7.	समुद्री उत्पाद	11.2
8.	काजू गिरी	1.3
9.	काली मिर्च	0.02
10.	इलाइची (अधिनियम 1965)	0.03
11.	इलायची (ए.पी. उपकर)	0.8
12.	अन्य कृषि संबंधी उत्पाद	26.5
13.	लोह अयस्क	6.6
14.	मैगनीज अयस्क	0.1
15.	क्रोम अयस्क	0.4
16.	पशु चारा	0.3
17.	हल्दी	0.1
18.	पिसी हुई हल्दी	0.1
19.	अन्य मदें	32.6
20.	मोटर स्पिरिट	119.5
21.	तीव्र गति डीज़ल	185.0
22.	शिक्षा उपकर	969.08
	कुल	1360.0

उत्पाद शुल्क : विभिन्न उपकरों से वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नवम्बर) में राजस्व संग्रहण

(रु. करोड़ों में)

(अनन्तिम)

क्र. सं.	वस्तु	वसूल किया गया राजस्व वर्ष 2005-06 (अप्रैल-नव.)
1	2	3
1.	फेब्रिक्स पर हथरकरघा उपकर	0.1
2.	चीनी	157.4
3.	चाय	21.7
4.	बीड़ी	85.9
5.	कागज	12.9
6.	पटसन विनिर्माण	25.3
7.	आटोमोबाइल्स	65.6
8.	स्वदेशी कच्चा तेल	3185.2
9.	औषधीय उत्पाद	0.04
10.	मोटर स्पिरिट	1513.0
11.	तीव्र गति डीज़ल	5814.9
12.	शिक्षा उपकर	1426.1
	कुल (I)	12308.1

[हिन्दी]

ग्रेटर नोएडा के लिए मैट्रो रेल

2225. **श्री पंकज चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर नोएडा को मैट्रो रेल से जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय ग्रेटर नोएडा को दिल्ली मैट्रो से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

झुग्गी बस्तियों द्वारा कब्जाई गई भूमि

2226. **श्री रघुराज सिंह शाक्य** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला औद्योगिक क्षेत्रों के फेज-I और फेज-II में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर बहुत सी झुग्गी बस्तियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इन झुग्गी बस्तियों द्वारा कब्जाई गई भूमि का बाजार मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार इन झुग्गी बस्तियों को कहीं और बसाने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन झुग्गी बस्तियों को कहीं और बसाने के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-I और फेज-II में 34 अभिज्ञात झुग्गी बस्तियां हैं। तथापि, अतिक्रमणाधीन भूमि की बाजार कीमत आंकी नहीं गई है।

(ग) और (घ) डीडीए ने यह भी बताया है कि झुग्गियों के पुनर्स्थापन के लिए मौजूदा पुनर्स्थापन नीति के अनुसार पुनर्स्थापन के लिए प्लाट उपलब्ध होने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।

हार्डवेयर का आयात

2227. **श्री वाल्लभनेनी बालशौरी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 15,750 करोड़ रुपए मूल्य के आई.टी. हार्डवेयर का आयात किए जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयातों के क्या कारण हैं;

(ग) आगामी वर्ष के लिए घरेलू उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) स्वदेशी विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात संबंधी आंकड़ों के अनुसार 6664.97 करोड़ रुपए मूल्य का सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर वर्ष 2004-05 के दौरान आयात किया गया तथा 3722.16 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर अप्रैल से सितम्बर, 2005 के दौरान आयात किया गया। चूंकि माइक्रोप्रोसेसर और भण्डारण युक्तियां जैसे कम्प्यूटर के पुर्जों का देश में विनिर्माण नहीं किया जाता है, अत: इनका आयात करना पड़ता है। वर्ष 2006-07 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपए है। सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के अनुमोदन स्वाचालित मार्ग के अंतर्गत हैं।

2. सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर सहित विनिर्माण उद्योग के विकास को शक्ति प्रदान करने और कायम रखने पर जोर दिया गया है।

3. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपदानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।

4. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माईक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों, डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

5. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% के सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। ईसीपीबी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

6. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यात उन्मुखी इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशी आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाफ बैंक लाभ का 50% ।

8. पुरानी पूंजीगत का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. निर्यातोन्मुखी/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को निर्यात अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2009-10 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

द्वारका में डी.डी.ए. की परियोजनाएं

2228. **श्री रेवती रमन सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई ऐसी

परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत द्वारका में चल रहा कार्य पूरा होने वाला है; और

(ख) आगामी तीन वर्षों में इस क्षेत्र में कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि द्वारका में इस समय चल रही मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

(i) द्वारका में नए अधिगृहीत 24, 25 तथा 26 सेक्टरों में मुख्य सड़कें

(ii) द्वारका में 24, 25 तथा 26 सेक्टरों के लिए नई अधिगृहीत भूमि में पैरीफेरल सीवर लाइनें

(iii) द्वारका के सेक्टर 19 में 440 उच्चतर आय वर्ग (एच आई जी) मकानों का निर्माण

(iv) द्वारका के सेक्टर 11 में 620 निम्न आय वर्ग मकानों का निर्माण

(v) द्वारका के सेक्टर 14 में 760 रिहायशी इकाइयों का निर्माण

(vi) द्वारका के सेक्टर 18 बी में 947 एच आई जी मकानों का निर्माण

(vii) पालम नाले को ढककर डाबरी से मधुविहार तक 45 मीटर सड़क का निर्माण

(viii) कम्पण्ड टैंक नं. 5 का निर्माण

(ix) द्वारका में मैट्रो स्टेशनों के लिए कनेक्टिविटी

(ख) अगले तीन वर्षों में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने की संभावना/प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) द्वारका के 24, 25 तथा 26 सेक्टरों का आन्तरिक विकास

(ii) एकीकृत माल भाड़ा परिसर का निर्माण

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 को राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से जोड़ने के लिए शहरी विस्तार रोड-II का निर्माण

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र तथा द्वारका पर्यावास केन्द्र का विकास।

ग्रामीण विकास क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों का कार्यनिष्पादन

2229. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन अभीष्ठ परिणाम देने में समर्थ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे गैर-सरकारी संगठन कितने हैं और इन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में योजनावार और राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जहां तक कपार्ट का संबंध है, इसकी कार्य पद्धति परियोजना मूलक है। उड़ीसा राज्य, जहां संपूर्ण राशि रिलीज कर दी गई है, में गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं कुल मिलाकर संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित की गई हैं। ऐसी परियोजनाएं, जिनमें पहली किस्त रिलीज कर दी गई है, कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा राज्य में 28 गैर-सरकारी संगठनों की सहायता की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उनको आबंटित की गई योजनावार निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(राशि रु. में)

क्र. स.	गैर-सरकारी संगठनों का नाम एवं पता	योजना	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	हाउस ऑफ इकॉनोमिकल लिबर्टी एंड प्रोस्पेरिटी (हैल्प), प्लॉट सं. 235, (डिस्पले लाइन कैम्पस), शहीद नगर, भुवनेश्वर, जिला-खुर्द, उड़ीसा-751007	पीसी	1,48,935/-	86,885/-	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है

1	2	3	4	5	6
2.	खेरपंगा पैका अखाड़ा, ग्राम खेरपंगा, पीओ-गोपापुर, जिला - कटक, उड़ीसा	पीसी	2,46,949/-	2,46,949/-	1,25,729/-
3.	माईटी क्लब, ग्राम उत्तरपारा, पोओ - रेला, जेलेसवार, जिला - बालासोर	पीसी	1,91,062/-	1,11,062/-	1,11,062/-
4.	नेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट (एनएआरडी) ग्राम/पीओ - अटगांव, वाया राजेन्द्र कॉलेज, ब्लॉक पुईनतला, जिला - बालागिर, उड़ीसा	पीसी	3,74,488/-	1,86,112/-	1,86,112/-
5.	सोशियो एफॉरस्टेशन रूरल एग्रीकल्चर एंड डिविनिटी एसोसिएशन, ग्राम - मुबारकपुर, पोओ/ब्लॉक - भंडारी पोखारी, जिला - भदरक, उड़ीसा	पीसी	73,994/-	73,994/-	39,675/-
6.	सेंटर फॉर ह्यूमन एक्शन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट ग्राम/पीओ - खाजुरिपाड़ा, जिला - खंडामल, उड़ीसा - 762012	पीसी	3,87,900/-	3,87,900/-	2,19,800/-
7.	जनमंगल क्लब ग्राम - बेलाजितपुर, पीओ - तिपुरी, जिला - पुरी, उड़ीसा	पीसी	1,83,314/-	91,400/-	उपयोगिता प्रमाण- पत्र प्रतीक्षित है
8.	सेल्फ इमपलाईड वर्कर्स एसोसिएशन केन्द्र, ग्राम - रंगियामुंडा, पोओ - गढ़ मुह्यलपाली, थाना - सदर, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा	पीसी	4,85,755/-	3,49,000/-	3,49,000/-
9.	स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब, ग्राम - मैकामुंडा, पोओ - श्रीरामपुर रोड़, थाना - बलियापाल, जिला - बालासोर, उड़ीसा	पीसी	3,66,507/-	3,66,507/-	1,75,389/-
10.	पालीर समरूधी ग्राम - गुड्डीपाली, पीओ - कानाभंगा, वाया - तानारदा, ब्लॉक - भजन नगर, जिला - गंजम	पीसी	3,53,319/-	3,53,319/-	1,58,135/-
11.	सेंटर फॉर इंटिग्रेटिड सोशल डेवलपमेंट (सीआईएसडी) ग्राम - रासासिंह, पीओ - बेलापाड़ा, गडसिला, ब्लॉक - ऊडापाड़ा, जिला - धेनकनाल, उड़ीसा	ओबी	45,450/-	41,450/-	41,450/-
12.	आइडल डेवलपमेंट एजेंसी, ग्राम - बोनाजोडी, पोओ - पदमापुर, क्योंझर जिला - उड़ीसा	आर्टस	11,08,625/-	5,11,000/-	5,11,000/-
13.	नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, ग्राम - संथासारा, पोओ - संथापुर, वाया - गोंडिया, जिला - धेनकनाल	पीसी	5,99,024/-	2,99,414/-	2,99,414/-

1	2	3	4	5	6
14.	आर्ग्रेनाईजेशन फॉर रूरल रिकसट्रक्शन एंड इंटिग्रेटिट सोसायटी सर्विस एक्टीविटिज प्लॉट नं. 11, बापूजी नगर, भुवनेश्वर, जिला - खुर्द	पीसी	4,53,713/-	2,26,810/-	2,26,810/-
15.	संबंध 56, बसंत विहार, ब्रह्मेश्वर पटना, टंकापानी रोड़ भुवनेश्वर-751 002, जिला खुर्द, उड़ीसा	पीसी	7,69,098/-	3,83,880/-	3,83,880/-
16.	वूमेन आर्ग्रेनाईजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, ग्राम - खजुरिया, पोओ - अकुल, वाया - श्रीगिदा, जिला क्योंझर	पीसी	2,63,494/-	2,63,494/-	1,50,918/-
17.	अग्रगामी ग्राम/पीओ - काशीपुर, जिला रायगढ़	ओबी	1,50,000/-	1,20,000/-	1,20,000/-
18.	ग्राम विकास, पीओ - मोहूदा, वाया - बेहरमपुर, जिला - गंजम, उड़ीसा	ओबी	1,50,000/-	0	0
19.	के.एन. मैमोरियल फॉउंडेशन ट्रस्ट होटल, केशरी कॉम्प्लेक्स, 113, स्टेशन स्कवायर, भुवनेश्वर, जिला - खुर्द	ओबी	2,50,000/-	2,50,000/-	2,50,000/-
20.	कालिंगा हरिजन आदिवासी वार्लेट्री आर्ग्रेनाईजेशन ग्रामी/पीओ - मंगलपुर, वाया/ब्लॉक - सुकिंदा, जिला - जजपुर, उड़ीसा	पीसी	3,14,190/-	1,57,095/-	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है
21.	एशियन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल रिजेनरेशन, ग्राम-कालामिश्री, पीओ - लेन्डुरा, जिला - कटक, उड़ीसा	पीसी	2,82,000/-	1,36,400/-	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है
22.	सेंटर फॉर एजुकेशन इम्पावरमेंट एंड रिहैबिलीटेशन एक्शन, एमआईजी - 72, राजीव नगर, एंजिनिया स्कवायर, भुवनेश्वर, जिला खुर्द - 751019	पीसी	1,49,825/-	76,741/-	76,741/-
23	शक्तिरूप संगठन, ग्राम - गाडीमुल, बदामुडिलो, मुंडाशाही जिला - जगतसिंहपुर	पीसी	1,54,205/-	77,000/-	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है
24.	इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर दी वेलफेयर ऑफ ट्राईबल्स (आईएनटीडब्ल्यूओटी) हाऊस नं. 230, पाकेट सी - 7, सेक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	आर्टस	3,63,200/-	1,82,600/-	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है
25.	उड़ीसा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसायटी, पंचायती राज डिपार्टमेंट, सेक्ट्रियेट, भुवनेश्वर, उड़ीसा	ओबी	4,00,000/-	4,00,000/-	4,00,000/-
26.	अग्रगामी ग्राम/पीओ - काशीपुर, ब्लॉक - काशीपुर, जिला रायगढ़	डब्ल्यू एसडी	100000	100000	उपयोगिता प्रमाण

1	2	3	4	5	6
27.	अग्रगामी ग्राम/पीओ - काशीपुर, ब्लॉक - काशीपुर, जिला रायगढ़	डब्ल्यू एसडी	400000	400000	उपयोगिता प्रमाण
28.	इंडियन मैनेजमेंट एंड टैक्नीकल सोसायटी, मधुकुन्ज, तृतीय तल, 116 स्टेशन स्कवायर, भुवनेश्वर, खुर्द	पीसी	2953000	1370300	उपयोगिता प्रमाण
29.	नारीचेतना महिला इंस्टीट्यूट (नामी) ग्राम-एम/1, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, पीओ/जिला-धेनकनाल, ब्लाक-सदर, उड़ीसा	आईआरएच	1887715	943857	उपयोगिता प्रमाण
30.	विकास डी-2/7, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसुलगढ़, भुवनेश्वर, उड़ीसा	आर्टस	532125	271000	उपयोगिता प्रमाण

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

2230. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2006 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा;

(ख) महंगाई भत्ते को जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डी.ए.)/महंगाई राहत (डी.आर.) वर्ष में दो बार, 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से संशोधित किया जाता है तथा यह आमतौर पर क्रमशः मार्च तथा सितम्बर माह के वेतन के साथ देय होता है। डी.ए./डी.आर. के संशोधन की अधिसूचना यथा-समय जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

निर्यात में अनुचित लाभ

2231. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसचूना निदेशालय द्वारा निर्यात में अनुचित लाभ प्राप्त करने वाली कंपनियों/व्यक्तियों के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कितने व्यक्तियों/कितनी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुचित निर्यात लाभ लेने वाले व्यक्तियों/कंपनियों के मामले में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

वर्ष	ऐसे व्यक्तियों/ कंपनियों की संख्या जिनके विरुद्ध निर्यात में अनुचित लाभ लेने के लिए कार्रवाई की गई	की गई कार्रवाई
1	2	3
2003-04	132	कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 12 व्यक्तियों को कोफेपोसा अधिनियम, 1975 के अंतर्गत हवालात में रोका गया।
2004-05	79	कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार

1	2	3
		किया गया जिनमें से 5 व्यक्तियों को कोफेपोसा अधिनियम, 1975 के अंतर्गत हवालात में रोका गया।
2005-06 (फरवरी, 06 तक	91	33 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 3 व्यक्तियों को कोफेपोसा अधिनियम, 1975 के अंतर्गत हवालात में रोका गया।

[अनुवाद]

गुजरात में मोबाइल फोन टावरों की स्थापना

2232. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दूरसंचार सुविधाओं और सेल्यूलर टेलीफोन सुविधाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए स्थापित किए गए अनेक टावर अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितने टावरों का उपयोग किए जाने का विचार है और इनसे कितनी जनसंख्या को कवर किए जाने की संभावना है; और

(ग) गुजरात राज्य में ऐसे स्थानों पर जहां नई नीति के अंतर्गत लैंडलाइन टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है, एम.सी.पी.पी. के माध्यम से टेलीफोन सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में अतिरिक्त मांगों को पूरा करने तथा बीएसएनएल की सेल्यूलर सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मोबाइल बेस स्टेशनों (टॉवरों) की आवश्यकता है। तदनुसार, बीएसएनएल अपने नेटवर्क में लगभग 1000 बेस स्टेशनों (टॉवरों) की वृद्धि करने की प्रक्रिया में है, जिससे राज्य में मोबाइल सेवाओं की सुविधा से युक्त जनाधार बढ़कर लगभग 4 करोड़ हो जाएगा।

(ग) "मल्टी चैनल पर कैरियर (एमसीपीसी)" प्रणाली, अंतिम प्रयोक्ताओं (एंड यूजर्स) को टेलीफोन प्रदान करने हेतु नहीं बल्कि सेटलाइट के माध्यम से लंबी दूरी जंक्शन प्रदान करने के लिए लगाई गई है। बीएसएनएल का राज्य हेतु एमसीपीसी प्रणाली की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पायलट कार्यक्रम

2233. श्री थाडिगा रामकृष्णा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2005-07 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पायलट कार्यक्रम शुरू करने हेतु अंतर-मंत्रालयीय समूह की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस कार्यक्रम को आरम्भ करने हेतु प्रथम और द्वितीय चरण में राज्यवार किन-किन जिलों का चयन किया गया है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए इस कार्यक्रम हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) अंतर-मंत्रालयी समूह ने यह सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को विपणन कौशल में निपुण बनाने के लिए एक मांग-जनित कौशल विकास कार्यक्रम बनाया जाए ताकि उन्हें संगठित प्रतिष्ठानों में नौकरी प्राप्त हो सके अथवा लघु उद्यम के माध्यम से वे स्वायी स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों के पश्चात् सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत कौशल विकास के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। प्रायोगिक योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और राज्यों को भेज दिए गए हैं।

योजना के प्रायोगिक चरण के दौरान, 100 जिलों में प्रतिवर्ष 1000-2000 ग्रामीण युवाओं को कवर करने का प्रस्ताव है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं का वित्तपोषण एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना के रूप में सहायता की उसी पद्धति (75:25) के अनुसार एसजीएसवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यथावश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ अलग से वर्ष-वार अथवा राज्य-वार कोई निधि आबंटित नहीं की जाती। अब तक ऐसी कोई प्रायोगिक परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों की दरें

2234. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित कतिपय राज्यों ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बेचे जाने वाले/वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की दरें गरीबी रेखा के खाद्यान्नों से कम दर पर निर्धारित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी हां। ऐसा अनुरोध महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ है। ऐसा अनुरोध किसी अन्य राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्यान्नों की दर बी.पी.एल. दर से कम नहीं हो सकती।

वस्त्र क्षेत्र के लिए विधान

2235. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र क्षेत्र के विनियमन के लिए एक विधान पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये विधान से घरेलू वस्त्र उद्योग तथा उपभोक्ता हितों का किस सीमा तक संरक्षण होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति

2236. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा घोषित की गई राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा कौन-कौन से कार्य शुरू किए गए हैं एवं इनसे क्या लाभ होंगे;

(ख) क्या इस नीति के अंतर्गत कोई कार्य आरंभ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के प्रारूप का उद्देश्य एकीकृत भूमि उपयोग तथा परिवहन योजना और यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन एवं मोटर रहित वाहनों के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें पार्किंग के लिए जगह को बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन की समन्वित आयोजना एवं प्रबंधन की सिफारिश भी की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल

2237. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के शहरों के लिए परिवहन के अन्य कौन से साधनों की योजना बनाई गई है; और

(घ) देश की विस्फोटक होती हुई जनसंख्या के लिए शहरों में परिवहन के इन साधनों से परिवहन कीर समस्या के किस सीमा तक कम होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों ने, बंगलौर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद तथा कोच्ची में रेल आधारित द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उत्तरप्रदेश तथा हरियाणा की सरकारों ने भी दिल्ली मेट्रो का क्रमशः नोएडा तथा गुड़गांव तक विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) विभिन्न नगरों में अनेक सार्वजनिक परिवहन प्रौद्योगिकियां अपनाई जा सकती हैं जिनमें बस द्रुतगामी परिवहन प्रणालियां, स्काई बस, मोनो रेल, विद्युत ट्राली बस, लाइट रेल आदि शामिल हैं। तथापि, शहरी परिवहन राज्यों का विषय है। प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्णय संबंधित राज्य सरकारों को मांग, नगर के आकार, उपलब्ध वित्त आदि जैसे कारकों के आधार पर लेना होता है।

(घ) चूंकि, निजी मोटरवाहनों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन कम जगह घेरता है तथा प्रति किलोमीटर प्रति यात्री यूनिट कम प्रदूषण फैलता है, इसलिए नगर में यातायात की भीड़भाड़ तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उन्नत सार्वजनिक परिवहन की सिफारिश की जाती है।

विवरण

राज्य का नाम	निम्नलिखित में मेट्रो रेल प्रणाली शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव के ब्यौरे
1	2
कर्नाटक	**बंगलौर** : 2 कॉरीडोरों में कुल दूरी - 33 किलोमीटर (अनुमानित वर्तमान लागत 5453 करोड़ रुपये) पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर - 18.1 किलोमीटर: बेयापनाहल्ली से मैसूर रोड उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर - 14.9 किलोमीटर: यशवन्तपुर से आर.वी. रोड, जयानगर
आंध्र प्रदेश	**हैदराबाद** : दो कॉरीडोरों में कुल दूरी 38.05 किमी. (अनुमानित पूर्णता लागत 4206 करोड़ रुपये) मियापुर, चैतन्यपुरी (25.57 किलोमीटर) तथा सिकंदराबाद-फलकनुमा (12.48 किमी.)
महाराष्ट्र	**मुंबई** : 1488 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरीडोर में कुल दूरी - 15 किलोमीटर
गुजरात	**अहमदाबाद** : 2 कॉरीडोरों में कुल दूरी (पूरी एलीवेटिड) - 43.55 किलोमीटर (4305 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर) (क) उत्तर-दक्षिण (अक्षरधाम - ए.पी.एम.सी. वसना वाया मोटेरा, आश्रम रोड) - 32.65 किलोमीटर
1	2
	(ख) पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर (अहमदाबाद-थालतेज वाया दिल्ली दरवाज़ा) - 10.9 किलोमीटर
केरल	**कोच्ची** : 1966 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अलवाय से पेट्टा (तिरुपुनितुरा) तक की कुल दूरी 25.3 किलोमीटर
दिल्ली	**दिल्ली** : 8118 करोड़ रुपये की अनुमानित पूर्णता लागत से 6 कॉरीडोरों में कुल 53.0 किलोमीटर की कुल दूरी वाला दिल्ली मैट्रो का चरण-II
हरियाणा	**गुड़गांव** : 573 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दिल्ली मैट्रो का गुड़गांव तक विस्तार (कुतुबमीनार से सुशांतलोक)

[हिन्दी]

सरकारी मुद्रणालय

2238. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी मुद्रणालयों की संख्या कितनी है तथा वर्तमान में वास्तव में कितने सरकारी मुद्रणालय कार्यशील हैं;

(ख) क्या सरकार ने घाटे में चलने वाले कुछ मुद्रणालयों को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) वर्तमान में मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय के अधीन 13 भारत सरकार प्रेस तथा 3 भारत सरकार पाठ्यपुस्तक प्रेस हैं।

(ख) जी, नहीं। ये प्रेस गैर-लाभ-हानि आधार पर कार्य कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में मोबाइल सेवा

2239. **श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में तहसील स्तर पर सभी जिलों में मोबाइल सुविधा उपलब्ध करा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषकर विदर्भ में नक्सल प्रभावित इलाकों में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत संचार निगम लि. और महानगर टेलीफोन निगम लि. ने मुंबई सहित महाराष्ट्र के सभी 33 जिलों तथा सभी 350 तहसीलों में सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं प्रदान कर दी हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत संचार निगम लि. नक्सल प्रभावित जिलों अर्थात् नांदेड़, चन्द्रपुर, गडचिरौली तथा विदर्भ के भण्डारा जिले सहित महाराष्ट्र और गोवा में अपने सेल्यूलर नेटवर्क में 13.5 लाख लाइनों की वृद्धि करने संबंधी कार्रवाई कर रहा है। इस नेटवर्क विस्तार-कार्य को मौजूदा वर्ष के दौरान उत्तरोत्तर रूप से कार्यान्वित करने की योजना है।

[अनुवाद]

अवैध निर्माण गिराए जाने संबंधी समिति

2240. **श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवैध निर्माण गिराए जाने संबंधी कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं एवं इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) इसकी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने दिल्ली के विभिन्न भागों में अनधिकृत निर्माणों तथा परिसरों के दुरुपयोग के मामले में शामिल मुद्दों तथा समस्या की गंभीरता का आकलन करने तथा इससे निबटने के लिए एक व्यापक कार्य नीति का सुझाव देने के लिए दिल्ली के पूर्व उप-राज्यपाल श्री तेजेन्द्र खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति के लिए विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:–

(i) अनधिकृत निर्माणों तथा परिसरों के दुरुपयोग की समस्या की गंभीरता का आकलन करना;

(ii) विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों का आकलन करना तथा इन उल्लंघनों की प्रकृति तथा विस्तार के अनुसार उन्हें मोटे तौर पर श्रेणियों में वर्गीकृत करना;

(iii) उन कारणों का पता लगाना जिनसे ये उल्लंघन हुए हैं;

(iv) उपर्युक्त के आलोक में इस मामले में शामिल विभिन्न मुद्दों से निबटने के लिए एक व्यवहार्य कार्य नीति सुझाना;

(v) दिल्ली के लाल डोरा तथा विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को विनियमित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों तथा विकास नियंत्रण मानकों की सिफारिश करना;

(vi) भविष्य में ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करना जिसमें प्रवर्तन तंत्र की संरचना तथा जवाबदेही शामिल हैं; और

(vii) उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित किसी अन्य प्रासंगिक या सम्बद्ध मुद्दे पर विचार करना।

समिति से अपनी सिफारिशें तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

रेशम प्रौद्योगिकी मिशन

2241. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन की तर्ज पर रेशम प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार परियोजनाओं के लिए उद्यमियों को कोई राजसहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो रेशम का घरेलू उत्पादन बढ़ाने तथा आयातों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (ग) केंद्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न राज्य सरकारों और उद्योग के भागीदारों के साथ परामर्श कर भारतीय रेशम के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के वास्ते एक दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में है। यह दस्तावेज आरंभिक चरणों में है और इस पर काफी कार्य तथा परामर्श अभी किया जाना है।

(घ) रेशम के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाएं इस प्रकार हैं:–

1. 10वीं योजना अवधि के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत रेशम उत्पादक कृषकों/रीलरों को गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 181.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है;

2. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से सहायता लेकर नई द्विफसलीय प्रजातियां विकसित की है। इन प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग से देश में द्विफसलीय शहतूती अपरिष्कृत रेशम के अंतर्राष्ट्रीय मानक के आयात प्रतिस्थापन ग्रेड का उत्पादन हुआ है;

3. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अपने आरएंडडी प्रयासों से द्विफसलीय रेशम कीटों के उष्णकटीबंध में जानकारी प्राप्त की है और उच्च पैदावार वाले शहतूती पौधों की नई किस्में विकसित की हैं जिनके परिणामस्वरूप रेशम उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है;

4. केंद्रीय रेशम बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड के गुणवत्ता वाले द्विफसलीय रेशम का व्यापक स्तरीय उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत बहुउद्देश्यी रीलिंग एकक विकसित किए हैं। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के माध्यम से इन उन्नत मशीनों को पूरे देश में महत्वपूर्ण रीलिंग समूहों में रीलरों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है और ये मशीनें केंद्रीय रेशम बोर्ड के केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित रीलिंग पैकेज का प्रयोग कर अच्छे ग्रेड की गुणवत्ता वाली अपरिष्कृत रेशक का उत्पादन कर रही है;

5. मोटरीकृत रेशम रीलिंग/कताई मशीनों को शामिल किए जाने और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना से गैर-शहतूती क्षेत्र में यार्न और फैब्रिक्स की गुणवत्ता में भी काफी सुधार आया है। सीएसबी ने गैर-शहतूती क्षेत्र में नए डिजायन विकसित किए हैं और उन्हें ''वन्य रेशम'' ब्रांड के अधीन लोकप्रिय बनाया जा रहा है;

6. रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए रेशम उत्पादन विकास के वास्ते क्षेत्र विशिष्ट संभावनाओं का उपयोग करने के लिए विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित विशिष्ट सहयोगात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:–

- बिहार तथा झारखंड में तसर एवं एरी के लिए विशेष स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई);
- आंध्र प्रदेश में एरी उत्पादन का विकास;
- तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल में ऐरी उत्पादन के विकास के लिए प्रमुख परियोजना;
- पंजाब और उत्तर प्रदेश में एरी उत्पादन की शुरूआत के लिए माइक्रो परियोजना;
- मिजोरम में शहतूती रेशम उत्पादन के विकास के लिए विशेष एसजीएसवाई परियोजना;
- उत्तरांचल और मणिपुर में ओक तसर के विकास के लिए परियोजना;
- जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) की सहायता से मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना तथा छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन परियोजना;
- असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मुगा रेशम के विकास के लिए विशेष एसजीएसवाई परियोजना;
- असम के बोडोलैंड क्षेत्र में मुगा एवं ऐरी रेशम के विकास के लिए परियोजना; और
- बिहार, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में रेशम उत्पादन के विकास के लिए समूह विकास परियोजना।

अधिग्रहीत भूमि पर वास्तविक रूप से कब्जा

2242. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री अधिग्रहीत

भूमि पर वास्तविक रूप से कब्जे के बारे में 19 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) दिनांक 19.4.2005 के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3800 से संबंधित अपेक्षित सूचना अभी संबंधित एजेंसी से प्रतीक्षित है। मामले को उनके साथ उठाया गया है।

शहरी क्षेत्रों का विकास

2243. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी क्षेत्रों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उचित विकास करने के लिए आवश्यक संसाधनों का मूल्यांकन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संसाधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा किन स्रोतों की पहचान की गई है तथा प्रत्येक स्रोत से कितने संसाधन जुटाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपार्ट द्वारा प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र

2244. प्रो. एम. रामदास : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के काम आने वाली नवीन ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन में कपार्ट ने क्या प्रगति की है;

(ख) क्या कपार्ट ने गहन अध्ययन प्रक्रिया के जरिए विज्ञान विभाग द्वारा विकसित 879 परियोजनाओं में से केवल 26 परियोजनाएं ही स्वीकार की हैं;

(ग) यदि हां, तो सभी परियोजनाओं को स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि को देश में कार्यरत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ङ) देश के प्रत्येक जिले में प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) ग्रामीण लोगों, विशेषकर समाज के उपेक्षित वर्ग के लाभ के लिए अभिनव ग्रामीण प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोन्नत करता है तथा सहायता देता है। कपार्ट ने अपने आविर्भाव से लेकर 28.02.2006 तक 114.75 करोड़ रु. की राशि से 2420 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निम्नलिखित राज्यों में तेइस (23) प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र (टीआरसी) कार्य कर रहे हैं:–

क्र.स.	राज्य	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	02
2.	झारखंड	02
3.	गुजरात	01
4.	हिमाचल प्रदेश	02
5.	कर्नाटक	01
6.	केरल	02
7.	महाराष्ट्र	03
8.	मध्य प्रदेश	01
9.	राजस्थान	01
10.	तमिलनाडु	05

1	2	3
11.	त्रिपुरा	01
12.	उत्तरांचल	01
13.	पश्चिम बंगाल	01

(ङ) कपार्ट के अधिदेश में पात्र तथा उपयुक्त तकनीकी क्षमता उत्पादक गैर-सरकारी संगठनों की पहचान शामिल है ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्रों की संख्या को बढ़ाया जा सके। प्रत्येक जिले में चुने गए गैर-सरकारी संगठनों की तकनीकी दक्षता के विकास के साथ विनिर्दिष्ट समय-सीमा का उल्लेख करना आवश्यक है।

छात्रों द्वारा अनुसंधान

2245. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों एवं युवाओं में विज्ञान, अनुसंधान तथा आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान युवाओं तथा छात्रों को वर्ष-वार क्या प्रोत्साहन दिये गए?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन का विकास एवं पोषण को सरकार की कार्यसूची में सर्वोच्च स्थान दिया जाता रहा है। सरकार ने छात्रों एवं युवकों के बीच विज्ञान, अनुसंधान और नवोन्मेषी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमें चलाई हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:–

- रामानुजन फैलोशिप – युवा वैज्ञानिकों सहित सम्पूर्ण विश्व के प्रतिभावान वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए (फैलोशिप 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रतिमाह तक है);
- जे.सी. बोस फैलोशिप – ऐसे सक्रिय वैज्ञानिकों को महत्व देने के लिए जिनका पिछला रिकार्ड उत्कृष्ट हो (फैलोशिप 20,000 रुपये प्रतिमाह);
- रमन्ना फैलोशिप – इसका उद्देश्य उत्कृष्ट परियोजना अन्वेषकों को निरन्तर आधार पर सहायता प्रदान करना है (फैलोशिप 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रतिमाह तक);
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी फैलोशिप – प्रतिभावान स्नातकोत्तर छात्र इसके लक्ष्य हैं (फैलोशिप 12,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये प्रतिमाह तक);
- प्रतिस्पर्धा के सर्वोच्च मानकों की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए नवोन्मेषियों हेतु सीएसआईआर हीरक जयंती प्रौद्योगिकी पुरस्कार (फैलोशिप 7,500 रुपये प्रतिमाह);
- स्वर्ण जयंती फैलोशिप – उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए प्राथमिक विज्ञानों हेतुर (सेवा में नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए फैलोशिप 25,000 रुपये);
- महिला वैज्ञानिक स्कीम – महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान की मुख्य धारा में लाने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु (फैलोशिप 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रतिमाह तक);
- कैरियर विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी पोस्ट डाक्टरल फैलोशिप जैव विज्ञान पुरस्कार (1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार);
- युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक स्कीम - रोजगारशुदा या बेरोजगार युवा वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए (बेरोजगार वैज्ञानिकों के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह की फैलोशिप);
- किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) – अनुसंधान की मानसिकता वाले स्कूल और कालेज स्तर के युवा विज्ञान छात्रों के लिए यह योजना है जो विज्ञान, इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान में अनुसंधान कैरिअर अपनाने के लिए उचित छात्रवृत्तियों और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यमर से यह उन्हें प्रेरित करती है (फैलोशिप 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रतिमाह तक);
- कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप – इसके लक्ष्य हैं डाक्टरल पूर्व अनुसंधान छात्र (फैलोशिप 8,000 रुपये से 9,000 रुपये प्रतिमाह); और
- सीएसआईआर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार (प्रशस्ति पत्र, प्लेक और पुरस्कार धनराशि के रूप में 50,000 रुपये) आदि।

विज्ञान, नवोन्मेष, अनुसंधान तथा विकास के संवर्धन के लिए युवा वैज्ञानिकों तथा छात्रों को वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमश: 43 करोड़ रुपये, 52 करोड़ रुपये और 53 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि स्वीकृत की गई है जिसमें उपर्युक्त प्रोत्साहन शामिल हैं। इन सभी स्कीमों का उद्देश्य छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना है।

इन्टरकनैक्ट यूजर चार्जेज

2246. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**
डा. राजेश मिश्रा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी टेलीफोन आपरेटरों ने फिक्सड वायरलैस टेलीफोन सेवाओं के विवाद पर भारत संचार निगम को लेवी के रूप में भारी धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये धनराशि प्रभारित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ ऑपरेटरों ने भूतलक्षी तिथि से लेवी जमा करने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने निजी टेलीफोन प्रचालकों नामश: मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि. (टीटीएल), मै. टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि., (टी.टी.एम.एल.) और मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. (आरआईएल) से फिक्सड/वायरलाइन सेवा नेटवर्क से की जाने वाली कॉल परियात के लिए आशयित पोटों पर वायरलैस इन लोकल लूप (सीमित मोबिलिटी) सेवा नेटवर्क से बीएसएनएल को कॉलों का गलत परियात करने के लिए इन्टरकनैक्ट करार की शर्तों के अनुसार अभिगम घाटा प्रभार सहित इन्टरकनेक्ट उपयोग प्रभार (आईयूसी) का भुगतान करने के लिए कहा था। भारत संचार निगम लि. ने टीटीएमएल सहित मै. टाटा टेलीसर्विसेज को लगभग 207.6 करोड़ रुपये और मै. आरआईएल को 183.6 करोड़ रुपये का अनुपूरक बिल भेजा। इन प्रचालकों ने बीएसएनएल के दावे का विरोध किया है।

(ग) मै. टीटीएल, मै. टीटीएमएल और मै. आरआईएल ने माननीय दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में बीएसएनएल की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अधिकरण ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने माननीय दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण के निर्णय को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायनिर्णयाधीन है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार मै. टाटा टेलीसर्विसेज लि. और मै टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लि. प्रत्येक ने बीएसएनएल को 10-10 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6 फरवरी, 2006 के अंतरिम आदेश के अनुसार, मै. रिलायंस इन्फोकॉम लि. ने भारत संचार निगम लि. को आदेश के चार सप्ताह की अवधि के भीतर 40 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(घ) आईयूसी की मांग, प्रचालकों के बीच हुए इन्टरकनेक्ट करार के अनुसार जारी की जाती है और विवाद का न्यायनिर्णयन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग इकाइयों को ऋण

2247. **श्री अशोक कुमार रावत :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल पटले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारी बैंकों से लघु उद्योग इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को "लघु उपक्रम वित्तपोषण केन्द्र योजना" में भाग लेने की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ देश में पहचान किए गए लघु उद्योग क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी औद्योगिक इकाइयों को दिए जाने वाले ऋण की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9.1.2006 को लघु उद्यम वित्तपोषण केन्द्र (एसईएफसी) योजना शहरी सहकारी बैंकों में भी लागू कर दी है।

(घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की शाखाओं द्वारा शामिल किए गए लघु उद्योग समूहों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) सभी अत्यन्त लघु एकक चाहे ऋण की मात्रा कुछ भी हो और नए छोटे तथा मझौले उद्यम (एसएमई) एकक (सेवा क्षेत्र एककों सहित) एसईएफसी योजना के अंतर्गत विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन/विपणन/निर्यात के लिए विद्यमान एककों और उन एककों से प्राप्त सभी प्रस्ताव भी पात्र हैं जिनका बैंकों से संयोजन नहीं है या जिनके पास सीमित बैंक संयोजन सुविधा है। लघु उद्योग एककों की सावधि ऋण अपेक्षाओं के सह-वित्तपोषण या विशेष वित्तपोषण के मामले को एसईएफसी बैंक शाखाओं के साथ उठायेगा।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	लघु उद्योग समूहों की संख्या	उत्पाद
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	सीलिंग फैन, इलैक्ट्रोनिक सामान, फर्मास्युटिकल्स, थोक औषधियां, हैंड-पम्प सेट और फाऊंड्री।
2.	बिहार	1	पीतल और जर्मन बर्तन।
3.	दिल्ली	19	स्टेनलेसस्टील के बर्तन एवं कटलरी, रसायन, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग उपस्कर, इलैक्ट्रोनिक सामान, खाद्य उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग मेटेरियल, कागज उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, वायर ड्राईंग, मेटल फेबरीकेशन, फर्नीचर, इलैक्ट्रो प्लेटिंग, ऑटो पार्ट्स, हौजरी, रेडीमेड गारमेंट्स, सेनीटरी फिटिंग्स।
4.	गुजरात	24	फर्मास्युटिकल्स, डाई और इंटरमीडियट्स,र मोल्डेड प्लास्टिक उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स, डायमंड प्रोसेसिंग, मशीन टूल्स, कास्टिंग एंड फोरजिंग, स्टील के बर्तन, लकड़ी के उत्पाद और फर्नीचर, पेपर उत्पाद, लेदर फुटवीयर; वाशिंग पाउडर और साबुन, मार्बल स्लैब्स, विद्युत चालित पम्प, इलैक्ट्रोनिक सामान, पावर लूम, ऑटो पार्ट्स थोक औषधि, डायमंड प्रोसेसिंग, पावर लूम, लकड़ी उत्पाद और फर्नीचर, टेक्सटाइल्स मशीनरी, फर्मास्युटिकल्स-थोक औषधि, प्लास्टिक प्रोसेसिंग और लकड़ी उत्पाद एवं फर्नीचर।
5.	गोवा	1	फर्मास्युटिकल्स।
6.	हरियाणा	8	ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग समूहों, स्टोन क्रशिंग, इलैक्ट्रोनिक सामान, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग उपस्कर, रेडीमेड गारमेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर।
7.	हिमाचल प्रदेश	1	इंजीनियरिंग उपस्कर।
8.	जम्मू और कश्मीर	3	स्टील रिरोलिंग, ऑयल मिल्स, राइस मिल्स।

1	2	3	4
9.	झारखंड	1	इंजीनियरिंग और फेबरीकेशन।
10.	कर्नाटक	6	पावर लूम, इलैक्ट्रोनिक सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, हल्के इंजीनियरिंग उपस्कर, चमड़े का उत्पाद।
11.	केरल	3	रबर उत्पाद, पावर लूम और समुद्री खाद्य संसाधन।
12	महाराष्ट्र	28	ऑटो पार्ट्स और फर्मास्युटिकल्स, थोक औषधि, इलैक्ट्रोनिक उत्पाद, फर्मास्युटिकल्स-मूल औषधि खिलौने (प्लास्टिक), रेडीमेड गारमेंट्स, हौजरी, मशीन टूल्स, इंजीनियरिंग उपस्कर, रसायन, पैकेजिंग मेटेरियल, हैंड टूल्स, प्लास्टिक उत्पाद, पावर लूम, इंजीनियरिंग और फेबरीकेशन, स्टील फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंड टूल्स, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो पार्ट्स, इलैक्ट्रोनिक सामान, खाद्य उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्मास्युटिकल्स- थोक औषधि, फाईबर ग्लास, फर्मास्युटिकल्स-थोक औषधि और समुद्री भोजन और स्टील फर्नीचर।
13.	मध्य प्रदेश	5	इंजीनियरिंग उपस्कर, फर्मास्युटिकल्स।-थोक औषधि, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटो पार्ट्स।
14.	पंजाब	9	ऑटो पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स, हौजरी, सिलाई मशीन उपस्कर, औद्योगिक फास्टनर्स, हैंड टूल्स, मशीन टूल्स, फोरजिंग, इलैक्ट्रो प्लेटिंग।
15.	राजस्थान	7	जेम एंड ज्यूलरी, वॉल वेयरिंग, इलैक्ट्रीक्ल इंजीनियरिंग उपस्कर, खाद्य उत्पाद, गारमेंट्स, लाइम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर।
16.	तमिलनाडु	10	ऑटो पार्ट्स, लेदर उत्पाद, इलैक्ट्रो प्लेटिंग, डीजल ईंजन्स, कृषि औजार, मशीन टूल्स, कास्टिंग और फोरजिंग, पावर लूम, वेट ग्राइडिंग मशीन, हौजरी।
17.	उत्तर प्रदेश	17	इलैक्ट्रोनिक सामान, खिलौने, रसायन, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग उपस्कर, गारमेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उपस्कर, पैकेजिंग मेटेरियल, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन, सेडलर, सूती हौजरी, लेदर उत्पाद, शीट वर्क (ग्लोब लैम्प), पावर लूम, कृषि औजार, इलैक्ट्रीक फैन।
18.	उत्तरांचल	1	मिनीयेचर वैक्यूम बल्ब।
		149	

[अनुवाद]

कपास निर्यात

2248. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, सितम्बर, 2005 के दौरान भारत के कपास यार्न फैब्रिक निर्यात में वृद्धि हुई है तथा परम्परागत गैर-कोटा बाजारों में कपास वस्त्रों के निर्यात में तीव्र कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष की संबंधित अवधि की तुलना में इस अवधि में गैर-कोटा बाजारों में निर्यात 20 प्रतिशत कम रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तीव्र कमी होने के मुख्य कारण क्या हैं तथा स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां। पारंपरिक रूप से गैर कोटा बाजारों को भारत का सूती यार्न, फैब्रिक, मेडअप्स और कपास अपैरल का निर्यात अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान कम हुआ।

(ख) और (ग) अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सूती यार्न का निर्यात 11.53% कम हुआ, सूती फैब्रिक का निर्यात 21.3% कम हुआ, सूती परिधान का निर्यात 32.96% कम हुआ जबकि सूती मेडअप्स का निर्यात 2.49% तक बढ़ा।

(घ) निर्यात में कमी कारणों में अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये की मूल्यवृद्धि, कच्ची सामग्री/अर्द्ध परिष्कृत सामानों के परिष्कृत फैब्रिक्स एवं मेडअप्स जैसी परिष्कृत/मूल्यवर्द्धित मदों में मांग पैटर्न में परिवर्तन, शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) ऋण की दरों में भारी कटौती तथा सूती वस्त्र मदों के लिए शुल्क वापसी शामिल हैं।

सूती मदों सहित वस्त्र एवं क्लोदिंग का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। इस मिशन में चार लघु मिशन है जिनका कार्यान्वयन कृषि एवं वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण संघटक मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना तथा नए बाजार यार्डों की स्थापना/मौजूदा बाजार यार्डों में सुधार लाना है।

(5) वस्त्र मंत्रालय ने योजनाओं का कार्यान्वयन तेज करने के लिए और 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के दृष्टिकोण को वास्तविक रूप देने के लिए वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) और निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीईएस) रूप पुनर्निर्माण किया है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित है और इसमें परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी व्यावसायिक एजेंसी को नियुक्त करने की परिकल्पना है।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(7) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(8) परिधान निर्यातकों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग एवं असंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है।

(9) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग,

विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

(11) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

महाराष्ट्र की परियोजना

2249. श्री मोहन रावले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुंबई मलजल निपटान परियोजना दो के लिए विश्व बैंक से अनुदान/क्रेडिट/ऋण लेने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II कार्य के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) से (ग) राज्य सरकार के इस प्रस्ताव के दो भाग हैं, यथा अमरीकी डालर 432 मिलियन की लागत वाली मुंबई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II तथा अमरीकी डालर 110 मिलियन की लागत वाला स्लम सफाई व्यवस्था कार्यक्रम। मुंबई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II के अंतर्गत शामिल घटक इस प्रकार हैं – सीवरों तथा मेनहालों को पुनर्स्थापन, गैर कानूनी कनैक्शनों (बरसाती नालों अथवा नालों के साथ जुड़े मकानों के कनैक्शन) को हटाकर फाउल सीवर सिस्टम के साथ जोड़ना, भावी प्रवाह के लिए नए तथा बड़े सीवरों का प्रावधान पम्पिंग केन्द्रों की समस्याओं को दूर करना, पुराने पम्पों तथा उपकरणों को बदलना, शोधन कार्यों में रद्दोबदल करना आदि।

सीवरेज कार्य के अधीन शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों में कोलाबा, वर्ली, बांद्रा, बरसोवा, मलाड, भान्डूप तथा घाटकोपर शामिल हैं।

मुंबई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II के संबंध में विश्व बैंक की सहायता हेतु वर्ष 2004 में आर्थिक कार्य विभाग को अनुशंसा की गई थी। तथापि, ऋण चुकता करने की दृष्टि से इस राज्य को ऋणग्रस्त राज्य की श्रेणी में रखा गया था। तदनुसार, आर्थिक कार्य विभाग ने यह सूचित किया कि चूंकि महाराष्ट्र एक ऋणग्रस्त राज्य है, इसलिए ये प्रस्ताव विश्व बैंक को नहीं भेजे जा सकते।

उपर्युक्त के अलावा, आर्थिक कार्य विभाग ने यह भी सूचित किया कि नवम्बर, 2004 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था कि मुंबई को विश्व स्तरीय नगर बनाने के लिए 5 वर्षीय बिजनेस आयोजना तैयार करने हेतु और मुंबई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II को नगर की व्यापक योजना में शामिल करने के लिए विश्व बैंक का सहयोग लिया जाये। इसके बाद आर्थिक कार्य विभाग ने फरवरी, 2005 में विश्व बैंक से अनुरोध किया कि वह इस नगर के लिए व्यापक कार्य नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु बहुक्षेत्रीय समर्पित दल को तैनात करे।

विश्व बैंक के दलों ने पिछले वर्ष 2 बार मुंबई का दौरा किया और उन्होंने मुंबई को विश्व स्तरीय नगर के रूप में विकसित करने हेतु कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों तथा इस उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री द्वारा गठित कार्यदल के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। विश्व बैंक के दल, जिसमें 18-21 नवम्बर, 2005 तक मुंबई का दौरा किया था, ने मुंबई विकास कार्य योजना के संबंध में कार्य योजना तैयार करने हेतु एक समय-सीमा का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कार्य योजना के संबंध में मुख्य सुधारों, निवेश तथा वित्त पोषण से संबंधित व्यापक पैकेज पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है। विश्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आशा है कार्य योजना दिसम्बर, 2006 में शुरू की जाएगी। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वे इस समयावधि का पालन करे।

बंद पड़ी कंपनियां

2250. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व में बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बंद पड़ी कंपनियों के लिए नए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों के लिए पहले जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) नए दिशानिर्देशों को जारी करने हेतु कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन नए अनुदेशों से सरकार और कंपनियों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) सरकार

कंपनी अधिनियम, 1956 में व्यापक पुनरीक्षण के लिए जिसमें बंद पड़ी कंपनियों से संबंधित प्रावधान भी शामिल होंगे, एक नए कंपनी विधेयक पर विचार कर रही है।

(ग) मंत्रालय ने वर्ष 2003 तथा 2005 में सरलीकृत निकास योजनाएं (एसईएस) लागू करने के लिए अनुदेश जारी किया था जिससे बंद कंपनियों को एक सरल प्रक्रिया के द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से आसान निकासी का अवसर प्राप्त हो। ये योजनाएं क्रमश: 25 मार्च, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक एवं 1 फरवरी, 2005 से 31 अगस्त, 2005 तक लागू थी। वैसी कंपनियां जिन्होंने आवेदन दिया था तथा उपर्युक्त योजनाओं के अनुसरण में जिन्हें दिनांक 28.2.2006 तक हटा दिए जाने की मंजूरी मिली थी, का ब्यौरा निम्नवत् है:—

योजना	प्राप्त	हटा दिए जाने की मंजूरी
एसइएस 2003	28050	21004
एसइएस 2005	26626	14947

(घ) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के अनुसार।

(ङ) बंद पड़ी कंपनियों के नाम हटा दिए जाने से सांविधिक कंपनी रेकार्ड्स के सार्वजनिक रखरखाव की लागत मूल्य में कमी आएगी तथा इससे सक्रिय कंपनियों पर मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण केंद्रित होगी। कंपनियों को ऐसे एनटिटीज जो क्रियाशील नहीं है तथा जिनके पास न परिसंपत्ति है, न दायित्व, की अनुपालना लागत की छूट का लाभ मिलेगा।

डाक सेवाओं में सुधार

2251. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में, विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सेवा नेटवर्क में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो चालू योजनावधि के दौरान किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में चालू योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) डाकघरों के माध्यम से म्यूचुअल फंड, बीमा जैसे वित्तीय उत्पादों का प्रभावी रूप से विपणन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) डाक सेवाओं के नेटवर्क में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर के डाकघर आते हैं। इस सुधार के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, विपणन, एर्गोनॉमिक्स आदि शामिल हैं।

(ख) वर्तमान योजना अवधि के दौरान जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शुरू किया गया है उनमें योजना के पहले दो वर्षों के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, विभागीय उप डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना, डाकघरों, डाक लेखा कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, लेखा कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं उनका नेटवर्किंग, अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रोसेसिंग कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, परिचालनात्मक/कार्यकरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण, मेल मूवमेंट का यांत्रिकीकरण/आधुनिकीकरण, प्रीमियम उत्पादों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, सर्किल स्टैंप डिपुओं का आधुनिकीकरण, दिल्ली और कोलकाता में दो ऑटोमैटिक डाक प्रोसेसिंग केन्द्रों की स्थापना, फिलैटली का संवर्धन, भवन निर्माण, राष्ट्रीय डाटा केन्द्र और वित्त मार्टों की स्थापना, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट केन्द्रों की स्थापना और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का विकास शामिल है।

(ग) योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए जाते हैं जैसे गहन मॉनीटरिंग, सप्लायरों और कार्यान्वयन इकाइयों से नजदीकी संपर्क, प्रगति आदि की सावधिक समीक्षा।

(घ) वित्तीय उत्पादों में धनांतरण, बैंकिंग और डाक जीवन बीमा शामिल हैं। विभाग रीटेलिंग के अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने नेटवर्क के माध्यम से अन्य सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को प्रदान करने के लिए भी करता है। सभी वित्तीय उत्पादों का विपणन डाक विभाग के फील्ड संगठन के माध्यम से किया जाता है जिसके अंतर्गत जनसंचार माध्यम के ज़रिए विज्ञापन, डायरेक्ट मेलिंग और प्रचार सामग्री का वितरण शामिल है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उड़ीसा को अनुदान

2252. श्री भर्तृहरि महताब : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर. वाई.) के अंतर्गत उड़ीसा को अनुदान के आबंटन में वर्ष 2004-05 से कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्य को वित्तीय आबंटन में कटौती करने के क्या प्रमुख कारण हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को अतिरिक्त धनराशि जारी कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 हेतु शहरी गरीबी के प्रभाव के आधार पर अनंतिम नियतन 322.65 लाख रु. था और वर्ष 2005-06 के लिए यह 469.86 लाख रु. था। अत: उड़ीसा का केन्द्रीय नियतन कम नहीं किया गया है।

(घ) से (च) वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मांग के अनुसार तथा उपयोग प्रमाणपत्र आदि प्राप्त न होने के कारण अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी न की गई आधिक्य राशि की उपलब्धता के अध्यधीन तथा साथ ही राज्य मे स्कीम की वास्तविक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा के बाद राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अतिरिक्त राशि जारी करता है।

कर्नाटक द्वारा धनराशि का अन्यत्र उपयोग

2253. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने विशेष रूप से गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनराशि का कहीं अन्यत्र उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आयकर छूट

2254. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह-लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर आयकर से छूट मिली हुई है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों, जिनकी समान भौगोलिक स्थिति है, को वैसी ही सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के लेह-लद्दाख क्षेत्र की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों को आयकर छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में यथा परिभाषित, आयकर अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (26) में निम्नलिखित क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जन-जाति के किसी सदस्य को उक्त क्षेत्र अथवा राज्यों में लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत होने वाली आय के लिए छूट का प्रावधान किया गया है:-

(i) संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 में संलग्न सारणी के भाग-I अथवा भाग-II में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, अथवा

(ii) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्यों में, अथवा

(iii) संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के उप-पैरा (3) के परंतुक के अंतर्गत असम सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 फरवरी, 1951 की अधिसूचना सं. टी ए डी/आर/35/50/109 द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम,, 1971 (1971 का 81) के शुरू होने के ठीक पहले था, अथवा

(iv) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में–

यह छूट उक्त भौगोलिक क्षेत्रों के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि व्यष्टि कर निर्धारितियों अर्थात् उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के कतिपय वर्ग के लिए ही उपलब्ध है। यह छूट अनुसूचित जन-जातियों के हितों तथा उन क्षेत्रों जिनमें आदिवासी निवास करते हैं, के हित, दोनों के लिए प्रदान की जाती है।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लेख किया गया है, इसका आशय यह नहीं है कि यह छूट केवल भौगोलिक दशाओं के आधार पर प्रदान की जानी है, बल्कि इसका आशय लोगों के कतिपय वर्गों अर्थात् विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निवास करने वाली अनुसूचित जन-जातियों के लिए है।

(ग) धारा 10 (26) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के जन-जाति क्षेत्रों को छूट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) लागू नहीं।

सोने/चांदी का मूल्य

2255. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश में सोने और चांदी की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में सोने की औसत खपत कितनी है और मांग के एक हिस्से की पूर्ति अवैध आयात और स्वदेशी उत्पादन के जरिए की जाती है; और

(ङ) सोने के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और इसकी बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत में सोने की औसत कीमत अप्रैल 2003 में प्रति 10 ग्राम 5192 रु. से बढ़कर नवम्बर 2004 में 6551 रु. हो गई लेकिन परवर्ती महीनों के दौरान थोड़ा कम होकर जुलाई 2005 में 6058 रु. के स्तर पर आ गई। इसके बाद कीमतों में वृद्धि हुई और यह बढ़कर जनवरी, 2006 में 7925 रु. के उच्च स्तर पर पहुंच गई। चांदी कीमतें भी वर्ष 2003 के दौरान कम रहीं, लेकिन 2004 में उनमें वृद्धि हुई। वर्ष 2005 के अधिकांश के दौरान कीमत में गिरावट रही लेकिन वर्ष के अंत तक इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी, जब यह जनवरी, 2006 में 12983 रुपए प्रति कि.ग्रा. के स्तर पर पहुंच गई। भारत में सोने और चांदी की कीमतों में घट-बढ़ सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसी प्रकार की घट-बढ़ के साथ-साथ होती है। हाल की अवधियों में भारत में कीमतों में हुई यह वृद्धि विदेशों में हुई वृद्धि को प्रतिबिम्बित करती है।

(ग) से (ङ) विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार 2005 के दौरान भारत में सोने की कुल उपभोक्ता मांग 724 टन रही थी। भारत में स्वर्ण-आभूषणों की अधिकांश मांग आयात से पूरी की जाती है क्योंकि घरेलू उत्पादन लगभग नगण्य है। 'भारत को स्वर्ण व्यापार केंद्र बनाने के लिए स्वर्ण उद्योग के विनियामक ढांचे की पड़ताल संबंधी समिति' के अनुसार सोने का घरेलू उत्पादन मात्र लगभग 2 टन प्रतिवर्ष है। वर्ष 2006-07 के बजट में सरकार ने स्वर्ण सांद्रों पर आयात शुल्क घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। खनिज नीति, 1993 में ऐसे प्रावधान हैं जिनमें उन्हें तरजीह दी जाती है जो कैप्टिव प्रयोग हेतु खनन शुरू करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

पटसन उत्पाद

2256. श्री पी. करुणाकर रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक स्तर पर पटसन और पटसन उत्पादों की उत्पादकता में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य उपलब्ध उत्पादों की तुलना में पटसन और पटसन उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार पटसन एवं पटसन उत्पादों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाती रही है। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में कच्ची पटसन की उत्पादकता/उपज बढ़ाने पर तथा उत्पादन एवं प्रसंस्करण में दक्षता में सुधार लाने के लिए पटसन उद्योग को आधुनिकीकृत करने के लिए विशेष जोर दिया गया है। वस्तुतः इन

उपायों के कारण कृषि संबंधी परिपाटियों, रेटिंग और पटसन फाइबर के उन्नयन में सुधार हुआ है। प्रस्तावित पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत अन्य बातों के साथ-साथ उच्चतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए पटसन क्षेत्र की सहायता के भी कदम उठाए जाने हैं।

(ग) सरकार ने पटसन एवं पटसन उत्पादों को अन्य उपलब्ध उत्पादों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) पटसन मशीनरी निधि योजना और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के पटसन मशीनरी निधि योजना और देश सहयोग कार्य ढांचे (सीसीएफ-1) के तहत मशीनरी के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन।

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत पटसन मिलों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।

(iii) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पटसन विनिर्माण एवं विकास परिषद की प्रोत्साहन योजना (आईएसएमजीआई) के तहत संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजीगत सब्सिडी योजना की अनुमति देना।

(iv) राष्ट्रीय पटसन विविधिकरण केंद्र की पटसन उद्यमी सहायता योजना (जेईएएस) के अनुसार परियोजनाओं तथा संयंत्रों एवं मशीनरी पर पूंजीगत सब्सिडी की अनुमति देना।

टेलीघनत्व

2257. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
श्री एस.के. खारवेनचन :
श्री जोयाकिम बक्ला :
डा. सत्यनारायण जटिया :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में आज की स्थिति के अनुसार टेलीघनत्व कितना है;

(ख) क्या बी.एस.एन.एल. ने देश में टेलीघनत्व बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन राज्यों में गांव में सार्वजनिक टेलीफोनों, मोबाइल और डब्ल्यू.एल.एल. फोनों के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा क्या अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। टेलीघनत्व बढ़ाने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा उठाए गए कदमों में मौजूदा सुविधा रहित क्षेत्रों जिन्हें वायर्ड लाइन द्वारा आर्थिक रूप से कवर नहीं किया जा सकता, में वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) और मोबाइल नेटवर्क को व्यापक पैमाने पर संस्थापित पर कवरेज बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। बीएसएनएल ने लैंडलाइन एक्सचेंजों के लिए बाह्य केबल बिछाने के दूरी संबंधी मानदंड में छूट देते हुए इसे 2.5 किमी. से 5.0 किमी कर दिया है ताकि और अधिक लैंड लाइन कनेक्शन दिए जा सकें।

(घ) और (ङ) 2005-06 के लिए बीएसएनएल के मदवार लक्ष्य/उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

मद	लक्ष्य	उपलब्धि (संख्या में) (31.1.2006 की स्थिति के अनुसार
वीपीटी	12,500	11,178
मोबाइल	65,00,000	59,75,713
डब्ल्यूएलएल	6,83,589	6,48,993

पर्याप्त उपस्कर प्राप्त हो गए हैं और आशा है कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

विवरण

31.01.2006 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार टेलीघनत्व

क्र. स.	राज्य/दूरसंचार सर्किल का नाम	टेलीघनत्व (प्रतिशत में)
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14.84

1	2	3
2.	आंध्र प्रदेश	12.23
3.	असम	4.75
4.	बिहार	4.52
5.	छत्तीसगढ़	1.92
6.	गुजरात	15.97
7.	हरियाणा	13.69
8.	हिमाचल प्रदेश	17.98
9.	जम्मू और कश्मीर	10.83
10.	झारखंड	2.72
11.	कर्नाटक	15.98
12.	केरल	24.10
13.	मध्य प्रदेश	6.47
14.	महाराष्ट्र (–) मुंबई	12.33
15.	उत्तर पूर्व	5.61
16.	उड़ीसा	6.60
17.	पंजाब	26.33
18.	राजस्थान	8.82
19.	तमिलनाडु (–) चेन्नई	13.73
20.	उत्तरांचल	7.11
21.	उत्तर प्रदेश	6.26
22.	पश्चिम बंगाल (–) कोलकाता	4.90
23.	कोलकाता	30.62
24.	चेन्नई	57.67
25.	दिल्ली	60.96
26.	मुंबई	53.49
	समग्र	11.76

सहकारिता बैंकों की स्थापना

2258. श्री जी.एस. सिद्धीश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में सहकारिता बैंकों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय शुरू किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वर्ण की तस्करी

2259. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में स्वर्ण की तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या सरकार ने स्वर्ण की तस्करी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमानिक्कम) : (क) आज तक की स्थिति के अनुसार विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में स्वर्ण की तस्करी के पकड़े गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	स्वर्ण की तस्करी के मामलों की संख्या
2002-2003	167
2003-2004	137
2004-2005	82
2005-2006 (फरवरी, 06 तक)	52

(ख) और (ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सभी सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय स्वर्ण सहित निषिद्ध माल की तस्करी को पकड़ने और रोकने के लिए सजग और सतर्क हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मेट्रो रेल

2260. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव क्षेत्र के संबंध में मेट्रो रेल निर्माण के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकार के साथ इस संबंध में कोई चर्चा की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रस्तावित व्यय की हिस्सेदारी निर्धारित कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) नोएडा और गुड़गांव के लिए मेट्रो रेल हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। गाजियाबाद के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

(ख) गुड़गांव तक मेट्रो के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कुतुब मीनार से सुशांत लोक (गुड़गांव) तक 16 कि.मी. लंबाई की एलाइन्मेंट का प्रस्ताव है जिसकी अनुमानित लागत, जून, 2004 की कीमतों के अनुसार 1320 करोड़ रुपए हैं। नोएडा तक मेट्रो के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार न्यू अशोक नगर (दिल्ली, उत्तर प्रदेश बॉर्डर) से नोएडा सिटी केन्द्र तक एलाइन्मेंट है जिसकी लंबाई 7.05 किमी है। इसे पूरा करने में 736 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।

(ग) से (ङ) गुड़गांव तक मेट्रो के विस्तार के संबंध में दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार वैकल्पिक एलाइन्मेंट का अध्ययन कर रही हैं।

नोएडा तक मेट्रो के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सैद्धान्तिक अनुमोदन दे दिया है और प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया गया है। प्रत्येक राज्य में इसके विस्तार की लंबाई के अनुपात में खर्च वहन किया जाएगा। गुड़गांव तक विस्तार को अंतिम एलाइन्मेंट पर सहमति होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। नोएडा से एलाइन्मेंट के संबंध में पूरी लागत उत्तर प्रदेश सरकार / नोएडा द्वारा वहन की जाएगी जिसमें 15% अंश भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[अनुवाद]

विदेशी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का व्यापार

2261. डा. के. धनराजू :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बैंक राष्ट्रीय बैंकों की तुलना में ज्यादा व्यापार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे की जांच की है और वर्ष 2005-06 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा कुल कितना व्यापार किया गया; और

(घ) विदेशी बैंकों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ज्यादा व्यापार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, नहीं। राजकोषीय वर्ष 2005 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विदेशी बैंकों द्वारा किए गए कुल 1,61,823 करोड़ रु. के कारोबार की तुलना में कुल 22,90,524 करोड़ रु. का कारोबार दर्ज किया। पिछले दो वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों का कारोबार और कुल बैंकिंग कारोबार में उनका हिस्सा निम्नानुसार है:-

कुल कारोबार

(करोड़ रु. में)

बैंक समूह	मार्च 2004	मार्च 2005
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	24,39,285	29,88,531 (22.5)
विदेशी बैंक	1,40,263	1,61,823 (15.4)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	18,59,577	22,90,524 (23.2)

कारोबार में हिस्सा

(प्रतिशत में)

बैंक समूह	मार्च 2004	मार्च 2005
विदेशी बैंक	5.8	5.4
सरकारी क्षेत्र के बैंक	76.2	76.6

कोष्ठक में आंकड़े कारोबार में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत है।

(घ) त्वरित और सक्षम निर्णयन सुकर बनाने तथा उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मक में सुधार लाने के लिए सरकार ने दिनांक 22.02.2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वायत्त पैकेज की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा "वार्षिक लक्ष्य संबंधी स्थिति विवरण" के आधार पर उनके कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए एक तंत्र लागू किया है।

जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना

2262. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पटसन विनिर्माता विकास परिषद (जे.एम.डी.सी.) प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) जे.एम.डी.सी. कब से अस्तित्व में आई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय पटसन विविधिकरण केन्द्र भी कुछेक योजनाएं कार्यान्वित करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) वर्ष 2005-06 के लिए पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना के वास्ते कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। जेएमडीसी दावों की जांच किए जाने और उनके पात्र पाये जाने के बाद निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन सभी प्रोत्साहन राशियां जारी करती हैं। अब तक जेएमडीसी के सामने इस संबंध में धनराशि की कोई कमी नहीं आई है।

(ख) पटसन विनिर्माण विकास परिषद अधिनियम, 1983 के तहत एक सांविधिक निकाय पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) की स्थापना 1 मई, 1984 से की गई थी।

(ग) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत किए गए; स्वीकृत किए गए मामलों की संख्या तथा उनमें निवेश की राशि और जारी की गई सब्सिडी की राशि से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है:—

भुगतान की रिलीज

(लाख रु. में)

अवधि	अपना संसाधन			बैंक वित्त			कुल		
	मामलों की संख्या	निवेश राशि	प्रोत्साहन राशि	मामलों की संख्या	निवेश राशि	प्रोत्साहन राशि	मामलों की संख्या	निवेश राशि	प्रोत्साहन राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2002-03*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2003-04	6	317.22	47.58	3	50.18	7.53	9	367.40	55.11
2004-05	17	867.33	130.14	4	129.18	19.39	21	996.51	149.53
2005-06 (अप्रैल 05-15 फरवरी, 2006)	21	1732.49	259.87	5	351.04	52.65	26	2083.53	312.52
	44	2917.04	437.59	12	530.40	79.57	56	3447.44	517.16

*यह योजना जुलाई 2002 में शुरू की गई थी और 2002-03 में कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय पटसन विविधिकरण केंद्र (एनसीजेडी) निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:-

1. पटसन सेवा केन्द्र योजना
2. पटसन कच्ची सामग्री बैंक योजना
3. बाजार सहायता योजना
4. डिजाइन विकास योजना
5. पटसन उद्यमी (पूंजीगत सब्सिडी) सहायता योजना (जेईएएस)
6. सूक्ष्म वित्त/एनजीओ सहायता योजना
7. पूर्वोत्तर विकास योजना

पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीजेडी को आबंटित निधियों का ब्यौरा निम्नलिखितानुसार है:-

वर्ष	लाख रु. में
2002-03	583.00
2003-04	745.00
2004-05	748.00
2005-06	740.00

एल.आई.सी. पॉलिसियां

2263. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय दायित्वों तथा बजट प्रबंधन व्यवहार के अंतर्गत एल.आई.सी. की 16 करोड़ पॉलिसियों में सरकारी गारंटियां हटाने का है जैसा कि 13 फरवरी, 2006 के द इक्नॉमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के संबंध में सरकारी नीतियों पर जीवन बीमा में निजी कंपनियों का प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार एल.आई.सी. पॉलिसियों से सरकारी गारंटियां हटाने के निर्णय के मद्देनज़र इसे एल.आई.सी. पालिसी धारकों तक बढ़ाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार एल.आई.सी. अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा पता लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले

2264. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक देश के प्रत्येक राज्य में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त की गई नकदी और अन्य वसूलियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में विभिन्न देशों से आयातित टनों पेपर जब्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने भ्रष्टाचार का कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

(ख) आयात/निर्यात से संबंधित राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामलों तथा राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा की गई वसूलियों का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए मामलों की सं.	की गई वसूलियों का विवरण (करोड़ रु. में)	इन मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण	
			गिरफ्तार	कोफेपोसा/एन डी पी एस अधिनियम के तहत निरुद्ध
02-03	422	62.81	195	62
03-04	356	70.50	267	61
04-05	293	154.47	222	71
05-06 (फरवरी, 06 तक)	319	74.08	191	58

(ग) जी, हां।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली में 4.81 करोड़ रुपये का 1047.86 मीट्रिक टन कागज जब्त किया है। इसके अतिरिक्त 11 गोदामों में रखा हुआ 11.60 करोड़ रुपये मूल्य का 2634.50 मीट्रिक टन कागज भी हाल ही में जब्त किया गया है। एक दूसरे मामले में राजस्व आसूचना निदेशालय ने कोलकाता में 18.2.2006 को 40 लाख रुपये मूल्य का 160 मीट्रिक टन कागज जब्त किया है।

(ङ) इन मामलों में संलिप्त होने के कारण छः व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

खराब अवसंरचना तथा आयकर संग्रहण

2265. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खराब अवसंरचना के कारण आयकर संग्रहण पर बुरा प्रभाव पड़ा है जैसा कि दिनांक 29 दिसंबर, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित किया गया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। वास्तव में, आयकर संग्रहण ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छी वृद्धि दर्शाई है जो कि वित्त वर्ष 2001-02 में 69,198 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2004-05 में 1,31,948 करोड़ रुपए हो गई है।

(ख) सरकार जानती है कि अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के फलस्वरूप बेहतर राजस्व संग्रहण को बढ़ावा मिलेगा। तदानुसार, सरकार आयकर विभाग में अवसंरचना का और अधिक विकास करने के लिए उचित कदम उठा रही है।

प्राथमिकता क्षेत्र में बैंक ऋण

2266. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को कुल नेट बैंक ऋण (एन.बी.सी.) का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र में लगाना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश बैंकों द्वारा संवितरित वास्तविक ऋण निर्धारित स्तर से कहीं कम था;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा दिए गए कुल कृषि अग्रिम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एन.बी.सी. लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए निवल बैंक ऋण के 40% का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत निवल बैंक ऋण के 18% और 10% के उप-लक्ष्य क्रमशः कृषि एवं कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए निर्धारित किए गये हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2003, 2004 और 2005 के मार्च माह के सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों को दिया गया अग्रिम निम्नलिखित है, जिससे यह देखा जा सकता है कि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित 40% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है:-

सरकारी क्षेत्र के बैंक (करोड़ रु. में)

सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005
कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	199786 (41.2%)	244456 (43.6%)	307046 (42.8%)
कृषि को कुल अग्रिम	70501 (14.5%)	84435 (15.1%)	109917 (15.3%)

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक (करोड़ रु. में)

सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005
कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	36648 (44.1%)	48920 (47.3%)	69886 (43.6%)
कृषि को कुल अग्रिम	9924 (12.0%)	14730 (14.2%)	21636 (12.3%)

*लघु कोष्ठक में दिए गये आंकड़े निवल बैंक ऋण की तुलना में अग्रिमों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि के लिए संस्थागत वित्त बढ़ाने हेतु कुछ उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजना (एस ए सी पी) बनाना।

(ii) किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के सी सी) शुरू करना।

(iii) 50,000/-रु. तक के कृषि ऋणों और कृषि क्लिनिकों के मामले में 5,00,000 रु. तक कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति मानदंडों को माफ करना।

केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने जून, 2004 में कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की थी, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) उन किसानों को नया वित्त दिया जाना, जिनके पहले लिए गये ऋणों का निपटान हो चुका हो।

(ii) उन किसानों के लिए राहत उपाय, जिन्होंने गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से ऋण लिया हो।

(iii) किसानों को पिछले बकाया में राहत देने की योजना।

किसान क्रेडिट कार्ड

2267. **श्री बालासाहेब विखे पाटील :**
श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य-वार कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए;

(ख) कितने किसान क्रेडिट कार्ड कार्यात्मक बनाए गए;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से वर्ष-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत तथा वितरित की गई;

(घ) वित्तीय वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान धनराशि तरीके से वितरित की गई; और

(ङ) किसान क्रेडिट कार्डों के और अधिक उपयोग को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) 31 दिसंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार सभी एजेंसियों द्वारा किसानों को जारी किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संचयी संख्या 5.60 करोड़ थी। पिछले तीन वर्ष अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(घ) केसीसी सीमा चक्रीय नकदी ऋण सुविधा प्रकृति की है, जिसमें निर्धारित सीमा के भीतर आहरण एवं चुकौतियां कितनी भी बार की जा सकती हैं।

(ङ) किसान क्रेडिट कार्ड का अधिकाधिक प्रयोग सुकर बनाने और एक ही स्थान पर किसानों की ऋण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से केसीसी का क्षेत्र बढ़ाया गया है ताकि खपत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित संघटक सहित कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिए मीयादी ऋणों/कार्यशील पूंजी को शामिल किया जा सके। तदनुसार, बैंकों से अलिखित पट्टेदारों, काश्तकारों एवं बंटाईदारों सहित सभी पात्र किसानों को केसीसी जारी करने के लिए कहा गया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि फसल ऋण केवल केसीसी के जरिए दें और इस क्षेत्र के लिए व्यापक प्रचार करें।

विवरण-I

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – 31 मार्च, 2003 की प्रगति (राज्यवार-सहकारी बैंक, आर.आर.बी. तथा वाणिज्यिक बैंक)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल	
		सं.*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	सं.*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	22	230516	160543.44	16	209692	59467.84	455888	96538.20	896096	316549.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	असम	1	560	54.4	5	7327	1396.46	34679	3006.22	42566	4457.08
3.	अरुणाचल प्रदेश #	1	191	21.20	1	48	1.05	1835	150.46	2074	172.71
4.	बिहार	25	172716	13325.74	16	9380	1201.50	79999	18631.87	262095	33159.11
5.	गुजरात	18	305319	178509.32	9	36440	18739.38	113644	30419.77	455403	227668.47
6.	गोवा $	1	1337	218.66	0	0	0.00	603	346.78	1940	565.44
7.	हरियाणा	19	291690	96902.10	4	22593	12591.00	72287	41744.03	386570	151237.13
8.	हिमाचल प्रदेश	3	1393	1309.31	2	516	90.05	23213	5380.91	25122	6780.27
9.	जम्मू-कश्मीर	4	4531	513.10	3	1078	822.14	801	185.95	6410	1521.19
10.	कर्नाटक	19	174500	37433.53	13	98722	52304.67	157413	67815.51	430635	157553.71
11.	केरल	14	179065	32569.22	2	24273	6886.16	152447	34285.96	355785	73741.34
12.	मध्य प्रदेश	38	383773	225201.42	19	40120	6300.84	83756	34281.11	507649	265783.37
13.	महाराष्ट्र	29	621069	365814.99	10	35515	6888.05	186817	60453.54	843401	433156.58
14.	मेघालय #	1	120	12.25	1	46	4.17	1927	209.44	2093	225.86
15.	मिजोरम #	1	920	46.01	1	61	0.81	519	21.16	1500	67.98
16.	मणिपुर #	0	0	0	1	0	0	1458	210.39	1458	210.39
17.	नागालैंड #	1	284	5.44	1	55	4.60	1012	60.10	1351	70.14
18.	उड़ीसा	17	395890	35876.11	9	29335	2037.32	81516	9691.32	506741	47604.75
19.	पंजाब	19	65741	67164.82	5	16958	7881.92	114665	66164.56	197364	141211.30
20.	राजस्थान	26	52812	108155.67	14	34357	20488.59	97245	43823.47	184414	172467.73
21.	सिक्किम #$	1	265	25.41	0	0	0	361	55.54	626	80.95
22.	तमिलनाडु	22	312716	87486.41	3	23791	2092.25	268814	54869.53	605321	144448.19
23.	त्रिपुरा #	1	332	36.11	1	1216	26.12	3043	200.36	4591	262.59
24.	उत्तर प्रदेश	50	1142267	122596	36	340403	91262.16	550955	134819.30	2033625	348677.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	पश्चिम बंगाल	19	83029	13660.93	9	10311	1265.98	113909	15886.55	207249	30813.46
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह #$	1	534	47.95	0	0	0	81	14.25	615	62.20
27.	चंडीगढ़ #$	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
28.	दमन और दीव @#	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
29.	नई दिल्ली #$	1	98	40.00	0	0	0	337	214.26	435	254.26
30.	दादरा और नगर हवेली @$	0	0	0	0	0	0	4	5.56	4	5.56
31.	लक्षद्वीप @$	0	0	0	0	0	0	34	9.56	34	9.56
32.	पाण्डिचेरी #$	1	1562	260.17	0	0	0	1947	412.63	3509	672.80
33.	झारखंड	9	3294	5841.09	6	4967	618.63	24884	3424.02	33145	9883.74
34.	छत्तीसगढ़	7	115116	22270.12	5	14268	2228	21875	5365.47	151259	29863.59
35.	उत्तरांचल	9	37283	8181.98	4	2478	943.11	32925	10025.34	72686	19150.43
	कुल	380	4578923	1584122.90	196	963950	295542.80	2680893	738723.12	8223766	2618388.82

नोट: #सी.एफ.ए. के रूप में कार्य कर रहे एस.सी.बी.।
@इन सं.रा. क्षेत्रों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।
$इन राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में कोई चार आर.आर.बी. नहीं है।
*योजना कार्यान्वित करने वाले बैंकों की सं.
स्वीकृत राशि आंकड़े अनंतिम।

विवरण–II

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – 31 मार्च, 2004 की प्रगति (राज्यवार-सहकारी बैंक, आर.आर.बी. तथा वाणिज्यिक बैंक)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल	
		सं.*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	सं.*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	22	36346	1409	16	252205	2546.7	632852	135217.02	921403	139173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	असम	1	930	86	5	11421	1064.13	42330	3880.93	54681	5031
3.	अरुणाचल प्रदेश #	1	283	57	1	385	87	2592	212.34	3260	356
4.	बिहार	25	339641	33240	16	38908	9350	102071	23324.91	480620	65916
5.	गुजरात	18	127036	176109	9	13144	13923	106233	31840.23	246413	221872
6.	गोवा $	1	954	224	0	0	0	865	393.32	1819	617
7.	हरियाणा	19	149602	53741	4	37363	27266	81542	58761.89	268507	139769
8.	हिमाचल प्रदेश	3	7177	1186	2	2447	1211	27608	7331.64	37232	9728
9.	जम्मू-कश्मीर	4	3267	1036	3	1584	280	671	168.82	5522	1484
10.	कर्नाटक	19	291557	71370	13	96739	55170	167343	74026.75	555639	200566
11.	केरल	14	214243	37773	2	38216	14284	140509	40352.12	392968	92409
12.	मध्य प्रदेश	38	1068058	42862	19	68487	9130	133651	59019.94	1270196	111012
13.	महाराष्ट्र	29	130294	264928	10	730	16419	169434	60015.64	300458	341363
14.	मेघालय #	1	901	114	1	3451	249.53	4129	297.68	8481	661
15.	मिजोरम #	1	23	10	1	222	41.13	1124	88.79	1369	140
16.	मणिपुर #	0	427	47	1	609	35	2094	325.71	3130	408
17.	नागालैंड #	1	337	5	1	218	28	1911	107.78	2466	140
18.	उड़ीसा	17	400436	16557	9	52237	11103	84027	12764.91	536700	40424
19.	पंजाब	19	18962	22104	5	7374	16371	126286	91774.54	152622	130249
20.	राजस्थान	26	397944	36125	14	36986	23114.78	142596	67119.43	577526	126359
21.	सिक्किम #$	1	602	88	0	0	0	542	84.18	1144	152
22.	तमिलनाडु	22	20776	8250	3	14272	197	322698	64918.91	357746	73365
23.	त्रिपुरा #	1	414	82	1	2920	485.45	4995	594.18	8329	1161
24.	उत्तर प्रदेश	50	1216276	80932	36	499514	33596	567980	161438.19	2283770	275966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	पश्चिम बंगाल	19	290657	58731	9	49400	17498	137645	17114.17	477702	93343
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह #$	1	329	33	0	0	0	67	15.34	396	49
27.	चंडीगढ़ #$	0	0	0	0	0	0	1	5	1	5
28.	दमन एवं दीव @#	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	नई दिल्ली #$	1	153	128	0	0	0	424	315.02	577	443
30.	दादरा और नगर हवेली @$	0	0	0	0	0	0	3	3.5	3	4
31.	लक्षद्वीप @$	0	0	0	0	0	0	80	28.95	80	29
32.	पाण्डिचेरी #$	1	350	51	0	0	0	2262	483.71	2612	535
33.	झारखंड	9	6452	766	6	14955	229	36424	5071.87	57831	6067
34	छत्तीसगढ़	7	103939	54885	5	27658	4928.83	24344	5501.87	155941	65316
35.	उत्तरांचल	9	49870	22612	4	2844	1276	26775	10527.49	79489	34415
	कुल	380	4878236	985541	196	1274289	259882	3094108	933106.77	9246633	2178529

नोट: #सी.एफ.ए. के रूप में कार्य कर रहे एस.सी.बी.।
@इन सं.रा. क्षेत्रों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।
$इन राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में कोई चार आर.आर.बी. नहीं है।
*योजना कार्यान्वित करने वाले बैंकों की सं.
स्वीकृत राशि आंकड़े अनंतिम।

विवरण-III

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – 31 मार्च, 2005 की प्रगति (राज्यवार-सहकारी बैंक, आर.आर.बी. तथा वाणिज्यिक बैंक)

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/सं. रा. क्षेत्र	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		कुल	
		सं.*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	सं.*	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश **	22			16	301128	47039	1281352	286686	1582480	333725
2.	असम	1	1375	114	5	18675	2674	63366	8878	83416	11666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	अरुणाचल प्रदेश #	1	225	56	1	304	31	3816	613	4345	700
4.	बिहार **	25			16	89859	23462	141922	35767	231781	59229
5.	गुजरात	18	63759	318605	9	18265	32225	127734	48205	209758	399035
6.	गोवा $	1	177	54				1954	791	2131	845
7.	हरियाणा	19	28148	104742	4	47999	38949	82294	76488	158441	220179
8.	हिमाचल प्रदेश	3	5913	2825	2	7464	1517	18814	6988	32191	11330
9.	जम्मू-कश्मीर	4	10286	1396	3	1716	894	676	243	12678	2533
10.	कर्नाटक	19	41268	68690	13	141866	41880	223455	116061	406589	226631
11.	केरल	14	130059	48602	2	53957	16185	134883	43145	318899	107932
12.	मध्य प्रदेश	38	529710	120747	19	52819	42253	176919	101813	759448	264813
13.	महाराष्ट्र	29	323558	457067	10	46048	253	221117	78741	590723	536061
14.	मेघालय #	1	840	89	1	1043	252	9000	839	10883	1180
15.	मिजोरम #	1	61	13	1	779	204	2655	507	3495	724
16.	मणिपुर #	1			1	155	74	5614	1010	5769	1084
17.	नागालैंड #	1	578	15	1	376	17	3323	487	4277	519
18.	उड़ीसा	17	381109	87901	9	86586	10713	134910	24358	602605	122972
19.	पंजाब	19	25650	76229	5	11522	3711	115071	113106	152243	193046
20.	राजस्थान	26	592946	166276	14	67254	83039	215018	111740	875218	361055
21.	सिक्किम #$	1	418	13				1020	198	1438	211
22.	तमिलनाडु	22	185038	52043	3	25711	4291	403892	106113	614641	162447
23.	त्रिपुरा #	1	465	77	1	4373	455	5577	813	10415	1345
24.	उत्तर प्रदेश	50	733177	3663	36	558907	3264	706294	240960	1998378	247887
25.	पश्चिम बंगाल	19	253180	47413	9	69746	13209	175168	36278	498094	96900
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह #$	1	782	155				120	27	902	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	चंडीगढ़ #$							928	164	928	164
28.	दमन और दीव @#										
29.	नई दिल्ली #$	1	124	68				1015	589	1139	657
30.	दादरा और नगर हवेली @$							3	1	3	1
31.	लक्षद्वीप @$							75	32	75	32
32.	पाण्डिचेरी #$	1	1284	212				4094	1351	5378	1563
33.	झारखंड	9	12140	622	6	78769	7458	67563	8884	158472	16964
34.	छत्तीसगढ़	7	181813	1242	5	38273	8167	31858	9096	251944	18505
35.	उत्तरांचल	9	51700	738	4	5433	1051	34064	14603	91197	16392
	कुल	381	3555783	1559667	196	1729027	383267	4395564	1475577	9680374	3418511

नोट: #सी.एफ.ए. के रूप में कार्य कर रहे एस.सी.बी.।
@इन सं.रा. क्षेत्रों में कोई सहकारी बैंक नहीं है।
$इन राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में कोई चार आर.आर.बी. नहीं है।
*योजना कार्यान्वित करने वाले बैंकों की सं.
स्वीकृत राशि आंकड़े अनंतिम।

ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों के लिए मिशन 2007

2268. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिशन 2007 का लक्ष्य ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 15 अगस्त, 2007 तक भारत के प्रत्येक गांव को ज्ञान कनैक्टविटी प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कहां तक पहुंच गया है तथा इस मिशन के कार्यान्वयन में सहयोग देने वाले संगठनों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) ग्रामीण ज्ञान केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मिशन, 2007 द्वारा प्रचारित एक अवधारणा है। इसका लक्ष्य प्रत्येक गांव को ज्ञान केन्द्र बनाकर भारत में ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति लाना है। इसमें विभिन्न भागीदार संस्थानों के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए मंच तैयार करके ग्रामीण पुनःसृजन एवं समृद्धि हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का स्व-प्रेरक, स्व-अनुकरणीय और स्व-पोषित मॉडल शुरू करके ऐसा करने का प्रयास किया गया है।

(ख) मिशन का उद्देश्य विविध स्टेकहोल्डरों के सहयोग से प्रत्येक गांव में ज्ञान केन्द्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाना और इस काम में तेजी लाना है। प्रत्येक ज्ञान केन्द्र गरीब महिलाओं, पुरुषों, किसानों और सभी उपेक्षित लोगों के लिए ज्ञान आधारित आजीविका और आय सर्जक अवसर प्रदान करने वाला केन्द्र होगा। ऐसे ज्ञान केन्द्रों को निजी क्षेत्र, सरकार और नागरिक सामाजिक संगठनों के बीच विविध स्टेकहोल्डर भागीदारी के माध्यम से एक स्थायी मंच पर लाया जा सकता है।

(ग) ऐसे अनेक संगठन हैं, जो मिशन, 2007 में हिस्सेदार हैं, जिनके ब्यौरे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं। भारत

सरकार ने भी इस गठबंधन को सहायता देने का निर्णय लिया है और इस पहल में मदद करने के लिए 2005-06 के बजट में 100 करोड़ रु. का प्रावधान किया है और वित्तपोषण नाबार्ड के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने देशभर में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख से अधिक सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतिगत सहयोग और सहायता के साथ उपयुक्त माहौल बनाने के लिए रूपरेखा का प्रारूप तैयार किया है। इन केन्द्रों का लक्ष्य नागरिकों के घर तक सरकारी और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना और मिशन, 2007 के उद्देश्यों को पूरा करना है।

[हिन्दी]

डाकघरों के माध्यम से ऋण

2269. **श्री पंकज चौधरी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जरूरतमंद लोगों को डाकघरों के माध्यम से ऋण प्रदान कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) इस समय जरूरतमंद लोगों को डाकघरों के माध्यम से ऋण प्रदान कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

2270. **श्री महादेवराव शिवनकर :**
श्री शिशुपाल पटले :
श्री रशीद मसूद :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हो, तो वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक कितने बैंकों का विलय किया गया तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण लोगों को ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया को तेज किया है;

(घ) क्या वर्ष 2005-06 के लिए कृषि क्षेत्र हेतु ऋण लक्ष्यों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा हासिल कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(च) क्या पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋण की राशि में वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) किसी एक राज्य में, उसी बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों के समामेलन के जरिए आरआरबी के संरचनात्मक समेकन हेतु प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी तक 23 समामेलित एकक बनाने के लिए 78 आरआरबी के समामेलन की अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और यह प्रक्रिया अभी भी चालू है। इसका एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ग) तीन वर्षों में कृषि हेतु ऋण उपलब्धता को दोगुना करने के एक भाग के रूप में वर्ष 2004-05 के लिए आरआरबी के लिए लक्ष्य को 40 प्रतिशत की विकास दर से 8,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था। वर्ष 2004-05 में आरआरबी ने इसकी तुलना में 12,404 करोड़ रुपए संवितरित किए।

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06 के लिए आरआरबी हेतु 15,200 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी तुलना में 31 जनवरी, 2006 के अनुसार आरआरबी ने 12,471.07 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

(च) और (छ) आरआरबी के संबंध में 31 जनवरी, 2006 तक और पिछले वर्ष अर्थात् 2004-05 की तदनुरूपी अवधि के दौरान संवितरित ऋण नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	करोड़ रुपए
2004-05 (अप्रैल से जनवरी)	10457.40
2005-06 (अप्रैल से जनवरी)	12471.07

वर्ष 2004-05 की पिछली अवधि की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान ऋण संवितरण में 19.26 प्रतिशत की वृद्धि दर से 2013.67 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई।

विवरण

दिनांक — की स्थिति के अनुसार समामेलित आरआरबी का ब्यौरा

क्रम सं.	समामेलित आरआरबी	समामेलित एकक के नाम	प्रायोजक बैंक का नाम	राज्य जिसमें आरआरबी स्थित है
1	2	3	4	5
1.	1. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तर प्रदेश
	2. बस्ती ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - गोरखपुर		
2.	1. कोशी ग्रामीण बैंक	काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक आफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
	2. गोमती ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - वाराणसी		
	3. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
3.	1. गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब
	2. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - कपूरथला		
	3. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
4.	1. वलसाड डांग्स ग्रामीण बैंक	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	गुजरात
	2. सूरत भरूच ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - भरूच		
	3. पंचमहल वडोदरा ग्रामीण बैंक			
5.	1. अकोला ग्रामीण बैंक	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	महाराष्ट्र
	2. यवतमाल ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - अकोला		
	3. बुलढाना ग्रामीण बैंक			

1	2	3	4	5
6.	1. कच्छ ग्रामीण बैंक	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	देना बैंक	गुजरात
	2. बनासकांठा-मेहसाणा ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - गांधीनगर		
	3. साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक			
7.	1. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	प्रगति ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक
	2. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - बेल्लारी		
	3. कोलार ग्रामीण बैंक			
	4. सह्याद्री ग्रामीण बैंक			
8.	1. मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक
	2. बीजापुर ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - धारवाड़		
	3. नेत्रावती ग्रामीण बैंक			
	4. वर्धा ग्रामीण बैंक			
9.	1. बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	बिहार
	2. भागलपुर-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - मुंगेर		
	3. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
10.	1. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हरियाणा ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	हरियाणा
	2. हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - रोहतक		
	3. अंबाला-कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक			

1	2	3	4	5
11.	1. विदुर ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	उत्तर प्रदेश
	2. मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - मेरठ		
	3. हिम्अन ग्रामीण बैंक			
12.	1. काचर ग्रामीण बैंक	असम ग्रामीण विकास बैंक	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	असम
	2. लक्ष्मी गौडलिया बैंक	मुख्यालय - गुवाहाटी		
	3. परागज्योति ग्रामीण बैंक			
	4. सुवानसिरी ग्रामीण बैंक			
13.	1. कटक ग्राम्य बैंक	कलिंगा ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	उड़ीसा
	2. बालासोर ग्राम्य बैंक	मुख्यालय - कटक		
14.	1. जामनगर-राजकोट ग्रामीण बैंक	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	गुजरात
	2. सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - राजकोट		
	3. जूनागढ़-अमरेली ग्रामीण बैंक			
15.	1. शेखावती ग्रामीण बैंक	राजस्थान ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	राजस्थान
	2. अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - अलवर		
16.	1. जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	जयपुर-थार ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	राजस्थान
	2. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - जयपुर		
17.	1. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	राजस्थान

1	2	3	4	5
	2. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - अजमेर		
	3. बुंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	4. भिलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	5. डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
18.	1. भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	बिहार
	2. मगध ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - पटना		
	3. नालंदा ग्रामीण बैंक			
	4. पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक			
19.	1. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बड़ौदा पूर्वी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	उत्तर प्रदेश
	2. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - रायबरेली		
	3. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	4. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	5. प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	6. फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	7. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
20.	1. चेतन्या ग्रामीण बैंक	चेतन्या गोदावरी ग्रामीण बैंक	आन्ध्रा बैंक	उत्तर प्रदेश
	2. गोदावरी ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - गुंटूर		

1	2	3	4	5
21.	1. चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	बिहार
	2. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - मुजफ्फरपुर		
	3. मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	4. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	5. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	6. सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
	7. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
22.	1. भागीरथ ग्रामीण बैंक	लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
	2. सरस्वती ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - सीतापुर		
	3. सरयू ग्रामीण बैंक (कलस्टर-I)			
23.	1. छत्रसाल ग्रामीण बैंक	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
	2. तुलसी ग्रामीण बैंक	मुख्यालय - ठरई		
	3. विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक (कलस्टर-II)			

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक

2271. श्रीमती जयाप्रदा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ राजनीतिज्ञों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निदेशकों को क्या सुविधाएं दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3क), जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के नामांकन से संबंधित है, निम्नानुसार है:-

खंड (ज) के अंतर्गत नामित किए जाने वाले या उप-धारा (3) के खंड (झ) के तहत चुने जाने वाले निदेशकों को

(क) निम्नलिखित एक या अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होंगे नामत:

(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था;

(ii) बैंकिंग;

(iii) सहकारिता;

(iv) अर्थशास्त्र;

(v) वित्त;

(vi) विधि;

(vii) लघु उद्योग;

(viii) कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक के विचार में नए बैंक के समरूप होने से उपयोगी होगा;

(ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे; या

(ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

इसी प्रकार, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19(1)(घ) में यह व्यवस्था है कि सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कार्य का ज्ञान रखने वाले या वाणिज्य, उद्योग, बैंकिंग या वित्त का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को निदेशकों के रूप में नामित किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निदेशक का नामांकन उपर्युक्त योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए और सरकार द्वारा इस संबंध में तैयार अधिनियम और योजना के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में हाल ही में नियुक्त किए गए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सूची में दर्शाए गए कुछ निदेशक राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं लेकिन वे ऊपर निर्धारित पात्र मानदण्डों के भीतर आते हैं।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 की शर्तों के अनुसार और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 27, 28 तथा 29 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए या बैंक के किसी कार्य में भाग लेने के लिए निदेशक बैठक शुल्क के पात्र हैं। शुल्क के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित यात्रा और विराम व्यय की प्रतिपूर्ति के भी पात्र होंगे।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की सूची

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	बैंक का नाम
1	2	3
1.	श्री मौलिन वैष्णव	बैंक आफ बड़ौदा
2.	श्री रमेश सभरवाल	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
3.	श्रीमती मस्सरत शाहिद	बैंक आफ बड़ौदा

1	2	3
4.	श्रीमती शांताबेन चावदा	बैंक आफ इंडिया
5.	ए. अली अजीजी	बैंक आफ महाराष्ट्र
6.	श्री शब्बीर पाशा	केनरा बैंक
7.	श्री पंकज ठक्कर	केनरा बैंक
8.	श्री कमल फारुकी	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
9.	डॉ. प्रभा तविय़ाद	बैंक आफ इंडिया
10.	मेजर वेद प्रकाश	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
11.	श्री निर्मल खत्री	यूको बैंक
12.	मेजर सुश्री कृष्णा मोहिनी	पंजाब एंड सिंध बैंक
13.	श्रीमती सत्या बहिन	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
14.	श्री हरीश चन्धोक	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
15.	श्रीमती के. अंजनाप्पा	आन्ध्रा बैंक
16.	श्री उमेश शर्मा	पंजाब एंड सिंध बैंक
17.	श्री एच.एस. जोश	पंजाब एंड सिंध बैंक
18.	श्री सूरज खत्री	इंडियन ओवरसीज बैंक
19.	श्री जी. चर्थचन्द्रन	इंडियन बैंक
20.	श्री एम.एन. कंडास्वामी	इंडियन ओवरसीज बैंक
21.	श्री अब्दुल रशीद	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
22.	श्री पी.सी. जोरम संगलीना	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया
23.	सुश्री उमेन मोयोंग देवरी	यूको बैंक

[हिन्दी]

झारखंड को विदेशी सहायता

2272. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड तथा उत्तर प्रदेश में विदेशी सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशी सहायता प्राप्त एजेंसियां मुख्यत: इन परियोजनाओं के अंतर्गत गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) झारखंड और उत्तर प्रदेश में 2005-06 के दौरान विदेशी सहायता के साथ कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये परियोजनाएं वानिकी, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, भूमि प्रबंधन, जल संसाधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका गरीबी उपशमन पर भी प्रभाव पड़ता है।

(ग) से (च) विश्व बैंक से झारखंड में सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) परियोजना में अनियमितता की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड सरकार को मैसर्स सरस्वती प्रेस लि.; कोलकाता को पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिए दिए गए संविदा को रद्द करने और संविदा को पुन: विज्ञापित करने तथा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अधिप्राप्ति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लिए नए सिरे से बोलियां आमंत्रित करने की सलाह दी है।

विवरण

झारखंड को विदेशी सहायता

क्र.सं.	एजेंसी	परियोजना का नाम	करार की तिथि	दी गई ऋण/अनुदान की राशि
झारखंड				
1.	आईडीए	झारखंड सहभागिता वन प्रबंधन परियोजना (अग्रिम)	2/11/2004	0.515 मि. अमरीकी डालर–ऋण
2.	आईडीए	झारखंड सहभागिता वन प्रबंधन क्षमता निर्माण	6/05/2004	0.432 मि. अमरीकी डालर–अनुदान
उत्तर प्रदेश				
1.	फ्रांस	चिकित्सकीय उपस्कर की आपूर्ति और क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश	25/01/1998	4.604 मिलियन यूरो–ऋण
2.	आईबीआरडी	उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19/05/2000	140.30 मि. अमरीकी डालर–ऋण
3.	आईबीआरडी	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	19/02/2003	488 मि. अमरीकी डालर–ऋण
4.	आईडीए	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना-II	4/02/1999	141.7 मिलियन एक्सडीआर*–ऋण
5.	आईडीए	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	8/03/2002	90.47 मिलियन एक्सडीआर*–ऋण
6.	ईईसी	उत्तर प्रदेश में तंगभाटी स्थिरीकरण	17/04/1997	7.9 मिलियन यूरो–अनुदान
7.	नीदरलैंड्स	गंगा कार्ययोजना सहायता परियोजना	23/07/1997	24.12 मिलियन यूरो–अनुदान
8.	नीदरलैंड्स	बुंदेल खंड समेकित जल परियोजना	12/06/1996	1.27 मिलियन यूरो–अनुदान
9.	यू.के.	पश्चिमी भारत वर्षा सिंचित कृषि परियोजना-II	21/04/1999	15.09 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड–अनुदान

*एक्सडीआर–विशेष आहरण अधिकार।

[अनुवाद]

जूट उत्पादों का आयात

2273. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान जूट उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिए देश-वार कितनी मात्रा में जूट उत्पादों का आयात किया गया;

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में आयात में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत से बाहर गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) बांग्लादेश तथा नेपाल से आयात का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त के मद्देनजर जूट के शतप्रतिशत एकाधिकार को कम करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो जूट की वस्तुओं का आयात कम करने तथा विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) राजस्व विभाग, भारत सरकार, कोलकाता के सीमा शुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वर्ष (2004-05) के दौरान पटसन उत्पादों की आयात के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

अवधि (अप्रैल-मार्च)	पटसन उत्पादों का आयात	
	मात्रा (हजार मी.टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2004-05	32.17	70.74
2005-06 (अप्रैल-जनवरी)	64.89	142.40

पटसन सामानों के आयात के देश-वार आंकड़े सीमा शुल्क प्राधिकारियों से उपलब्ध नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतर आयात बांग्लादेश और नेपाल से हैं।

(ख) पटसन सामानों के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों की वजह से है:-

(1) बांग्लादेश को सार्क का सदस्य होने के नाते आयात शुल्क की मानक दर पर कच्ची पटसन पर 50% तक और पटसन सामानों पर 60% तक की शुल्क रियायत मिलती है। आयात शुल्क की कटौती और शुल्क रियायत से कच्ची पटसन और पटसन सामानों का आयात कच्ची पटसन और पटसन सामानों की घरेलू बाजार कीमत की तुलना में सस्ता पाया जाता है।

(2) बांग्लादेश में उत्पादित कच्ची पटसन की उत्पादकता बेहतर पायी जाती है जिसका इस्तेमाल निर्यात बाजार के लिए उम्दा कोटि के यार्न के फैब्रिक्स के विनिर्माण में भारतीय पटसन उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

(ग) अप्रैल 2005 से जनवरी 2006 में पटसन सामानों के आयात के कारण 59.73 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर विदेशी मुद्रा के खर्च का अनुमान है।

(घ) देशवार आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अधिकतर आयात बांग्लादेश और नेपाल से हैं।

(ङ) और (च) इस समय विभिन्न वस्तुओं के लिए निर्धारित अनिवार्य पैकेजिंग का वर्तमान स्तर कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत स्थायी सलाहकार समिति पटसन अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी संगत मामलों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं के लिए अनिवार्य पैकेजिंग के उपयुक्त प्रतिशत की सिफारिश करती है।

(छ) पटसन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और पटसन सामानों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस संबंध में पटसन आयुक्त ने 04.07.2002 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 698(ई) जारी की जिसमें मूल देश सहित प्रत्येक आयातित पटसन बोरे की मार्किंग सुनिश्चित करने के लिए सभी आयातकों के वास्ते इसे अनिवार्य बनाया गया है ताकि पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तहत आरक्षित खाद्यान्न एवं चीनी क्षेत्र में उन बोरों का प्रयोग न हों। पटसन आयुक्त द्वारा दूसरी राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 828(ई) दिनांक 08.08.2001 जारी की गई है जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भार की दृष्टि से 3% नॉन हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन (जूट बैचिंग ऑयल) से अधिक वाले पैकेजिंग प्रयोजन के लिए बने पटसन सामानों (आयातित पटसन उत्पादों सहित) का निर्माण नहीं करेगा और/अथवा भंडारण नहीं करेगा। इसके अलावा, पटसन आयुक्त के कार्यालय ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क अधिकारियों से कई बार यह अनुरोध किया है कि वे यह देखें कि कोई पटसन उत्पादन का कोई अवैध आयात न हो।

बच्चों के लिए जीवन बीमा

2274. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बच्चों के लिए पोस्टल जीवन बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार डाक बचत खाताधारकों को दुर्घटना मृत्यु बीमा कवरेज प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत जनवरी, 2006 में एक बच्चों की जीवन बीमा पॉलिसी शुरू की है।

(ख) इस पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) "चिल्ड्रन्स पॉलिसी" की शुरुआत देश भर में 20 जनवरी, 2006 को की गई।

(घ) और (ङ) विभाग ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से डाकघर बचत बैंक खाता धारकों को 15/- रु. की प्रीमियम दर पर एक वर्ष के लिए एक लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर प्रदान कर रहा है।

विवरण

चिल्ड्रन्स पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं

- इस योजना में डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के बच्चों को बीमा कवर प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
- एक परिवार के अधिकतम दो बच्चे चिल्ड्रन पॉलिसी लेने के पात्र होंगे।
- 5 और 20 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे पात्र हैं और अधिकतम बीमित राशि एक लाख प्रति संतान अथवा मुख्य पॉलिसी धारक की बीमित राशि के समतुल्य है, इनमें से जो भी कम हो।
- मुख्य पॉलिसी धारक की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- मुख्य पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चिल्ड्रन पॉलिसी पर कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी और चिल्ड्रन पॉलिसी की अवधि की समाप्ति पर बच्चे को पूरी बीमित राशि के साथ उपार्जित बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। बच्चे/बच्चों की मृत्यु होने की स्थिति में पूरी बीमित राशि और उपार्जित बोनस मुख्य पॉलिसी धारक को अदा की जाएगी।
- चिल्ड्रन पॉलिसी के प्रीमियमों के भुगतान की जिम्मेदारी मुख्य पॉलिसी धारक की होगी। चिल्ड्रन पॉलिसी पर कोई ऋण मंजूर नहीं किया जाएगा, हालांकि, इस पॉलिसी को प्रदत्त (पेड-अप) बनाने की सुविधा होगी बशर्ते कि लगातार पांच वर्षों तक प्रीमियमों की अदायगी की हो।
- बच्चे की चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं है हालांकि, प्रस्ताव के दिन बच्चे का स्वस्थ होना आवश्यक है और जोखिम की शुरुआत प्रस्ताव की स्वीकृति के दिन से प्रारंभ हो जाएगी।
- इस पॉलिसी पर एण्डाउमेंट पॉलिसी के लिए लागू दर से बोनस प्रदान किया जाएगा। पीओआईएफ नियमावली में समय-समय पर हुए संशोधन चिल्ड्रन पॉलिसी पर भी लागू होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान के लिए फिलीपीन्स के साथ समझौता

2275. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (पीयूआरए) के संबंध में फिलीपीन्स के साथ किसी समझौते या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त के क्रियान्वन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना

2276. श्री जसुभाई धनाभाई बारद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा हासिल की गई उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित तथा खर्च की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 18 है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2000-03	18	28
2003-04	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	2*
2004-05	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	2*

*एक्सचेंजों की स्थापना मांग के अनुसार की जाती है।

(ग) इस अवधि के दौरान आवंटित तथा व्यय की गई निधियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष	आवंटित निधियां (हजार रु. में)	व्यय की गई निधियां (हजार रु. में)
1	2	3
2000-03	85860	133560
2003-04	कोई निधि आवंटित नहीं की गई	9540
2004-05	कोई निधि आवंटित नहीं की गई	9320

[हिन्दी]

नासकॉम

2277. श्री इंसराज पी. अहीर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासकॉम द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि विदेश में बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने भारत लौटना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक भारत वापस लौटे ऐसे वैज्ञानिकों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे वैज्ञानिकों की अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान अनुसंधान हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ) क्या उक्त आवंटन विदेशी अनुसंधान मानकों के अनुरूप है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, नहीं। नैसकॉम ने विदेशों में बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, जो भारत वापिस आ रहे हैं, की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) सरकार ने वैज्ञानिकों की कार्यदशाओं को उन्नत करने तथा उनके देश में रहने/देश वापस लौटने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलें की हैं और कदम उठाए हैं। समय-समय पर उठाए जाने वाले कदम निम्नलिखित हैं:-

- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान का गहनीकरण (आईआरएचपीए)।

- उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए निधि (फिस्ट)।
- विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों में उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन के केन्द्रों की स्थापना।
- विज्ञान के नए और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के अनुशीलन के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावसायिकों के कोर दलों का सृजन।
- नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन।
- युवा वैज्ञानिक के लिए फास्ट ट्रैक योजना।
- मिशन डोप (उच्चतर शिक्षा - उद्यमवृत्ति संवर्धन हेतु अवसर) आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यम में बदलने के उद्देश्य से (सीएआरई)।
- अनुसंधान तथा विकास को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित तथा प्रेरित करने के लिए सम्पर्क कार्यक्रम।
- हीरक जयंती अनुसंधान इंटर्न्स पुरस्कार योजना, जेआरएफ-जीएटीई और शोध अध्येताओं को उद्यमवृत्ति सहायता।
- आरंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/आर्किटेक्चर आदि में प्रतिभावान तथा युवा अन्तर-स्नातक छात्रों को अध्यापन को अपने कैरियर के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित करना है।
- उद्यमवृत्ति के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
- रामानुजन अध्येतावृत्ति।
- जे.सी. बोस राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।
- रमन्ना अध्येतावृत्ति।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति।
- स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्ति।
- एस.ई.आर.सी. विजिटिंग अध्येतावृत्ति।
- कनिष्ठ/वरिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति, शोध एसोसिएटशिप और वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएटशिप।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों का दौरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (ब्यायजकास्ट) अध्येतावृत्ति।
- एस.ई.आर.सी. व्यक्तिगत परियोजनाएं।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभर रहे क्षेत्रों में सहयोग के लिए अल्पकालिक तकनीकी दायित्वों के लिए विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के लिए अवसर।
- जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान में पोस्ट डाक्टरल अध्येतावृत्तियां।

(घ) और (च) केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों के लिए योजना व्यय में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-2006 के लिए योजना परिव्यय 6553.74 करोड़ रुपये था। इस प्रयोजन के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड नहीं है। प्रत्येक देश द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अनुसंधान तथा विकास के लिए आबंटन किया जाता है।

[अनुवाद]

गांवों का विकास

2278. श्री अधीर चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत विकास हेतु चयनित या चयन हेतु प्रस्तावित गांवों के नाम क्या हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से अनेक योजनाएं अर्थात् स्वरोजगार के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), मजदूरी रोजगार के रूप में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), आवास

मुहैया कराने के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीईपी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), वाटरशेड परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) एवं स्वजलधारा और स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) कार्यान्वित करता है। ये सभी योजनाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, आईएवाई, पीएमजीएसवाई और एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत राज्य-वार केन्द्रीय आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2005-06 के लिए प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	केन्द्रीय आबंटन					
	एसजीआरवाई	एनएफएफडब्ल्यूपी	एसजीएसवाई	आईएवाई	पीएमजीएसवाई	एआरडब्ल्यूएसपी
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	28139.33	27199.63	5305.97	24399.42	10000.00	21032.00
अरुणाचल प्रदेश	1524.09	425.26	276.91	949.43	5200.00	9060.00
असम	39560.89	37100.61	7195.18	20994.23	17600.00	15280.00
बिहार	55724.88	58812.89	12623.79	72020.72	33200.00	15324.00
छत्तीसगढ़	15705.09	23181.35	2802.45	3773.17	33000.00	5154.00
गोवा	403.44	0.00	50.00	150.28	500.00	193.00
गुजरात	12320.13	8895.33	1997.27	11966.03	6000.00	12339.00
हरियाणा	6490.41	627.62	1175.03	1680.04	2500.00	3590.00
हिमाचल प्रदेश	2733.38	676.75	494.85	592.56	13200.00	10605.00
जम्मू व कश्मीर	3212.07	1100.60	612.44	1840.52	6000.00	20073.00
झारखंड	37791.40	50315.90	4757.98	6423.93	19500.00	5529.00
कर्नाटक	21013.87	6514.20	4006.76	9400.43	10500.00	17555.00
केरल	9428.94	1218.36	1797.82	5227.51	2500.00	5386.00

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	33915.78	35201.76	6007.91	7504.14	53500.00	15101.00
महाराष्ट्र	41539.76	34504.70	7920.39	14714.56	14000.00	27591.00
मणिपुर	2655.16	889.78	482.36	824.15	2800.00	3110.00
मेघालय	2974.57	1212.16	540.42	1435.38	4000.00	3583.00
मिजोरम	688.33	212.89	125.06	306.89	2700.00	2569.00
नागालैंड	2040.38	1015.71	370.70	949.84	2500.00	2637.00
उड़ीसा	31829.53	49621.06	6068.94	14149.75	26800.00	12405.00
पंजाब	7219.10	1595.09	571.05	2077.71	3000.00	3642.00
राजस्थान	15956.71	7866.58	3042.47	6013.11	28600.00	44034.00
सिक्किम	762.08	703.70	138.45	181.66	2500.00	1083.00
तमिलनाडु	24606.12	10803.45	4691.65	9768.97	8500.00	11875.00
त्रिपुरा	4794.48	3439.89	870.92	1849.42	3500.00	3178.00
उत्तर प्रदेश	94042.72	58738.53	18173.71	32348.75	44500.00	24764.00
उत्तरांचल	6281.04	2259.88	955.10	1621.77	9500.00	5725.00
पश्चिम बंगाल	35372.18	25496.32	6744.42	19518.40	22100.00	13308.00
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	264.70	0.00	25.00	309.46	0.00	9.37
दादरा व नगर हवेली	174.27	0.00	25.00	51.56	0.00	6.25
दमन व दीव	84.46	0.00	25.00	23.07	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
लक्षद्वीप	132.39	0.00	25.00	20.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	268.30	0.00	100.00	154.14	0.00	4.69
कुल	539650.00	449630.00	100000.00	273240.00	388200.00	315750.00

आईडब्ल्यूडीपी, डीपीएपी और डीडीपी मांग आधारित योजनाएं हैं और इस प्रकार राज्य-वार केन्द्रीय आबंटन नहीं किया जाता है।

मिलगेट प्राइस योजना

2279. प्रो. एम. रामदास : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघों का कितना प्रतिशत मिलगेट प्राइस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यह योजना कितनी प्रभावी रही है और इसके खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना को सहकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) हथकरघा क्षेत्र में सूत की कुल आवश्यकता का लगभग 4% वर्तमान में मिल गेट कीमत योजना के तहत शामिल किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) ने योजना का मूल्यांकन किया और यह निष्कर्ष निकला कि योजना रोजगार के अवसर सृजन करने, स्थानीय व्यावसायियों द्वारा लिए जाने वाले मूल्य की अपेक्षा कम कीमत पर गुणवत्ता सूत की उपलब्धता सुनिश्चित करने, सूत व्यवसायियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य निर्धारण में लचीलेपन के रूप में कार्य करने, व्यावसायियों के शोषण से बुनकरों को बचाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार को मजबूत बनाने में अत्यधिक उपयोगी एवं सहायक रही है। इसे करघा उत्पादकता में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है एवं इससे बुनकर उचित मजदूरी प्राप्त करने में भी सक्षम हुए हैं।

(ग) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), बुनकर संघों, बुनकर समितियों एवं गैर-सरकारी संगठनों को योजना के तहत पहले से ही शामिल किया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान मास्टर बुनकर भी सूत प्राप्त करने के लिए शामिल किए गए हैं और सहकारी क्षेत्र के बाहर के बुनकरों को भी सहायता दी जाती है।

(घ) समेकित शिक्षा प्रबंधन संस्थान (आईआईएलएम) को वस्तु आधार पर डिपो प्रचालन प्रभार तथा भाड़े की पूर्तिपूर्ति के लिए दरों के सुझाव के अध्ययन के लिए रखा गया है।

डिपो प्रचालन के माध्यम से संकेन्द्रित प्रचार एवं परिवर्धन का कार्य भी अपेक्षित है।

सुरक्षा एजेन्सियों की सेवाएं लेना

2280. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छः दूरसंचार परिमंडलों के मुख्य महाप्रबंधकों, दूरसंचार (बीएसएनएल) ने अपने निगम कार्यालय के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पुनर्वास महानिदेशालय से नामिकायित प्रायोजित भूतपूर्व सैनिकों के स्थान पर खुली निविदा के माध्यम से संविदा पर सुरक्षा एजेन्सियों को काम सौंपा है जिसके परिणामतः भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्वास के लाभ से वंचित रखते हुए अगस्त 2001 से मार्च, 2004 के बीच की अवधि के दौरान संविदा श्रमिकों पर 6.30 करोड़ रु. का अनियमित व्यय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनर्वास महानिदेशालय के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए एमटीएनएल ने भी भूतपूर्व सैनिकों के स्थान पर निजी सुरक्षा एजेन्सियों को नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निजी सुरक्षा एजेन्सियों की सेवाएं लेने में कितना व्यय आया है; और

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसरों से वंचित रखने तथा करोड़ों रुपये का अनियमित व्यय कराने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के छः दूरसंचार सर्किलों ने बीएसएनएल निगमित कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेन्सियों की सेवाएं लेने से पूर्व की परिवर्तन अवधि के दौरान सुरक्षा एजेन्सियों को संविदा आधार पर काम पर लगाया था जिसमें 6.30 करोड़ रु. व्यय हुआ।

(ख) व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त "ग" को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) बीएसएनएल जवाबदेही निर्धारित करने के लिए अनुचित विलम्ब एवं त्रुटियों के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से इन मामलों की जांच कर रहा है।

विवरण

कथित अनियमित व्यय का सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	राशि लाख रुपए में	तैनाती की पद्धति
1	2	3	4
1.	हरियाणा सर्किल		
	टीडीएम/रिवाड़ी	40.21	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	जीएमटी/गुड़गांव	52.80	
2.	तमिलनाडु सर्किल		
	सलेम और वेल्लोर	161.18	डीजीआर तथा खुली निविदा के माध्यम से तैनात
3.	पश्चिम बंगाल सर्किल		
	जीएमटी/जलपाईगुड़ी	28.99	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
4.	मध्य प्रदेश सर्किल		
	जीएमटीडी, उज्जैन	8.10	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	जीएमटीडी, ग्वालियर	32.09	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	जीएमटीडी, इन्दौर	60.00	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	टीडीएम, धार	21.56	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	टीडीएम, पन्ना	2.50	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	टीडीएम, नरसिंहपुर	4.93	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	टीडीएम, मोरैना	26.40	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	टीडीएम, देवास	13.60	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	टीडीएम, विदिशा	3.23	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	टीडीएम, सिओनी	1.53	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
5.	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल		
	जीएमटीडी, गोरखपुर	120.97	डीजीआर तथा खुली निविदा के माध्यम से तैनात
6.	कर्नाटक सर्किल		
	जीएमटीडी, दावनगेरे	47.25	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	डीजीएम, बैंगलूर	5.01	खुली निविदा के माध्यम से तैनात
	कुल	630.35	

मास्को में भारतीय प्रौद्योगिकी केन्द्र

2281. श्री राजापति सांबासिवा राव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री के मास्को दौरे के दौरान रूसी प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए मास्को में एक भारतीय प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ग) क्या रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सबसे बड़ा समेकित दीर्घकालीन वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय

सहयोग कार्यक्रम है जिसमें दोनों देशों के सर्वोत्तम प्रायोगशालाओं अनुसंधान संस्थानों के हज़ारों वैज्ञानिक कार्यरत हैं; और

(घ) दोनों देशों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ावा देने में मास्को में भारतीय प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना से कितनी मदद मिलेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) सितम्बर, 2005 में केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा मास्को की यात्रा के दौरान भारत और रूस के विज्ञान मंत्री रूसी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मास्को में भारत-रूस प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना के लिए सहमत हुए।

(ख) इस प्रस्तावित केन्द्र के प्राथमिक उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं: प्रौद्योगिकियों का पता लगाना, उनका मूल्यांकन और हस्तांतरण।

(ग) जी, हां। भारत का केवल रूस के साथ एक एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम (आईएलटीपी) है, जो हमारा सबसे बड़ा वैज्ञानिक सहयोग कार्यक्रम है, यद्यपि हमने अनेक अन्य देशों के साथ ऐसे बड़े वैज्ञानिक सम्पर्क कार्य किए हैं।

(घ) यह प्रस्तावित केन्द्र उद्योग को उपलब्ध एवं संयुक्त रूप से विकसित उच्च प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से संबंधित क्रियाकलापों में अत्यधिक तेजी प्रदान करेगा।

कृत्रिम तंतु (फाइबर)

2282. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूती धागे से अधिक कृत्रिम तंतु के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जन स्वास्थ्य के हित में सूती वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन देने का है;

(घ) क्या हमारे देश के लोगों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वस्त्रतंतु का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) सरकार ने मानव निर्मित फाइबर और सूती यार्न के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर देश में मानव निर्मित फाइबर और सूती यार्न दोनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

(ग) सरकार ने देश में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखितानुसार विभिन्न कदम उठाए हैं:-

(i) वर्तमान जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर तथा मौजूदा बाजार यार्डों में सुधार/नए बाजार यार्डों की स्थापना कर कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(ii) कपास की उपज में सुधार लाने के लिए बेसीलस थूरिनजिंसिस (बीटी) नामक कपास की कीटरोधक किस्म वाणिज्यिक रूप से जारी कर दी गई है।

(iii) सरकार ने पर्याप्त नहर जल आपूर्ति प्रदान की है और जल संसाधनों के कारगर उपयोग तथा फार्म रसायनों के कम प्रयोग को प्रोत्साहित कर दी है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। देश में क्लोदिंग फाइबर का उपयुक्त रूप से निर्धारण करने के लिए किए जा रहे किसी विशिष्ट अध्ययन की कोई सूचना नहीं है। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए फाइबर की उपयुक्तता जलवायु तथा स्थानीय स्थितियों के अनुसार अलग-अलग है।

[हिन्दी]

संवेदी सूचकांक में उछाल

2283. **श्री मोहन सिंह :**
श्री देवीदास पिंगले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी सूचकांक के 10000 प्वाइंट के स्तर को छुआ है जो देश की बुनियादी आर्थिक स्थिति के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके 1000 प्वाइंट के आंकड़े को पार करने के बाद भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने के लिए क्या कारण हैं; और

(ग) छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) दिनांक 7 फरवरी, 2006 को स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई का न्यूनतम सूचकांक सेनसेक्स 10000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ।

सूचकांक का ऊर्ध्वस्थ संचलन अर्थव्यवस्था, तथा/अथवा क्षेत्रक या किसी सूचकांक स्टॉकों के सकारात्मक अवबोधन से प्रत्युत्पन्न वर्धित निवेश का कार्यकलाप है। स्टॉक सूचकांकों का संचलन आर्थिक कारकों, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, बाजार मनोभावों, कारपोरेट कार्यनिष्पादन तथा भावी आर्थिक अभिवृद्धि पर भी निर्भर होता है। स्टॉक बाजार अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रकों की अभिवृद्धि का मूल्यांकन करते हुए अभिवृद्धि अवसरों के वर्तमान तथा भावी मूल्यों को पूंजीकृत करती है। सूचकांक का ऊर्ध्वस्थ संचलन पूंजी बाजार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय निवेश समुदाय के सकारात्मक अवबोधन में योगदान देती है तथा सामान्यतया पूंजी बाजार में निवेश के उच्चतर स्तर के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में प्रत्येक निवेश के साथ संबद्ध है। सामान्यतया यह अर्थव्यवस्था की वर्धित वित्तीय सुस्वस्थता के साथ सम्बद्ध है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सेंसेक्स के स्तर कुछ भी होने के बावजूद बाजार पर सतत निगरानी रखता है तथा इसने, जहां भी आवश्यक हो, तत्काल कार्रवाई की है। दिवस कारोबार तथा सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए अनेक स्क्रिपों को कारोबार से कारोबार खंड में अंतरित कर दिया गया है। अनेक स्क्रिपों पर सर्किट फिल्टर/मूल्यवर्ग अधिरोपित किए गए हैं। सेबी स्टॉक एक्सचेंजों के निगरानी पदाधिकारियों के साथ नियमित एवं साप्ताहिक बैठकों का आयोजन करता है। स्टॉक एक्सचेंजों को यथावश्यक त्वरित प्रदर्शनात्मक कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दी गई है ताकि निवेशकों के हित का संरक्षण किया जा सके तथा स्टॉक बाजार का सुव्यवस्थित कार्यकरण सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर प्रमुख अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचारपत्रों के माध्यम से प्रतिभूतियों में संव्यवहार के संबंध में निवेशकों के लिए करण तथा अकरण की सूची भी जारी करते हैं। सेबी भी इसके आवधिक रूप से संचालित निवेशक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से इस पर महत्व देता है।

सरकार तथा सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिभूति बाजार एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी, सुरक्षित तथा उचित तरीके से प्रचालन करें ताकि निवेशकों के हितों का संरक्षण हो। इस उद्देश्य के अनुसरण में यह सेबी का प्रयास रहा है कि वह निर्गमकर्ताओं, प्रतिभूतियों तथा बाजार की सांस्थानिक व्यवस्थाओं के संबंध में समस्त संगत सूचना निवेशकों को उपलब्ध कराए ताकि निवेशकों को संसूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

[अनुवाद]

मुंबई में बैंक ऋण में वृद्धि

2284. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक बंदरगाह और ऐतिहासिक तथा भौगोलिक लाभ की स्थिति के बावजूद मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में अपनी प्रधानता को तेजी से गवांती जा रही है;

(ख) क्या मुंबई में बैंक-ऋण की वृद्धि अन्य शहरों से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने व्यापार, औद्योगिक विकास बैंक-ऋण के संदर्भ में मुंबई के सतत् विकास हेतु कोई योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवसंरचनात्मक और अन्य विकास हेतु केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। विगत वर्षों में अधिक ऋण वितरित किए जाने के कारण अन्य कुछ नगरों की तुलना में मुंबई में वृद्धि दर कम हुई है।

(ग) और (घ) हाल ही में शुरू की गई जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत् बृहद् मुंबई में अवसंरचनात्मक विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 35333 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार का उक्त प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय में विचाराधीन है।

नाबार्ड के कार्यालयों का खोला जाना

2285. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने विभिन्न राज्यों के जिलों में जिला विकास प्रबंधकों के कार्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और फरवरी, 2006 तक प्रत्येक राज्य में राज्यवार ऐसे कुल कितने कार्यालय खोले गए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसे कार्यालय खोले जाने के लिए नाबार्ड द्वारा कितने जिलों की पहचान की गई है; और

(घ) किसानों को सुविधाएं देने के लिए पहचान किए गए जिलों में कब तक कार्यालय खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) के कार्यालयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और वर्ष 2006-07 में विभिन्न राज्यों में ऐसे कार्यालय खोलने के लिए नाबार्ड द्वारा पहचान किए गए जिलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

डी.डी.एम. कार्यालय एवं 2006-07 के दौरान ऐसे कार्यालयों के खोलने के लिए नाबार्ड द्वारा पहचान किए गए जिलों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	डी.डी.एम. कार्यालयों की सं.	पहचान किए गए नये डी.डी.एम. कार्यालय खोलने वाले जिले
1	2	3	4
1.	असम	15	1. चुबरी
			2. नलबाड़ी
			3. गोलाघाट
2.	आंध्र प्रदेश	21	
3.	बिहार	21	1. सहरसा
			2. खगड़िया
			3. नवादा
4.	छत्तीसगढ़	11	1. कवरदा
			2. जशपुर
5.	गोवा	1	
6.	गुजरात	18	1. आनन्द
7.	हरियाणा	14	1. रेवाड़ी
8.	हिमाचल प्रदेश	9	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2	
10.	झारखण्ड	14	1. गोड्डा
			2. चतरा
			3. सिमडेगा
11.	कर्नाटक	21	1. हवेरी
			2. गदाग
12.	केरल	13	
13.	मध्य प्रदेश	26	1. टीकमगढ़
14.	महाराष्ट्र	30	
15.	मणिपुर	1	
16.	मेघालय	2	
17.	उड़ीसा	23	1. अंगुल
			2. झारसुगुड़ा
18.	पांडिचेरी	1	
19.	पंजाब	14	1. मनसा

1	2	3	4
20.	राजस्थान	23	1. चूरू
			2. डूंगरपुर
			3. जालौर
21.	सिक्किम	1	
22.	तमिलनाडु	27	
23.	त्रिपुरा	1	
24.	उत्तर प्रदेश	46	
25.	उत्तरांचल	7	1. उत्तरकाशी
26.	पश्चिम बंगाल	14	1. दार्जिलिंग
			2. दक्षिण दिनाजपुर
	कुल	376	25

[हिन्दी]

बीमा कानून में संशोधन

2286. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कानून में प्रस्तावित संशोधनों का एक मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान बीमा कानूनों में संशोधन सुझाने के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण दास महंत) : (क) से (ङ) विधि आयोग ने सरकार को प्रस्तुत अपनी 190वीं रिपोर्ट से बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 तथा बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न प्रावधानों का सत्यापन, संशोधन, पुन: सत्यापन, पुन: बनाना, पुन: विनिर्दिष्टीकरण हटाना तथा पुन: परीक्षण करने की अनुशंसा सरकार से की है। आईआरडीए ने विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करते हुए दिनांक 7 मार्च, 2005 को एलआईसी के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री के.पी. नरसिम्हन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ का गठन किया। सरकार को समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों का सत्यापन

2287. श्री रघुनाथ झा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के शुरू होने से अब तक कथित तौर पर निर्मित सभी 1.16 करोड़ आवासों का सत्यापन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका लाभ लक्षित निर्धनतम वर्ग तक पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन आवासों का सत्यापन कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इंदिरा आवास योजना का लाभ अपात्र व्यक्तियों द्वारा उठाए जाने के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और इन मामलों में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (घ) जिला स्तर निगरानीकर्ता योजना (डीएलएम) एक ऐसा निगरानी तंत्र है जिसके माध्यम से इंदिरा आवास योजना सहित ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों की वास्तविक जांच करके निगरानी की जाती है। डीएलएम प्रणाली नई अवधारणा की जांच करने के लिए 18 राज्यों के 60 जिलों में वर्ष 2001-02 के दौरान प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। वर्ष 2004-05 से, डीएलएम का विस्तार 27 राज्यों के 130 जिलों तक किया गया है। मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आदिनांक 2.74 लाख आईएवाई मकानों की जांच की गई है और उन्हें संतोषजनक पाया गया है। जहां तक पात्र लाभार्थियों के चयन के मामले का संबंध है, जब भी ऐसा कोई मामला मंत्रालय

की जानकारी में लाया जाता है, तो उसे उपयुक्त उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ तुरंत उठाया जाता है।

ग्रामीण बैंक शाखाओं का बंद होना

2288. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के साथ-साथ कितनी ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण बैंक शाखाएं बंद की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वभौमिक सेवादायित्व कोष (यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड्स)

2289. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वभौमिक सेवादायित्व कोष के अंतर्गत धनराशि को जारी करने में विलम्ब के कारण ग्रामीण भारत की दूरसंचार सेवाएं दुष्प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सार्वभौमिक सेवा सहजता नीति दिनांक 1.4.2002 से प्रभावी हुई थी। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) से संबंधित उपबंधों को जनवरी, 2004 में भारतीय तार अधिनियम में शामिल कर दिया गया था। भारतीय तार अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अनुसार वसूली गई यूएसओ लेवी को भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है। यूएसओ निधि को आबंटन करने का कार्य बजटीय प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। यूएसओ निधि को आबंटित राशि का निधि के सृजन किए जाने के वर्ष से सभी वर्षों में पूरा उपयोग कर लिया गया है। आबंटित तथा संवितरित राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	
	आबंटित	संवितरित
2002-03	300	300
2003-04	200	200
2004-05	1,314.58	1,314.58
2005-06	1,750	1,401.2 (15.02.06 तक)

शेष 348.98 करोड़ रुपए की राशि का 31.3.2006 तक उपयोग कर लिया जाएगा।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 25 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से राज्य-भर के एरिया नेटवर्क हेतु 25 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार ने अभी तक उपर्युक्त 25 में से 20 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

भू-संपदा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2290. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भू-संपदा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र में विकास हेतु एक विनियामक बोर्ड की स्थापना की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भू-संपदा क्षेत्र में एक विनियामक बोर्ड की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) आर्थिक कार्यकलाप सृजित करने, नए रोजगार अवसर पैदा करने तथा मकानों की उपलब्ध संख्या में और निर्मित संरचना में वृद्धि करने के साधन के रूप में स्थावर सम्पदा में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने विदेशी निवेशक को केवल एकीकृत नगरों तक सीमित करने की बजाय प्रेस नोट 2(2005 सीरीज) के द्वारा नगरों, गृह निर्माण, निर्मित संरचना तथा निर्माण विकास परियोजनाओं में ऑटोमेटिक रूट के अधीन शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की इजाजत दी है जिनमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल रिसोर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक सुविधाएं, नगर तथा क्षेत्रीय स्तर के ढांचे शामिल हैं लेकिन ये परियोजनाएं इन तक सीमित नहीं हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। अद्यतन स्थिति के अनुसार निर्माण कार्यकलाप करने वाले लोगों/संगठनों से स्थावर सम्पदा क्षेत्र में विकास हेतु नियामक बोर्ड के गठन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण संस्थान का बंद होना

2291. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग, झारखण्ड में आयकर विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय और आयकर अधिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान खोला गया था;

(ख) क्या सरकार ने दोनों कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हजारीबाग के लोगों में क्षोभ व्याप्त है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कार्यालयों को बंद करने के संबंध में निर्णय की समीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) आयकर विभाग के हजारीबाग, झारखंड में आयकर आयुक्त का कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान नामक दो कार्यालय थे। कार्यात्मक आवश्यकताओं के कारण ही सितम्बर, 2005 में केवल क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्णय लिया गया था।

(घ) हजारीबाग के लोगों में व्याप्त रोष की स्थिति को संसद सदस्य श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा विभाग की जानकारी में ला दिया गया है।

(ङ) और (च) सरकार के समक्ष फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) कार्यात्मक आवश्यकताओं की वजह से हजारीबाग स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा था।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैण्ड सेवा

2292. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडबैण्ड सेवाओं से संबंधित नीतिगत प्रावधानों की समीक्षा का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समीक्षा के क्या परिणाम निकले?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सरकार को सिफारिश की गई है कि सरकार को ब्रॉडबैंड नीति के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और ब्रॉडबैंड हेतु लोकल लूप के प्रयोग की अनुमति और वित्तीय प्रोत्साहनों संबंधी ट्राई की पहले की सिफारिशों पर पुनर्विचार करना चाहिए। ट्राई द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की जा रही है।

प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट्स

2293. **प्रो. एम. रामदास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट्स से अधिक ऋणों को मंजूरी दी है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने यूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन करने के लिए ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का निरन्तर अनुपालन करने के लिए एक पृथक "अनुवीक्षण प्रकोष्ठ" की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक की जाएगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार बैंकों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कटौती करने के उपाय के रूप में "सरकारी लेखा परीक्षा" की प्रणाली लागू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 51, 58 एवं 59 बैंकों ने क्रमशः वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक ऋण मंजूर किया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने इन मामला-दर-मामला आधार पर विशिष्ट अनुमति प्रदान की है तथा इन बैंकों को कहा है कि वे इन मामलों, जहां वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा पार की गई है, उनके संदर्भ में वार्षिक वित्तीय विवरणों में "खातों से संबंधित नोट" में उपयुक्त प्रकटन करें। बैंकों से अपेक्षित है कि वे आरबीआई को तिमाही आधार पर एक्सपोजर की रिपोर्ट दें एवं इस रिपोर्ट का सत्यापन भी संबद्ध बैंकों की वार्षिक वित्तीय जांच के दौरान किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों द्वारा इनके दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी एवं जांच की एक बेहतर प्रणाली है।

(ङ) और (च) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बैंक अपनी सम्पूर्ण वसूली नीतियों, जिनमें अन्य खातों के साथ-साथ ऋण खातों पर नियमित कार्यवाही, सिविल न्यायालयों/डीआरटी में मुकदमे दायर करना, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत नोटिस जारी करना, समझौता निपटान एवं विभिन्न स्तरों पर एनपीए की निगरानी करना एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है, के अनुसार बकाया ऋणों की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। सरकार ने पीएसबी को एनपीए खातों सहित उधारकर्ताओं से बकायों की शीघ्र वसूली के लिए प्रभावी उपाय करने को कहा है। पीएसबी द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, उनकी सकल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2005 तक की स्थिति के अनुसार 5.5 प्रतिशत से घटक 31 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार 4.5 प्रतिशत तथा निवल अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 2.1 प्रतिशत से घटकर 31 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार 1.5 प्रतिशत हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा प्रस्तुत "वार्षिक लक्ष्य संबंधी उद्देश्य का विवरण" के आधार पर एनपीए में कमी सहित उनके कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए एक तंत्र तैयार किया है।

राज्यों के समतुल्य अंश की समीक्षा

2294. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले विद्यमान समतुल्य अंश की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50:50 से 90:10 तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों से अलग अन्य राज्यों के मामलों में 75:25 की विद्यमान वित्तपोषण प्रणाली की भी समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे मैचिंग अंश की समीक्षा नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) को छोड़कर, जिनमें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत निधियां रिलीज करता है, ज्यादातर ग्रामीण विकास योजनाओं में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच मौजूदा हिस्सेदारी 75:25 है।

टेलीफोन प्रशुल्क

2295. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान घरेलू टेलीफोन प्रशुल्क मोबाइल फोन से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन प्रशुल्क को तार्किक बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 द्वारा अधिकरण को उन दरों को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है जिन दरों पर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके मद्देनजर सरकार देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क निर्धारित नहीं करती है।

ट्राई द्वारा अधिसूचित मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण उपभोक्ताओं के मामले में फिक्स्ड लाइन, मोबाइल टेलीफोनी में रोमिंग सेवाओं और पट्टे पर दिए गए सर्किटों के प्रशुल्कों को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्कों का निर्धारण सेवा प्रदाता पर छोड़ दिया गया है।

अत: सेवा प्रदाता स्वयं ही अपने उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं और इन प्रशुल्कों में उनके वाणिज्यिक तथा लागत आधार पर मासिक किराए के संयोजनों, काल प्रभारों तथा नि:शुल्क कालों की अनुमति के रूप में अत्यधिक भिन्नता हो सकती है। वस्तुत: आज बुनियादी तथा सेल्युलर सेवा के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र में अनेक वैकल्पिक योजनाएं/स्कीमें मौजूद हैं अत: बुनियादी टेलीफोनों के घरेलू टेलीफोन प्रशुल्क की मोबाइल फोनों के प्रशुल्क से तुलना करना तर्कसंगत नहीं होगा।

[हिन्दी]

एक रुपये और अन्य सिक्कों का दुरुपयोग

2296. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आभूषण बनाने और अन्य उद्देश्यों के लिए एक रुपये और अन्य सिक्कों के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(घ) सिक्कों के दुरुपयोग की वजह से कितना घाटा हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। सिक्कों को गलाकर उनके कृत्रिम आभूषण बनाने से संबंधित दुरुपयोग के दो मामलों की सूचना सरकार को दिल्ली पुलिस से प्राप्त हुई है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गई है।

(घ) सिक्कों के दुरुपयोग से हुई हानि का आकलन नहीं किया जा सका है, क्योंकि पुलिस मामलों की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

एनपीआरएस के अंतर्गत फ्लैट

2297. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनपीआरएस के अंतर्गत जिन आबंटियों को फ्लैट नकदी आधार पर आबंटित किये गए थे, उन्होंने कब्जा लेने से पहले मांग के अनुसार पूरी अदायगी न करने के बावजूद भी इन्हें डीडीए द्वारा उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने मामलों में कब्जा लेने से पहले और इसमें अन्तर्ग्रस्त राशि का या तो कम भुगतान अथवा कोई भुगतान नहीं किया गया; और

(घ) पूरी अदायगी लिए बिना आबंटियों को फ्लैटों का कब्जा देने के लिए जिम्मेदार डीडीए के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है और अब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम (एनपीआरएस), 1979 के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को नकद आधार पर आबंटित किए गए फ्लैटों का कब्जा पूरी राशि का भुगतान करने और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही सौंपा जाता है और ऐसा कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है जिसमें पूरी राशि प्राप्त किए बिना कब्जा दिया गया हो।

बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन

2298. श्री चन्द्रशेखर बिखे पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्कृष्ट वैश्विक संव्यवहारों के अनुरूप बैंकों के बारे में सुदृढ़ शासन को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता में वृद्धि के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम में कब तक संशोधन कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 को लोक सभा में 13 मई, 2005 को पेश किया गया है। प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक शक्ति को मजबूत करना है। संक्षेप में, इस विधेयक में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निम्नलिखित संशोधन किए जाने का प्रावधान है:-

(i) अधिनियम की धारा 5 (क) में संशोधन जो "अनुमोदित प्रतिभूति" शब्द को उन प्रतिभूतियों के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है अथवा ऐसी अन्य प्रतिभूतियां जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हों।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अध्यधीन अधिमान शेयरों को जारी करने के लिए बैंकिंग कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 12 में संशोधन। बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी अधिमान शेयरधारक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र नहीं होंगे।

(iii) नई धारा 12ख जिसमें 5 प्रतिशत अथवा अधिक शेयरों के अधिग्रहण अथवा किसी व्यक्ति द्वारा बैंकिंग कंपनी में मताधिकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन का प्रावधान है, के अंतर्वेशन के साथ-साथ धारा 12 की उपधारा (2) के तहत मताधिकार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने एवं भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसी शर्तें, लगाने के लिए शक्ति प्रदान करने, जिन्हें इस संदर्भ में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त समझा जाए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बैंकिंग कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण उपयुक्त एवं उचित माना जाता है तथा यह कि शेयरों के धारण एवं निर्धारित सीमा से अधिक मताधिकार के लिए आवेदक उपयुक्त एवं उचित होता है, में संशोधन।

(iv) उपयुक्त मामले में धारा 20 के प्रावधानों में बैंकिंग कंपनियों को छूट देने के लिए रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करने हेतु धारा 20 में संशोधन।

(v) बिना किसी न्यूनतम सीमा के सांविधिक चलनिधि अनुपात को विनिर्दिष्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को शक्ति प्रदान करने के विचारार्थ धारा 24 में संशोधन।

(vi) बैंकिंग कंपनियों से संबंधित उद्यमों से सूचना एवं विवरण मंगाने एवं यदि आवश्यक हो तो उनकी जांच भी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के लिए नई धारा 29क को जोड़ना।

(vii) बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने तथा वैकल्पिक व्यवस्था होने तक बैंक के प्रबंधन के लिए किसी प्रशासक की नियुक्ति करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के लिए नई धारा 36कगक को जोड़ना।

(viii) नई धारा 29क के अनुप्रयोग का विस्तार भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु करने के लिए धारा 51 में संशोधन।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् ही बैंकिंग कारोबार करने हेतु प्राथमिक सहकारी सोसायटी के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम की धारा 56 के उपबंधों में संशोधन।

(x) जनहित में सहकारी बैंकों की विशेष लेखा जांच का आदेश देने के लिए रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान करना।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

2299. श्री मोहन सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कानपुर सुगर्स के अधीन चार चीनी मिलें कार्य कर रही थीं;

(ख) क्या ये मिलें गत दस वर्षों से बंद पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार इन मिलों के पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार के लिए कोई पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार इन मिलों को बीआईएफआर को सौंपने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (घ) जी, हां। कानपुर सुगर वर्क्स लि. (सीएसडब्ल्यूएल) के नाम पर चार चीनी मिलें चल रही थीं जिनमें से तीन उत्तर प्रदेश और एक बिहार में थी। सीएसडब्ल्यूएल को रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए) के प्रावधान के तहत रूग्ण कंपनी घोषित किया गया था। इस कंपनी का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को भेजा गया था जिसने दिसम्बर, 1998 में एक पुनर्वासन पैकेज मंजूर किया।

(ङ) और (च) बीआईएफआर के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीआईसी लि. ने अपने नियंत्रण में सीएसडब्ल्यूएल के सभी शेयर अपने नये संवर्धक, अर्थात् मैसर्स गंगोत्री इंटरप्राइजेज लि. (जीएल) को अंतरित कर दिए। इस समय बीआईसी का सीएसडब्ल्यूएल पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है।

[अनुवाद]

पैंशन रिकार्डस

2300. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस संगठन को नई पैंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में शामिल नये कर्मचारियों के पैंशन रिकार्डों के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है;

(ख) वर्ष 2003-04 से अब तक वर्ष-वार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्वायत्त संस्थाओं के अलग-अलग कितने कर्मचारी इस योजना से जुड़ चुके हैं;

(ग) वर्ष 2003-04 से अब तक वर्ष-वार सभी कर्मचारियों और सरकार से अंशदान के रूप में कुल कितनी धनराशि एकत्र हो गई है;

(घ) नये कर्मचारियों के पैंशन खातों में कुल कितनी ब्याज राशि स्थानांतरित कर दी गई है; और

(ङ) क्या एनपीएस की समीक्षा की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) केन्द्रीय पैंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) को नई पैंशन व्यवस्था (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल किए गए भारत सरकार के नए कर्मचारियों के पैंशन रिकार्ड के रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है।

(ख) सीपीएओ वर्ष 2003-04 से एनपीएस में शामिल केन्द्र सरकार के केवल नए कर्मचारियों के संबंध में पैंशन रिकार्ड का रख-रखाव करता है। सीपीएओ के डाटाबेस में उपलब्ध और पृथक से महालेखा रक्षा नियंत्रक तथा दूरसंचार विभाग से उपलब्ध करायी गयी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) महालेखा नियंत्रक, रक्षा लेखा महानियंत्रक और दूरसंचार विभाग के कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्ष 2003-04 से सभी कर्मचारियों से संग्रहित कुल राशि तथा सरकार के कुल अंशदान की वर्षवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सीपीएओ द्वारा यथा-परिकलित कुल ब्याज राशि 1,03,91,776 करोड़ रुपए है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

(ख) 2003-04 से इस योजना में शामिल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या

मंत्रालय/विभाग	वर्ष			जोड़
	2003-04	2004-05	2005-06	
सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक विभाग, रेल मंत्रालय के संबंध में सीपीएओ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना	9801	46251	9011	65063
रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत कर्मचारी)	2221	9793	4013 (जनवरी, 2006 तक)	16027
दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना	–	13	25	38

(ग) कुल संग्रहण

वर्ष	कर्मचारियों का अंशदान (रुपए)	सरकार का अंशदान (रुपए)
1	2	3
सिविल मंत्रालय/विभाग		
2003-04	33,447	35195
2004-05 (अनन्तिम)	27,26,83,494	20,20,24,960
2005-06 (जनवरी, 2006 तक)	53,96,96,831	52,77,29,830
कुल	81,24,13,792	72,97,89,985
रेल मंत्रालय		
2003-04	3038417	3038417
2004-05	93253168	93253168
2005-06 (दि. 31.12.2005 तक)	267931423	267931423
डाक विभाग		
2003-04	59995	–
2004-05	10590531	7237502
2005-06 (दि. 31.12.2005 तक)	27254270	16315187
दूरसंचार विभाग		
2003-04	शून्य	शून्य
2004-05	50616	50616
2005-06 (जनवरी, 2006 तक)	4,40,768	4,40,768

सार्वजनिक ग्राम दूरभाष योजना

2301. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अभ्यंकर शिवाजीराव :
श्री अजीत जोगी :
श्री रामदास आठवले :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक ग्राम दूरभाष योजना विफल सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार चालू योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाई है;

(घ) यदि हां, तो लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति और ग्रामीण दूरभाष सेवाओं में सुधार के लिए क्या ठोस उपाय किये जायेंगे?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने 66,822 शेष सुविधारहित गांवों में नवम्बर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ करार पर हस्ताक्षर किए। इसमें 100 से कम आबादी वाले और घने वन क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित गांव शामिल नहीं हैं। नवम्बर, 2005 तक 13,364 वीपीटी के लक्ष्य के स्थान पर दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार कुल 17,182 वीपीटी प्रदान किए गए हैं।

(ङ) 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार 49640 सुविधारहित पात्र गांवों में अभी वीपीटी प्रदान किया जाना है। पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया जा रहा है और योजना की बारीकी से निगरानी की जा रही है ताकि सुविधारहित अभिज्ञात किए गए गांवों में नवम्बर, 2007 की लक्ष्य तारीख तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किया जा सके।

डाक सेवाओं संबंधी विशेषज्ञ समिति

2302. **श्री रघुनाथ झा** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवाओं में उत्कृष्टता संबंधी विशेषज्ञ समिति ने पारम्परिक डाक सेवाओं को आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी वाली सेवाओं में परिवर्तित करने के उद्देश्य से विभिन्न डाक मेल एजेंसी कार्यकलापों में प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को लोकप्रिय और सरलीकृत बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जिससे कि वी-सैट का उपयोग और डाक सेवाओं में सुधार करके आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी सेवाओं में बदला जा सके?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) डाक विभाग 1995 से 77 वीएसएटी के माध्यम से मनीआर्डरों का पारेषण कर रहा है। इसके बाद विभाग ने 150 सैटेलाइट मनीआर्डर स्टेशनों और 1455 विस्तारित सैटेलाइट मनीआर्डर केन्द्रों को कवर करने के लिए वीएसएटी नेटवर्क का विस्तार किया। इसके अलावा, डाक सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विभाग बड़े विभागीय डाकघरों को कंप्यूटरीकृत कर रहा है और अब तक 6184 डाकघरों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। डाक के त्वरित निपटान के लिए चेन्नई और मुम्बई में दो ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ई-पोस्ट, ई-बिल पोस्ट, तत्काल मनी आर्डर आदि विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ आधुनिक सेवाएं हैं।

वेतनमान में विसंगति

2303. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क/आयकर के निरीक्षकों तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सहायकों के वेतनमानों में इस तथ्य के बावजूद कि दोनों पद समूह 'ख' के हैं और उनकी भर्ती एक ही प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सहायकों के वेतनमानों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) सी.बी.डी.टी./सी.बी.ई.सी. के निरीक्षकों को सी.बी.आई. के निरीक्षकों के वेतनमान की बराबरी पर लाने के लिए उच्चतर वेतनमान प्रदान किया गया है।

(ग) से (ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो कि इस पद के लिए संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है, से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों के विरुद्ध जांच

2304. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या वित्त मंत्री 20 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3385 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी मामलों की गहनता से समीक्षा की है और कानूनी सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इन मामलों को अग्रेषित किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने क्या सलाह दी है; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दिनांक 20.8.2004 के प्रश्न संख्या 3385 के प्रारंभिक उत्तर में यह सूचित किया गया था कि मुख्य आयकर आयुक्त तथा आयुक्त स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के 11 मामलों में जांच की कार्रवाई शुरू की गई थी। इन ग्यारह मामलों में से, आठ मामलों के संबंध में जांच रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं; इनमें से तीन मामलों के संबंध में अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) इन आठ मामलों में जहां जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं, चार मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को विचारार्थ भेजा गया है और एक मामले में शिकायत समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। तीनों मामलों में जांच रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) चार मामलों में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पत्र-व्यवहार किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त होने के पश्चात्, एक मामले में अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत भारी दंड प्रक्रिया आरंभ की गई है। एक अन्य मामले में, आगे की जांच की जा रही है। दो मामलों में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् फाइलें बंद की जा रही हैं—इन दोनों में से एक मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उक्त अधिकारी के लिए प्रशासनिक चेतावनी जारी करने की सलाह दी है, और तदनुसार अधिकारी के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है।

[अनुवाद]

ट्रायम्फ सिक्यूरिटीज द्वारा ट्रेडिंग

2305. श्री मुकीम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रायम्फ सिक्यूरिटीज के ट्रेडिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं जिनके शेयर तथा प्रतिभूतियों का कारोबार ट्रायम्फ द्वारा किया जाता था;

(घ) ऐसी कंपनियां कौन-कौन सी हैं, जिसके प्रमोटर बाजार में धांधली में लिप्त थे; और

(ङ) इन प्रमोटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि फरवरी-मार्च, 2001 के दौरान स्टॉक बाजार में अत्यधिक घट-बढ़ और कथित बाजार हेराफेरी की आशंकाओं के अनुसरण में, सेबी ने

विभिन्न स्क्रिपों के क्रय, विक्रय और व्यापार से संबंधित मामलों की जांच-पड़ताल शुरू की थी, जिसमें वे स्क्रिपें शामिल हैं जिनमें ट्रायम्फ सिक्यूरिटीज और उसकी समूह कंपनियां, जिन्हें केतन पारिख समूह के नाम से जाना जाता है, सक्रिय थीं। जांच दर्शाती है कि ट्रायम्फ सिक्यूरिटीज सहित केतन पारिख समूह कंपनियों ने स्टाक बाजार में हेरा-फेरी की थी। अतएव, इन कंपनियों को प्रतिभूति बाजारों में कारोबार करने में प्रतिषिद्ध किया गया।

(ग) ट्रायम्फ ने अपनी समूह कंपनियों के साथ विभिन्न स्क्रिपों अर्थात् एप्टेक इन्फोसिस लि., अदानी एक्सपोटर्स लि., डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, ग्लोबल टेली-सिस्टम्स लि., ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लि. (एचएफसीएल), लुपिन लैब लि., शौंख टेक्नोलोजिस लि., पदमिनी टेक्नोलोजिस जी टेली-फिल्म्स लि., आदि में लेनदेन किया।

(घ) और (ङ) बाजार हेराफेरी में शामिल कंपनियों तथा प्रवर्तकों के नाम हैं—डीएसक्यू साफ्टवेयर लि., एप्टेक इन्फोसिस लि. तथा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। इन कंपनियों के मामले में, जांच पड़ताल पूरी हो गई है तथा सेबी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिए गए हैं। निम्नलिखित कंपनियों के मामले में, जांच पड़ताल ने प्रथम दृष्टया बाजार हेराफेरी सहित सेबी अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन के लिए कंपनियों/प्रवर्तकों की अंतर्ग्रस्तता उद्घाटित की है:-

हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लि., अदानी एक्सपोर्ट्स लि., अदानी एक्सपोर्ट्स लि., जी टेलीफिल्म्स लि., पदमिनी टैक्नालाजिज, शौंख टैक्नालाजिज तथा रेनबैक्सी के प्रवर्तक, विद्युत इन्वेस्टमेंट लि.। इन कंपनियों तथा उनके प्रवर्तकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, अन्यों के अलावा निम्न स्वरूप की है:—

(i) प्रवर्तकों, निदेशकों, सहमति से कार्य कर रहे व्यक्ति, दलालों तथा ग्राहकों को एक निश्चित समयावधि के लिए प्रतिभूतियों का क्रय, विक्रय करने या उनमें लेनदेने करने से प्रतिषिद्ध करना;

(ii) कतिपय कंपनियों, प्रवर्तकों तथा एसोसिएट निकायों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां दायर करना;

(iii) सेबी (प्रतिभूति बाजार से जुड़े धोखेपूर्ण तथा अनुचित व्यापार व्यवहार का निषेध) विनियम, 1995; और

(iv) मौद्रिक शास्तियां लगाना।

उत्तरांचल में ग्रामीण दूरसंचार सुविधाएं

2306. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरांचल के पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के कितने गांवों में अभी तक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) इन जिलों के कितने गांवों में अभी भी जिलावार अलग-अलग ऐसी सुविधाएं प्रदान की जानी बाकी है;

(ग) इन जिलों में इस उद्देश्य हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) क्या इन जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों को चलाने हेतु बिजली की कमी की वजह से, ये समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या इन जिलों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) उत्तरांचल के पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के जिन गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं और जिन पात्र गांवों को अभी ये सुविधाएं दी जानी है, उनकी संख्या निम्नवत् है:-

क्र. सं.	जिलों के नाम	वीपीटी सुविधायुक्त गांवों की संख्या	वीपीटी सुविधारहित पात्र गांवों की संख्या
1.	पौड़ी	2,215	1,063
2.	चमोली	638	512
3.	रुद्रप्रयाग	349	80
	कुल	3,202	1,655

इनमें 100 से कम जनसंख्या वाले और घने वन क्षेत्रों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में अवस्थित गांव शामिल नहीं हैं। उत्तरांचल के इन तीन जिलों के 1,655 सुविधारहित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने के लिए 28 करोड़ रु. की राशि अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पावर आपूर्ति न होने की स्थिति में टेलीफोन एक्सचेंजों में वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है।

(च) और (छ) उत्तरांचल के पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के टेलीफोन सुविधारहित पात्र गांवों को क्रमिक रूप से नवंबर, 2007 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।

तार संदेश की सुरक्षा और गोपनीयता

2307. श्री ए.वी. वेल्लारमिन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एसटीडी, पीटी और पीसीओ के माध्यम से तार प्रेषण संदेश की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए अहितकर है;

(ख) यदि हां, तो तार संदेशों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार एसटीडी, पीटी और पीसीओ के माध्यम से तार की बुकिंग और सुपुर्दगी की वर्तमान प्रथा को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं। निजी एसटीडी, सार्वजनिक टेलीफोन और पीसीओ के माध्यम से तार प्रेषण संदेशों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए अहितकर नहीं है क्योंकि फ्रैंचाइजियों के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885 के गोपनीयता संबंधी खंडों और उपबंधों का अनुपालन करना अनिवार्य है।

(ख) फ्रैंचाइजिंग के मौजूदा प्रावधानों के तहत, तार संदेशों की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है।

(ग) बीएसएनएल एसटीडी, सार्वजनिक टेलीफोन और पीसीओ के माध्यम से तार की बुकिंग और सुपुर्दगी की वर्तमान प्रथा को समाप्त करने पर विचार नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा करने से तार सेवाओं की उपलब्धता और अभिगम्यता में कमी आएगी।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

फेरा मामलों हेतु विशेष अदालत

2308. श्री हरि सिंह चावड़ा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष अदालत गठित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 रद्द हो चुका है और रद्द किए हुए अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए इस स्तर पर विशेष न्यायालयों को गठित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[अनुवाद]

आउटसोर्सिंग कंपनियां

2309. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आउटसोर्सिंग भारत के लिए एक बड़ा बाजार है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में आउटसोर्सिंग बाजार का वर्तमान कारोबार कितना है;

(ग) देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग व्यवसाय में कितनी कंपनियां लगी हैं;

(घ) क्या आउटसोर्सिंग में लगी भारतीय कंपनियां इस क्षेत्र में

अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ी नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की तरह विकास करने हेतु प्रोत्साहित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सेवा कम्पनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार आईटीईएस-बीपीओ (निर्यात तथा घरेलू) से प्राप्त राजस्व का कुल मूल्य वर्ष 2004-05 में हुए 5.2 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 7.2 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है।

(ग) नैसकॉम के अनुसार भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगभग 425 काल सेंटर/आईटीईएस-बीपीओ कंपनियां हैं।

(घ) जी, नहीं। भारतीय कंपनियां आईटीईएस-बीपीओ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. व्यवसाय से उपभोक्ता (B2C) ई-वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमोदन।

2. सीमा शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 12.5% कर दिया गया है। आईटीए-1 (217 वस्तुएं) पर सीमा शुल्क को 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है। आईटीए-1 की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों अथवा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है। एमपी3 प्लेयर तथा एमपीईजी4 प्लेयर पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

3. कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% है। माइक्रोप्रोसेसरों, हार्ड डिस्क ड्राइवों, फ्लोपी डिस्क ड्राइवों, सीडी रॉम ड्राइवों, डीवीडी ड्राइवों, यूएसबी फ्लैश मेमोरी तथा कॉम्बो ड्राइवों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल हैण्ड सेटों के पुर्जों, संघटक पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। एमपी3 प्लेयर तथा एमपीईजी4 प्लेयर पर उत्पाद शुल्क घटाकर 8% कर दिया गया है।

4. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों/निर्यातोन्मुखी इकाइयों/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं तथा अधिसूचित शून्य शुल्क दूर संचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्तियों को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) को पूरा करने के प्रयोजन से गिना जाएगा।

5. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है। घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से एसईजेड को बिक्री वास्तविक निर्यात माना जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप देशीय आपूर्तिकर्ताओं को शुल्क वापसी/डीईपीबी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट तथा सेवा कर से छूट के लाभ प्राप्त हो रहे हैं। निर्यात लाभ पर 100% आयकर से छूट एसईजेड इकाइयों को 5 वर्षों तक उपलब्ध है, अगले 5 वर्षों तक 50% और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लाफ बैंक का लाभ का 50% ।

6. निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) में 5% सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता बचत किए गए शुल्क से जुड़ी है और आयात की गई पूंजीगत वस्तुओं पर बचत किए गए शुल्क का 8 गुना है, जिसे 8 वर्षों में पूरा करना है। ईसीपीबी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) की वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है, बशर्ते इसकी प्राप्ति विदेशी मुद्रा से मुक्त है।

7. निर्यातोन्मुखी इकाइयों/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को निर्यात लाभ पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत वर्ष 2009-10 तक आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

8. निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू)/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी/)ईएचटीपी/विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की इकाइयों के मामले में कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर मूल्यह्रास 5 वर्ष की अवधि में 100% उपलब्ध है।

9. पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

10. अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को वैज्ञानिक, सामाजिक या सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से दी गई रकम पर 150% की भारित कटौती उपलब्ध कराई गई है।

11. किसी उद्यम पूंजी निधि के लाभांश अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में आय अथवा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए पूंजीनिवेश से उद्यम पूंजी कंपनी की आय, जिसके कार्य क्षेत्र में विस्तार करके सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, को अब कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उद्यम पूंजी वित्त को महत्व देने के लिए सेबी को देशीय एवं विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधि के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एकल बिन्दु मुख्य एजेंसी बनाया गया है।

12. साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 उपलबध है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से ई-वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहन दिया गया है।

पहचान पत्र जारी किया जाना

2310. श्री एस.के. खारवेनचन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग देश के निवासियों को पहचान पत्र जारी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सभी डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) देश के सभी डाकघरों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को उनके अनुरोध पर केवल डाक संबंधी लेन-देन के सिलसिले में अपनी पहचान प्रमाणित करने के सीमित प्रयोजनार्थ पहचान पत्र जारी किए जाते हैं।

(ख) डाकघर ने पहचान पत्रों की एक प्रणाली शुरू की है जो ऐसे पर्यटकों, फर्मों के भ्रमणकर्ता प्रतिनिधियों और अन्य लोगों के हित के लिए है जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान जिस पोस्ट टाउन से वे गुजर रहे हों, वहां डाक संबंधी लेन-देन जैसे पंजीकृत और बीमित डाकर वस्तुओं की प्राप्ति और मनीआर्डरों का भुगतान आदि में अपनी पहचान प्रमाणित करने में मुश्किल होती है। इन पहचान पत्रों को किसी भी साक्षर व्यक्ति द्वारा जिसकी अपने निवास स्थान पर पक्की पहचान है अथवा पोस्टमास्टर के पहचान वाले वास्तविक स्थाई निवासी द्वारा उनकी गवाही देने पर प्रधान डाकघर से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहचान पत्र डाक संबंधी लेन-देन सिलसिले में धारक के लिए एक महत्वपूर्ण पुष्ट सबूत के रूप में काम आता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सुविधा केवल प्रधान डाकघरों में उपलब्ध है और उप डाकघरों में भी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं तथा इन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रधान डाकघरों में भेज दिया जाता है।

(ङ) और (च) देश के सभी डाकघरों द्वारा पहचान पत्रों को जारी करना अपेक्षित स्थापना एवं मूलभूत ढांचे की उपलब्धता और डाक ग्राहकों की मांग पर निर्भर करता है।

डाकपालों की नियुक्ति

2311. श्री ब्रजेश पाठक : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार, विशेषकर

उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्रामीण ''डाकपालों'' को नियुक्त किया गया है;

(ख) उन पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन डाकपालों को नियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग में 'ग्रामीण डाकपाल' नाम की कोई श्रेणी नहीं है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है जिनके प्रमुख क्रमश: ग्रामीण डाक सेवक उप पोस्टमास्टर (जीडीएस एसपीएम) और शाखा पोस्टमास्टर (जीडीएस बीपीएम) होते हैं जो अंशकालीन कर्मचारियों की तरह होते हैं जिन्हें कार्यभार के आधार पर 2 से 5 घण्टों की सीमित अवधि के लिए काम पर रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्स्थापना और पदों की पुनर्तैनाती के माध्यम से 450 डाकघर खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के माध्यम से 38 डाकघर खोले गए हैं। ग्रामीण डाक सेवक उप पोस्टमास्टरों और शाखा पोस्टमास्टरों के लिए कोई नई स्थापना नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्स्थापना और पुनर्तैनाती के माध्यम से राज्यवार खोले गए डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों के पदों को पुनर्तैनाती के माध्यम से भरा गया है, इसलिए स्थापना पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) को नियमित करने के संबंध में ऐसे प्रावधान पहले ही मौजूद हैं जिनके अंतर्गत विभाग के समूह 'घ' स्तर के 75% पदों और पोस्टमैन के 50% पदों को ग्रामीण डाक सेवकों में से भरा जाना है ताकि इनकी करिअर संभावनाओं में सुधार हो सके और ये नियमित सरकारी सेवा में आ सकें। ग्रामीण डाक सेवक समूह 'ग' संवर्ग की पदोन्नति कोटा में खाली रिक्तियों पर भी नियुक्ति के पात्र हैं बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों:–

1. ग्रामीण डाक सेवक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 (वरिष्ठ माध्यमिक) और न्यूनतम तीन वर्षों की सेवा होनी चाहिए।

2. केवल वहीं जीडीएस पात्र होंगे जिन्होंने न्यूनतम उतने अंक प्राप्त किए हों जितने संबंधित श्रेणी के लिए पिछले वर्षों के दौरान चुने गए आखरी उम्मीदवार ने अर्जित किए हों।

3. ग्रामीण डाक सेवकों की आयु 28 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। (अ.जा./अ.ज.जा के लिए 33 वर्ष और अ.पि.व. के लिए 31 वर्ष)।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 2002-2005 के दौरान खोले गए ग्रामीण डाकघरों तथा पुनर्तैनाती से भरे गए ग्रामीण डाक सेवकों के पदों की राज्यवार सूची

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

क्र. स.	सर्किल	वर्ष 2002-2003	वर्ष 2003-2004	वर्ष 2004-2005	कुल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3	2	शून्य	5	ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के पद को बिना किसी अतिरिक्त व्यय के पुनर्तैनाती द्वारा भरा जाता है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	15	14	शून्य	29	ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के पद को बिना किसी अतिरिक्त व्यय के पुनर्तैनाती द्वारा भरा जाता है।
3.	बिहार	15	15	शून्य	30	-वही-
4.	छत्तीसगढ़	20	16	शून्य	36	-वही-
5.	दिल्ली	1	1	शून्य	2	-वही-
6.	गुजरात	15	9	2	26	-वही-
7.	हरियाणा	शून्य	2	शून्य	2	-वही-
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	शून्य	4	-वही-
9.	जम्मू व कश्मीर	5	7	शून्य	12	-वही-
10.	झारखण्ड	8	6	शून्य	14	-वही-
11.	कर्नाटक	8	4	3	15	-वही-
12.	केरल	2	6	1	9	-वही-
13.	मध्य प्रदेश	16	15	शून्य	31	-वही-
14.	महाराष्ट्र	30	25	शून्य	55	-वही-
15.	उत्तर पूर्व	9	10	शून्य	19	-वही-
16.	उड़ीसा	10	6	शून्य	16	-वही-
17.	पंजाब	5	5	शून्य	10	-वही-
18.	राजस्थान	18	15	4	37	-वही-
19.	तमिलनाडु	5	6	शून्य	11	-वही-
20.	उत्तर प्रदेश	18	20	शून्य	38	-वही-
21.	उत्तरांचल	4	5	शून्य	9	-वही-
22.	पश्चिम बंगाल	32	6	शून्य	38	-वही-
23.	सिक्किम	शून्य	2	शून्य	2	-वही-
	कुल	241	199	10	450	-वही-

विदेशी मुद्रा भंडार

2312. **श्री वी. करुणाकर रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा भंडार के एक हिस्से का उपयोग अवसंरचनात्मक विकास के लिए करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) दिसम्बर, 2005 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार (जिसमें विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति शामिल है) 137.2 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के थे।

(ख) से (घ) अवसंरचना विकास को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा भण्डारों के हिससे को प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यदि कोई आयात अतिरिक्त निवेशों से प्रेरित हुए हों, तो ऐसे निवेशों का अधिक आयातों के जरिए विदेशी मुद्रा भण्डार पर असर पड़ता है।

एक्सेस डेफिसिट चार्ज प्रणाली

2313. **श्री जसुभाई धनाभाई बारड़** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रयोक्ताओं से एडीसी के रूप में संग्रहीत राशि में से सरकारी कंपनियों ने ग्रामीण दूरसंचार पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोक्ताओं से एडीसी के माध्यम से सालाना संग्रहीत राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण भारत में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए इसमें से कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ङ) समस्त ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में कब तक टेलीफोन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। बीएसएनएल ने कहा है कि उसके अपने नेटवर्क से शुरू होने वाले परियात के लिए उसके नेटवर्क में एडीसी का अलग रिकॉर्ड रखने का कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। इसके कारण एडीसी की राशि का अलग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एडीसी केवल ग्रामीण नेटवर्क के लिए ही अभिप्रेत नहीं है बल्कि इसका अभिप्राय अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में वहनीय दरों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना भी है।

(ङ) देश में 100 से कम जनसंख्या वाले और उग्रवादी हिंसा से प्रभावित गांवों को छोड़कर शेष 66,822 दूरसंचार सुविधारहित गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराने के लिए मै. बीएसएनएल के साथ नवंबर 2004 में करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन सभी सुविधारहित गांवों में करार पर हस्ताक्षर करने के तीन वर्ष के भीतर अर्थात् नवंबर, 2007 तक वीपीटी उपलब्ध कराए जाने हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : महोदय, मैं श्री शरद पवार की ओर से, कृषि मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3839/2006]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3840/2006]

(2) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के परिव्यय बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3841/2006]

(3) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2006-2007 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3842/2006]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3843/2006]

[अनुवाद]

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2006, जो 10 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3844/2006]

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) महोदय, मैं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3845/2006]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, श्री विजय हान्डिक की ओर से मैं संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3846/2006]

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 4(अ) जो 3 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधिन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3847/2006]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधिन नियम, 2006 जो 10 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3848/2006]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3849/2006]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियां, कानपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियां, कानपुर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3850/2006]

(ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड और समनुषंगी निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड और समनुषंगी निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3851/2006]

(3) (एक) जूट मैन्यूफैक्चरर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैन्यूफैक्चरर्स डेवलपमेंट काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3852/2006]

(5) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3853/2006]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 10 श्री अजय माकन – उपस्थित नहीं।

अपराह्न 12.03 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री गुरुदास कामत (मुंबई उत्तर-पूर्व) : महोदय, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2005-06 के अनुदानों की मांगों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

(2) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की अनुदानों की मांगों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया गया था। और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 3 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.04½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों संबंधी जनगणना, 2002

[हिन्दी]

*ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सदन में सीपीएम के संसदीय दल के नेता श्री बसुदेव आचार्य जी ने बीपीएल सर्वे 2002 के संबंध में सवाल उठाया था और हमने उसके बाद सदन को जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित और स्टे रहने के कारण उस पर आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे हट गया है और हमने देश भर की राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि सभी गरीबों की एक सूची 2002 के सर्वे के मुताबिक, जो सबसे गरीब है, उसका ऊपर और क्रमवार आम मकान की दीवार पर जो गांवों में सार्वजनिक कोई स्कूल या कोई पंचायत भवन है, उस पर लिखा जाए, कम्प्यूटराइज किया जाए और उसे फिर किताब में छपकर पारदर्शी बना दिया जाए जिससे गरीबों के साथ अन्याय न हो। महोदय, यह वक्तव्य देना है। ...(व्यवधान) महोदय, इससे करोड़ों गरीबों का हित होगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मंत्री महोदय, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, दो पन्ने हैं। हम पढ़ देते हैं क्योंकि बिना सदस्यों के सहयोगर से नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पढ़िए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का पता लगाने के लिए देशव्यापी जनगणना कराता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों का पता लगाना है।...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 12 बजे सदन में सिक्योरिटी वाला मामला उठाने के लिए कहा था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप पांच मिनट धीरज रखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : तब, आपके लिए इस आसन पर किसी का होना आवश्यक नहीं है। किसी डॉल को मेरी जगह पर बैठा दीजिए और लोग स्वयं तय कीजिए कि क्या करना है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे साथ पांच मिनट तक धैर्य रखिए। मैं आपका नाम पुकारूंगा। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि आपके मामले को अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं आपको अनुमति दूंगा।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3855/2006

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, इन लोगों को गरीबों से क्या मतलब है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सभी लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं लेकिन सभी का तरीका और नीतियां अलग-अलग होती हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह कार्रवाई इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि गरीबी उपशमन के विभिन्न कार्यक्रमों, रोजगार सृजन और ग्रामीण गरीबी को लक्ष्य में रखकर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों के लाभ उन तक पहुंचे, जैसा कि सरकार का आशय है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उन्हें नहीं सुनना चाहते तो मैं अगली मद पर जाऊंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ऐसी पहली जनगणना वर्ष 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए और दूसरी वर्ष 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कराई गयी थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार बेहतर अंक पर आधारित पद्धति का प्रयोग करते हुए वर्ष 2002 में जनगणना कराई गयी थी। विगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए, जोत की भूमि के आकार, मकान की किस्म, वस्त्र की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, साक्षरता, जीवन-यापन के साधनों और ऋणग्रस्तता जैसे मामलों को समाहित करते हुए 13 सामाजिक आर्थिक मानदंडों का गरीब परिवारों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया गया था। सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया था, परंतु अंतिम सूची इसलिए नहीं बनाई गयी थी क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में लिखित याचिका (सिविल) सं. 196/2001 पर सुनवाई करते समय 5 मई, 2003 के अपने आदेश में भारत सरकार को यह निदेश दिया था कि वह राज्य सरकारों को मौजूदा बीपीएल सूची में से किसी भी नाम को काटने पर जोर न दें।

सभी पक्षों को सुनने और प्रस्तुत की गयी सामग्रियों की जांच करने के पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्थगन आदेश खारिज कर दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बीपीएल जनगणना, 2002 के आधार पर नई बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंकों के साथ पंचायत मुख्यालयों में अथवा गांवों में प्रमुख स्थानों पर बीपीएल सूची का मसविदा प्रदर्शित करने के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के आशय से अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्यों को द्विस्तरीय अपील व्यवस्था उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है ताकि लोग बीपीएल सूची में अपनी स्थिति के बारे में आपत्तियां, यदि कोई हैं, तहसीलदार, एसडीएम अथवा जिला कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, को दर्ज करा सकें। इस बात की संभावना है कि इस कार्य के पूरा हो जाने पर सभी पात्र गरीब लोग बीपीएल सूची में शामिल कर लिए जाएंगे और अपात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। राज्य सरकारों से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को मकानों के आबंटन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जाति/गैर-अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए अलग-अलग स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची बनाने का अनुरोध किया गया है जिन्हें प्रमुख स्थानों पर दीवार पर लिखा जाएगा और व्यापक प्रचार और पारदर्शिता के लिए जिले की वेबसाइट पर डाला जाएगा। राज्यों को स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करने के लिए कहा गया है जो प्रतिवर्ष लक्ष्य पर निर्भर करेगा। आशा है कि स्थायी इंदिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची की प्रणाली लागू होने से लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनेगी।

सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। सदन के ऐसे सभी सम्माननीय सदस्यों, जो जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से मंत्रालय के कार्यक्रमों से सम्बद्ध हैं, से मेरी यह अपील है कि वे इन प्रयासों में मदद करें ताकि कार्यक्रमों के लाभ जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को प्राप्त हों। इससे करोड़ों गरीबों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, कामकाज में पारदर्शिता आएगी, इसलिए सदन से हमें इस विषय पर बहुत सहयोग की अपेक्षा है।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : इस पर मैं एक-दो सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। आप बीएसी के सदस्य हैं। अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए पहले नोटिस दें।

श्री खारवेल स्वाईं : जो आम स्कूल टीचर्स हैं, उन्हें क्यों भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव बहस के समय दें। अभी कोई बात रिकार्ड नहीं होगी।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.11 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के तेइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 9 मार्च, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 9 मार्च, 2006 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तेइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11½ बजे

औषधि (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2006*

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औषधि (नियंत्रण) अधिनियम, 1950 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि औषधि (नियंत्रण) अधिनियम, 1950 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 10.3.2006 में प्रकाशित।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय माकन, पहले आप क्षमा मांगिए।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : महोदय, मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपको क्षमता मांगनी होगी।

श्री अजय माकन : महोदय, मैं क्षमायाचना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप पत्र रख सकते हैं।

श्री अजय माकन : मैं वर्ष 2006-2007 हेतु शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3854/2006]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा इससे पहले कि आप अपना निवेदन करें मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं। सुरक्षा के जिस मामले का आप संदर्भ देने जा रहे हैं वह पूर्णत: अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है किंतु आप इसके बारे में आन्दोलित दिख रहे हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप केवल उन्ही बातों को निर्दिष्ट करें जो आप सोचते हैं कि ये की जानी चाहिए। मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर छान-बीन करूंगा और नेताओं की एक बैठक बुलवाऊंगा जिससे कि उनको अच्छी तरह अवगत कराया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपने जो बात कही है, वह ठीक ही है, परंतु सिक्योरिटी के मामले में एक भयंकर चूक हुई है। जब संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके इस बात का दावा किया था कि यहां पर बिना अनुमति के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस संबंध में आपने सभी सांसदों

को पत्र लिखा था कि आप सहयोग करें और कोई भी शस्त्र न लेकर आएं। इसके अलावा मंत्रियों या अन्य लोगों के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्हें संसद भवन से दो-तीन फर्लांग दूर उतार दिया जाता है। संसद के परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति में एक सिक्योरिटी गार्ड यहां पर न केवल आया, बल्कि रिवॉल्वर लेकर आ जाए और स्पीकर गैलरी तक आ जाए, उसके बाद यह बात सामने आए, तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या...*(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि मैं तथ्य एकत्र कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं कहा है कि मैं मामले की छानबीन कर रही हूं और एफ रिपोर्ट आने वाली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित है। ज्यादा प्रतिक्रिया न दिखाइये। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोच रहा हूं कि मेरा पहला शिकार कौन होगा। किसी को तो पहला शिकार बनना होगा। आप जानबूझ कर अध्यक्षपीठ को नकार रहे हैं, इसकी एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि कानून सबके लिए एक है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सिक्योरिटी का मामला सबका एक जैसा होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, कभी-कभी आप भूल जाते हैं कि एक रोज आप प्रोफेसर थे। हम यह रिक्वैस्ट करते हैं कि *[अनुवाद]* मामला गम्भीर है। मैंने एक रिपोर्ट के लिए कहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जांच करूंगा। मुझे जो भी पता लगेगा मैं उसे माननीय नेताओं को बताऊंगा। यद्यपि, यह मामला अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है, मैं सबको यह सूचित करना चाहता हूं ताकि आपको पता लग सके और यदि कोई सुझाव हो तो हम अवश्य ही इसकी जांच करेंगे।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं। आप जो कह रहे हैं वह सब ठीक है लेकिन यह इम्प्रेशन जाना...*

अध्यक्ष महोदय : इसे हटा दिया जाना चाहिए।

आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहता था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : हमारा इस पर कार्य स्थगन का नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने बोल दिया है, प्रोफेसर साहब भी राजी हो गये हैं। आपका नाम भी उसमें आ जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : नाम तो हमारा वैसे भी आ जाता है। लेकिन हमने इस पर जो कार्य स्थगन का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)* हमें बोलने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब हम बोलेंगे और आप सहमत नहीं होंगे, तभी आप बोलेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपने सुबह कहा था कि आप बैठ जाइये, हम आपको 12 बजे समय देंगे। हमने आपके आदेश का पालन किया, इसलिए आप भी अपने वचन से पीछे मत हटिये। यह हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम पीछे कभी नहीं हटते। आपकी जो रिक्वैस्ट थी वह हमने मान ली है। ठीक है आप बोलिए। *[अनुवाद]* किसे शामिल किया जाए और किसे नहीं इसका निर्णय मैं करूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपका और पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जब हम लोग सुबह हाउस में आते हैं तो सिक्योरिटी के लोग शीशा खुलवाकर चैक करते हैं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

और जब तक हमारा मुंह ठीक से नहीं देख लेते हैं तब तक नहीं कहते हैं कि बैरीकेड हटाइये। अगर शीशा बंद रह गया तो गाड़ी खड़ी करके एक-दो मिनट तक इंतजार करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका शीशे काले होंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सरकार ने निर्णय किया है कि एयरपोर्ट से जो गुजरेगा तो उसकी सिक्योरिटी की कितनी जांच होगी, कैबिनेट मंत्री की कितनी और अन्यों की कितनी...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, इसे हटाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे हटा दिया गया है, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह क्या हो रहा है...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ...*(व्यवधान)* यह कहां तक उचित है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये। मैंने इस सभा में स्वयं यह वचन दिया है कि मुझे जो भी सूचना प्राप्त होगी वह आपके साथ बाटूंगा। मैंने रिपोर्ट के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री सचिन पायलट (दौसा) : महोदय, उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य क्यों दिया?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैंने उनसे बैठने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हर मैम्बर की फ्रिस्किंग होती है ...*(व्यवधान)* लेकिन यहां एक आदमी की फ्रिस्किंग नहीं होती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, प्रोफेसर साहब आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं। जो भी अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहा है मैं उससे अप्रसन्न हूं। यह मत सोचिए कि मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं इसे नोट कर रहा हूं और एक दिन किसी को इसका सामना करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिना परमीशन लिए, सीट पर बैठकर बात मत कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले की महत्ता को कम नहीं किया

है। मैं बार-बार आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं। यदि आपका अध्यक्षपीठ में जरा भी भरोसा नहीं है तो मैं नहीं जानता कि यह सभा कैसे कार्य कर पायेगी। मैंने अपना निवेदन कर दिया है। मुझे रिपोर्ट मिल जाने दीजिए। मुझे इसका अध्ययन करने दीजिए। मैं इस सूचना को यदि आप लोग असंतुष्ट भी होंगे फिर भी इसे आपसे बाटूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है? आप किस बात को महत्व देते हैं? क्या इससे आपकी छवि अच्छी हो रही है?

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप इनके बाद बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने इनको भी डांटा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको डाटते हैं, क्योंकि वे रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मिलेट्री मैन हैं, आप बैठ जाइए। मिलेट्री मैन ऐसा नहीं करते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : आप उनको डांटते हैं, लेकिन देखते हमारी तरफ हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह गलत बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा आप सभी से गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध है। हम इसे राजनीतिक उद्देश्य हेतु राजनीतिक रूप से एक विवादास्पद मामला न बनाएं। हम कम से कम इस संस्था का गौरव बनाए रखें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसकी एक सीमा है*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : महोदय, यह ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री हन्नान मोल्लाह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं। यदि ये भाषाएं हैं, जिनका सभा में प्रयोग किया जाता है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसी भाषा जो केवल भड़काने वाली है, के प्रयोग की पुरजोर निन्दा करता हूं।

(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, हम चाहते हैं कि आप उस अभिव्यक्ति को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी अपमानजनक सम्मिलित नहीं किया जाएगा और ऐसी हर चीज को हटा दिया जाएगा।

अब, श्री हन्ना मोल्लाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामला उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, वह आपको शोभा नहीं देती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, अब आप लोग ही ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या-क्या परमिटेड है, क्या यह आप लोग बताएंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूर्णरूप से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मंत्रीगण अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : महोदय, कोई भी मेरी अवहेलना नहीं कर रहा है। किसी में भी ऐसा करने का साहस नहीं है। जो अवहेलना करते हैं, वे बखूबी जानते हैं कि वे लोकतंत्र के उद्देश्य की सेवा नहीं कर रहे हैं।

अब, श्री हन्नान मोल्लाह।

श्री हन्नान मोल्ला (उलूबेरिया) : महोदय, मैं मस्तिष्क-ज्वर का मामला उठा रहा हूं। संभवत: यह मस्तिष्क ज्वर हो सकता जो सभा में भी फैल सकता है।

महोदय, मैंने 2 मई, 2005 को लोक सभा में मेनिंगोकोक्सेमिया के फैलने का मुद्दा उठाया था और कहा था कि पिछले वर्ष इस बीमारी की वजह से अनेक मौतें हुई हैं।

गत कुछ दिन पहले, मुझे स्वास्थ्य मंत्री का उत्तर प्राप्त हुआ था कि सभी अनिवार्य कदम उठाए गए हैं। किंतु रिपोर्टों के अनुसार जैसा कि मैंने मीडिया और अस्पतालों में पाया, जमीनी हकीकत वैसी नहीं है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की रिपोर्टों के अनुसार गत नवंबर से लेकर आज तक 311 संभावित मामलों में से 230 लोग संक्रमित पाए गए। गत दो महीनों में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ और मामलों की सूचना पहले ही आ चुकी है। गत वर्ष 214 मामलों की जांच की गई और अस्पताल की रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष अधिक मामले आए हैं।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजधानी और इसके बाहर भी इस खतरनाक घातक ज्वर को फैलने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और तुरंत कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। अब, श्री हंसराज अहीर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य मुझे परेशान करेंगे, उन्हें कभी भी मौका नहीं मिलेगा। आपका नाम यहां मौजूद है। मैं निर्णय करूंगा कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। शोर मचाकर आप मुझे किसी को पुकारने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

अब, श्री अहीर बोल सकते हैं। हम पहले ही 25 मिनट गंवा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्दपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के संदर्भ में माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में इस समय बिजली की बहुत कमी है। कुल मिला कर देश में सबसे ज्यादा बिजली की खपत महाराष्ट्र में होती है और बिजली का उत्पादन भी महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। ऐसे समय में जब महाराष्ट्र के अनेक उद्योग बिजली की बदौलत चलते हैं, वहां बिजली की कमी है। महाराष्ट्र में करीब 24 परसेंट बिजली की कमी होने की वजह से उद्योग, खेती और सिंचाई के काम में अनेक बाधाएं निर्माण हो रही हैं। आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं। करीब 8-10 घंटे बिजली की कटौती होने से महाराष्ट्र से सामान्य जनता त्रस्त है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से बिजली की आपूर्ति की मांग की है। मैं केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र में जो करीब 3600 मेगावाट बिजली की कमी है, उसे पूरा करने के लिए वह महाराष्ट्र को बिजली उपलब्ध कराए ताकि महाराष्ट्र की जनता को बिजली की कमी की वजह से जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उससे छुटकारा मिल सके।

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, मैं अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि झारखंड राज्य के कोयला क्षेत्र में खनन के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है और पूरे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। खास कर गिरिडीह जिलान्तर्गत बुढ़िया खाद, मोती मोहल्ला, बनियाडीह, भंडारीदह, पचम्बा एवं बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के गोमिया, झिरकी, होसीर, साडम, हजारी, खुदगड़ा, टैंडे, बिरसा, तुलबुल,

लटखुटा, बांध बस्ती, कटहारा तथा बेरमो प्रखंड के बेरमो, डोरी, फुसरो, जरीडीह, लोधखेड़ा, घुटियाटांड, कुडूकमनिया, चार नम्बर, कारो, बेदकारो, माकोली, दुगदा, कल्याणी, चन्द्रपुरा, बेडिया, जरंगडीह, जैना मोड, बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड के चापी खेतको, पिछरी, अंगवाली चांदी रोहर आदि क्षेत्रों में तथा धनबाद जिला के बाघमारा प्रखंड के कतरासगढ़, पचगढ़ी, छतावाद, लोयाबाद, भटमुडना भाटडीह, कपूरिया, रूदी कपूरिया, सलानपुर, गुहीबांध, झिंझिंपहाड़ी, बंसुरिया, मन्दरा बासजोड़ा, सिजुआ, मुराईडीह, मुरलीडीह, मलकेरा, भेलाटांड आदि क्षेत्रों में कोयला खनन के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है और कई क्षेत्रों में पानी का स्रोत सूख गया है। उपरोक्त क्षेत्र के लगभग पांच लाख लोग कोयला खनन के कारण जल संकट से काफी परेशान हैं। अत: जन-हित में आपसे आग्रह करता हूं कि इस सभी ग्रामवासियों को अतिशीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम शेष मामलों को सबसे अंत में उठाएंगे।

अपराह्न 12.30 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा।

(एक) विशाखापत्तनम और निजामुद्दीन के बीच प्रतिदिन समता एक्सप्रेस चलाए जाने और रायपुर एवं भुवनेश्वर के बीच रेल सम्पर्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : के.बी.के. जिले विशेष रूप से कालाहांडी जिला और पुराना अविभाजित कोरापुट जिले में भारतीय रेलवे का संपर्क बहुत खराब है। समता एक्सप्रेस के अलावा, जो कि एक सप्ताह में तीन बार चलती है और जो रामगढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा और सिंगपुर जैसे के.बी.के. जिलों के स्टेशनों पर रुकती है। विशाखापत्तनम से निजामुद्दीन तक कोई भी प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन नहीं है। अत:, मैं के.बी.के. जिलों के सार्वजनिक हित में सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि समता एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाए। इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के साथ जोड़ने वाली कोई सीधी ट्रेन नहीं है। ये दोनों राज्य वाणिज्यिक और औद्योगिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं, जहां सात इस्पात संयंत्र और दो मेगा हरित क्षेत्र एल्यूमिनियम परिसर पूर्ण क्षमता के साथ स्थापित किए जा रहे हैं और अनेक शीर्ष एग्जीक्यूटिव और इस्पात संयंत्रों तथा खनिज आधारित उद्योगों से जुड़े लोगों को रायपुर, विशाखापत्तनम, राउरकेला, बोकारो, लांगीगढ़, भिरुवली, दुर्गापुर और भिलाई के बीच आना-जाना पड़ता है। इसलिए, भुवनेश्वर और रायपुर जैसे विमानपत्तन से जुड़े स्थानों से आने वाले हवाई यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे उपलब्ध कराए जाने चाहिएं।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(दो) मध्य प्रदेश के मंदसौर में कृषिवानी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। देश में बढ़ती हुयी जनसंख्या, कृषि पर बढ़ते हुए भारत तथा उपलब्ध कृषि भूमि में अधिकाधिक उत्पादन हो तथा विभिन्न प्रकार की फसलों को प्राप्त किया जाकर देश की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, इस दृष्टि से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जहां नित नये अनुसंधान किये जा रहे हैं तथा उसका लाभ भी कतिपय क्षेत्रों में प्राप्त हो रहा है। किंतु, इस प्रकार का लाभ सभी प्रदेशों में ग्रामीण क्षेत्रों में नीचे स्तर तक मिले, इस हेतु जहां कृषि अनुसंधान क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता है वहीं देश के उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से भी काफी प्रयत्न किया जाना आवश्यक है। देश में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के साथ नकद फसलों का भी बहुतायत से उत्पादन किया जा रहा है जिसमें औषधीय पादप, मिर्च, मसाले, सब्जियां और फल आदि सम्मिलित है किंतु उद्यानिकी क्षेत्र में विस्तार की दृष्टि से देश में केवल एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। मध्य प्रदेश उद्यानिकी क्षेत्र में जलवायु की दृष्टि अत्यंत उपयुक्त स्थान है किंतु यहां भी केवल एक ही कृषि महाविद्यालय है जो अपनी सम्पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है तथा अपने स्नातकों द्वारा इसे लाभ पहुंचा रहा है। मध्य प्रदेश में उक्त संबंध में उपयुक्तता की दृष्टि से यहां उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के अनुकूल आधारभूत संरचनाएं हैं और उसमें भी मालवा अंचल का मंदसौर सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है।

अत: मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में स्थित मंदसौर में कृषि उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के बारे में आवश्यक निर्देश प्रदान करें ताकि आधारभूत संरचनाओं तथा उपयुक्त जलवायु का लाभ उठाकर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदेश और आसपास

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

के प्रदेशों में उद्यानिकी को और अधिक पर्याप्त महत्व देते हुए किसानों को तैयार किया जा सके और देश को उद्यानिकी उत्पादन और आर्थिक सम्पन्नता की ओर ले जाया जा सके। मेरा कृषि मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(तीन) देश में बेरोजगार युवकों का शोषण रोकने के उद्देश्य से नियोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने वाले झूठे विज्ञापनों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : अध्यक्ष महोदय, देश में पहले से ही इतनी बेरोजगारी है। इस बेरोजगारी में बेरोजगार युवकों और युवतियां के साथ हो रही ठगी से बेरोजगार युवक और युवतियां काफी परेशान हैं। इस देश में रोजगार देने हेतु फर्जी प्राइवेट कंपनियों के नाम से अखबारों में विज्ञापन छपवाकर बेरोजगार युवक और युवतियों को लूटा जा रहा है। कई कंपनियां तो अपने आपको शासकीय उपक्रम बताकर लूट रही हैं। बेरोजगार युवक और युवतियां विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करते हैं। फिर वे दलालों के चक्कर में नौकरी हेतु हजारों लाखों रुपये दे बैठते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है ऐसी कोई कंपनी नहीं है या रातोंरात वह दलाल गायब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर सरकार रोक लगायें। विज्ञापन के प्रसारित होने के पूर्व उसकी छानबीन कर एवं शासकीय स्वीकृति लेकर छापा जाये ताकि बेरोजगार युवक लूटे न जा सकें। ऐसी ठगी की घटनायें कई वर्षों से होती चली आ रही हैं। अत: ऐसे फर्जी विज्ञापन पर रोक लगाना चाहिये।

(चार) विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ के गोंदिया जिले में किसानों के लाभार्थ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल पटले (भण्डारा) : अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में गोंदिया इत्यादि जिलों में किसानों का प्रमुख साधन खेती है। इस क्षेत्र के किसानों द्वारा कर्ज द्वारा धान की फसल को उगाया जा रहा है। लेकिन उन्हें उनकी मेहनत तथा कर्ज को पूरा करने के लिए अनाज की उचित कीमत नहीं मिल रही है। यदि धान की कीमत को 1000 रुपये क्विंटल किया जाये तो इस क्षेत्र के किसानों को उसकी लागत तथा कर्ज को चुकता करने में सहायता मिल सकती है। यदि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया गया तो जिस तरह हाल ही में विदर्भ क्षेत्र में किसान परिवारों द्वारा आत्महत्या की गयी है आगे भी इसी तरह की और घटनाएं घट सकती हैं। किसानों को शीघ्र उसकी फसल की लागत का मूल्यांकन करके उचित मूल्य निर्धारित किया जाये, जिससे किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या पर रोक लग सके।

(पांच) राजस्थान में उपजाए जाने वाले गुआर, मोठ, धनिया और जीरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : गुआर, मोठ, धनिया तथा जीरे के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। राज्य देश में गुआर के कुल उत्पादन का 80% हिस्से का उत्पादन करता है। मोठ के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है।

गत पांच वर्षों के दौरान औसतन 8.69 लाख हेक्टेयर में मोठ की फसल की बुआई की गई जिसमें 1.20 लाख मीट्रिक टन मोठ का उत्पादन हुआ जबकि 20.56 लाख हेक्टेयर में गुआर की बुआई की गई तथा प्रतिवर्ष लगभग 3.77 मीट्रिक टन गुआर का उत्पादन हुआ। गत पांच वर्षों के दौरान 2.35 तथा 1.6 लाख हेक्टेयर में क्रमश: जीरा तथा धनिये की बुआई की गई। गत पांच वर्षों के दौरान जीरा तथा धनियां का क्रमश: औसतन 0.75 तथा 1.68 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। ये फसलें लगभग 4 लाख हेक्टेयर में बोई जाती हैं तथा इन फसलों पर अपनी अजीविका के लिए 4 मिलियन किसान परिवार निर्भर हैं। ईसबगोल तथा मेथी भी औषधीय तथा मसाला फसलें हैं। गत पांच वर्षों के दौरान 8800 हेक्टेयर में ईसबगोल की बुआई की गई जिसमें औसतन 6000 मिट्रिक टन ईसबगोल का उत्पादन हुआ। जबकि 4,70,000 हेक्टेयर में मेथी की बुआई की गई तथा इसका औसत उत्पादन लगभग 54000 मीट्रिक टन हुआ।

इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऊपर उल्लिखित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे।

(छह) काजू गिरी के मूल्य में गिरावट के कारण काजू उद्योग में संकट का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : काजू गिरी के मूल्य में गिरावट के कारण काजू उद्योग में आए संकट के कारण कामगारों के बेकार हो जाने के अलावा विदेशी मुद्रा अर्जित करने पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। काजू का अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धा, गिरती हुई कीमतों तथा ग्राहकों के पास शक्ति का संचय तथा यूरोप तथा अमरीका के खुदरा

व्यापारियों द्वारा पैदा की जा रही असमंजस की स्थिति पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य देशों जैसा कि हाल ही में वियतनाम आया है, के आ जाने से कुछ समय से भारत की हिस्सेदारी में कमी आई है। कच्चे काजू तथा प्रसंस्करित गिरी का अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बहुत उतार-चढ़ाव हैं तथा व्यापार की शर्तों का स्तर गिर रहा है। साथ ही साथ गुणवत्ता आवश्यकताओं तथा मानकों का भी असर बढ़ता जा रहा है। भारत में कच्चे काजू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा काजू प्रसंस्करण केन्द्रों को वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के हवाले छोड़ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण तथा विकास संस्थान के हाल की अध्ययन में भारत सरकार पर आरोप लगाया गया है कि विद्यमान श्रम कानूनों को क्रियान्वयन में (राष्ट्रीय तथा राज्यस्तर पर) या भविष्य में भारतीय उद्योग की वैश्विक स्थिति तथा प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में नीतियां बनाने में भी सरकार की सक्रिय भूमिका की पर्याप्त कमी है। उद्योग संकट में हैं तथा वास्तविक नुकसान कामगारों की हुआ जो बेकार हो गए है तथा वे बिना किसी लाभ के निजी प्रसंस्करण केन्द्रों में काम करने को बाध्य हो गए हैं।

(सात) केरल में वेम्बनाड वेटलैण्ड सिस्टम के निर्माण हेतु एक कार्ययोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : पूर्वी तथा दक्षिण दिशाओं की ओर समीपवर्ती आर्द्र भूमि के साथ वेम्बनाड झील कुट्टानुडु का निर्माण करती है जो केरल का चावल का प्रमुख उत्पादक है तथा भारत के पश्चिमी तट की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि प्रणाली है। पश्चिमी-घाट से पांच नदियों का उदगम होता है जो इस झील में गिरती हैं। आर्द्र भूमि का एक बड़ा भाग धान के खेतों में बदल चुका है जो कि वर्ष में छह महीने पानी से घिरा रहता है। प्रति-वर्ष टनों कीटनाशक, अपतृणनाशी, फंफूदनाशक तथा रसायन उर्वरक इसमें मिल जाते हैं।

आर्द्र भूमि को संवेदनशील पारिस्थिति की प्रणाली उस क्षेत्र में तथा उसके आसपास रहने वाले क्षेत्र के लोगों के जीवन तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करती है तथा पारिस्थितिकीय एवं जल संबंधी जो कार्य ये आर्द्र भूमि करती है उनके जरिए वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करने एवं मानव जीवन को बनाए रखने के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण हैं। वेम्बानाडु कामल हमारे देश का सबसे बड़ी उत्पादन पारिस्थितिकी प्रणाली है तथा पौधों एवं पशुओं की विशिष्ट प्रजातियों का घर है। यह विभिन्न स्थानिक तथा मछलियों की विरल प्रजातियों, वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण झींगों, प्रॉन तथा क्रेब की नर्सरी तथा सीपी, शुक्ति एवं क्लाम का प्राकृतिक घर है।

वनस्पति एवं जीव जंतु तथा उनकी जल रसायन की दृष्टि से आर्द्र भूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा कराए गए अध्ययनों के अनुसार जल की गुणवत्ता घट रही है एवं इससे जलीय जीवों को गंभीर नुकसान होना पाया गया है एवं प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक पाया गया है। भूमि उद्धार के कारण वेम्बानाड झील का क्षेत्र 37% कम हुआ है। उपर्युक्त के मद्देनजर वेम्बानाड आर्द्र-भूमि प्रणाली जिसे कि भारत में रामसर स्थल के रूप में बड़ी आर्द्र भूमि प्रणाली का दर्जा दिया गया है, को संरक्षित करने के लिए एक सतत कार्य-योजना बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

(आठ) रथ (हमीरपुर) और गरौठा (झांसी) के बीच सड़क और पुल के निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उ.प्र. में विकास कार्यों से संबंधित अनेक बड़ी योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन स्वीकृत योजनाओं का पैसा भी संबंधित विभागों के कोष में राज्य सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। टेंडर आदि की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाती है। जब ठेकेदार अथवा संबंधित विभाग के सरकारी कर्मचारी काम करने लाते हैं तब वन विभाग के अधिकारी अकारण अपनी जमीन दिखाकर अनेक जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं में रोक लगाकर अवरोध पैदा कर रहे हैं। इससे जनता में काफी जनाक्रोश है। उदाहरण के तौर पर मेरे ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में, राठ जिला हमीरपुर से गरौठा, जिला झांसी तक बनने वाली सड़क एवं बीच में बेतवा नदी पर लम्बी लागत से बनने वाले पुल का निर्माण वन विभाग द्वारा रोक दिया गया है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के राठ से गरौठा तक बनने वाली सड़क एवं बीच में बेरवा नदी पर राज्य सरकार द्वारा लंबी लागत से बनने वाले पुल के निर्माण में उत्पन्न गतिरोध एवं उत्तर प्रदेश में जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं में वन विभाग से आने वाले अवरोध को शीघ्र दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(नौ) उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरा जिले में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के जिला लखीमपुर खीरी में केन्द्रीय योजनाओं के धन का अपव्यय एक आम बात है। यह एक ऐसी बीमारी है, जिसका उपचार बिना सख्त कार्रवाई संभव नहीं है।

[श्री इलियास आज़मी]

वहां ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के कर्मचारी लगातार लखीमपुर में ही तैनात है।

मेरी सदन के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री से मांग है कि केन्द्रीय योजनाओं में कार्यान्वयन में व्याप्त अनियमितताओं की जांच सी.बी.आई. से कराए ताकि योजनाओं के धन के अपव्यय को रोका जा सके।

(दस) बोधगया और वाराणसी को जोड़ने वाली नई उड़ानों द्वारा दिल्ली और भुवनेश्वर को जोड़े जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : वाराणसी और बोधगया भारत के दो महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्र हैं, जहां बड़ी संख्या में देशी तथा विदेशी पर्यटक आते हैं। उड़ीसा में भी इसी प्रकार से धार्मिक आकर्षण हैं। वाराणसी, जोकि एक प्रसिद्ध शैव केन्द्र है, उसी की तरह भुवनेश्वर भी एक शैव केन्द्र है। पुरी एक प्रसिद्ध वैष्णव केन्द्र है। कोणार्क एक विश्व धरोहर स्मारक है। धौली-रत्नागिरी-उदयगिरि-ललितगिरि-लंगुडी भी एक और प्रसिद्ध बौद्ध सर्किट है, जिसको प्रमुख बौद्ध केन्द्रों से जोड़े जाने की आवश्यकता है। दिल्ली और भुवनेश्वर को नई उड़ानों द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता है, यह उड़ानें बोधगया और वाराणसी भी जाएं ताकि इन दो स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों के लिए उड़ीसा जाना भी सुविधाजनक हो जाएगा।

मेरा सुझाव है कि दिल्ली-भुवनेश्वर उड़ानों को प्रतिदिन के स्थान पर दिन में दो बार किया जाए तथा दिल्ली से आगे की यात्रा के दौरान एक उड़ान को सप्ताह में 4 दिन बारास्ता वाराणसी और तीन दिन बारास्ता बोधगया चलाया जाए और वापसी में यह उड़ान भुवनेश्वर से सीधे दिल्ली लौटे। मैं सरकार से बौद्ध सर्किट के भाग के रूप में बैंकॉक-भुवनेश्वर-बोधगया उड़ान पर भी विचार करे। इससे विदेशी पर्यटकों के आगमन में सहायता मिलेगी।

(ग्यारह) देश में बीड़ी उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा बीड़ी बनाने वाले श्रमिकों को महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी) : देश के बीड़ी मजदूर कड़े संघर्ष तथा आंदोलन के बाद बनाई गई प्रति हजार बीड़ियों पर 1.62 रु. के महंगाई भत्ते के लिए अर्हक बन गए हैं। इस संबंध में 01.04.2005 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। परंतु केवल कुछ ही बीड़ी निर्माताओं द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिकांश बीड़ी कंपनियां, बीड़ी मजदूरों को यह महंगाई भत्ता नहीं देती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र तेनकासी तथा देश के अन्य भागों में ऐसे मजदूर इस कारण उद्वेलित हैं। श्रम कल्याण विभाग को बार-बार अभ्यावेदन देने का कोई लाभ नहीं हुआ। अत: मैं केन्द्रीय श्रम कल्याण मंत्रालय से हस्तक्षेप करने तथा देशभर के इन गरीब बीड़ी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में से एक इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए तत्काल उचित कदम उठाएं।

[हिन्दी]

(बारह) झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, अतिमहत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि झारखण्ड राज्य के कोयला क्षेत्र में खनन के कारण जलस्तर काफी नीचे चला गया है और पूरे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, खास कर गिरिडीह जिलान्तर्गत बुढ़िया खाद, मोती मुहल्ला, बनियाडीह, भंडरीदह, पचम्बा एवं बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के गोमिया, झिरकी, होसीर, साडम, हजारी, खुदगडा, ठेडे, बिरसा, तुलबुल, लटखुटा, बांध बस्ती, कटहरा तथा बेरमो प्रखंड के बेरमो, ढोरी, फुसरो, जरीडीह, लोधखेडा, घुटियाटांड, कुदुकमनिया, चार नम्बर, कारो, बेदकारो, माकोली, दुगदा, कल्याणी, चन्द्रपुरा, बेडिया, जरंगडीह, जैना मोड, बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड के चापी, खेतको, पिछरी, अंगवाली, चांदी, रोहर आदि क्षेत्रों में तथा धनबाद जिला के बाघमारा प्रखंड के ठकरासगढ़, पचगढ़ी, छतावाद, लोयाबाद, भटमुडना, भाटडीह, कपूरिया, रूदी कपूरिया, सलानपुर, गुहीबांध, झिंझिंपहाड़ी, बंसुरिया, मन्दरा, बासजोडा, सिजुआ, मुराइडीह, मुरलीडीह, मलकेरा, भेलाटांड आदि क्षेत्रों में कोयला खनन के कारण जलस्तर काफी नीचे चला गया है और क्षेत्रों में पानी का स्रोत सूख गया है।

उपरोक्त क्षेत्र के लगभग पांच लाख लोग कोयला खनन के कारण जल संकट से काफी परेशान हैं। अत: जनहित में आपसे सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं कि इन सभी ग्रामवासियों को अतिशीघ्र पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये।

(तेरह) कर्नाटक, के बंगलौर में चिप विनिर्माण एककों की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : सेमइंडिया के अध्यक्ष नंजनघाट

के निकट थावाली में अपनी कंपनी की परियोजना के लिए 1500 एकड़ जगह की पहचान किए जाने पर उत्साहित हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि काबिनी जलाशय का पर्याप्त गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध है तथा राज्य सरकार सेमइंडिया कंपनी की अपेक्षा के अनुसार जलशोधन के लिए प्रावधान करने को तैयार है। विद्युत भी उचित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। रामनगर के निकट बीडाडी में पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है।

इस प्रकार कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्य के अनुसार बंगलोर में चिप विनिर्माण के क्षेत्र में देश पहला कदम रखेगा। केन्द्र को कर्नाटक में इस तीन बिलियन की लागत वाली कोब सिटी परियोजना की स्थापना करने के लिए आगे आना चाहिए तथा कर्नाटक में कंपनी के नए उदय में उसे प्रोत्साहन देना चाहिए।

(चौदह) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले आरक्षण संबंधी विद्यमान नीति को सांविधिक आधार देते हुए उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास अठवले (पंढरपुर) : इस सपद, आरक्षण की नीति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी अनुदेशों के नियंत्रणाधीन होती है। चूंकि, यह व्यवस्था प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि इस नीति को सांविधिक आधार देने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें इस नीति का क्रियान्वयन न करने वाले लोगों/प्राधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो। इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए।

लोक सभा, विधानसभा, सेनाओं, शैक्षणिक संस्थाओं तथा अन्य सभी संगठनों, निगमों आदि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या में उनके प्रतिशत के अनुसार ही होना चाहिए।

राज्य सभा तथा राज्यों में विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही होना चाहिए।

भूमि सुधार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में सरप्लस भूमि के वितरण के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिएं।

अनुसूचित क्षेत्रों में, भूमि हस्तांतरण विनियमों को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा जहां जनजातीय भूमि को अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित किया गया है, वहां भूमि के स्वामियों को उनकी भूमि वापस दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

भूमिहीन मजदूरों की हितों की रक्षा की जानी चाहिए तथा न्यायपूर्ण उद्देश्यों के लिए लड़ने हेतु उन्हें संस्थाएं बनाने की सुविधा दी जानी चाहिए।

यह अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.30 बजे

सामान्य बजट, 2006-2007—सामान्य चर्चा

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2005-2006

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2003-2004

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 17 को लेंगे। माननीय वित्त मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन दिन से नोटिस दिया हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अवसर मिलेगा आप प्रतीक्षा कीजिए और धैर्य धारण कीजिए एवं दिन के आखिर में आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : इसे डे ऑफ्टर टुमॉरो लेंगे। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, तीन दिन हो गए हैं।...*(व्यवधान)*

डा. राम लखन सिंह (भिंड) : यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय को आप बाद में उठाएं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे स्वीकार किया जा चुका है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

***श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : महोदय, यूपीए सरकार ने कहा था कि देश के आम लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन जो बजट पेश किया गया उसे देखते हुए बिना हिचक यह कहा जा सकता है कि यह देश के समृद्ध लोगों का बजट है। यही बजट है कि महंगाई बढ़ रही है, तेल, खाद्यान्न, साबुन, बिस्कुट और अन्य रोजमर्रा की वस्तुएं हर रोज महंगी होती जा रही हैं। जिसके कारण देश के आम लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। देश के आयात-निर्यात की यह स्थिति है कि 80 फीसदी आयात हो रहा है और निर्यात केवल 20 फीसदी है, पहले ऐसा नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे आयात और निर्यात का समीकरण बदल गया। हम अपने उत्पाद को दुनिया के बाजारों में भेज नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा बाजार विदेश निर्मित सामानों से अटा पड़ा है। यह सब यूपीए सरकार की जन-विरोधी नीतियों के कारण हो रहा है। अगर हम किसानों की बात करें तो उनकी स्थिति ठीक नहीं है।

देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यूपीए सरकार कृषि क्षेत्र में विकास की बात कहती है, पर करती कुछ नहीं है। यह कितनी विडम्बना है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसान गरीबी और भूख से मर रहे हैं। छोटी कारों की कीमत कम हुई है। अब कौन नहीं जानता है कि कार पैसे वाले ही खरीदते हैं। इससे आम लोगों का क्या लेना-देना है। यदि कारें सस्ती हुईं तो अमीर लोग ही खरीदेंगे। इस बजट में गौर करने वाली बात यह है कि जो सर्विस टैक्स लगाया गया है, क्या उसे आम लोगों की जेब से नहीं निकाला जाएगा? दरअसल दूसरे रास्ते आम लोगों पर कर का बोझ बढ़ाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बजट में देश के समृद्ध और खास लोगों का विशेष खयाल रखा गया और महिलाओं, किसानों तथा नौजवानों की उपेक्षा की गयी है। गरीबों की रोजी, मेहन्दी, चीनी आदि को भी नहीं छोड़ा गया है। साबुन पर जो टैक्स लगाया गया है वह बिल्कुल अनुचित है।

***श्री गणेश सिंह** (सतना) : महोदय, यूपीए सरकार का बजट 2006-07 आंकड़ों की बाजीगरी है। आर्थिक सुधारों की सही दिशा क्या होगी, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। विकास दर वित्त मंत्री जी भले ही 10 फीसदी चाहते हैं, परंतु देश से लगातार सवाल उठ रहा है कि फिर दूसरी हरित क्रांति देश में कब आयेगी? इस बजट में इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कृषि क्षेत्र में सुविधा देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। कृषि के रिस्क को कम किये जाने की जरूरत है जो कि इस बजट में नहीं है।

बजट में किसानों को बड़ी राहत दी गयी है, ऐसा भारी प्रचार किया जा रहा है। कृषि विकास दर 23 फीसदी पर आने का दावा किया गया है जिससे 50 लाख टन ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होगा, ऐसा वित्त मंत्री जी कह रहे हैं।

वहीं दूसरी तरफ गेहूं आयात कर रहे हैं। किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं उनके पुराने ऋण की ब्याज में 15 प्रतिशत यानी 300 रुपये मात्र खाते में जमा कराने से क्या रोकी जा सकती है? ब्याज दर 7 प्रतिशत करके क्या आप 63 प्रतिशत छोटे किसानों को कोई राहत दे सकते हैं, जो ऋण बैंक से लेते ही नहीं। देश में मात्र 27 फीसदी किसान ऋण लेते हैं, यह सच्चाई एनएसएस के 59वें सर्वेक्षण में दी गयी है। सरकार ने कृषि ऋण दोगुना करने की घोषणा की है।

सरकार ने किसानों की तथा कृषि के सुधार हेतु वैज्ञानिक डा. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट भी आ गयी है। लेकिन वित्त मंत्री जी ने बजट में उस आयोग की रिपोर्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। वित्त मंत्री जी यह जानते थे कि आयोग ने कृषि ऋण पर ब्याज की दर को 4 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इसके अलावा भी आयोग ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

यदि वित्त मंत्री जी किसानों की मदद करना चाहते हैं, तो जिस अनुपात में कृषि उत्पादन व्यय बढ़ रहा है, उसी अनुपात में किसानों को फसल पर बोनस हेतु सब्सिडी की व्यवस्था करनी चाहिए। सिंचाई देश के प्रत्येक खेत को सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली और इसके साथ ही रियायती दर पर डीजल की व्यवस्था का बजट में प्रावधान करें तभी माना जायेगा कि यूपीए सरकार किसानों के प्रति चिंतित है।

जब सिंचाई योजनाओं के बारे में बात होती है तो यह मामला राज्यों के क्षेत्राधिकार का है, यह कहकर टाल दिया जाता है। एनडीए सरकार ने एक प्रस्ताव नदियों को आपस में जोड़ने का दिया था। इस योजना से जहां एक ओर हर वर्ष बाढ़ से तबाही होती है उससे मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जहां सूखा पड़ता है वहां पानी पहुंचाया जा सकता है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन बजट में एक रुपया नहीं दिया गया। क्या यह देश के अंदर सिंचाई की औसत दर को बढ़ाने के प्रति अच्छा कदम कहा जा सकता है।

बजट में भारत निर्माण की बात बढ़-चढ़कर कही गयी है। जो योजनाएं पहले से चल रही थीं, उन्हीं को भारत निर्माण की उपाधि दे दी गयी है जबकि उसमें नया कुछ नहीं है। वहीं सड़कों की योजना, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के साधन बढ़ाने, रोजगार गारंटी योजना, ऊर्जा उत्पादन आदि में, मुझे कहीं कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री जी ने शब्दों की जादूगरी अच्छी दिखाई है क्योंकि एक तो स्वयं वित्त मत्री हैं, दूसरे जो देश के प्रधान मंत्री हैं, वे भी इसी के मास्टर रहे हैं। दोनों ने अर्थव्यवस्था के सुधार के जो आंकड़े दिये हैं, वे पूर्णत: दिशाहीन तथा तथ्यों से परे हैं।

पूरे बजट में आवश्यक वस्तुओं के दाम कैसे स्थिर रहेंगे, कोई ठोस उपाय नहीं बताये और यही कारण है कि 40 प्रतिशत से अधिक महंगाई जरूरी वस्तुओं के बढ़ गये हैं और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। यह कहना पूर्णत: गलत है कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितना विस्तार जरूरी है, उस तरफ कुछ भी नहीं हुआ। एनडीए सरकार ने देश में छ: नये एम्स खोलने का प्रस्ताव किया था क्योंकि दिल्ली में एम्स में जितना दबाव है, वह थोड़ा कम होगा। लेकिन बजट में नये एम्स के लिए बजट का तो कोई प्रावधान नहीं किया गया उल्टे एम्स में जरूरत के मुताबिक भी बजट का आवंटन नहीं किया। जो विदेशी सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाये जा रहे हैं, उनमें बजट आवंटन करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का मात्र प्रयास किया गया है।

शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर सरकार गंभीर नहीं है। जिस तरह से शिक्षा में वर्गीकरण हो रहा है, यदि उसे रोका नहीं गया तो देश अमीरों तथा गरीबों में पूरी तरह से बंट जायेगा। पढ़-लिखे लोगों की संख्या बेरोजगारी में बढ़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए तकनीकी शिक्षा की ओर जाना चाहिए लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं है।

देश का बेरोजगार आदमी या तो पढ़-लिखकर 100 दिन की मिट्टी खोदकर मजदूरी करे या फिर गलत रास्ते में चला जाये, इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। नौकरियां दिनोदिन खत्म हो रही है और मजदूर बढ़ती जा रही है। इससे देश का युवा पूर्णत: निराश है। बजट देश की ज्वलंत समस्याओं के योजनाबद्ध समाधान के लिए आधा अधूरा है। 50 वर्ष की आजादी बीत जाने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि हमने किसी एक समस्या का पूरी तरह से निदान कर दिया है।

हमारी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे विदेशी पूंजी के आगोश में आती जा रही है। देश का व्यापार पूरी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खत्म करने का निश्चय किया है। हमारा अपना पेटेंट खत्म हो रहा है। आर्थिक सुधार का धीमा जहर देश की अर्थव्यवस्था को जब तक पंगु नहीं बना देगा तब तक वित्त मंत्री जी दम नहीं लेंगे।

देश के गांव, देश के किसान, देश के युवा इनको ध्यान में रखकर योजनाएं यदि नहीं बनेंगी, बजट का आवंटन यदि इनको ध्यान में रखकर नहीं करेंगे तो व्यवस्था में जबरदस्त विस्फोट होगा। उसे कोई रोक नहीं सकता।

प्रति व्यक्ति आय कागजों के बजाय लोगों के जेब में दिखनी चाहिए। उनके चेहरे में मुस्कान चाहिए जो कि दिखाई नहीं दे रही। सेंसस आसमान छू रहा है। उससे आम आदमी जिसकी संख्या 70 प्रतिशत से अधिक है, का कोई वास्ता नहीं है।

अंत में, मैं यह कहूंगा कि बजट अल्पकालिक सोच के आधार पर बनाया गया है। कुछ मामलों को हाईलाइट करके सस्ती लोकप्रियता हासिल किये जाने का प्रयास है। बजट पूरी तरह से दिशाहीन तथा भ्रामक है।

*श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, मैं इस बजट चर्चा में सहभागी होते हुए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह बजट आम जनता के लिए किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो कुल मिलाकर विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और मध्यम वर्ग की जेबें खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है।

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज जी. अहीर]

बजट में कारों के मूल्य कम किए गए हैं, तो कम्प्यूटर पर उत्पाद शुल्क बढ़ा है। सर्विस टैक्स बढ़ा कर 10 से 12 फीसदी कर दिया गया है। जबकि कम्प्यूटर पर सीमा शुल्क घटाया गया है। कोल्ड ड्रिंक्स का मूल्य कम हुआ है। एटीएम सहित 15 नई सेवाओं पर कर लगाया गया है। आम आदमी की बात करने वाली सरकार से जनता राहत की अपेक्षा करती थी, लेकिन बजट में जनता की जेबें खाली करने का प्रयास दिखाई देता है।

सरकार एक-एक करके सभी सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाती जा रही है। अगर मध्यम वर्ग की सुविधाओं को इसी तरह नजरअंदाज किया जाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में दो ही तबके के लोग रह जाएंगे अमीर और गरीब और इसमें भी खाई बढ़ती जाएगी। वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में मेल्टींग स्टील स्क्रेप पर पांच फीसदी सीमा शुल्क लगाए जाने से साइकिलों की कीमतों में वृद्धि होगी तथा इसका असर भारतीय स्टील उद्योगों पर भी पड़ेगा। अमीरों की कारों का सस्ता करना और गरीबों की साइकिलें महंगी कर सरकार का आम आदमी के हित का दावा खोखला साबित हो गया है।

सरकार आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध होने का ढिंढोरा पीटती है। उसने खाद्य सब्सिडी में 2000 करोड़ की कटौती कर आम आदमी के हितों की पूरी तरह उपेक्षा की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाजों का दाम बढ़ाने का प्रयास भी हुआ था। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दिया जा रहा अनाज सही लाभार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, न कि सब्सिडी में कटौती।

महोदय, मैं एक बात खास तौर से रखना चाहता हूं कि शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में हो रही तेजी से बढ़ोतरी और उछाल को हम उपलब्धि की तरह देखते हैं। आर्थिक तरक्की के इस महत्वपूर्ण संकेतक के खुशी से फड़फड़ाने के बावजूद व्यावहारिक जीवन में हम पाते हैं कि हमारी तमाम आर्थिक दिक्कतें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। देश में आज भी पंजीकृत बेरोजगारी की तादाद तीन करोड़ से अधिक है। जबकि आज की तारीख में रोजगार केंद्रों पर अपना नाम पंजीकृत करने का साहस भी कोई नहीं कर पाता। जिनके पास रोजगार है वे भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहा जाता था कि नई अर्थव्यवस्था से पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या यह सपना हकीकत में बदल पाया? यदि बदला होगा तो भी बहुत थोड़े लोगों के लिए। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है।

आंकड़े गवाह हैं कि दुनिया का हर तीसरा कुपोषित व्यक्ति भारत का है। 35 प्रतिशत ग्रामीण आबादी कुपोषित है और सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है तो इस वर्ग के लिए आयोडीन नमक की सख्ती। इस वर्ग को आसानी से उपलब्ध सादे नमक पर पाबंदी लगाई गई है। अब अधिक दाम देकर नमक खरीदना पड़ेगा। आयोडीन युक्त नमक चलता रहे लेकिन सादे नमक पर पाबंदी क्यों? ग्रामीण भारत में किसान, दूध वाले अपने दुधारू जानवरों को चारे के लिए नमक का उपयोग करते हैं। वह जानवरों के लिए पोषण का काम करता है। अब सादे नमक के पाबंदी के कारण क्या जानवरों को भी आयोडीन युक्त नमक खिलाना पड़ेगा? ग्रामीण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक किसानों पर इससे कुप्रभाव पड़ेगा। दूध की लागत में वृद्धि होगी, लेकिन दूध के दामों में वृद्धि नहीं करने से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी? इसलिए मैं मांग करता हूं कि सादे नमक पर प्रतिबंध हटाया जाए।

अब मैं सरकार का ध्यान भविष्य में आने वाले महत्वपूर्ण संकट की तरफ आकर्षित करता हूं। पिछले पांच-दस वर्षों में जिन देशों में जल अभाव का संकट आ सकता है उनमें भारत शामिल है। जमीन के नीचे के जल स्तर का लगातार कम होना चिंता का विषय है। लगातार घटते जा रहे जल स्तर को देखते हुए भविष्य में कृषि, उद्योग तथा घरेलू उपयोग हेतु बढ़ती पानी की जरूरतें पूरी करना एक-एक समस्या बन सकती है और देश की नदियों में कारखानों द्वारा किया जा रहा जल प्रदूषण के कारण इस पानी का पेयजल के रूप में अयोग्य होना समस्या है। पानी बचाव अभियान आज की जरूरत है। सरकार इस विषय पर ध्यान केंद्रीत करे, सरकार ने पेयजल के लिए 4680 करोड़ का बजटीय प्रावधान बहुत कम है। समस्या की विकरालता देखते हुए पेयजल के लिए अधिक आवंटन किए जाने चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध जलापूर्ति के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है।

विश्व व्यापार समझौता 1 जनवरी, 1995 से भारत में लागू हुआ। इसके बावजूद इसके फायदे दिखाई नहीं देते। समझौता हो कर 10 साल से अधिक समय गुजरने के बाद भी भारतीय किसानों की मांग आज भी अधूरी है। कृषि क्षेत्र में कृषि उपज के मुक्त व्यापार व्यवस्था के कारण किसानों को उनके कृषि उपज का अधिक दाम मिलने का जो सपना दिखाया गया था वह सपना टूट गया है। निकट भविष्य में दूर-दूर तक इसकी आशा भी नहीं दिखाई पड़ती। इस कारण भारतीय कृषि का भविष्य अंधकारमय नजर आता है। किसानों की हो रही आत्महत्याएं इसका ही परिणाम हैं। देश में आर्थिक वृद्धि के पुल चंद लोगों तक ही सीमित रहे हैं। जबकि ज्यादातर देशवासियों के जीवन स्तर में तेजी से गिरावट आई है। ग्रामीण यानी असली भारत से आने वाली किसानों की आत्महत्या और कुपोषण, भुखमरी की खबरों से

इस बात की पुष्टि हो जाती है। आर्थिक विकास की ऊंची दर के भ्रम में कड़वी आर्थिक सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। यदि विकास दर को दस प्रतिशत तक ले जाना है तो कृषि विकास दर को चार प्रतिशत पर लाना होगा। दुनिया के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 177 देशों में 127वां है। यह स्थिति आर्थिक महाशक्ति के सपने से मेल नहीं खाती। हमारे देश में दालें, दलहन सहित खाद्यान्न का कुल उत्पादन 15 करोड़ टन है। जबकि पड़ोसी चीन 55 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करता है। भारत के मुकाबले चीन की आबादी 30 करोड़ अधिक है, लेकिन अनाज उत्पादन का अंतर 40 करोड़ टन है। इसका अर्थ यह है कि भारत में कृषि क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आज भारत में कृषि और आयटी क्षेत्र दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। आयटी में हम आगे बढ़ रहे हैं, पर कृषि क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में पिछड़ा होना स्वस्थ विकास का संकेत नहीं हो सकता। विकसित देशों को कृषि सब्सिडी के सहारे कृषकों को फायदा पहुंचाया जाता है। विकसित देशों को कृषि सब्सिडी कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से दबाव बढ़ाना चाहिए। भारतीय कृषि को निर्यातक्षम बनाने के लिए इसमें भारी निवेश की जरूरत है। इस देश के किसानों के लिए कृषि कार्य फायदे का सौदा कराने के लिए कृषकों को उनकी लागत के अनुरूप दाम भी मिलने चाहिए। सरकार द्वारा अन्नदाता कहलाने वाला किसान आर्थिक विकास के प्राथमिकता में अग्रसर रहेगा तो ही देश की तस्वीर हम बदल सकते हैं।

सरकार द्वारा किसानों को दो लाख तक के अल्पावधि के कर्जों पर 9 से 7 प्रतिशत के ब्याज के ऋण दिए जाने की घोषणा की है, लेकिन किसानों को इससे खास फायदा नहीं पहुंचेगा। किसानों को खेती फायदे में करने के लिए उसे साहुकारों की गिरफ्त से बचाने के लिए आसान शर्तों पर चार प्रतिशत ब्याज से ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। इसी तरह भारतीय किसानों की कृषि उपज की लागत कम करने के लिए कृषि उपज बढ़ाने की तकनीक भी विकसित करना और किसानों को उपलब्ध कराने की जरूरत है। पहली हरित क्रांति में केवल बड़े किसानों को ही फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी दूसरी हरित क्रांति की बात करते हैं तो इस बार देश के जो छोटे किसान हैं उनकी समृद्धि के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। आठ प्रतिशत की ऊंची वृद्धि दर और दस हजार के ऊपर उछलते सूचकांक के अति उत्साह में असली भारत की सच्चाइयों को बिसराना नहीं चाहिए। लोगों के हाल सुधारने हैं तो ऐसे इंतजामात करने होंगे जिनसे रोजगार पैदा हो और परिणामस्वरूप घरेलू मांग में वृद्धि हो। अगर लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं होगी तो आसान शर्तों में पूंजी मुहैया कराने के बावजूद वृद्धि को आवेग नहीं मिलेगा। वृद्धि के लिए उत्पादित सामग्री का बिकना जरूरी है। इसलिए जनता की क्रयशक्ति बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। देश के उपेक्षित सामाजिक, आर्थिक ढांचे को पुरजोर करने के लिए इसमें निवेश किया गया तो ही रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

अंत में, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश के जनजातीय, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस बजट में घोर उपेक्षा की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए, सरकार इस पर अधिक ध्यान दे।

*डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न स्वाभिमानी एवं विश्व में अग्रणी स्थान वाला देश है। इस देश का बजट तदनुरूप देश के निरंतर विकास एवं समृद्धि की गति को तीव्रतर बनाते हुए आम आदमी के सर्वांगीण उन्नति के साथ विश्व में "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना को सार्थक करने की अपनी महती भूमिका निभाते हुए उसे सार्थक करे, इस कसौटी पर उसे खरा उतारना है।

इसी पृष्ठभूमि में हमें अपने आय-व्यय को देखना होगा। क्या हम स्वाभिमानी एवं स्वावलंबी देश के निर्माण की ओर तीव्रता से अग्रसर हैं। क्या हम आम आदमी के सर्वांगीण विकास की पृष्ठभूमि में कार्य करते हुए उसे सार्थक बनाने का अपनी भूमिका सार्थक बना पाने में समर्थ हैं। हम परमाणु शक्ति सम्पन्न देश होकर अपनी भूमिका का निर्वाह तद्नुरूप विश्व में सौहार्द सौमनस्य एवं शांति के लिए कर रहे हैं? यह सही है कि हम शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हैं और हम विश्व में सौहार्द, शांति व सौमनस्य के लिए कृत संकल्प हैं। शेष अन्य प्रश्नों के संदर्भ में वर्ष 2006-07 के बजट की विवेचना में जाना पड़ेगा।

बजट में सामाजिक विकास जनयोजनाओं के लिए विशेष राशि 50015 करोड़ आबंटन से लेकर विभिन्न मदों में बढ़ोत्तरी के संकेत दिए हैं। वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 8.1 प्रतिशत और मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत पर रहेगी, ऐसा अनुमानित किया गया है। यद्यपि बजट में औद्योगिक उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाकर 12.5 प्रतिशत किया है किंतु इससे घरेलू उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी। सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी पेयजल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन जैसे नये नामों से कतिपय एनडीए सरकार की चालू की गई योजनाओं के लिए विभिन्न आबंटन किए गए हैं। वही मध्याह्न भोजन, स्वच्छता अभियान एवं महिला विकास हेतु भी आबंटन में वृद्धि के संकेत दिए गए हैं। बजट में सर्वशिक्षा अभियान के लिए 10041 करोड़ रुपए

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

का प्रावधान है। मध्याह्न भोजन के लिए 4813 करोड़ प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय पेयजल योजना मिशन के लिए 4180 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 8207 करोड़ का प्रस्ताव है। जिसकी विशेष चर्चा बजट में तथा अन्यत्र भी की गई है। उस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 14300 करोड़ ही प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 24115 तथा 12546 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जहां 12041 करोड़ रुपए है वहीं रक्षा क्षेत्र के लिए 89000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की बेहतरी की चर्चा और उनके लिए विशेष बजट प्रावधानों के साथ छात्रवृत्तियों की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं को लेकर तथा उनके उन्नयन हेतु कई योजनाओं की चर्चा की गई है। किंतु अनुसूचित जाति व जनजाति के बालक बालिकाओं के शिक्षण हेतु उपयुक्त अधिकाधिक आवासीय छात्रावासों के लिए राशि आबंटन नगण्य है।

भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत 18696 करोड़ रुपए का प्रावधान निहित है। सरकार का ध्यान राजस्व वृद्धि का तो अवश्य है किंतु विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की पुष्टि से व निर्यात प्रोत्साहन की दृष्टि से कोई प्रभावी कार्य योजना परिलक्षित नहीं होती।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुछ प्रावधान विभिन्न राज्यों की सहायता के रखे गए हैं किंतु अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत के दोहन को प्राथमिकता दिया जाना अभिप्रेत था, जो नहीं है।

2006-07 का आय-व्यय अत्यंत ही विचारपूर्ण तरीके से इस बात को ध्यान में रखकर कि सामान्यत: बजट अच्छा बनाया गया है, कहा जा सकता है, किंतु यदि इसकी गहराई में जाएं तो सम्पूर्ण स्थिति सामने आती है, कई गंभीर प्रश्न उपजे हैं, उभरे हैं। मैं बजट के उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता जिनके द्वारा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है तथा उस संबंध में कुछ आंकड़े दे चुका हूं।

घोषणाएं कई हैं किंतु तीन प्रमुख हैं। भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारटी, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं सर्वशिक्षा अभियान (यद्यपि यह पहले से ही चल रहा है) आगे चलकर इन पर विचार व्यक्त करूंगा।

समाचार-पत्रों ने इस बजट पर सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिकांशत: लिखा है कि जनसाधारण में इससे न तो खुशी का माहौल है और न गम का। किंतु इससे महंगाई का बढ़ना स्वाभाविक है। आम उपभोक्ता महंगाई से प्रभावित होगा ही, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग पर चोट सबसे अधिक होगी। किसानों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें समयावधि में या तदनुरूप पूरा करने की सामान्य प्रक्रिया ही अपनाई गई है, कोई प्रभावी उपाय योजना नहीं है। आयकर में भी यथास्थिति रखी गई है। सेवा कर का दायरा बढ़ा दिया गया है किंतु फ्रिंजबेनिफिट टैक्स के मामले में कंपनियों को काफीर सहूलियत दी है। अर्थव्यवस्था की अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की गई है और दावा किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद 8.1 तथा मुद्रास्फीति 4.6 प्रतिशत पर रहेगी। औद्योगिक उत्पादों पर सीमा शुल्क की उच्चतर दर 15 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत की है जिससे घरेलू उत्पाद प्रभावित होगा और प्रतिस्पर्धा में कठिनाई खड़ी होगी।

बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार से वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं शहरी नवीकरण जैसी घोषणाएं भी हैं। सर्वशिक्षा अभियान में 10041 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पांच लाख अतिरिक्त कक्ष कक्ष, डेढ़ लाख अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है जो वर्तमान में शिक्षकों की मांग के अनुपात में काफी कम है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना मिशन 4680 करोड़ रुपए का आबंटन है किंतु गांवों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता व पेयजल हेतु ग्रामीण जनसहयोग की तुलना में यह राशि काफी कम है।

यद्यपि वित्त मंत्री महोदय ने शिक्षा और स्वास्थ्य को भारत निर्माण की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्व दिया है, प्राथमिकता भी दी है किंतु तदनुसार कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई।

यह सही है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धजनों (65 वर्ष से ऊपर की आयु) के लिए सहायता राशि 75 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी है इससे निश्चित ही वृद्धजनों को सामान्य राहत मिलेगी किंतु यह राशि न्यूनतम 500 रुपए की जानी चाहिए थी।

कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए सिंचाई का उल्लेख भी किया है किंतु आज स्थिति क्या है? खेती योग्य जमीन का बड़ा भाग सिंचाई से वंचित है। यद्यपि जनसंवर्द्धन योजनाओं का जिक्र किया गया है किंतु आबंटित राशि काफी कम है। यह बात औद्योगिक विस्तार के बाद उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इसके पूर्व थी। कृषि पर अभी भी 65 से 75 प्रतिशत लोगों की आजीविका निर्भर है या यह कहा जा सकता है कि लगभग 65 से 70 प्रतिशत रोजगार कृषि से उपलब्ध है। किसान को पर्याप्त बिजली नहीं उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं, किसान कृषि में लगातार हो रहे घाटे या कृषि के अलाभकारी होने के कारण आत्महत्या कर रहा है। इस दृष्टि से देश के पिछड़े किंतु कृषि क्षेत्र

बहुल राज्यों पर ध्यान देना जरूरी है जिनमें प्रमुखत: मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ है। एक और दूसरा पहलू भी है, गांवों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, गांव वाले शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ रही है, वहां पर रहने को स्थान नहीं है, नौकरियों या काम की व्यवस्था नहीं फलत: शहरों जिंदगी भी अव्यवस्थित हो रही है। झुग्गी झोंपड़ियों की निरंतर बढ़ती संख्या भारत के भावी भाग्यविधाता बालकों का नारकीय जीवन गंदे नाले के पास जीवन, पर्यावरण की बढ़ती समस्या तथा काम के अभाव में असामाजिक वृत्ति, चोरियां, डकैतियां, अपहरण आदि शिक्षा का अभाव चिकित्सा तक गरीब तक पहुंच नहीं है। भारत निर्माण की कल्पना बहुत श्रेष्ठ है लेकिन पैसा कहां से आएगा? चित्र धुंधला सा है। इस बारे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

शहरों की बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां चाहे कपड़ा मिलें हों, चीनी मिलें हों, सीमेंट के कारखाने हों या छोटे-मझौले उद्योग हों, निरंतर घाटा हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम बहुत पीछे हैं। वैश्विक बाजार का दायरा बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण में हम पीछे हैं, कई औद्योगिक क्षेत्र आज भी नई तकनीक से दूर हैं। किसान परेशान है, गांव के लोग परेशान हैं, शहरों की दयनीय स्थिति व किसान जैसा मैंने पहले कहा आत्महत्या कर रहा है, मजदूर भूखे दम तोड़ रहा है। रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की घोषणा अच्छी है किंतु वास्तविकता के धरातल पर खरा उतारना है। आंज मांग के अनुपात में बिजली का उत्पादन 12 प्रतिशत कम है। किसान के खेत पर पानी, बिजली, नौजवान को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा व आवास समुचित प्रबंध नहीं है। शहरों में से अट्टालिकाएं आकाश को छूने का यत्न कर रही हैं पर गरीब की झोपड़ी पर छप्पर भी पूरा नहीं है, कैसे होगा भारत निर्माण?

जरूरी है स्वदेशी योजनाएं गांधी व दीनदयाल के सपनों का भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत।

आज आदमी की आय बढ़ी है पर आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की कीमतें भी बढ़ी हैं, व्यय के अनुपात में आय नहीं है। असंतुलन इसी से है गरीबी और धनाढ्य लोगों के जीवन स्तर या गरीबी और अमीरी की खाई में अंतर बढ़ा है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों का प्रतिशत हम कम नहीं कर पाए हैं। पूंजी का प्रभाव बढ़ा है। देश का धन कुछ पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित होता जा रहा है।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलौर, पूना, हैदराबाद, जयपुर, सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों की चकाचौंध देखें और शेष नगरों व भारत की तस्वीर को देखें तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी योजना के तहत शहरों के समुचित विकास व उन्नयन की दृष्टि से कार्य का उल्लेख किया गया है साथ ही मुंबई व बंगलौर मैट्रो की भी चर्चा की गई है। यदि कार्य योजना के अनुसार आबंटन हुआ तो निश्चय ही प्रगति होगी अन्यथा व्यय में वृद्धि और योजना का समय पर पूरा न होना स्पष्ट है। पूर्ववर्ती एनडीए सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयास पूरे हों। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की चर्चा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्यानुसार कुष्ठ व पोलियो के संपूर्ण उन्मूलन के बारे में कहा गया है. किंतु गांवों में शुद्ध पेयजल को पहले उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। यद्यपि जल की गुणवत्ता के परीक्षण की चर्चा है किंतु साथ ही स्वच्छता को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए गए और कई कार्य योजना बनीं, उनकी क्रियान्विती भी प्रारम्भ हुई। किंतु कई योजनाएं प्राय: विचाराधीन हो गई हैं।

पूर्व सरकार द्वारा चालू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाएं धीमी गति से चल रही हैं और इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं आज सफल हो रही हैं, उन्हें और गति देने की आवश्यकता है।

मंत्री जी ने अपने भाषण में आउटकम बजट की भी चर्चा की है। हम चीन की प्रतिस्पर्धा में हैं। क्या हम पूर्वी एशिया और चीन के समान निवेश में तेजी ला सके हैं? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कितना आकर्षित कर पाए हैं? पेट्रोलियम व ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में हमारे समक्ष काफी संभावनाएं हैं उस हेतु पर्याप्त पूंजी निवेश की जरूरत है। प्रवासी भारतीय इसमें भरपूर सहयोग दे सकते हैं। इसी संदर्भ में यदि हम देखें हमारे भारी उद्यम मानो बंद हो रहे हैं या बंद होने की स्थिति में हैं, उनके पुनर्गठन के उपाय वे योजना पूर्ववर्ती एन.डी.ए. सरकार द्वारा की गई थी उसे मूर्त रूप देकर उस क्रम को और आगे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। हमारे निर्यात को बढ़ाए जाने के कई क्षेत्र हैं। रत्न व आभूषण के निर्माण व निर्यात की दृष्टि से यद्यपि विचार हुआ है किंतु उसमें गति लाने की आवश्यकता है तथा तदर्थ निर्यातकों को प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। कृषि के संबंध में यद्यपि पहले विचार किया गया है। बिजली व सिंचाई साधनों की उपलब्धि हो किंतु इसमें राज्य सरकारों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश से बिजली उत्पादन हेतु सहयोग की घोषणा अच्छी है किंतु वहां की आवश्यकता को देखते हुए और भी विद्युत योजनाओं की स्वीकृति जरूरी है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

चतुर्भुज योजना आदि की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। आज भी देश के हजारों गांव बिजली से वंचित हैं। कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि को लिए जहां उपरोक्त बिजली पानी जरूरी है वहीं सुविधा से बैंक ऋण की प्राप्ति भी हो। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक व अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक हो, इस दिशा में अधिक रुचि लेकर कार्य करें। जिससे छोटे किसान भी सहयोग लेकर लाभान्वित हों। ग्राम अधोसंरचना विधि की चर्चा की गई है, इस अधोसंरचना में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए अधिक आबंटन की आवश्यकता है ताकि गांव सड़कों से जुड़ सकें। उसी क्रम में सिंचाई व पेयजल की समुचित उपलब्धि हेतु भी व्यापक कार्य योजना हो।

आज पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष सहायता दी जानी आवश्यक है ताकि उनका विकास सुनिश्चित होकर तीव्र हो।

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष सहायता योजना जरूरी है यद्यपि उस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम या बीमा क्षेत्र में भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। बाजार सुदृढ़ हों, कार्पोरेट क्षेत्र, सरकारी प्रतिभूतियां, म्युचुअल फंड आदि हमारे विकास में योगदायी हों।

औद्योगिक नगरों का विकास हो रहा है किंतु ग्रामीण उद्योग जिनमें हैंडलूम सहित मुख्यत: खादी व हस्तशिल्प उद्योग हैं, को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हथकरघा प्रतिस्पर्धा में हैं, इसके लिए बाजार उपलब्ध हो।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का अधिकाधिक लगाया जाना अति महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात संक्षेप में रख रहा हूं।

मध्य प्रदेश में काफी औद्योगिक संभावनाएं हैं, कृषि संघन क्षेत्र है। किंतु आदिवासी जनसंख्या बहुल पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है। एक विशेष पैकेज द्वारा इसकी मदद की जाए ताकि सकल राष्ट्रीय आय में मध्य प्रदेश का अपना स्थान बने।

*श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : महोदय, मैं आपको और समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया। सर्वप्रथम मैं इस तथ्य को सदन के सामने रखता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इस सदन और भारत की जनता को आंकड़ों की बाजीगरी से जिस प्रकार बेवकूफ बनाना चाहते हैं, व न तो उचित है और न वांछनीय। मैं अपनी बात बजट प्रावधानों से प्रारंभ करता हूं। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि इस बार कृषि पर पूंजी व्यय बढ़ाकर चौंसठ करोड़ कर दिया गया है। स्मरणीय है कि इन्हीं वित्त मंत्री ने पिछले बजट भाषण में इसी मद पर चौरासी करोड़ का प्रावधान किया था। क्या 64 करोड़ 84 करोड़ से ज्यादा होता है? वास्तव में पिछले साल प्रावधान तो 84 करोड़ था, किंतु संशोधित आंकड़ों में इसे 47 करोड़ दिखाया गया और यह तो इस देश में होता आ रहा है कि सरकार का कृषि क्षेत्र में प्रावधानों से काफी कम व्यय करती है और यही कारण है कि गांव उजड़ते जा रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसी प्रकार वित्त मंत्री का लुभावना नारा कि शिक्षा, स्वास्थ्य ग्रामीण तथा शहरी अवस्थापना पर 40 प्रतिशत बजट बढ़ाया जा रहा है, यह भी आंकड़ों की बाजीगरी है। वास्तविकता यह है कि राजस्व व्यय के मदों में यह बढ़ाया जा रहा है, जबकि पूंजी व्यय के मदों में इसे 25 प्रतिशत घटाया जा रहा है अर्थात् पूंजी खाते से व्यय कम कर राजस्व खाते में अधिक व्यय दिखाकर यह ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में बजट प्रावधान बढ़ा दिए गए हैं। महोदय, इस प्रकार कितने ही क्षेत्रों में आंकड़ों में बाजीगारी की गयी है।

वित्त मंत्री महोदय के बजट को ध्यान से देखने से कुछ और चिंताजनक तथ्य उभरकर सामने आते हैं। जैसे इस बार करों में सर्वाधिक आय निगम कर से प्राप्त होगी लगभग एक लाख तैंतीस हजार करोड़, एक्साइज ड्यूटी और वैयक्तिक आयकर तथा सीमा शुल्क सभी की आय निगम कर से होगी। महोदय, आयकर दाताओं पर सरकार की पकड़ कम हो रही है या कम की जा रही है। इस बारे में सदन पर विचार किया जाना आवश्यक है। आर्थिक सर्वेक्षण पेज 24 इस ओर स्पष्ट संकेत करता है कि बजट 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार वैयक्तिक आयकर को 26.5 प्रतिशत से बढ़ना था, जबकि बढ़ा मात्र 16.8 प्रतिशत से। वर्ष 2005-06 के प्रस्तावित आंकड़े भी इसी तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत वृद्धि हो रही है तथा इस वृद्धि का लगभग 90 प्रतिशत धनी तथा मध्य वर्गों में संकेन्द्रित हो रहा है, तो वैयक्तिक आयकर प्राप्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? वित्त मंत्री जी वैसे भी सरकार बड़ी कंपनियों और उनके लाभार्थियों को नकेल कसने में असमर्थ रहा है। महोदय, प्रिंज बेनीफिट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने वाले वित्त मंत्री महोदय, यह स्पष्ट करें कि ये कब और किस प्रकार प्रभावी हो रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जिस प्रकार से कर आय की बढ़ोत्तरी की बात काफी समय से करते आ रहे हैं यह कितनी बेमानी है, यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि जहां 1990 में कर सकल घरेलू उत्पाद 10 प्रतिशत था, वहां वर्ष 2004-2005 में घटकर

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

9.6 प्रतिशत हो गया और पिछले 2 वर्षों में बढ़ाने के सभी उपायों के पश्चात् वित्त मंत्री इसे 11 प्रतिशत भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 1/6 योजना और इसी तरह की कितनी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन सरकार में पूंजीपतियों से कर वसूलने की इच्छाशक्ति के अभाव में असफल होती जा रही हैं।

सार्वजनिक व्यय के आंकड़ों को ध्यान से देखने पर तो यह बजट किसान, मजदूर विरोधी ही लगता है। कृषि क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर कब से लागू होगी? होगी भी या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। कृषि पर कुल व्यय का 3 प्रतिशत होगा, वैसे भी कृषि में पूंजी निर्माण की दर 1.7 प्रतिशत है और उस पर से सरकार का व्यय इतना कम क्यों है? कृषि की विकास दर पिछले 10 वर्षों में एक प्रतिशत रही है और जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत अर्थात् भारत में प्रति व्यक्ति कृषि उपज उपलब्धता घट रही है। फिर भी बजट का कुल 3 प्रतिशत कृषि पर। ग्रामीण अवस्थापना पर दस हजार करोड़ रुपए की राशि है किंतु उसमें भी चार हजार करोड़ भारत निर्माण योजना में जाना है। इस राशि को छः हजार करोड़ क्यों नहीं बताया जा रहा है? वित्त मंत्री महोदय, महात्मा गांधी के इस देश में ग्रामीण और कृषकों के सब्र का और इम्तिहान लेना बंद कीजिए। इस देश को उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जो थोड़ा सा धन बढ़ाया गया है, वह प्रशंसनीय है, लेकिन इसकी लागत कौन दे रहा है? शहरी रोजगार योजनाओं में धन कम करके तथा राज्य योजना के अंश को कम करके।

महोदय, वास्तविकता यह है कि वित्तमंत्री महोदय, जिस अमेरिकी मॉडल पर भारत का बजट बनाते हैं, उसमें कमजोर और गरीब वर्गों का स्थान ही नहीं है। यह उद्योगपति, पूंजीपति और अमीर वर्गों पर न तो कर का बोझ लादना चाहते हैं और न उनकी सुविधाओं में कमी करना चाहते हैं। अर्थशास्त्र का नियम है कि कर वहीं कामयाब होंगे जहां धन अधिक होगा जिन तिलों में तेल नहीं होगा, वहां से तेल कैसे निकलेगा? और उन क्षेत्रों को वित्त मंत्री महोदय छूना ही नहीं चाहते हैं। वित्त मंत्री जी तब खुश होते हैं, जब सेन्सेक्स दस हजार को पार करता है, क्योंकि इससे देशी-विदेशी पूंजीपतियों की बांछे खिलती हैं। जब तक वित्त मंत्री का बजट सेंसेक्स पर आधारित होगा, तब तक विश्व बैंक के नियमों के आधार पर बजट बनाना होगा, तब तक ऐसा ही बजट बनेगा और कुछ वर्षों बाद बजट बनाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। महोदय, वित्त मंत्री महोदय को याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि नीति अथवा बजट अच्छा तभी होता है, जब गरीबों की परेशानियां कम हों।

[अनुवाद]

*श्री राजपति सांबशिवा राव (गुंटूर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम का वर्ष 2006-07 के लिए लगभग कर-मुक्त बजट पेश करने तथा जनता को प्रायः होने वाली चिन्ता से मुक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं संप्रग अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के तथा डा. मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए संप्रग सरकार का आभारी हूं। मैं कृषि क्षेत्र पर जोर देना चाहूंगा। कृषि हमारे देश का आधार है। 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में अधिकांश किसान मिर्च, तम्बाकू, कपास, धान तथा अन्य प्रमुख फसलें उगाते हैं। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए दुर्भाग्यवश उन्हें हर साल बाढ़ अथवा चक्रवात अथवा सूखे का सामना करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उनकी फसलें बह जाती हैं और वे लाभ नहीं उठा पाते। वे बैंक ऋण अथवा कर्ज चुका नहीं पाते हैं जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जैसाकि सभा को जानकारी है कि पूर्व राज्य सरकार के शासनकाल में कई किसानों ने आत्महत्या की। परंतु हमारी कांग्रेस पार्टी के राज्य में सत्तारूढ़ होने तथा संप्रग के केन्द्र में आने के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परंतु कई क्षेत्रों में अभी भी काफी कुछ किया जाना है।

दिनांक 16.11.2006 को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान यह अनुरोध किया गया था कि मिर्च उत्पादकों, व्यापारियों तथा निर्यातकों के हितों पर ध्यान देने के लिए एक मिर्च बोर्ड की स्थापना की जाए जिसका मुख्यालय गुंटूर में हो तथा इस विषय को मसाला बोर्ड के क्षेत्राधिकार से हटा दिया जाए। परंतु संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27.1.2005 के पत्रांक एफ-8-7(1)/2005-सी 3 के माध्यम से सूचित बैठक की कार्यवाही सारांश में यह बताया गया कि मिर्च बोर्ड स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा मिर्च सहित मसालों के विकास, अनुसंधान तथा विपणन/निर्यात संवर्धन पर इसमें उल्लेखित कतिपय संगठनों द्वारा अच्छी तरह ध्यान दिया जा रहा है। परंतु मिर्च उत्पादकों की दशा काफी दयनीय है तथा उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा और किसानों को अवर्णित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा वे आत्महत्या कर रहे हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान 858.90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। वर्तमान में जैसाकि मैंने पहले बताया मिर्च की फसल मसाला बोर्ड से सम्बद्ध है। चूंकि यह बोर्ड विविध कार्यों से जुड़ा है यह इस फसल

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रायापति सांबासिवा राव]

अर्थात् मिर्च पर ध्यान नहीं दे पाता है। अत: अनुरोध है कि मिर्च को मसाला बोर्ड के कार्यकलापों से हटाकर इसके उत्पादन विपणन तथा निर्यात संबंधी कार्यों पर ध्यान देने के लिए एक मिर्च बोर्ड की स्थापना की जाए जिसका मुख्यालय गुंटूर में हो।

मेरा दृढ़ विचार है कि जब तक हम मानसून पर निर्भर रहेंगे, हम ऐसी समस्याओं का सामना करते रहेंगे। इस पूरी घटना में आशा-जनक बात यह है कि जबसे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस शासन में आई है, इसने विशेष रूप से किसानों के हित के लिए कई उपाय किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए बिजली के मद में ग्यारह सौ करोड़ रुपये की बकाया राशि माफ कर दी है। इसने किसानों को निशुल्क बिजली भी दी है। इसने हमारे मुख्य मंत्री डा. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में आम जनता के जीवन में सुधार तथा विकास करने के लिए सही रास्ता अपनाया है, जो सब देख सकते हैं।

काफी समय से लम्बित एक अन्य मांग सूखे तथा इस प्रकार की किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में फसलों को बीमे की सुरक्षा देने की है। क्या विशेष रूप से उन किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू करने का मंत्रालय का कोई विचार है, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित हो जाती हैं?

केन्द्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा मिर्च एवं तम्बाकू के लिए अलग निधियां स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को उदारतापूर्वक वित्तीय मदद देनी होगी ताकि किसान आत्महत्या करने के बारे में न सोचें। सभी फसलों के लिए एक स्थिरीकरण निधि तथा फसल बीमा आवश्यक किया जाना चाहिए ताकि किसानों को बदलते मौसम तथा बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। फसल के नुकसान का मूल्यांकन करते समय फसल बीमा योजना में गांव को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए। वाणिज्य विभाग ने पहले ही रबड़, कॉफी तथा चाय के मामले में मूल्य स्थिरता निधि स्थापित कर दी है और इसी तरह मिर्च तथा तम्बाकू की फसलों के मामले में भी ऐसा किया जाना चाहिए।

भारत सरकार विभिन्न शुल्कों से लगभग 8000 करोड़ रुपये तथा विदेशी मुद्रा से 1000 करोड़ रुपये अर्जित कर रही है। तम्बाकू बोर्ड भी इस फसल से सेवा शुल्क के रूप में अच्छी कमाई कर रहा है। वर्तमान में तम्बाकू बोर्ड के पास सेवा शुल्क के रूप में अर्जित 80 करोड़ रुपये हैं। परन्तु तम्बाकू उत्पादक समुदाय को न तो तम्बाकू बोर्ड और न ही भारत सरकार द्वारा लाभकारी मूल्य दे कर उन्हें होने वाले नुकसान, जब नीलामी मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाता है, से बचाने के लिए कोई मदद नहीं की गई है।

हमने देखा है कि इन वर्षों में कृषि लागत तथा संबंधित आगमों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है परंतु फसल से प्राप्त उत्पादों का मूल्य नहीं बढ़ा है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतीहर किसानों को वाणिज्यिक फसलों में 20,000/- रु. प्रति एकड़ का घाटा हो रहा है। प्रत्येक वर्ष निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में नहीं है। कृषि लागत तथा अन्तिम उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धनराशि के बीच अंतर के कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है।

सौभाग्यवश, हमारी वाणिज्यिक फसलें नामत: तम्बाकू, कपास तथा मिर्च द्वारा काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। उदाहरण के लिए वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान तम्बाकू पर 251.04 तथा 380.93 मिलियन डालर विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। साथ ही वर्ष 2004-05 के दौरान मिर्च से 858.90 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। जब इतनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है, तो उत्पादकों की स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें इतनी भी आय नहीं हो रही है जितना वे निवेश कर रहे हैं। अत: फसल बीमा तथा स्थिरीकरण निधि आरंभ की जाना चाहिए।

इस संबंध में, मैं तंबाकू और मिर्च में से 500 करोड़ रु. प्रत्येक की एक कायिक निधि के सृजन का अनुरोध करना चाहूंगा ताकि जब बाजार अनुकूल न हो और कीमतें न्यूनतम गारंटी कीमत से काफी नीचे गिर जाएं तो तंबाकू और मिर्च के किसानों को लाभ मिल सके। सरकार द्वारा किसानों की ओर ध्यान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर किसानों को लघु अवधि ऋणों पर ब्याज दर को घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है। इससे किसानों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लघु अवधि के ऋण लेने में सहायता मिलेगी।

एक अन्य मांग जिसकी काफी समय से आवश्यकता है, वह है कृषि आय बीमा योजना। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे और देश के किसानों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर घोषणा करेंगे।

शिक्षा एक अन्य क्षेत्र है जहां हमें आगामी वर्षों में और अधिक बल देना होगा। वर्षों से बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या नहीं घटी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे विशेषकर समाज के वंचित वर्गों और बदहाल स्थितियों में रहने वाले लोगों के

बच्चे विद्यालय जाएं, नए-नए और प्रभावी कदम उठाने चाहिएं। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करें तो निस्संदेह हमारा देश जल्द ही विकसित देश बन जाएगा।

पर्यटन एक अन्य क्षेत्र है जहां से हम और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। ऐतिहासिक स्थलों के अनुरक्षण और कम बजट वाले होटल, विमानपत्तन सुविधाओं और रेल सेवाओं सहित अवसंरचना में सुधार से निस्संदेह आने वाले विदेशियों की संख्या में सुधार होगा। सरकार को अन्तर्दृष्टि के साथ इस पहलू पर विचार करना चाहिए और हमारे देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिएं।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया जाए। देश के प्रत्येक भाग में विशेषकर जरूरतमंदों और अत्यधिक निर्धन लोगों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने वाले केन्द्र शुरू किए जाने चाहिएं। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में उचित सड़कें बनाई जाएं ताकि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा का भाग बन सकें।

विद्युत एक अन्य ऐसा विषय है जिसे अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विद्युत की चोरी को रोका जाना चाहिए। ऊर्जा के पुन: प्रयोज्य स्रोतों यथा पवन और सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिए ताकि देश के विभिन्न भागों में बिजली की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

बेरोजगारी एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसका भारत को न केवल आज अपितु आगामी वर्षों में भी सामना करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान के लिए, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है और योजना पहले ही शुरू हो चुकी है।

दोपहर का भोजन योजना, जो कि कुछ राज्यों में प्रचलित है, इसे अधिक बच्चों को विद्यालय लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाए जिससे उन्हें कम से कम एक समय का भोजन प्रदान किया जा सकेगा, जो दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते। केन्द्र सरकार को उदारतापूर्वक अनुदान राशि को बढ़ाना चाहिए ताकि हम देश की साक्षरता में केरल की तरह सुधार कर सकें जहां 100 प्रतिशत साक्षरता है। कोई देश जिसकी काफी जनसंख्या साक्षर हो, निस्संदेह प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा।

उच्च विकास दर की गति को बनाए रखना निश्चित तौर पर संप्रग सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आगामी वर्षों में आगे बढ़ेगी।

इस बजट का एक अन्य अच्छा पहलू यह है कि ग्रामीण विकास के लिए आबंटन में बढ़ोत्तरी हुई है। यह 21,334 करोड़ रु. से बढ़कर 24,026 करोड़ रु. हो गया है। और कृषि के क्षेत्र में और इससे संबद्ध क्रियाकलापों में परिव्यय में 1,400 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री इन क्षेत्रों में सुधार और विकास की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन आबंटनों को और अधिक बढ़ाएंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि हुई है किंतु यह निर्धारित स्तर तक नहीं है और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और धन की आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और आबंटन बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे? मुझे उम्मीदी है कि वित्त मंत्री निश्चित तौर पर उन मुद्दों पर विचार करेंगे, जो मैंने उठाए हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बजट में भारी रुचि दिखाने और अपने दृष्टिकोण इस सभा में रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

महोदय, जैसा कि किसी भी वाद-विवाद में होता है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की दिशा और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के बारे में बहुत सी टिप्पणियां की गईं। वित्त विधेयक के कतिपय प्रावधानों के बारे में विशिष्ट प्रश्न और कराधान प्रस्तावों से संबंधित सुझाव भी थे, जो कि, यदि आप गत वर्षों की ओर देखें, तो यह वर्ष एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें कराधान पर काफी कम प्रस्ताव हैं। चूंकि वित्त विधेयक पर हमें एक अन्य वाद-विवाद भी करना है, अत: मैं वित्त विधेयक से संबंधित मुद्दों पर अपने उत्तर को दूसरे चरण तक आस्थगित करने के लिए सभा में शामिल लोगों के विनम्रपूर्वक बताना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत से माननीय सदस्य, जिन्हें आम चर्चा में भाग लेने का मौका नहीं मिला, उन्हें वित्त विधेयक आने पर मौका मिलेगा। अतएव, सदन की अनुमति से मैं स्वयं को अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की सामान्य दिशा और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन से संबंधित मामलों तक सीमित करना चाहूंगा।

बजट के पीछे का दर्शन एनसीएमपी में प्रतिष्ठापित किया गया है। जहां तक मैं एनसीएमपी के चारों कोनों में रहूंगा, फिर न तो हमारे विरोधी और न ही हमारे सहयोगी शिकायत कर सकते हैं। मैं एनसीएमपी के अध्याय और पंक्ति का उल्लेख कर सकता हूं किंतु वह आवश्यक नहीं है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जोकि राजनैतिक शब्दावली में है। प्रमुख विरोधी दल भी एनसीएमपी का संदर्भ देने

[श्री पी. चिदम्बरम]

से नहीं बच सकता। जैसा मैंने एनसीएमपी को पढ़ा और समझा है इसमें इस पर बल दिया गया है कि हमें आर्थिक विकास करना है। दोहराने की गलती करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबी का सर्वोत्तम इलाज आर्थिक विकास है। हालांकि केवल अकेला आर्थिक विकास विकास नहीं लाएगा, निर्धन वर्गों के लिए राहत नहीं लाएगा और उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं लाएगा जिनका आर्थिक जीवन सबसे निचले स्तर पर है। अतएव, जैसा कि मैंने कहा कि यद्यपि आर्थिक वृद्धि हमारी सीढ़ी है, तो समानता हमारा साथी है। किंतु आर्थिक विकास से समानता का मौका मिलता है और मुझे डर है कि बिना आर्थिक वृद्धि के समानता का कोई मौका नहीं है।

बजट द्वारा उन कदमों की श्रृंखला की घोषणा की जाती है जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वृद्धि की गति बरकरार रहे। वृद्धि कहां हो रही है? उद्योग और सेवाओं में वृद्धि हो रही है और कृषि क्षेत्र में कमी आयी है, मैं आशा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। किंतु मुझे सचेत भी करने दीजिए। प्रत्येक वित्त मंत्री मानसून के रहमोकरम पर है...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : वास्तविक वित्त मंत्री! ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : भगवान वरुण इसका निर्णय करते हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने कहा 'वरुण'। आप ठीक से सुन नहीं रहे हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : उत्तर भारत में, जल के देवता 'इन्द्र' हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : ठीक है। हम तमिलनाडु में 'वरुण भगवान' कहते हैं। यहां पुराणों में ऐसा होगा। वहां ऐसा नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बेहतर होगा आप दोनों को शामिल करें – दक्षिण के लिए 'वरुण' और उत्तर के लिए 'इन्द्र'।

(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, पुराणों पर वाद-विवाद के लिए प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को शामिल करने को हम तैयार हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : अतएव, इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र में अत्यधिक उच्चदर से वृद्धि होनी चाहिए ताकि यदि किसी साल मानसून हमें धोखा दे तब भी वृद्धि दर ऊंची रहेगी। किंतु कृषि को मानसून पर कम से कम निर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे खेद है कि इस बजट भाषण में और संप्रग सरकार के पिछले बजट भाषण में भारतीय कृषि को मानसून पर कम से कम निर्भर बनाने के जो हवाले दिए गए हैं, लगता है कि सदस्यों का ध्यान उस पर नहीं गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जिसे 1996 में शुरू किया गया था और जिसमें तेजी आ गयी है और साल दर साल भारी परिव्यय किया जा रहा है, हमारे जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण की विशाल योजना राज्यों की सहमति से अन्तिम चरण में पहुंच गयी है और राज्यों की सहमति से एक डिजाइन तैयार किया गया है और अब हम 4,400 करोड़ रु. के कार्यक्रम के लिए विश्वबैंक से संपर्क करेंगे।

लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, आरआईडीएफ के माध्यम से वित्त पोषण, एआईबीपी और जल निकायों की मरम्मत, बहाली और पुनर्निर्माण द्वारा, मुझे विश्वास है कि हम कृषि को मानसून पर कम से कम निर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे-जैसे हम अधिकाधिक एकड़ भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाते जाएंगे, कृषि वृद्धि दर में भी आप स्थिरता पाएंगे और कृषि वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव विगत की बात हो जाएगी।

महोदय, कम समय के लिए जब तक कृषि में स्थिरता आ जाए, हमें उद्योग और सेवा क्षेत्र पर अधिक बल देना चाहिए। सौभाग्यवश, लगता है कि सेवा क्षेत्र स्वतंत्र रूप से वृद्धि की ओर अग्रसर है। हालांकि हमें थोड़ी बहुत सहायता करने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन मेरे विचार से सेवा क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम यह है कि हम उसमें हस्तक्षेप न करें। उन्हें अपने बल पर बढ़ने दें।

किंतु विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमारे अद्भुत मानव संसाधनों विशेषत: हमारे इंजीनियरों और हमारे वैज्ञानिकों और हमारे प्रबंधकों के कारण हमारे पास लगभग एक दर्जन उद्योगों में नेतृत्व प्राप्त करने की क्षमता है। कई उद्योगों—इस्पात निर्माण, तेल-शोधन, वस्त्र, चमड़ा और कुछ अन्य में हम विश्व के तीन प्रमुख देशों में से हैं। किंतु हममें विश्व में अग्रणी बनने की क्षमता है और हममें कम से कम एक दर्जन उद्योगों में प्रथम तीन में आने की क्षमता है।

अपने बजट भाषण में, मैंने इन उद्योगों की पहचान की है जिनमें हमें विश्व में नेतृत्व प्राप्त करना है। मुझे मोटरवाहन उद्योग का उदाहरण

देने दीजिए। मारुति और सुजुकी ने भारत के प्रति जो योगदान दिया है वह हम सब जानते हैं। यह मोटरवाहन में एक क्रांति थी। दुर्भाग्यवश, हम फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति की प्रशंसा करते हैं। किंतु हम अपनी आंखों के आगे हो रही क्रांति की अनदेखी कर जाते हैं। मोटरवाहन उद्योग में आज एक क्रांति आयी है। मोटरवाहन निर्माण में भारत आज विश्व के सर्वाधिक सक्षम निर्माताओं में से एक है। छोटी कारों के विनिर्माण का केन्द्र बनने का अवसर हमारे पास है। और इसी कारण से हमने निर्णायक हस्तक्षेप किया है, भले ही वह एकस्व की कीमत पर हो। मैंने कहा कि छोटी कारों में मैं उत्पाद शुल्क आठ प्रतिशत कम कर दूंगा। विश्वास कीजिए, आज से तीन से पांच सालों में भारत छोटी कारों का सबसे बड़ा विनिर्माता होगा। हमें ऐसे अवसरों को अवश्य ही पहचानना चाहिए। मैं आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसे ही अवसर वस्त्र, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम उत्पादों, हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित उत्पादों के क्षेत्र में भी विद्यमान हैं। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें पूरा विश्व भारत की क्षमता को पहचानता है।

हमर सब जानते हैं कि हर दूसरा खिलौना चीन में बनता है। हम भी वैसा खिलौना बना सकते हैं। दुनिया में बिकने वाला हर तीसरा जूता चीन में बना हुआ है। हम चीन का अनुकरण कर सकते हैं। हमें यही करने की जरूरत है कि – और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विचारधारात्मक या राजनीतिक मतभेदों को भूल जाएं – इन क्षेत्रों की सहायता करें और ये क्षेत्र भारी मात्रा में रोजगार और उत्पादन करेंगे। जूता बनाने और किसी तरह का खिलौना बनाने में विचारधारा कहां से आ जाती है? अतएव, इन क्षेत्रों को बढ़ने दें। हमने इन क्षेत्रों की पहचान की है और जब ये क्षेत्र बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि विनिर्माण में कुछ वर्षों पहले हमारी जो प्रमुखता थी जिसके स्थान पर अब सेवा क्षेत्र आ गया है, वही प्रमुखता हम फिर हासिल कर लेंगे। मैं भारत को विनिर्माण केन्द्र के रूप में बनाना चाहता हूं। हमारे अद्‌भुत मानव संसाधन के कारण सेवा क्षेत्र स्वतंत्र रूप से बढ़ेगा। वृद्धि के प्रति मैं आश्वस्त हूं। मैंने टेलीविजन साक्षात्कार में भी यह बात कही थी। यह सुनिश्चित करना मेरा काम है कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और विकास करे। यह सुनिश्चित करना मेरा काम है कि संसाधनों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। विकास के कारण हमारे पास इन संसाधनों का होना है।

संसाधन जुटाए जाने के बारे में मैं आपको बताता हूं। संप्रग सरकार के पहले वर्ष 2004-05 में, एकल कर राजस्व संग्रहण में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई; दूसरे साल, संशोधित अनुमान के अनुसार, 21.4 प्रतिशत; और अगले साल बजट अनुमान के अनुसार 20 प्रतिशत और। कृपया मुझे बताइए: क्या कोई तीन साल लगातार ऐसा रहा है जहां सकल कर राजस्व साल दर साल 20 प्रतिशत बढ़ा हो? आप क्यों कह रहे हैं कि हम कर संग्रहण नहीं कर रहे हैं? बिना नया कर लगाए और कर दरों का नियंत्रण करके, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गयी है उन छूटों को हटाकर, विगत से चली आ रही उन छूटों को हटा कर जो सिर्फ भूतकाल की देन हैं और जिनसे बहुत कम लोगों का हित सधता है और प्रशासन में सुधार ला कर हम पहले से कहीं अधिक कर संग्रहण कर रहे हैं।

इसके फलस्वरूप, सृजित हुए राजस्व को देखें। केन्द्र सरकार के कर राजस्व में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 में, चालू वर्ष की तुलना में कर राजस्व में और 54,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी ऐसा इसलिए है कि यह अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत अथवा लगभग 8 प्रतिशत की विकास दर से आगे बढ़ रही है और इससे पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में प्रतिवर्ष 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व सृजित हो रहा है और इससे हम ये अधिक आबंटन कर पा रहे हैं।

राज्य भी अधिक पीछे नहीं हैं। देखिए राज्यों को किस प्रकार धन उपलब्ध कराया जा रहा है। जब मैंने यह कहा कि राज्यों को इतना अधिक धन आबंटन पहले कभी नहीं हुआ तो कई लोगों की भौंहे तन गई और कुछ कॉलम भी लिखे गए। आंकड़ों को देखिए। वर्ष 2004-05 में राज्यों का कर हिस्सा लगभग 73,000 करोड़ रुपये था। वर्ष 2005-06 में यह बढ़कर 94,000 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2006-07 में, यह बढ़कर 1,13,448 करोड़ रुपये होगा। जब आपके पास समय हो तो यदि आप इस हरी पुस्तिका 'बजट-एक नजर में' के पृष्ठ-16 पर देखें तो आपको एक ग्राफ दिखाई देगा। उस ग्राफ को देखें।

यह मात्र एक सच विवरण है किसी की आलोचना नहीं है। राजग सरकार के शासनकाल में वर्ष 1998-99 और 2003-04 के बीच राज्यों को 94,792 करोड़ रुपये से लेकर 1,82,048 करोड़ रुपये के संसाधन दिए गए जिसका यह अर्थ है कि 6 वर्ष की अवधि में लगभग 90,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 90,000 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2004-05 में, यह सरकार मई में सत्ता में आई और जून-जुलाई में बजट पारित हुआ। वर्ष 2004-05 में यह 1,86,871 करोड़ रुपये था। दो वर्षों अर्थात् 2006-07 तक यह राशि लगभग 1,85,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,82,021 करोड़ रुपये हो जाएगी जिसका अर्थ है कि दो वर्षों में 97,000 करोड़ रुपये की वृद्धि। मैं अपने देशवासियों और सहयोगियों से यह अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें

[श्री पी. चिदम्बरम]

कि इस 8 प्रतिशत की विकास दर में मार्ग में कोई बाधा न आए। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, राजसहायता, रक्षा आदि के आबंटन हेतु एक अनिवार्य शर्त है अर्थात् हमारे पास संसाधन होने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि इसी दर से विकास होता रहा तो इससे और संसाधन बढ़ेंगे। तत्पश्चात् हम साथ बैठकर यह निर्णय कर सकते हैं कि संसाधनों का किस प्रकार आबंटन किया जाए।

जहां तक संसाधन आबंटन का संबंध है, मैंने अपने बजट भाषण में इस पर विस्तार से चर्चा की है। हम इस वर्ष प्रत्येक क्षेत्र को इतने अधिक संसाधन आबंटित किए हैं जितने पहले कभी नहीं किए गए थे। हमने 'भारत निर्माण' के लिए काफी संसाधन आबंटित किए हैं; हमने प्रमुख कार्यक्रमों (फ्लैगशिप प्रोग्राम) के लिए और अधिक संसाधन आबंटित किए हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे।

महोदय, अब मैं राजसहायता पर कुछ मिनट बात करूंगा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया है कि राज-सहायता का लक्ष्य गरीबों और वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोग होने चाहिए और यही अभिदेश है। मैं इस सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इस सरकार में कोई भी व्यक्ति और निश्चित रूप से मैं गरीबों और वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों को लक्षित करने वाली राजसहायता को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। हम 24,000 करोड़ रुपये की खाद्य राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि आप इसे कैसे करेंगे? हमें ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आज अपने उन्नत तुलनपत्र के कारण भारतीय खाद्य निगम अपने तुलनपत्र पर उधार लेने की क्षमता रखता है और इससे ब्याज लागत में कमी आई है। किंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखने के लिए जो कुछ अपेक्षित होगा हम वह उपलब्ध कराएंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ ऑर्डर है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि गरीबों के लिए पैसे का आबंटन करेंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन लोगों को पैसा पहुंचा देने की गारंटी कौन देगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय, आप उत्तर देना जारी रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं यह कह रहा था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को जारी रखने के लिए जितनी भी खाद्य राजसहायता की जरूरत होगी वह वर्ष दर वर्ष उपलब्ध कराई जाएगी और इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

इसी प्रकार, उर्वरक राजसहायता के संबंध में, उर्वरक कंपनियों को यह राजसहायता दी जाती है। अब यह चर्चा चल रही है कि क्या उर्वरक राजसहायता को किसानों तक पहुंचाने का कोई और मार्ग है...*(व्यवधान)*

श्री एन.एस. कृष्णदास (पालघाट) : यह किसानों को सीधे मिलनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : यह गरीब किसानों को सीधे मिलनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : आर्थिक सर्वेक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि किसानों विशेषकर वास्तविक रूप से जरूरतमंद और गरीब किसानों तक उर्वरक राजसहायता पहुंचाने के कई अन्य रास्ते हैं। तथापि, जब तक हम ऐसी कोई प्रणाली ईजाद नहीं कर लेते हैं जिसके द्वारा उर्वरक राजसहायता सीधे किसानों को मिले, हमारा आशय उर्वरक राजसहायता जारी रखने का है और उर्वरक राजसहायता प्रदान की जाएगी। वास्तव में, मुझे यह बताया गया कि कुछ बकायों का भुगतान किया जाना है, और बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी इस वर्ष राजस्व में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई प्रतीत होती है। अत: मेरा आशय 31 मार्च से पहले कुछ बकायों का भुगतान करने का है। अत: उर्वरक राजसहायता भी प्रदान की जाएगी। इसलिए उर्वरक राजसहायता अथवा खाद्य राजसहायता के बारे में किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है।

महोदय, कृषि बीमा के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है और यह ठीक भी है। यह योजना वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आप इसका उत्तर न दें। यह प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

यह योजना खरीफ और रबी दोनों के लिए वर्ष दर वर्ष से जारी है। अब हम एक संशोधित योजना बनाने के अंतिम चरण में हैं। वास्तव

में, कृषि मंत्री ने यह कहते हुए मुझे पत्र लिखा है कि इसे बजट से पहले अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है और यह मामला योजना आयोग के समक्ष है। किंतु जब तक नई योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है हमारी मंशा वर्तमान योजना को जारी रखने की है। इसी की मैंने घोषणा की थी। वर्तमान योजना में काफी खामियां हैं। हम सब यह जानते हैं और आपने उसका उल्लेख किया है। तथापि, मैं आपको यह बता दूं कि बजट के माध्यम से वर्तमान योजना में भारी राजसहायता दी गई है। दावों का भुगतान किया गया है और केन्द्र सरकार प्रीमियम पर राजसहायता का भी भुगतान करती है। राज्य सरकार का राजसहायता में कम हिस्सा है। जब तक हम एक बेहतर योजना नहीं बना लेते हैं एन ए आई एस अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगी किंतु मुझे विश्वास है कि हम यथासंभव नई योजना को अंतिम रूप दे पाएंगे।

महोदय, हाल के वर्षों में इस वर्ष कृषि हेतु सर्वाधिक पैकेज की घोषणा की गयी है तथा सबसे महत्वपूर्ण मामला ऋण का है। आपको याद होगा कि जब कुछ दिन पहले बजट प्रस्तुत किया गया था तो एक प्रश्न उठा था और हमने कृषि हेतु ऋण के बारे में इस प्रश्न पर काफी देर तक चर्चा की थी। इस बात का कोई खण्डन नहीं कर सकता कि संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद कृषि क्षेत्र हेतु ऋण में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। पहले वर्ष ही यह वृद्धि दर 44 प्रतिशत रही है। यह बहस करना संभव है कि ऋण का अधिकांश हिस्सा बड़े किसानों को प्राप्त हुआ है तथा लघु और सीमांत किसान इससे वंचित रहे हैं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मात्र 27 प्रतिशत किसान-परिवार संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकते हैं और यहां तक कि उनमें से वे किसान ऋण अपेक्षाकृत आसानी से हासिल करते है जिनके पास अधिक जमीन होती है। इसलिए हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है और मैं इस सभा में एक नीति संबंधी वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा ताकि ऋण उन्हीं किसानों को मिले जो अपने को स्व-सहायता समूह के रूप में तथा संयुक्त देयता समूह के रूप में संगठित करते हैं। संयुक्त देयता समूह काश्तकार किसान होंगे। एक किसान जिसके पास अपनी जमीन नहीं होती परंतु जो एक काश्तकार किसान होता है उसे संयुक्त देयता समूह गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऋण का अधिकांश भाग ऐसे समूहों को मिले।

परंतु हमें आंकड़ों को नहीं भूलना चाहिए, हमने 86,000 करोड़ रुपये से शुरू किया था। हमने इस सरकार के पहले वर्ष में 1,05,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था और 1,25,000 करोड़ रुपये हासिल किया। दूसरे वर्ष में, हमने 1,41,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है; हम 31 मार्च तक इस लक्ष्य को पार कर जाएंगे। तीसरे वर्ष में, हमने 1,75,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है जो उस धनराशि के दुगुने से भी अधिक है जिससे हमने शुरूआत की थी, परंतु हम 1,75,000 करोड़ रुपए के इस लक्ष्य को भी पार कर जायेंगे। अब जब हम लघु और सीमांत किसानों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ा रहे हैं, मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हमारा प्रयास किसानों तक ऋण पहुंचाना होगा।

ऋण उपलब्धता के अलावा ऋण दर भी एक मुद्दा है। जहां तक पारंपरिक बुद्धिमता रही है ऋण प्रवाह के लिए ऋण उपलब्धता जरूरी है न कि ऋण दर। हमने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। मेरा विश्वास है कि जहां उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है वही ऋण दर भी एक मुख्य कारक है। सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् बैंक दर – आर.बी.आई दर छह प्रतिशत है – का ध्यान रखते हुए, रेपो और रिजर्व रेपो – जो क्रमशः 5.25 और 6.25 है – का ध्यान रखते हुए, मुद्रास्फीति, नाबार्ड और बैंक को धन लागत को ध्यान में रखते हुए हमने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है कि, मेरे अभूतपूर्व कहने का अभिप्राय ऐसे कदम से है जिस पर छह वर्षों से विचार नहीं किया गया है, हम किसान को उस ब्याज को दो प्रतिशत प्वायंट लौटाएंगे जो ब्याज उसने पिछली खरीफ फसल, पिछली रबी फसल और अगले वर्ष के लिए दिया हो और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण सात प्रतिशत पर उपलब्ध हो।

मैं नहीं समझता कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में कोई भी सरकार इससे बेहतर कर सकती थी। मैं इस सभा के सभी पक्षो से अनुरोध करता हूं कि वे किसानों को वहनीय ऋण दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए अभूतपर्वू कदम का समर्थन करें।

महोदय, यदि कृषि तथा कृषि हेतु हमारे द्वारा उठाए गए सभी कदम एक साथ मिल जाएं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में काफी योगदान होगा। तथा यदि उद्योग और सेवाओं की वृद्धि दरें इसी तरह बनी रहे तो आगामी कुछ वर्षों में हम उच्च वृद्धि दर की उम्मीद कर सकते हैं।

रोजगार सृजन के बारे में प्रश्न था। दुर्भाग्यवश, वर्ष 2003 से बाद का था कोई आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। एन.एस.एस.ओ. राउण्ड के पूरा होने के पश्चात् वे उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु हम आंकड़ों पर नजर डालें। मार्च 1991 में, संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी तथा सेवा क्षेत्र के पास कुल मिलाकर 267.33 लाख नौकरियां थी। मार्च 1996 में यह बढ़कर 279 लाख हो गयी। मार्च 1998 में यह संख्या बढ़कर 281 लाख हो गयी। इस प्रकार वर्ष 1991 और

[श्री पी. चिदम्बरम]

1998 के बीच सभी क्षेत्रों में वृद्धि रही है। ये प्रकाशित आंकड़े हैं। मार्च 1998 और मार्च 2003 के बीच यह संख्या 281 लाख से घटकर 270 लाख हो गयी है।

वर्ष 2003 के पश्चात् की क्या स्थिति है यह बताने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं। परंतु सभी तकनीकी साहित्य और अनुभवजन्य साक्ष्य हमें यह बताते हैं कि जब वृद्धि दर सात से आठ प्रतिशत है तो रोजगार सृजित होते हैं। आमतौर पर यह माना जा सकता है कि यदि वृद्धि दर 8 प्रतिशत है तो स्थायी रोजगार और अस्थायी रोजगार दोनों मिलाकर संगठित और असंगठित सभी क्षेत्रों में लगभग 80 लाख रोजगार सृजित होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब कुछ वर्षों बाद वर्ष 2004 से 2006 तक संप्रग सरकार के कार्यकाल के आंकड़ों को संग्रहीत किया जाएगा तो आप पाएंगे कि 270 लाख की यह संख्या बढ़ रही है। परंतु हमें अपने निर्णय अभी स्थगित रखने हैं। वर्तमान में मैं यह कहना चाह रहा हूं कि वृद्धि से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। परंतु हम संतुष्ट नहीं हैं।

हम वृद्धि के माध्यम से रोजगार सृजित करने से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, यह सरकार ने अपने विवेक से एन.आर.ई.जी.पी. लागू करने का निर्णय लिया है। यह चालू वर्ष में उठाया गया पुन: एक अभूतपूर्व कदम है, एक क्रांतिकारी अधिनियम है जिसमें 200 जिलों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। यह आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त हो सकता है परंतु निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम है। हमें इस योजना को इस वर्ष सफल बनाने दें। काफी धन मुहैय्या कराया गया है। यदि और धन की आवश्यकता होगी तो उसे भी मुहैय्या कराया जाएगा यह विधिक गारंटी है। मैं कानून का पालन करने के लिए बाध्य हूं।

वस्तुत:, मेरी सूचना के अनुसार, यह योजना मात्र एक राज्य, आंध्र प्रदेश में शुरू की गयी है। अन्य राज्यों में, वे अभी भी आंकड़ा जुटा रहे हैं, वे अभी भी परियोजनाओं का खाका तैयार कर रहे हैं; और वे अभी तक कार्ड जारी कर रहे हैं। परंतु मैं उन सभी राज्य सरकारों से, जिनके अंतर्गत ये 200 जिले आ रहे हैं, अनुरोध करता हूं कि वे अपना संबंधित कार्य समय पर पूरा करके इस कार्यक्रम को शुरू करें। पर्याप्त धन मुहैय्या कराया गया है। एक बार कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो आप पाएंगे कि अतिनिर्धन लोगों, बेरोजगार दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति इस हद तक सुधर जाएगी कि उस मजदूर के परिवार को प्रतिवर्ष 6000 रुपये नकद मिलना सुनिश्चित हो जाएगा।

महोदय, पोषण स्तर के बारे में एक प्रश्न है। वस्तुत:, युवा पीढ़ी (यंग इंडिया) और पुरानी पीढ़ी, (ओल्ड इंडिया) के बीच सोच का अंतर है। युवा पीढ़ी भविष्य की ओर देखने में सक्षम है जबकि पुरानी पीढ़ी पीछे देख रही है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ अपवाद हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : हां कुछ अपवाद हैं। मैं अपने को पुरानी पीढ़ी के साथ जोड़ना चाहता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : कुछ युवा भी अतीत की ओर देख रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : युवा संसद सदस्य जो कुछ कर रहे हैं, उससे मुझे उम्मीद और साहस प्राप्त होता है। वे आगे बढ़ने में समर्थ हैं। मेरे विचार से तीन दिन पूर्व सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक श्री संदीप दिक्षित ने भाषण दिया था।

अपराह्न 1.00 बजे

कल हमने श्री राहुल गांधी और श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की बात सुनी थी। युवा लोगों में मैं अपने मित्र श्री खारवेल स्वाईं, जो यहां चाहे कहीं पर भी बैठें हों, को सम्मिलित करता हूं। कम से कम उनके भाषण के प्रथम भाग में सकारात्मक दृष्टिकोण था। ऐसा ही दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पोषण स्तरों में गिरावट आई है? इनमें कैसे गिरावट आ सकती है? जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। पेटेसा, बेरी एवं स्कर्वी जैसी पोषण संबंधी कमियों का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। मैंने अपने भाषण में कहा है कि हमने कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। हम पोलियो के उन्मूलन के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। आज जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष है। सभी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 60 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं तो अधिक संभावना है कि आप 78 वर्ष की आयु अवश्य पूरा करेंगे। पोषण स्तरों में गिरावट नहीं आई है।

लोग कैलोरी खपत पर गौर करते हैं और यह कहते हैं कि कैलोरी खपत में कमी आई है। पुन:, यह सही नहीं है। यदि आप आय पर आधारित जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर गौर करेंगे तो जनसंख्या के सबसे कम 30 प्रतिशत लोगों के संदर्भ में ग्रामीण भारत में कैलोरी खपत वर्ष 1972-73 के 1503 कैलोरी से बढ़कर वर्ष 1993-04 में 1678 हो गई है। शहरी भारत में, उसी अवधि में यह 1579 कैलोरी से बढ़कर 1682 कैलोरी हो गयी है। मुझे पूरा विश्वास है वर्ष 1993-04

के पश्चात् पिछले 12 वर्षों में इसमें और वृद्धि हुई है। औसत वह है जैसे एक व्यक्ति जो 5 फीट 5 इंच का है यह कह रहा है कि नदी की औसत गहराई केवल 5 फीट है। अतएव, जब वह नदी में उतर कर नदी के बीच में जाता है, तो वह अवश्य ही डूब जाता है। औसत गुमराह करने वाला है। आप इसपर अवश्य गौर करें कि कौन सा वर्ग ज्यादा अनाज, ज्यादा खाद्यान्न की खपत कर रहा है। कुछ अन्य वर्ग औसत से कम का उपभोग कर रहे हैं और अन्य वस्तुओं का उपभोग कर रहें हैं। यदि आप मद-वार देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनाजों और दालों की खपत में कमी आई है परंतु चीनी, फलों और सब्जियों, विशेषकर आलू और अन्य कंदों दूध और लघु उत्पादों तथा मांस और मछलियों की खपत में वृद्धि हुई है। इसलिए यह कहना गलत है कि लोग कम भोजन अथवा कम पोषक भोजन का उपभोग कर रहे हैं।

अतएव, बजट का व्यापक सिद्धांत व्यय नियंत्रण है। हम वृद्धि के प्रति आश्वस्त हैं। हम कृषि क्षेत्र को सहायता दे रहें हैं। हम भारत को विनिर्माण का केन्द्र बना रहें हैं। हम सेवा क्षेत्र में स्वायत्ततापूर्वक और वृद्धि की अनुमति दे रहे हैं। यदि सभा के सभी वर्ग सहयोग दें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विकास की यह गाथा भविष्य में जारी रहेगी।

महोदय, व्यक्तिगत मुद्दों पर कई प्रश्न उठाए गए थे। मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इन मुद्दों में से प्रत्येक को संबोधित करना चाहिए। परंतु मुझे इन मुद्दों में से प्रत्येक पर एक वाक्य कहने दें ताकि लोगों को ऐसा महसूस नहीं हो कि मैंने उनके मुद्दों की उपेक्षा की है।

मुझे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के बारे में बोलने दें। गत वर्ष, यद्यपि कोष का गठन प्रस्तुत परियोजनाओं और जारी धन के अनुसार किया गया था, हम 1547 करोड़ रुपएं जारी करने में समर्थ रहे। इस वर्ष, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का दो भागों में विभाजन किया गया है – राज्यों हेतु 1250 करोड़ रुपए और जिलों हेतु 3,750 करोड़ रुपए। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमें प्रस्ताव एवं परियोजनाएं प्राप्त होंगी और हम समस्त 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान पिछड़े क्षेत्रों को देने में समर्थ होंगे। जैसाकि एक वक्ता ने यह उल्लेख किया था कि इसका ज्यादा हिस्सा तीन राज्यों, नामत: बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग वन उल्लेख किया गया था। आबंटनों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई। जैसाकि वर्ष 2005-06 के 947 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में आबंटन 1055 करोड़ रुपए है। अन्य उद्योगों में से प्रत्येक कायर उद्योगों, प्रधान मंत्री रोजगार योजना हेतु काफी अधिक आवंटन किया गया है। आबंटन का मतलब परिणामों पर व्यय नहीं है। आबंटनों और व्यय में अंतर है। आबंटन और परिणाम में अंतर है। यदि आप बजट अनुमान के आंकड़ों पर गौर करें तो कृपया संशोधित अनुमानों पर नजर डालें। संशोधित अनुमानों के आंकड़ों को विभाग द्वारा 31 मार्च तक किए जा सकने वाले व्यय के बारे में सावधानीपूर्वक अनुमान लगाया गया है। फिर, संशोधित अनुमान के आंकड़ों से हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अगले वर्ष आप इतना अधिक व्यय कर सकते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को अवश्य खर्च करना चाहिए। अब, कौन खर्च नहीं कर रहा है? मुझे यह कहते हुए अफसोस है राज्य खर्च नहीं कर रहें हैं।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : नहीं, नहीं। आप क्या कर रहें हैं?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : परसों, राज्य सरकारों का रोकड़ा शेष 45,000 करोड़ रुपए था। आज राज्यों में रोकड़ की कमी नहीं है। सभी राज्यों के पास रोकड़ शेष है। किसी राज्य के ऊपर ओवरड्राफ्ट नहीं है, और आज किसी राज्य के पास डब्ल्यू एम ए नहीं है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : इनमें से अधिकतर 31 मार्च तक प्रतीक्षा करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : जी नहीं, वे प्रतीक्षा नहीं कर रहें हैं। यह मेरी चिंता है। उनके पास हमेशा ही लगभग 30,000 करोड़ रुपए का रोकड़ शेष मौजूद रहा था। वस्तुत:, दस दिन पूर्व, उनके पास 53,000 करोड़ रुपए का रोकड़ शेष था। पूरे वर्ष ही।...*(व्यवधान)* आप गलत हैं मेरे दोस्त। सभी राज्यों में रोकड़ की कमी नहीं है, प्रत्येक राज्य अवश्य खर्च करें। नकदीकरण की समस्या ही एक कारण है जिसके कारण राज्य व्यय करने में असमर्थ हैं। इस प्रणाली में समय पर व्यय करते और लक्ष्य तक पहुंचने की अवशोषी क्षमता नहीं है। मैंने राज्यों के वित्त मंत्रियों और राज्य के मुख्य मंत्रियों से अपील की है। और, अतएव, मैं उस सभा के सभी पक्षों से इस संबंध में अपील करता हूं। धन का आबंटन या तो कर-अंतरण अथवा विशेष अनुदानों अथवा उनके अपने कर राजस्व के माध्यम से संग्रहित राजस्व के माध्यम से आबंटित किया जाता है। सभी राज्यों को धन व्यय करना चाहिए। जब तक धन को व्यय नहीं किया जाता, तब तक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। जब तक धन का व्यय नहीं किया जाता, आप अपने विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकतें हैं। आज राज्यों के पास धन है और उन्हें अवश्य व्यय करना चाहिए। केन्द्र सरकार

[श्री पी. चिदम्बरम]

आज कई मामलों पर बड़े उत्तरदायित्वों को संभाल रहा है। हम प्राथमिक शिक्षा माध्यान्ह भोजन योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, शहरी नवीकरण मिशन और ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में उत्तरदायित्व संभाल रहें हैं। हमारे पास संसाधन हैं और हम उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। हमारे पास अधिक संशाधन होने की संभावना है और हम बड़े उत्तरदायित्व संभाल रहें हैं। परंतु राज्यों के बारे में क्या है? इनमें से प्रत्येक संविधान की सूची II के अंतर्गत आता है और आप तो विशेषज्ञ हैं, महोदय।

[अनुवाद]

इन मदों में से प्रत्येक का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसलिए, सदस्यों को राज्य सरकारों से प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कों, पेयजल, स्वच्छता इत्यादि पर और व्यय करने का आग्रह करना चाहिए। यदि राज्य भी इसमें शामिल हों और बुद्धिमता और दूरदर्शिता से उचित निगरानी के साथ व्यय किया जाए तो आप देखेंगे लक्ष्य प्राप्त करने की हमारी गति तेजी से बढ़ रही है।

एम्स जैसे संस्थाओं के संबंध में भी कुछ जिक्र किया गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ विलम्ब हुआ है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : इसमें 'थोड़ा विलम्ब' नहीं हुआ है बल्कि बहुत विलम्ब हुआ है।

श्री पी. चिदम्बरम : एक पल के लिए रुकिए, इसमें विलम्ब हुआ है, यह हमारी योजना है, इस सरकार की योजना छह एम्स जैसे सस्थानों की स्थापना करने की है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : कृपया, गलत उद्धृत न करें...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : इस सरकार की एम्स जैसे छह संस्थाओं की स्थापना करने और अन्य राज्यों में कई संस्थाओं का उन्नयन करने की योजना है। ये एम्स जैसे छह संस्थान बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ में स्थापित किए जाएंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है, प्रत्येक सदस्य कहेगा कि मेरे राज्य में क्यों नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिहार को बहुत मिल गया, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : केरल की बहुत लम्बे समय से मांग रही है...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : यह केरल के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए, यह गलत विचार है। क्या आप सोचते हैं कि आपकी मांग के कारण मंत्री अपनी नीतियां बदल देंगे?

(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास : हम इसकी मांग करते रहे हैं। यह लम्बे समय से चली आ रही मांग है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी अभिलाषा को नोट कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : क्या आप मुझे अपनी बात जारी रखने की अनुमति देंगे? कृपया, बैठ जाइए...*(व्यवधान)* मै नहीं जानता कि 30 राज्यों में से छह को कोई किस तरीके से चुन सकता है और फिर भी सभी 30 राज्यों को गिनता है...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : आपने इसमें किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य को शामिल नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बाद में होगा। हम भूल गए कि हम एक राष्ट्र हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : में नए एम्स की तरह के संस्थान अत्यधिक पिछड़े बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ में होंगे – उन्हें धैर्य रखने दीजिए। राज्यों में पहले से ही विद्यमान सरकारी मेडिकल कॉलेजों, मैं पहुंगा और आंध्र प्रदेश में दो को इसी स्तर पर उन्नयित किया जाएगा। ये हैं झारखंड, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दो आंध्र प्रदेश में, अन्तिम निर्णय आगामी कुछ दिनों में होने की संभावना है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, काम शुरू हो गया है ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : आप यह काम कब करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : एक क्षण के लिए रुकिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका उत्तर यथा सम्भव शीघ्र दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। श्री खारवेल स्वाईं, आपने इतना अच्छा बोला है, क्यों सब गड़बड़ कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दासमुंशी जी का भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप व्यवस्था को जानते हैं। भाषण समाप्त होने दें। यदि, इसके पश्चात्, माननीय मंत्री सहमत होते हैं तो आप एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आप इस तरह की टीका-टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। आप सभी इस बात से अवगत हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, हमारी व्यवस्था से हर कोई परिचित है कि इन मामलों में राज्य स्तर पर प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों सहित कई प्रक्रियात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। जैसा कि खेद व्यक्त करते हुए मैंने इस बात से शुरू किया था कि इसमें विलम्ब हुआ है बल्कि अब हमने इसे अंतिम रूप दे दिया है। इसे अगले कुछ दिनों में अनुमोदित किया जाएगा और आशा है कि इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले कार्य शुरू हो जाएगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मिल गया है, ठीक है, लेकिन विच फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा "इसी वित्तीय वर्ष"।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं संदेह व्यक्त नहीं करना चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : इसी वित्त वर्ष में इन संस्थाओं को शुरू करने का वायदा है। इसी वित्त वर्ष में इन संस्थाओं पर कार्य शुरू करना वायदा न करना और इन सभी को भूल जाने से बेहतर है ....*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : ये वही चीजें हैं जिन्हें हमने शुरू किया था....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जनरल साहब, आपको क्या हो गया है?

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : महोदय, यह गलत सूचना दे रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गलत इन्फार्मेशन को करैक्ट करने के लिए *[अनुवाद]* अनेक प्रक्रियाएं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जनरल साहब, हम आपसे आपका अनुशासन और यह सब सीखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : उन्हें गलत सूचना नहीं देनी चाहिए....*(व्यवधान)* उन्हें इसकी गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी सराहना की गई है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा था, सरकार इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक जिम्मेदारी ले रही है और यह जिम्मेदारी

[श्री पी. चिदम्बरम]

संख्याओं, कार्यक्रमों, परिव्ययों में प्रतिबिंबित हो रही है; और मुझे यकीन है, परिणामी बजट को प्रस्तुत किए जाने के समय आप पाएंगे कि परिणाम में यह भी प्रतिबिंबित हुआ है।

हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केवल केंद्रीय बजटीय आबंटन सकल घरेलू उत्पाद का 0.25 से बढ़कर 0.30 प्रतिशत हो गया है; शिक्षा क्षेत्र में यह सकल घरेलू उत्पाद का 0.33 से 0.52 प्रतिशत हो गया है। इसलिए, आबंटन राशियां राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में तय दर के अनुसार प्रतिबिंबित हो रही हैं। परीक्षा वास्तव में इससे संबंधित है कि "क्या खर्च किया गया?" और, इसके आगे तथा अंतिम परीक्षा यह है: "परिणाम क्या निकले हैं?" जिस समय मैं बजट प्रस्तुत करूं उस समय मंत्रालय अपने संबंधित परिणामी बजट प्रस्तुत करेंगे और हम ध्वज-पोत कार्यक्रमों संबंधी समेकित बजट प्रस्तुत करेंगे आशा है कि 17 मार्च तक आप पाएंगे कि इन्हें परिणामी बजटों में प्रतिबिंबित किया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपका राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में छह प्रतिशत के बारे में कहता है।

श्री पी. चिदम्बरम : इस 6 प्रतिशत में राज्य का खर्च भी सम्मिलित है। मैं सिर्फ केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूं। आपको सभी राज्यों को जोड़ना होगा। हम सिर्फ केंद्रीय बजट की बात कर रहे हैं।

महोदय, एक मुद्दा जिसका किसी के द्वारा उल्लेख नहीं किया गया था, जिसका मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं वह हमारे द्वारा दिए जा रहे शिक्षा शैक्षिक ऋणों के प्रकार के बारे में है। किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया। प्रत्येक छात्र को यह नहीं मिला है। परंतु प्राप्त की गई प्रभावशाली प्रगतियों पर दृष्टि डालिए। वर्ष 2003-04 में, 1,53,275 ऋण दिए गए थे; और इस सरकार के पहले वर्ष 2004-05 में 2,01,432 ऋण दिए गए थे। वर्ष 2005-06 में केवल नौ महीनों में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णदास, यह उचित नहीं है। आप निरंतर टीका-टिप्पणी जारी नहीं रख सकते हैं। वह बजट संबंधी महत्वपूर्ण चर्चा का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : श्री कृष्णदास सदैव तस्वीर के धुंध के पक्ष को देखते हैं। हमारे पास तस्वीर के उज्ज्वल पक्ष को देखने की योग्यता होना आवश्यक है। और अधिक छात्रों को ऋण मिल रहा है। उन्हें और अधिक धनराशि दी जा रही है। हमने नौ महीनों में 1,76,000 ऋण दिए हैं और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हम 2,50,000 ऋणों के लक्ष्य को छू लेंगे। इसलिए, आज ऐसे परिवारों से आने वाले युवकों और युवतियों को ऋण मिल रहे हैं जो कभी कालेज जाने की आशा नहीं कर सकते थे। यह एक अन्य प्रतिबद्धता है जो कि हमने शिक्षा का प्रसार और लोकतांत्रिकरण करने के लिए की है।

महोदय, मैं इस पर बहुत अधिक समय तक नहीं बोलना चाहता हूं। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबल्लपुर) : शैक्षिक ऋण पर ब्याज में कमी करने के बारे में क्या विचार हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं अनेक संस्थाओं को चलाने वाली व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखूंगा। मैं उनसे ट्यूशन फीस को कम करने का भी अनुरोध करूंगा।

मैं उन प्रमुख हस्तक्षेपों की तस्वीर प्रस्तुत करता हूं जो हमने इस वर्ष किए हैं। मैं उन पुराने कार्यक्रमों को नहीं दोहरा रहा हूं जो हमने पिछले वर्ष अथवा उससे एक वर्ष पूर्व आरंभ किए थे। प्रमुख हस्तक्षेप राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। हमने इसे 75 रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 200 रु. प्रतिमाह कर दिया है। हम राज्य सरकारों से भी 200 रु. का अंशदान करने के लिए कह रहे हैं ताकि उनके पास 400 रु. पहुंचे। यह एक प्रमुख हस्तक्षेप है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एक प्रमुख हस्तक्षेप है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु एक हजार नए आवासीय विद्यालय।

सिंचाई एक प्रमुख हस्तक्षेप है। एआईबीपी के अनुदान भाग को बढ़ाकर 2350 करोड़ रु. किया जा रहा है और मैंने राज्य के मुख्य मंत्रियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें धनराशि खर्च करनी चाहिए और मैं उन्हें और अधिक धनराशि दूंगा।

मैं पहले ही कह चुका हूं, ऋण एक अभूतपूर्व हस्तक्षेप है कि पूर्व खरीफ और रबी के लिए किसानों को दो प्रतिशत बिंदु वापस किए जाएंगे तथा भविष्य में किसानों से सात प्रतिशत ब्याज वसूला जाएगा।

माइक्रो-फायनांस में हमने नाबार्ड में अलग खिड़की खोली है और ग्रामीण सड़कों के लिए हमने नाबार्ड के साथ अलग खिड़की खोली है।

वस्त्र और पटसन प्रौद्योगिकी मिशन आरंभ किया गया है और कल मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पटसन बोर्ड स्थापित करने की स्वीकृति दी है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में दोनों राजकोषीय पक्ष और बजटीय सहायता के संबंध में प्रमुख हस्तक्षेप हुए हैं। कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना और बाज़ार विकास का वित्तपोषण करने के लिए नाबार्ड में 1000 करोड़ रु. के कार्मिक कोष सृजन किया गया है।

लघु और मझौले उद्यमों में ऋण गारंटी कोष की भूमिका में विस्तार करके प्रमुख हस्तक्षेप किया गया है। इसकी कार्मिक निधि बढ़ाई गई है। गारंटी फीस कम की जा रही है और वह 30000 प्रवर्तक ऋणकर्त्ताओं को बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।

स्थिति में सुधार करने के लिए पांच बहुत बड़ी विद्युत परियोजनाएं एक प्रमुख हस्तक्षेप है। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर दूं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी स्थिति खराब हुई। हम इसे न्यूनतम न करें। हमारी स्थिति खराब हुई है। हमें इस स्थिति में सुधार करना होगा। अत: एनटीपीसी, एनएचपीसी, निजी क्षेत्र के चालू कार्यक्रमों के अतिरिक्त एक प्रमुख पहल की गई है। पांच बहुत बड़ी विद्युत परियोजनाएं हैं जिनमें से प्रत्येक 4000 मेगावाट की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम पांच पर ही रुक जाएंगे। यदि आंध्र प्रदेश छठी परियोजना चाहे तो हम निश्चय ही इसपर विचार करेंगे। परंतु इस समय पांच हैं 20,000 मेगावाट की दो पिटहेड और तीन तटीय परियोजनाएं हैं और लगभग 85000-90000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि हम 31 दिसंबर, 2006 तक संविदा दे देंगे।

कोयले के संबंध में एक प्रमुख पहल की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है परंतु आज कोयले के क्षेत्र में एक बड़ी अड़चन आ रही है, जो कि विद्युत को प्रभावित कर रहा है और जिससे उद्योग प्रभावित हो रहा है। हमें कोयले के संबंध में कुछ न कुछ करना चाहिए। यह रुझान है कि कोल इंडिया और इसकी सहायक इकाइयां, इच्छानुसार कोयले का खनन करती हैं। हमने उतनी कोयले की खानों की व्यवस्था की हुई है जितनी कि उन्हें वर्ष 2012 और इसके बाद तक आवश्यकता है। इस देश में कोयले के विशाल भंडार हैं। हम केवल सीमेंट, इस्पात और विद्युत संयंत्रों के लिए रक्षित विद्युत का उत्पादन करने हेतु उन भंडारों को 'डी-ब्लॉक' कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि पूरी सभा को इस पहल का समर्थन करना चाहिए, जब माननीय कोयला मंत्री इस आशय का प्रस्ताव लेकर आएं, ताकि कोयला उपलब्ध कराया जा सके; ताकि विद्युत उपलब्ध कराई जा सके, ताकि उद्योग और सेवाएं तथा कृषि प्रगति कर सके।

सड़क परिवहन में प्रमुख हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैंने ये आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। मैं जानता हूं कि इन आंकड़ों के बारे में संदेह है लेकिन मैं आपको माहवार आंकड़े दे सकता हूं। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। मैं आपको क्षेत्रवार आंकड़े दे सकता हूं। मैं हरेक उस व्यक्ति को यह आंकड़े दे सकता हूं, जिसे इसकी आवश्यकता है। मैं संख्या के फेर में नहीं पड़ रहा हूं किंतु हम आज पहले की अपेक्षा प्रतिदिन ज्यादा किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। यह वास्तविकता है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : कृपया मुझे वह जानकारी उपलब्ध कराएं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा। आपने मुझसे पूछा है और मैं आपको सोमवार की सुबह तक माहवार और क्षेत्रवार जानकारी भेज दूंगा।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी : आप मुझे पूर्ण जानकारी दें...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मेजर जनरल साहब, मैं आपको जानकारी दे दूंगा...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : मैंने इसके संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे सभी सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं, तो न केवल उसे सुधारने के लिए बल्कि दंड के लिए भी अनेक पद्धतियां मौजूद हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरे ध्यान में ऐसा आने दें।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैंने सभा को गुमराह नहीं किया, जब श्री स्वाईं को एक प्रगतिशील दिखने वाला व्यक्ति बताया और अभी भी मैं सभा को गुमराह नहीं कर रहा हूं। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का स्वागत किया है...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, मैंने उनके विरुद्ध एक विशेषाधिकार सूचना का प्रस्ताव किया किंतु उन्होंने अभी मुझसे भेंट की और कहा कि कोई गल्ती हुई है। ये पत्र मेरे पास हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के लिए अभी भी नियम मौजूद हैं। आप उनका सहारा ले सकते हैं। ठीक है। हम कार्यवाही जारी रखते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : समुद्री विकास में, प्रमुख तौर पर हस्तक्षेप किया जा रहा है और 101 परियोजनाएं कार्यान्वयनाहीन हैं।

अंत में, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में, हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले वर्ष, हमने घोषणा की कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर का स्तर वहां तक बढ़ाया जाएगा, जहां तक हम बढ़ाना चाहते हैं यानि कि एक विश्वस्तरीय संस्था। हमने 100 करोड़ रुपए दिए। मुझे यह सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि मंत्रिमंडल ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने पहले ही खर्च करना शुरू कर दिया है। भारतीय विज्ञान संस्थान एक विश्व स्तरीय संस्था बनेगी, जिसमें विश्वस्तरीय संकाय होगी और विश्वस्तरीय कार्यक्रम होंगे।

अब, प्रत्येक वर्ष, मैं केवल एक ही संस्था को यह सुविधा देना चाहता हूं क्योंकि यही कुछ देना हम वहन कर सकते हैं, हालांकि मेरा विश्वास है कि ऐसी अनेक संस्थाएं हैं। इस वर्ष हमारे पास कृषि अथवा किसी अन्य विषय का विकल्प था। हमने तय किया कि चूंकि बजट का रुझान कृषिउन्मुख प्रतीत होता है, इसलिए यह सुविधा हम एक कृषि विश्वविद्यालय को देंगे। ऐसा हिसार कृषि विश्वविद्यालय अथवा कोयम्बतूर या पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निभाई जा रही भूमिका को कम करने के लिए नहीं है। ये सभी की सभी अच्छी संस्थाएं हैं। उनमें महान बनने की क्षमता है लेकिन हमारा चयन उस संस्था पर आकर सीमित हो गया जो कि हरित क्रांति में प्रवर्तक रही अर्थात् पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। मुझे विश्वास है कि हम इसे एक विश्वस्तरीय संस्था में तब्दील कर सकते हैं। किंतु हमने कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के तीन अन्य महान विश्वविद्यालयों की भी पहचान की है और हम उन्हें 100 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं – वर्ष के आरंभ में 50 करोड़ रुपए और वर्ष के अंत में 50 करोड़ रुपए।

एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष का सृजन किया जा रहा है। हमारे समर्थन के संकेतवश यह अभूतपूर्व कदम उठाया गया है कि जबकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है, भारत में उच्चतर शिक्षा की विश्वस्तरीय संस्थाएं होनी चाहिए। आने वाले महीनों में आप पाएंगे कि हम उच्चतर शिक्षा की विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाने के लिए और अधिक कार्य करेंगे।

इसके साथ ही, मैं सोचता हूं कि मुझे अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। बजट का रुझान स्पष्ट किया जा चुका है। हम वित्त विधेयक पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसका समर्थन करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मंत्री महोदय ने खेलकूद के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सभी किसानों के लिए कार्यान्वित की जानी चाहिए। यह सभी गांवों पर लागू होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृषि राजसहायता के संबंध में तथ्य नोट कर लें। अब श्री रघुनाथ झा बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले तथ्य कल सदन में बजट भाषण पर बोलते हुए बिहार के संबंध में दो-तीन मुद्दे उठाये थे। एक मुद्दा यह था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब बिहार गये थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम बिहार को विशेष सहायता देंगे।

इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। दूसरे, वहां 'एम्स' का शिलान्यास बिहार में हुआ था और शिलान्यास होने के बाद मामला ठप्प हो गया। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको और बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप उत्तर चाहते है, तो कृपया बैठ जाइए। श्री झा यह बहुत ही गलत बात है। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए। वे जो भी बोल रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? यह वाद-विवाद का समय नहीं है। मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री जी आप खेल, कृषि राजसहायता तथा एम्स के संबंध में उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में एन. एच. रोड 900 कि.मी. तक की स्वीकृत हो चुकी है लेकिन वहां एक इंच भी काम नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। वे जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। जब मैं बोल रहा हूं तो आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सर फिर हमें बोलने की परमिशन दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं दी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दस घण्टे तक आप अपनी बात नहीं कर सके। श्री ओवेसी यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप अब अपनी सीट पर बैठेंगे? मंत्री महोदय जो कुछ ये उठा रहे हैं उसका उत्तर देने की आपको जरूरत नहीं है। मैं अब सीधा विषय पर आऊंगा।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : आपको आंकड़े पता होंगे लेकिन इनका सभी को पता होना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ करने के लिए सहमत होते हैं तथा यहां कर ठीक विपरीत व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : वर्ष 2003-04 के लिए खेलों का आबंटन 415 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2006-07 के लिए आबंटन 669 करोड़ रुपये है। और मैं राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए मंत्रियों के समूह का सदस्य हूं तथा मैं पहले ही वचन दे चुका हूं कि राष्ट्रमण्डल खेल कराने के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी वह प्रदान की जाएगी। कांग्रेस सरकार जिसने एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया था की तरह हम राष्ट्रमण्डल खेलों का भी सफल आयोजन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन तीरंदाजी के लिए कोई विशेष आबंटन नहीं होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का एक भी जवाब नहीं मिला। बिहार के बारे में नहीं बोले हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने 'एम्स' के बारे में बोला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसके पहले ही कह चुका हूं। आपने ठीक से सुना नहीं है। मैंने छह राज्यों की सूची का उल्लेख किया है, मैंने उन छह राज्यों में बिहार का नाम सर्वप्रथम उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)* जब मैंने यह कहना शुरू किया कि छह राज्यों में एम्स. तो पहला राज्य जिसका मैंने उल्लेख किया वह बिहार था। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं वर्ष 2005-06 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगें संख्या 1 से 10, 12 से 15, 17 से 22, 24 से 26, 29 से 31, 34, 36, 40, 41, 46 से 51, 53, 54, 56 से 62, 65, 71 से 73, 76, 78, 79, 81 से 88, 90 से 101, 103 तथा 105 के सामने दर्शाये गये मांग राशियों के संबंध में 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों का भुगतान करने के लिए कार्य-सूची में कालम तीन में दर्शाई गयी 'राशियों' से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2005-2006 के अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे बैच (सामान्य) की सूची

संख्या और मांग का शीर्षक		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	3,00,000	22,16,00,000
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1,00,000	...
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	1,00,000	...
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय	12,53,00,000	...
5.	परमाणु ऊर्जा	86,35,00,000	2,00,000
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	95,18,00,000	...
7.	रसायन और पैट्रोरसायन विभाग	...	10,00,00,000
8.	उर्वरक विभाग	1200,00,00,000	16,00,00,000
9.	नागर विमानन मंत्रालय	56,04,00,000	...
10.	खोयला मंत्रालय	...	43,00,00,000
12.	वाणिज्य विभाग	86,26,00,000	...
13.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	1,00,000	1,65,00,000
14.	डाक विभाग	51,62,00,000	48,90,00,000
15.	दूरसंचार विभाग	513,20,00,000	...

1		2	3
17.	कंपनी कार्य मंत्रालय	...	3,60,00,000
18.	उपभोक्ता मामले विभाग	...	1,00,000
19.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	...	1,00,000
20.	संस्कृति मंत्रालय	2,00,000	...
21.	रक्षा मंत्रालय	...	1,00,000
22.	रक्षा पेंशन	263,01,00,000	...
24.	रक्षा सेवा-नौसेना	316,83,00,000	...
25.	रक्षा सेवा-वायु सेना	157,59,00,000	...
26.	रक्षा आयुध फैक्टियां	66,80,00,000	...
29.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	89,75,00,000	...
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	2,00,000	...
31.	विदेश मंत्रालय	260,00,00,000	
34.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	1759,70,00,000	1,00,000
36.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरण	437,34,00,000	...
40.	पेंशन	382,31,00,000	...
41.	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	4,14,00,000	1,58,00,000
43.	प्रत्यक्ष कर	39,54,00,000	...
46.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,00,000	
47.	स्वास्थ्य विभाग	2,00,000	...
48.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1,00,000	...
49.	परिवार कल्याण विभाग	1,00,000	...
50.	भारी उद्योग विभाग	1499,55,00,000	20,01,00,000

	1	2	3
51.	सरकारी उद्यम विभाग	23,00,000	...
53.	मंत्रिमंडल	40,48,00,000	...
54.	पुलिस	287,68,00,000	...
56.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	139,10,00,000	74,99,00,000
57.	बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग	1,00,000	...
58.	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	56,05,00,000	...
59.	महिला और बाल विकास विभाग	23,00,000	...
60.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	99,42,00,000	1,00,000
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	22,90,00,000	...
62.	निर्वाचन आयोग	65,00,000	...
65.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	1,00,000	...
71.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	5750,00,00,000	...
72.	योजना मंत्रालय	11,25,00,000	...
73.	विद्युत मंत्रालय	10,34,00,000	1,00,000
76.	राज्यसभा	2,73,00,000	
78.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	67,00,000	...
79.	ग्रामीण विकास विभाग	3005,21,00,000	...
81.	पेय जलापूर्ति विभाग	10,11,00,000	...
82.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	1,00,000
83.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1,00,000	...
84.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
85.	नौवहन विभाग	49,32,00,000	2,00,000
86.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	132,74,00,000	...

	1	2	3
87.	लघु उद्योग मंत्रालय	85,00,000	9,47,00,000
88.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	100,00,00,000	
90.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	...
91.	इस्पात मंत्रालय	9,98,00,000	...
92.	कपड़ा मंत्रालय	3,00,000	1,00,000
93.	पर्यटन मंत्रालय		12,01,00,000
94.	जनजाति कार्य मंत्रालय	1,00,000	
95.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6,00,000	...
96.	चंडीगढ़	42,38,00,000	17,34,00,000
97.	दादरा और नगर हवेली	103,31,00,000	...
98.	दमन और दीव	50,00,000	...
99.	लक्षद्वीप	12,22,00,000	1,00,000
100.	शहरी विकास विभाग	6,51,00,000	250,01,00,000
101.	लोक निर्माण कार्य	6,30,00,000	
103.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1,00,000	...
105.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1,00,000	...
	जोड़	17279,14,00,000	530,85,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब वर्ष 2003-04 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के कालम दो मांग संख्या 15, 16, 24, 27 तथा 67 के सामने दर्शाए गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों का भुगतान करने के लिए कार्य-सूची के कालम तीन में दर्शाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2003-2004 की अतिरिक्त अनुदानों (सामान्य) की मांगों की सूची

संख्या और मांग का नाम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1		2	3
15.	दूरसंचार विभाग	3,97,85,153	
16.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	--	1,28,59,171
24.	रक्षा आयुध कारखाने	37,50,27,533	--
27.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	--	11,95,395
67.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	--	2,48,086
	जोड़	41,48,12,686	1,43,02,652

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 01.31 बजे

विनियोग विधेयक, 2006*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा अब मद सं. 20 लेगी।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक को पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 10.3.2006 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

"कि वित्तीय वर्ष 2005-06 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 01.32 बजे

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2006*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं. 22 लेगी।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 10.3.2006 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी है। उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, अब मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस संबंध में?

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : विनियोग विधेयक के संबंध में।

अध्यक्ष महोदय : आप विनियोग विधेयक के संबंध में क्या कहना चाहते हैं?

श्री वृज किशोर त्रिपाठी : मै कुछ कहना चाहता हूं। सामान्यत: ऐसी स्थिति में सदस्यों को अवसर दे दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या विधेयक के पारित होने के बाद ऐसा कुछ किया गया था? आप ऐसा कह सकते हैं कि अगले वर्ष!

अब, सभा अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने तक स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.34 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश

और

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम चर्चा के लिए मद संख्या 24 और 25 को एक साथ लेंगे तथा इस चर्चा के लिए 4 घंटे आबंटित किए गए हैं।

श्री प्रद्योत घण्डा (मिदनापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था आयोग (संशोधिन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह, की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं:

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पुर:स्थापित हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

"कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री प्रद्योत घण्डा (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक का विरोध नहीं कर रहा परंतु मैं यह कहूंगा कि अध्यादेश के प्रख्यापन से कानून बनाने का रास्ता साफ नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह एक अच्छा कानून है। मुझे इस सम्माननीय सभा में 93वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 पर हुआ वाद-विवाद याद है। उस चर्चा में कई सदस्यों द्वारा

यह बात कही गई थी कि सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु कोटा निर्धारित करने के लिए आवश्यक कानून लाया जाना चाहिए।

एक नया अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने के संबंध में, संस्थानों के अधिकार राष्ट्रीय आयोग की शक्तियां आदि सभी बातें वैध और महत्वपूर्ण हैं तथा इस संबंध में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है और इसलिए मैं इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से सहमत हूं।

महोदय, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति पहले ही विधेयक की जांच कर चुकी है और हम देख सकते हैं कि समिति द्वारा सुझाई गई अधिकांश बातें विधेयक में शामिल कर ली गई हैं। अत: मैं विशेष रूप से इस विधेयक के पक्ष में हूं परंतु मैं सरकार द्वारा अपनाए गए अध्यादेश के रास्ते का विरोध करता हूं। मुझे याद है कि 13वीं लोक सभा के दौरान वर्तमान संप्रग के नेता, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता, जब विपक्ष में बैठे थे तो वे उस अवधि के दौरान जारी हर अध्यादेश का विरोध करते थे और कहते थे कि यह केवल 'अध्यादेश राज' है। अत: मैं भी इस समय वही रुख अपना रहा हूं।

यह अब ऐसा विधेयक नहीं है जिसका इस सम्मानित सभा के सदस्य या राजनैतिक दल बहुमत में विरोध कर सकें। यह अध्यादेश इतनी जल्दबाजी में जारी क्यों किया गया है? इस विधेयक के बजट सत्र में पेश किए जाने से क्या होता? अब तक कोई अनर्थ नहीं हो जाता।

अत: मैं इस अध्यादेश को जारी करने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त करना चाहूंगा। मेरे विचार से सरकार मेरे सुझाव पर ध्यान देगी और आशा करता हूं कि वह पिछली सरकार द्वारा इसी अध्यादेश को लाने के लिए अपनाए गए रास्ते का अनुसरण नहीं करेगी। यही मेरा अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा' (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो सांविधिक संकल्प है, उससे मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं और उसके डिस्-एप्रूवल पर बल देता हूं। जो विधेयक सरकार की ओर से लाया गया है, इससे पहले 23 जनवरी, 2006 को एक अध्यादेश के माध्यम से इसे पुनर्स्थापित किया गया तथा लागू किया गया और आज राज्य सभा से पारित करने के बाद माननीय मंत्री जी सदन के सामने लोक सभा में इस विधेयक को लेकर आए हैं। मुख्य रूप से जो आर्डीनेंस लागू किया गया, उसमें भारत के संविधान के 93वें संशोधन के परिणामस्वरूप सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त जितने शैक्षिक संस्थान थे, उनमें एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेज के प्रवेश के लिए कोटा नियत करने के संबंध में था। अध्यादेश में केवल इतना कारण बताया गया है कि चूंकि नाइन्टी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ कांस्टीच्यूशन सामने आ गया है और दाखिला कोटा की पूर्ति करने में जो कठिनाई आ रही है, उसके लिए यह अध्यादेश लाया जा रहा है, लेकिन इस पूरे अध्यादेश और उसके अनुसरण में जो विधेयक माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो मूल विधेयक जिसे भारत की संसद ने पारित किया था, जो अधिनियमित हुआ था, लगभग छ: सात महीने के बाद ही उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया गया। जो मूल अधिनियम था, उसमें छ: विश्वविद्यालय अधिसूचित किए गए थे, इन विश्वविद्यालयों में जो अधिसूचित विश्वविद्यालय हैं, इनमें एफिलिएशन के लिए जो माइनेरिटी एजूकेशन इंस्टीच्यूशंस होंगे, वे किस तरीके से संबद्ध होना चाहेंगे, वे उसके लिए कार्यवाही शुरू करेंगे। यदि उनके संबद्धीकरण के संबंध में कोई विवाद होगा, तो जो आयोग बनाया गया है, उस आयोग का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन आज जो आर्डीनेंस आया, उस आर्डीनेंस में वह अधिसूची या शेड्यूल अधिसूची का विलोप कर दिया गया है। आज विश्वविद्यालय कोई अनुसूचित विश्वविद्यालय न होकर के सीधे-सीधे, देश के अंदर चाहे राज्य के द्वारा विधेयक लाकर उसकी स्थापना हुयी हो या फिर केंद्रीय अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी हो, उनसे संबद्धीकरण और न केवल संबद्धीकरण बल्कि, कौन सी प्रक्रिया उसमें अपनायी जाएगी कि वह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था है और इसके अलावा जो उसको दिए जाने वाले अनुदान हैं, उसके संबंध में भी जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, उन पर भी मैं माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। सबसे पहले बात, इस संबंध में जो सारी की सारी शक्तियां और अधिकार आयोग को सौंप दिए गए और उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत की भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस आयोग के समक्ष जाने वाली समस्त कार्यवाही ज्यूडीशियल प्रोसिडिंग्स होगी और इसका स्टैटस कोर्ट का होगा। इसके अलावा उसमें यह भी प्रावधान किया गया है, जो भी आदेश होगा, उस आदेश को, उसका जो एग्जीक्यूशन है, वह उसी तरीके से होगा, जिस तरीके से सिविल प्रोसीजर कोर्ट के भीतर डिक्रीज एग्जीक्यूशन करने का प्रावधान है, वह इसमें दिया गया है। आगे प्रत्यक्ष रूप से आयोग को न केवल समीक्षा करने का और जांच करने का बल्कि पूरी तरीके से न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। इस संबंध में जो मूल अधिनियम है, उस मूल विधेयक पर दिसंबर 2004 में यहां पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी मैंने सदन

[श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा']

और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था। यह अपने आप में अल्पदावजी में लाया गया विधेयक है और उसके पीछे जो हेतु उस समय था, उस समय स्थिति यह थी कि तमाम राजनैतिक दलों से संपर्क करते समय भारतीय जनता पार्टी को उस बैठक में जानबूझकर नहीं बुलाया गया था। हम लोगों ने इसके लिए घोर आपत्ति भी प्रदर्शित की थी।

लोकतंत्र के भीतर प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विचारों को सुना जाना और उस पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। उसकी पीछे जो भावना थी, उसे व्यक्त नहीं किया गया है। उनके विचारों की जानकारी न ली जाए, यह एक प्रकार से सीधे-सीधे उपेक्षा करने के समान है। इसे अल्पसंख्यकवाद शब्द दिया गया है। मौजूदा सरकार द्वारा इसे प्रमुख बल प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य किए गए हैं जिन का उल्लेख इस तरीके से कर सकते हैं। उसी कड़ी में मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था शैक्षणिक संस्था आयोग आया है। उसे सूचीबद्ध भी किया गया है। जो बड़े-बड़े फैसले लिए गए – जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण की व्यवस्था, आंध्र प्रदेश में नौकरियों में मुसलमानों के आरक्षण की व्यवस्था, आईएमडीटी एक्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित करने के बाद उस निर्णय की अवहेलना करते हुए फॉरेनर एक्ट में संशोधन किया जाना, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना करना। यू.सी. बनर्जी कमीशन की स्थापना, उसके बाद जांच रिपोर्ट को एक पक्षीय प्रस्तुत करना, सच्चर समिति जिस के माध्यम से सेना में मुसलमानों की गिनती कराना आदि-आदि। इसकी पीछे अच्छी भावना होनी चाहिए थी।

आर्टिकल 30 में उल्लेख किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां भी इनकी स्थापना की जानी आवश्यक हो, वहां संविधान इस बात की गारंटी करता है कि वे उस दिशा में कार्य कर सकते हैं। इसी में फंडामेंटल राइट्स हैं। संविधान के आर्टिकल 14 में इक्वैलिटी बीफोर लॉ की बात है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। आप इसे कानूनी रूप दे रहे हैं। यह एक प्रकार से अन्य वर्गों की अवहेलना करने जैसा है। जो एफिलिएशन का माध्यम है, उसके लिए जनरल प्रावधान किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एमसीआई, बीसीआई में मामले जाएंगे तो एक प्रोजीजर फॉलो होगा। एनओसी लेना है तो वही प्रक्रिया रहेगी लेकिन यहां एनओसी के लिए एक प्रक्रिया तय कर दी है। यदि 90 दिन के भीतर कम्पीटिटिव एथॉरटी के जरिए इसे अनुसूचित नहीं किया जाएगा तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने इसमें नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। यह परिकल्पना पर आधारित है। वास्तव में स्वीकृति हुई या नहीं, यदि विलम्ब हो गया है तो कानूनन मान लिया जाएगा कि वहां स्वीकृति दे दी है। अगर अस्वीकार कर दिया जाएगा तो आयोग के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा और वह अपील का आदेश फुल एंड फाइनल होगी जिसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। यह एक प्रकार से जूडिशियल सिस्टम के विपरीत है।

इसमें दो चीजें प्रमुख रूप से परिलक्षित होती हैं। आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। इसके अलावा भारत के संविधान ने न्यायिक प्रक्रियाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं दी हैं। उनके विपरीत भी यह विधेयक है। निश्चित रूप से इसे जहां चुनौती दी जाएगी, वह संवैधानिकता के आधार पर होगी। यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है और राज्यों को यह तय करना है। आर्टिकल 30 में भाषायी या धार्मिक आधार पर इसका उल्लेख आया है। यह अभी तक कहीं परिभाषित नहीं है कि अल्पसंख्यक परिभाषा क्या होगी? यह आज के मौजूदा विधेयक में भी नहीं है, न ही संशोधन विधेयक में है और न ही मूल विधेयक में है। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 30 में आता है।

भाषाई अल्पसंख्यकों को तय करने का अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों का है, केन्द्र को यह तय नहीं करना है। सब अधिकार केंद्र द्वारा जो आयोग अधिनियमित किया जा रहा है उसके हाथ में दिए गए हैं और उनका आदेश अंतिम होगा। सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक अधिकारों के तहत रिट ज्यूरिस्डिक्शन के आर्टिकल 226 और 227 में याचिका के माध्यम से हस्तक्षेप करने के अधिकार को छोड़कर यह चुनौती किसी एजेंसी, उच्च न्यायालय, या सिविल न्यायालय को नहीं दी जा सकती हैं। इसे हम न भी छोड़ें तो भी डिप्राइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान की मूल स्पिरिट के विपरीत है। लेकिन बाकी की लीगल रेमेडी में जाकर चुनौती दें और जिस पर रैगुलर सुनवाई हो यानि इतने संक्षिप्त न्यायिक अधिकार दे दिए, प्रक्रिया इतनी संक्षिप्त कर दी गई कि किसी प्रकार का फैसला हो, इसमें जजमेंट का उल्लेख नहीं है केवल ऑर्डर है, एक ऑर्डर पारित कर देंगे और वह फाइनल हो जाएगा।

राज्यों के भीतर व्यवस्थाएं जो आज तक रही हैं, उसमें देखा जाता

था कि एफिलिएशन से पहले जो कोई भी विश्वविद्यालय है, उनके अपने नियम, उपनियम, रैगुलेशन्स हैं और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित सक्षम प्राधिकारी यह जांच करते थे कि फलां इंस्टीट्यूशन, जिसे खोला जाना है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके लिए भवन उपलब्ध है या नहीं है, इसके आर्थिक स्रोत कहां से हैं, जो विषय पढ़ाए जाने हैं उस विषय के टीचर्य और लैक्चरर्स की पूर्ति है या नहीं है। इन सबके लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं, ये कॉलेज जो खोले जाने हैं या चलाये जाने हैं, उनका विजिट करना और एक्सपर्ट्स द्वारा देखा जाना, ये सारी प्रक्रिया सम्मिलित थी। लेकिन इसे आपने संक्षिप्त कर दिया कि जिस सक्षम प्राधिकारी का आवेदन हुआ, यदि उसने तय नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि उसे स्वीकृति मिल गई।

कल हम युवा सांसद राहुल गांधी का भाषण यहां किसी कारणवश नहीं सुन पाए, उसके बारे में हमें अखबार में पढ़ने को मिला है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है देश के भीतर गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम सब इससे सहमत हैं। हम हमेशा से इसे मानते आए हैं और कोई भी माननीय सांसद इस बात से असहमत नहीं हो सकता है। इसमें चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, ओ. बी.सी. हो, शैड्यूल कास्ट हो, शैड्यूल ट्राइब हो या किसी भी वर्ग से संबंधित हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता की शिक्षा मिले, क्वालिटी की शिक्षा मिले और उन्हें आर्थिक रूप से सपोर्ट मिले, तब हम कह सकते हैं कि किसी के हित के लिए कोई प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन यहां केवल देश के भीतर शिक्षा की जो संरचना है, अगर उसमें कोई खोट है, यू.जी.सी. के नॉर्म्स में कोई कमी है या ए.आई.सी.टी. मान्यता या एफिलिएशन देने में कोई अड़चन लगाता है तो उनके लिए सरल प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन एक ही देश में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करने से, जिसने जहां अपनी इच्छा से कोई भी विश्वविद्यालय लिया और उसमें वैरिफिकेशन, जांच करने या किसी अधिकारी को तय करने की व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो निश्चित रूप से प्रक्रिया में खोट सामने आएगा। इसका नतीजा यह होगा कि देश के भीतर देश क्वालिटी एजुकेशन की बात कह रहे हैं, सुलभ शिक्षा की बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

माननीय मंत्री से पहले भी आग्रह किया था और आज हम इस दिशा में आग्रह करते हैं कि हम इसे केवल वोट बैंक की राजनीति से न जोड़ें। वास्तव में व्यवस्था उन्हें लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। यदि हम किसी वर्ग को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इसका लाभ तभी पहुंचेगा जब हम एक स्तर की शिक्षा दें, जब हम आर्थिक रूप से इतना अनुदानित करें कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आज जहां भी जाते हैं वहां प्रतियोगिता का समय है, उस प्रतियोगिता में वे खड़े होने के लिए सक्षम हों, तब तो इसका लाभ है अन्यथा यह एक प्रकार से सारी की सारी राज्य सरकारों के अपने अधिकार क्षेत्र में दखल देने वाला तो है ही वहीं दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया को आयोग के हाथ में सौंप देना है। हमारा कहना है कि यह एक प्रकार से कमीशन नहीं बल्कि रैगुलेटरी ऑथोरिटी या फैसिलिटी देने का निकाय हो। अच्छा तो यह हो कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वह मेडिकल एजूकेशन हो, एकेडैमिक हो, टैक्निकल एजूकेशन हो, देश भर की सारी संस्थाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा सकती है, नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि हम इसका प्रयोग जहां-जहां कर रहे हैं, चाहे वह इलैक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, टैलीफोन के क्षेत्र में हो, उसके जो परिणाम सामने आये हैं, उसके एक्जीक्यूशन में कमी नहीं आई है। आज उसके विपरीत यदि हम इस प्रकार से यह अधिनियमित करेंगे तो यह न केवल हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम को बल्कि देश के भीतर जो हमारा फैडरल सिस्टम है, जो हमारा संघीय ढांचा है, निश्चित रूप से इन सबको प्रभावित करेगा। क्योंकि संविधान के भीतर जहां हमें अधिनियम को पारित करने की शक्ति प्राप्त है, वहां राज्य के भीतर अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अधिनियम बनाने का, अपने विश्वविद्यालय स्थापित करने का, अपने सिस्टम को चलाने का, राज्यों की विधान सभाओं के अधिकार भी पूरे के पूरे मान्यता प्राप्त हैं और ऐसा न हो कि इस प्रकार के अधिनियम बनाने के बाद हमारे फैडरल सिस्टम पर कोई आघात पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस के नाम पर देश भर में अनेक संस्थाएं हैं, उनसे किसी माइनोरिटी का हित किया जाए, वे इस लक्ष्य से स्थापित नहीं हैं, बल्कि आर्टिकल 30 का लाभ उठाते हुए देश भर में जो व्यावसायिक शिक्षा है, उसका व्यावसायीकरण हुआ है, अधिक फीस वसूल करने का काम हुआ है। यदि हम देखें तो इसमें माइनोरिटी के नाम पर, चाहे वह क्रिश्चियन्स के नाम से हो, बौध के नाम से या अन्य नामों से हो अथवा फिर भाषाई आधार पर हो जैसे जो तमिल हैं, यदि उन्होंने दिल्ली में इसी आर्टिकल 30 की मान्यता ली हुई है तो वे अपना फायदा उठाने के लिए काम कर रहे हैं और उनमें फीस का लैवल इतना ज्यादा है कि एक सामान्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित हो, वहां आसानी से प्रवेश नहीं पा सकता है। जब वह वहां प्रवेश नहीं पा सकता है और उसे इससे सीधा लाभ

[श्री बची सिंह रावत 'बच्चदा']

नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब यह आर्डिनेन्स लाया गया और यह कहा गया कि आर्टिकल 93 में जो दाखिला कोटा तय हुआ है, उसके लिए यह आवश्यक हो गया तो उस समय यह पोजीशन थी कि पहले से ही जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, उन्हें इससे छोड़ा गया है। जो 93वां संशोधन है, उसमें यह तय किया गया कि जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी में यह रिजर्वेशन किया गया तो उस डेट को जितने माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें छोड़कर बाकी में इसे लागू करना है। लेकिन वह होता नहीं है। बल्कि यह हो रहा है कि अन्य जितने आवेदन हैं, वे आवेदन आये और हम आपको माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दें, ताकि यदि एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. का जो एडमिशन करना है, वह उससे वंचित हो जाए। इसका एक नुकसान उनके लिए भी है जो आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें भी उससे वंचित होना पड़े। इसके संबंध में मैं यह निवेदन करता हूं कि यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. ने जो अपने नॉर्म्स दिये हैं, उन्हें भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। इसके जो भी नियम आप लेकर आएं या संशोधन के माध्यम से लेकर आयें, वैसे किसी प्रकार से यह कुछ नहीं कहता। यह कहता है कि आपने केवल आवेदन करना है। यदि उस आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई या उसे कम्युनिकेट नहीं किया गया तो 90 दिन के अंदर मान लिया जाएगा कि आपको मान्यता मिल गई है और आप अपनी संस्था को चला सकते हैं। इस तरह से इस प्रावधान के बाद सैंकड़ों, हजारों की तादाद में ऐसी संस्थाओं की बाढ़ इस देश के अंदर आ जायेगी और निश्चित रूप से देश की शिक्षा का स्तर बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक पहलू और भी है और वह पहलू एटोनोमी का है। जब हम यह कहते हैं कि देश के भीतर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, उनकी एटोनोमी बहाल रहनी चाहिए। इस बारे में कहीं से कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जो यह विधेयक है, पहले से अधिनियम प्रभाव में है, यह उनकी एटोनोमी को एकतरफा रूप से प्रभावित करता है। एटोनोमी आर्थिक क्षेत्र में फीस के मामले में जैसे आई.आई.एम. का मामला था, वह एकेडेमिक एटोनोमी का मामला नहीं था। वहां उसके पाठ्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं था। वहां उसका एफिलिएशन किस विद्यालय को मिलना है, उसके संबंध में हस्तक्षेप नहीं था। वहां केवल यह हस्तक्षेप था कि फीस का स्ट्रक्चर बड़ा है, उसे कम किया जाए ताकि आम या मध्यम वर्ग के छात्र को प्रवेश मिल सके। उसमें उसे यह कह दिया गया कि यह शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है यह शिक्षा का भगवाकरण नहीं हुआ, बल्कि देशहित में काम हुआ। उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह बात सही नहीं है, जो निर्णय लिया गया है, वह ठीक है। आज फिर वही स्थिति आ गई। आप जो इस विधेयक के माध्यम से समवर्द्धता का प्रावधान कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह हमारी एकेडेमिक आटोनोमी को प्रभावित करेगा। हम लगातार कहते आए हैं कि एनसीईआरटी का मामला था, जिसमें आपने कहा कि परिवर्तन कर दिया है और 12 दिसम्बर, 2002 को सुप्रीम कोर्ट की फुल बैंच ने न्यायमूर्ति श्री एम.बी. शाह तथा दो अन्य माननीय न्यायाधीशों ने यह पाया था कि इसमें कतई कोई असंवैधानिक नहीं है, तभी से शिक्षा का भगवाकरण कहा जाना बंद हुआ। अगर हम यह कह रहे हैं कि आज इस विधेयक के माध्यम से तथा अन्य जो कार्य मौजूदा सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से एक तुष्टिकरण का कार्य किया जा रहा है तो यह एक प्रकार से अल्पसंख्यकवाद को देश में बढ़ावा देने की कार्यवाही की जा रही है और इस दिशा में तत्काल सरकार द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरा यह मानना है कि संसद में विभिन्न दलों के माननीय सदस्य इसलिए सुझाव देते हैं कि सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे, लेकिन अभी तक की जो प्रक्रिया सामने आ रही है, उसमें यह होता है कि मेजोरिटी के आधार पर विधेयक पारित कर लिए जाते हैं, भले ही उसमें कितनी ही कमियां हों और फिर इस प्रकार से छः-आठ महीने बाद संशोधन ला करके आना पड़ता है। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए भी किसी प्रकार से हितकर नहीं है और उसकी परिणति फिर यही होती है। इसलिए विपक्ष की बात को भी सुना जाना चाहिए। उसमें तथ्य हों और संसद में डिबेट का भी कोई न कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि हम भी केवल विरोध के लिए विराध नहीं कर रहे, उसके जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनकी तरफ हमने प्रमुख रूप से आपका ध्यान आकृष्ट किया है। हमें उम्मीद है कि आप इस दिशा में कार्य करेंगे। नये जो अनुदान हैं, उनकी क्या व्यवस्था होगी, क्या आप उन्हें बढ़ाने जा रहे हैं? एनडीए के आने से पहले जो सरकारें थीं, उस समय तालीमी शिक्षा के लिए, मदरसे की शिक्षा के लिए केवल एक करोड़ रुपया मिलता था, इन्होंने उस समय इसे एक करोड़ से बढ़ा कर दस करोड़ तक किया था ओर इस समय 13 करोड़ है, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरी पुरजोर मांग है कि इसमें जो बुनियादी शिक्षा है, इसमें मदरसे की शिक्षा को सरकार की तरफ से अधिक मजबूती दी जाए, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान इनकी तरफ से सामने आने चाहिए। इसमें सिविल न्यायालय का उल्लेख किया गया, लेकिन यदि कोई आयोग की बात को मानने से मना करता है, अगर हम कोई अधिनियम ला रहे हैं और उसका

कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कौन से दंड की व्यवस्था होगी? उसके लिए दंड की या जुर्माने की कोई व्यवस्था मौजूदा अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, उसमें केवल इतना ही संदर्भित कर दिया गया है कि एफिलिएशन के मामले में हमारा जो आर्डर फाइनल हो गया और कोई उसकी कम्प्लेंट न करे तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया होगी, इसे फिर से छोड़ दिया गया है। इस मामले में यह विधेयक साइलेंट है। जिन परिस्थितियों में आप इस विधेयक को लेकर आए हैं, उस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपने जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले आरक्षण का मामला लिया और फिर उसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा देने की बात कही और दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पुन: वरडिक्ट आया कि नहीं, ये सारा मामला संवैधानिक है – चाहे वह आंध्र का मामला हो या नौकरी के आरक्षण का हो। हमारे देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से लेकर आज तक कितने शीर्षस्थ नेता रहे हैं। उनकी मान्यता है कि कहीं पर भी संरक्षण या आरक्षण अल्पसंख्यक वर्ग को देने का अर्थ है कि हम उस वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से विलग कर रहे हैं। मैंने पिछले विधेयक में भी इसका उल्लेख किया था, इसलिए मैं समझता हूं कि आज इसकी आवश्यकता नहीं है। यह उस परिप्रेक्ष्य में था, जब संविधान सभा में इस पर डिबेट चल रही थी और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका उल्लेख किया था। उनका कहना था कि यदि देश में विदेशी हुकूमत है या राजा निरंकुश है, तब किसी प्रकार से आरक्षण या संरक्षण की आवश्यकता होगी लेकिन जब हम एक व्यवस्थित लोकतंत्र के भीतर हैं तो इस प्रकार के आरक्षण या संरक्षण को देना नुकसानदायक होगा, उस वर्ग के लिये नुकसानदायक होगा क्योंकि वह हम से काफी दूर चला जायेगा। इसलिये इस बिन्दु पर विचार होना चाहिये। मेरा आग्रह है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा नियमक बनना चाहिये। मेरे द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर मैं बल देता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि जब भी सदन में अल्पसंख्यकों के बारे में बात आई तो सामने की ओर से बैठे हुये लोगों के द्वारा बिना सोचे इसका विरोध किया गया। जैसा कहा गया कि अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनका अपीजमेंट कर रहे हैं, उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं या सरकार उन लोगों के लिये यह कर रही है। इस प्रकार के आरोप हमेशा ही सामने की ओर से लगाये जाते हैं। मैं इस संबंध में विस्तार से बाद में बताऊंगा लेकिन सामने बैठे हुये लोगों को कुछ हकीकत बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हुये हैं और इस देश की मेनस्ट्रीम में आज तक हैं। वे लोग कम्पीटीशन में भी हैं लेकिन उन्हें धर्म के हिसाब से कितनी बार डिस्क्रिमेशन सहन करना पड़ रहा है। उसका सीधा असर उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। यह भी देखा गया है कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। जो दूसरी कम्युनिटी है, उनके मुकाबले बहुत बड़ा समुदाय उनके पेस में नहीं जा सकता है। वह सामाजिक और आर्थिक की प्रतिस्पर्द्धा में नहीं रह सका, उसकी आय नहीं बढ़ी। मैं बहुत से आंकड़े देना चाहता हूं। 1999-2000 में नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के 55वें राउंड में यह सर्वे पूरा किया गया। मैं सामने की ओर बैठे हुये लोगों के लिये जानकारी देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं आपको स्व:रोजगार श्रेणी तथा नियमित वेतनभोगी तथा नैमित्तिक मजदूर श्रेणी के प्रति हजार परिवारों का अनुपात बताता हूं। वर्ष 1999-2000 में प्रति हजार स्व:रोजगार परिवारों में 327 हिन्दू थे, 446 मुस्लिम तथा 184 ईसाई थे। 1000 नियमित वेतनभोगी परिवारों में से 437 हिन्दु, लगभग 60 या 65 प्रतिशत मुस्लिम थे तथा 502 ईसाई थे।

वर्ष 1999-2000 के दौरान नैमित्तिक मजदूर परिवारों में 140 हिन्दु थे, 155 मुस्लिम तथा 117 ईसाई थे।

मैं व्यक्तियों की श्रेणी का उल्लेख करूंगा। 1000 स्व:रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से 368 हिन्दु, 521 मुस्लिम तथा 215 ईसाई हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि 521 मुस्लिम लोग स्व:रोजगार प्राप्त हैं।

नियमित रूप से रोजगारी लोगों के संबंध में, 428 हिंदू हैं, 273 मुस्लिम और 536 ईसाई हैं। नैमित्तिक मजदूरों के संबंध में, 140 हिंदू हैं, 151 मुस्लिम और 133 ईसाई हैं।

अब मैं धर्म के अनुसार परिवारों के वितरण के बारे में उल्लेख करता हूं। *[हिन्दी]* किस तरह से गांवों में उनका सैटअप है, मैं उस पर आता हूं। *[अनुवाद]* ग्रामीण क्षेत्र के 1000 परिवारों में से 848 हिन्दू हैं, 98 मुस्लिम, 24 ईसाई, 17 सिख और 13 अन्य हैं। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र की 1000 परिवारों में से 793 हिंदू हैं, 137 मुस्लिम, 34 ईसाई, 15 सिख और 21 अन्य हैं।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

अब, मैं वर्ष 1999-2000 में न्यूनतम प्रति व्यक्ति व्यय के लिए तीन सबसे निचले वर्गों में व्यक्तियों के बारे में बताना चाहूंगा। ये सभी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े हैं, मेरे नहीं, जिनका मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं। सर्वप्रथम, 300 रु. से कम व्यय करने वाले ग्रामीण लोगों के संबंध में, 20 प्रतिशत मुस्लिम हैं, 26 प्रतिशत हिन्दू और 19 प्रतिशत ईसाई हैं। दूसरी ओर शहरी भारत में 425 रु. से कम व्यय करने वाले 1000 परिवारों में से 40 प्रतिशत मुस्लिम हैं, 22 प्रतिशत हिन्दू और 13 प्रतिशत ईसाई हैं। आनुपातिक तौर पर 1,12,029 रु. से अधिक व्यय करने वाले 1000 परिवारों में से 29 प्रतिशत ईसाई हैं, 17 प्रतिशत हिन्दू और 06 प्रतिशत मुस्लिम हैं।

अब मैं शिक्षा के बारे में उल्लेख करता हूं यदि आप 15 वर्ष और अधिक आय वाले व्यक्तियों के 1000 परिवारों के वितरण को लें। वर्ष 1999-2000 में शिक्षा-स्तर ग्रामीण पुरुष जो शिक्षित नहीं हैं, 368 हिंदू हैं, 409 मुस्लिम, 291 ईसाई हैं। उन लोगों के संबंध में, जो कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं, 255 हिन्दू हैं, 303 मुस्लिम और 307 ईसाई हैं। उसी श्रेणी में ग्रामीण महिलाएं, जो शिक्षित नहीं हैं – 658 हिन्दू हैं, 664 मुस्लिम और 370 ईसाई हैं। *[हिन्दी]* यह सिचुएशन शहर में रहने वाले पुरुषों की है।

[अनुवाद]

मैं प्रमुख धर्मों और लिंग में सामान्य स्तर, (प्रधान और गौण को एक साथ लिया गया है) के अनुसार श्रम प्रतिभागिता पर आता हूं। ग्रामीण पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 546 हिंदू, 489 मुस्लिम और 583 ईसाई का है। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 317 हिंदू, 164 मुस्लिम और 342 ईसाई का है। दूसरी ओर, शहरी पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 549 हिंदू, 520 मुस्लिम और 522 ईसाई का है। अतएव, यदि आप इस आंकड़े की ओर देखें तो यह उसी तरह की स्थिति है जो कि इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में है। अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत बड़े हिस्से के पास उत्पादन के साधन नहीं हैं।

अपरा 3.00 बजे

मैं उन लोगों के संबंध में आंकड़े नहीं दे रहा हूं जो एक हेक्टेयर या 0.1 हेक्टेयर तथा 0.1 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर से ज्यादा के बीच जमीन पर कृषि करते हैं। यह भी एनएसएस के आंकड़े हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में बड़ी संख्या के लोगों को स्वरोजगार पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिलता। एनएसएस के आंकड़े यही कहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या उनके खिलाफ कोई छुपा हुआ भेदभाव है? क्या उन्हें सरकार से सकारात्मक समर्थन की आवश्यकता नहीं है?

जब इस सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे और जब अल्पसंख्यक आयोग सशस्त्र सेनाओं सहित रोजगार की विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत लोगों की संख्या का पता लगाने का प्रयास कर रहा था, इस बात पर हो-हल्ला मचाया जाने लगा कि इससे भारतीय सशस्त्र सेनाओं का विभाजन हो जाएगा। वे इसे प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे। इससे ऐसी स्थिति बन रही है जिससे आप समाज के संपूर्ण वर्ग को साथ नहीं ले सकते और उनके लिए एक समान आर्थिक स्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकते। *[हिन्दी]* हम ऐसी परिस्थिति में निकल रहे हैं, जिसमें एक सैक्शन जो सोसाइटी का है, *[अनुवाद]* धर्म की वजह से और उनके हाथों में उत्पादन के साधनों की वजह से समाज के उच्चतर सोपानों की ओर उनकी गतिशीलता बहुत तेज है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बड़ी संख्या में लोग *[हिन्दी]* वह नीचे के तबके में रहे, ऐसी परिस्थिति में हम आ रहे हैं।

[अनुवाद]

आरक्षण और कुछ नहीं अपितु सुनिश्चित नियमित आय का एक साधन प्रदान करना है। यदि उनके पास जमीन नहीं है तो आपने उन्हें रोजगार दिया है। एनएसएस की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि नियमित आय वालों के बच्चे उच्च शिक्षा की तरफ बढ़े है। आरक्षण ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके उर्ध्व गतिशीलता के लिए सीढ़ी प्रदान की है। नि:संदेह जब बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमने अपना मत व्यक्त किया है क्योंकि हमें नहीं पता कि उनमें आरक्षण होगा या नहीं। नि:संदेह, मेरा यह मत है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए।

[हिन्दी]

अगर यह नहीं होगा, तो जो एश्योर इनकम है, वह एश्योर इनकम नहीं होगी और एश्योर इनकम नहीं होने की वजह से जो समाज है, जो पूरा तबका है, जिसे समाज के अन्य तबकों के साथ आगे बढ़ना है, जो अपर मेबिलिटी है, उसके अंदर वह आगे नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर थोड़े लोगों की आय बहुत ज्यादा होगी और सभी सहूलियतें उन्हें मिलेंगी। ज्यादा से ज्यादा

लोग ऐसे होंगे, जिनकी इनकम का गैप ज्यादा होने की वजह से वह अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे और जिसकी वजह से ऊपर की मोबिलिटी है, उस तरफ जा सकेंगे। इस बिल का क्या मकसद है? इस बिल का मकसद यह है और कल यहां पर हमारे युवा नेता ने कहा था कि एजुकेशन को ऐसा बनाओ जो समाज के हर तबके को मिल सके। कल को यह कहें कि बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एनकरेजमेंट दिया जाता है, उनको स्टाइपेंड दी जाती है। गुजरात और दूसरी जगहों पर जो बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, उन्हें अनाज दिया जाता है। लड़कियों की स्कूल में ज्यादा उपस्थिति होने पर उन्हें एलाउंस दिया जाता है। वह दाखिल होगा तो बोलेंगे कि माइनोरिटीज अपीजमेंट है, डाटा कलेक्ट करो तो कहेंगे कि माइनोरिटीज अपीजमेंट है। उनको बारे में समाज के दूसरे वर्गों के साथ लाने को कहें, तो कहेंगे कि माइनोरिटीज अपीजमेंट है।

[अनुवाद]

यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं पता हम उन्हें जिम्मेदार पार्टी कह सकते हैं या नहीं।

[हिन्दी]

उनका नजरिया ऐसा हो गया है कि जैसे हमारे गुजरात में एक कहावत है कि जिसकी नजर के अंदर पीलापन है, उसे सभी जगह पीला नजर आता है। ज्यादा लोग इसी मानसिकता के अंदर गुजर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जगह कहीं कोई आतंकवादी हमला हो गया या किसी मायनॉरिटी के बारे में किसी ने दो अच्छे शब्द कह दिए, तो वे इनसे सहे नहीं जाते। लखनऊ में यदि कोई दूसरा आतंकवादी हमला होता, तो उससे इनका कोई संबंध नहीं था, अगर वहां बी.जे.पी. की सरकार होती, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमने जो अपने गुजरात राज्य में देखा है, वहां जब अक्षर धाम पर आतंकवादी हमला हुआ, तो कोई रथ यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ, तो रथ यात्रा निकाली। सब जगह कहा गया कि वह रथ यात्रा नहीं, बल्कि दंगा यात्रा है। मैं समझता हूं कि जो कहा गया है, यह बिलकुल सही है कि इनकी रथ यात्रा, दंगा यात्रा है।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल पर नहीं बोल रहे हैं। इनकी यह मानसिकता देश की एकता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए बहुत दुख देती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैंने नहीं माना था। महोदय, और मैं नहीं मान रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रासा सिंह जी, आपकी भी बोलने की बारी आएगी। तब आप जो बोलना चाहते हैं, बोल लें। कृपया अभी आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, इनका जो रवैया देखा गया है, इनकी जो स्ट्रैटेजी देखी गई है, वह ऐसी ही है। हमने कल इनके नेताओं की बात सुनी। उन्होंने कहा था कि रथ यात्रा देश की एकता के लिए निकाल रहे हैं। रथ यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि देश की एकता बनी रहे। हम सबको साथ रखना चाहते हैं। हमने देखा है कि बाहर, जो टॉप लीडरशिप है, वह एकता की बात करे और नीचे की जो लीडरशिप है, वह कहे कि हम दो, हमारे पांच, और फिर डिनाई करें, यह ठीक नहीं है। गुजरात के मुख्य मंत्री जी ने माइनॉरिटी के बारे में यही शब्द निकाले और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने साफ मना किया कि नहीं कहा, लेकिन जब उनकी वीडियो, उनके ही सामने दिखाई गई, तब उन्होंने बोलना बन्द किया। इनके दिल्ली में बैठने वाले इनके नेता एकता की बात करते हैं, लेकिन नीचे वाले कुछ और ही बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो यह एप्रीहेंशन है कि जहां रथ यात्रा जाएगी, वहां दंगे ही होंगे। यहां बैठे हमारे जो बी.एस.पी. और एस.पी. के साथी हैं, मेरी तो उनसे प्रार्थना है कि अगर वे थोड़ी सी भी हिम्मत रखते हैं, तो उन्हें इस रथ यात्रा को वहां नहीं निकलने देना चाहिए, एकदम रोक देना चाहिए, जैसे बिहार में नहीं निकलने दिया गया। उसी प्रकार से इस रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश में नहीं निकलने देना चाहिए। मेरा ऐसा मन्तव्य है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, इनकी जो माइनॉरिटी वैशिंग की स्ट्रैटेजी है, इसी कारण इस बिल का विरोध हो रहा है। इसमें ऐसी कोई स्पेशल एप्रोहेशन नहीं दी है। इससे कोई ऐकैडमिक औटोनोमी आने वाला नहीं है। इस समाज की जो 90 प्रतिशत पौपुलेशन है, उसे चूंकि मौके नहीं मिले हैं, ऐसे सैक्शन को अपौर्चुनिटी देकर, उसे समाज के दूसरे वर्गों के बराबर लाने, मैन स्ट्रीम में लाने का, सरकार का यह केवल एक प्रयास है। सरकार के इस प्रयास की सराहना करने के बजाय, केवल एपीजमेंट की बात देखना, ठीक नहीं है और इसीलिए इनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। क्या आप उन्हें इस देश का नागरिक नहीं मानते, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इनको आगे लाना चाहिए, इनके साथ पौजीटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? मैं तो इन्हें जानता हूं। ये तो इस बात के बराबर विरोधी रहे हैं। मैं अपने राज्य गुजरात की बात करता हूं, वहां मैंने देखा है। हमारे समाज से 20 लोग चुनकर आए, लेकिन एक भी आदिवासी एम.पी. को जब इनकी एन.डी.ए. की सरकार थी, तब मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इनकी सरकार में एक भी दलित मिनिस्टर नहीं था। 20 सीटें देने के बाद यह स्थिति थी। यह इनका रवैया है। ये तो सिर्फ यह कहते हैं कि हमें वोट दो और फिर भूल जाओ। हिन्दू के नाम पर सब इकट्ठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के देवता हमारी तरह नहीं होते। वे वायु को देव गिनते हैं, वे अग्नि को देव गिनते हैं। वे हमारी तरह देवी-देवताओं को नहीं मानते। उनके फिगर्स नहीं होते, उनके काम ब्राह्मण से शुरू नहीं होते। उनका अलग ही एक समाज है, लेकिन हिन्दू के नाम पर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी बड़े हिन्दू मंदिर का पुजारी कोई दलित बनाया गया हो। केवल वोट के लिए सब हिन्दू हैं।

वोट के लिए सब हिन्दू, बाद में तुम सब अलग। उसमें दलित भी अलग, उसके अन्दर आदिवासी भी अलग, उसमें ओ.बी.सी. भी अलग, उसमें माइनोरिटी भी अलग। आज ये यहां नहीं हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुओं के अन्दर कुछ भी है तो इसमें सभी सैक्शंस को इकट्ठे होकर इनके सामने कहना चाहिए कि आपकी सारी राजनीति सिर्फ हिन्दू की है और वोट के लिए है। वोट देने के बाद न कोई आदिवासी याद आता है, न कोई दलित याद आता है, न कोई ओ.बी.सी. याद आता है और माइनोरिटी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। इस वजह से इनसे कहना चाहता हूं कि आप यह छोड़ो ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपने बोलना है, देख लो।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : कोई बहुत जवाबदार है, ऐसी पोलिटिकल पार्टी बनो, आपके लीडर ऐसी पोलिटिकल पार्टी बनायें। जैसा गुजरात है, दूसरी जगह वैसा मत करो। जैसा 1991 में किया, वैसा वापस मत करो, जो रथयात्रा की, वैसा मत करो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं अध्यक्षपीठ को संबोधित कर रहा हूं, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : वे चुप हैं किंतु आप उन्हें ही संबोधित कर रहे हैं। आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : नजर वहां चली जाती है तो मैं क्या करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तो बोल ही नहीं रहे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आपको ही एड्रैस कर रहा हूं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये आप छोड़ो, अपनी इमेज को सुधारो। आडवाणी जी ने पाकिस्तान में जरा सुधारने का प्रयत्न किया, लेकिन आपने उनको एक बाजू में उठाकर रख दिया, क्योंकि आपके आर.एस.एस. और झण्डेवाले ही तैयार करते हैं। झण्डेवाला क्या मैदान है।

[अनुवाद]

झण्डेवाला दिल्ली का एक इलाका हो सकता है। मैं दिल्ली का भूगोल नहीं जानता हूं। उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। वे निर्णय करते हैं कि उनकी पार्टी का अध्यक्ष किसे होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अब यह थोड़ा अनफोर्चुनेट है कि इस पार्टी का प्रेसीडेंट कौन होगा, यह कोई दूसरा आदमी तय कर रहा है कि इस पार्टी का प्रेसीडेंट यह होगा। वह इनकी जो इमेज है, वह इमेज हम तो वापस जो 1991-92 में जो किया था, उसी जगह पर ये आज वापस आ रहे हैं। अब रामजीलाल सुमन जी आ गये हैं,

मुझे दहशत है कि ये रथयात्रा में वही रिपीट करेंगे, इसलिए आप यू.पी. में निकलने नहीं देंगे—पहली बात। जो कुछ भी करना, मैं उनसे कह रहा हूं कि उसे निकलने मत देना। इसलिए मैं आपसे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधानों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इसलिए मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वे साथी इस बिल का समर्थन करें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मेरे दोस्तों ने अपने जो ऑब्जेक्शंस रेज किये हैं, उनकी टिप्पणियां ठीक नहीं हैं क्योंकि वे काल्पनिक और भ्रामक हैं। उनके मगज के अन्दर है, इस देश के अन्दर जन्मा हुआ आदमी इस देश का नागरिक है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी नाते का हो, किसी भी क्लास का हो। जो राज ऐसे नागरिक की जान-माल की रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे राज को चलाने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक को पहले 11 नवम्बर, 2004 को पास किया गया था, लेकिन मुझे लगता यह है कि उस समय इस बिल के पास होने के बाद सरकार के पास तमाम संस्थाओं द्वारा और व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां आई होंगी कि इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। उन्हीं कमियों और खामियों को देखते हुए यह संशोधन अधिनियम सदन में लेकर आये हैं।

जहां तक इस अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का सवाल है, यह बात दुरुस्त है कि इसका दायरा पहले से कुछ बढ़ा दिया गया है, लेकिन मेरा मोटे तौर पर यह मानना है कि स्वागतयोग्य होने के साथ-साथ यह अल्पसंख्यकों के हक में एक सुधारवादी कदम है। सरकार का तो कहना यह है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी सवालात को हल करने, परीक्षा अनुदान मिलने, उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने में यह विधेयक सहूलियत प्रदान करेगा, लेकिन जहां तक शैक्षणिक संस्था आयोग का सवाल है। इसके काम करने का दायरा बहुत सीमित है, इसके बहुत मर्यादित अधिकार हैं। अल्पसंख्यकों की शिक्षा का प्रचार-प्रसार, उनकी गुणवत्ता से कोई सरोकार इस आयोग का नहीं है।

इस आयोग के पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। जिससे अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया जा सके। इस आयोग की मूल धारा 12 के पश्चात् 12(क) में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा। यह व्यवस्था ठीक है, लेकिन अपील करने के बाद सक्षम अधिकारी ने यदि गलती की है तो उसके विरुद्ध दण्ड का क्या प्रावधान है? उसे आप कैसे दण्डित करेंगे? इसकी क्या व्यवस्था इस एक्ट में की गयी है? इस पर रोशनी डालने का काम माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर करें।

जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, उनकी बहुत सी समस्याएं हैं। एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। मैं आपकी मार्फत भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में हालत यह है कि वे अपनी शिकायतों को लेकर कहां जाएं। हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक आयोग है। देश के स्तर पर और कुछ प्रान्तों में भी अल्पसंख्यक आयोग है। लेकिन इस सबके बावजूद भी आजाद हिन्दुस्तान के सिर्फ 14 सूबों में अल्पसंख्यक आयोग बने हैं। सरकार को अपील करके, राज्यों से सम्पर्क करके, जिन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग अभी तक नहीं बने हैं, उन राज्यों को अपने-अपने सूबों में अल्पसंख्यक आयोग बनाने के लिए बाध्य करना चाहिए।

आज तालीम की हालत क्या है? देश के ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा अशिक्षित है और शहरी मुस्लिम आबादी का 54 फीसदी हिस्सा अशिक्षित है। एक्सएन इंडिया, जहांगीराबाद मीडिया इंस्टिट्यूट व इंडियन सोशल स्टडी से संबद्ध नौ सो से अधिक संगठनों ने गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में हाल ही में एक सर्वे किया है। उसके मुताबिक मुसलमानों की सिर्फ 23 फीसदी लड़कियां ही मैट्रिक तक शिक्षा पाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़के या लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, इसकी वजह यह है कि परिवार की माली हालत ठीक न होने से वे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आज उच्च शिक्षा की बात हो रही है। यह जो कमीशन बन रहा है, इस कमीशन का भी मतलब यह है कि सिर्फ विश्वविद्यालयों, कालेजों से संबद्ध समस्याओं को यह कमीशन हल कर पाएगा। प्राइमरी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

स्तर पर, इंटर के स्तर पर मुसलमानों की जो शिक्षा की हालत है, उसे सुधारने का काम नहीं करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। एक निश्चित वर्ग को तो इसका लाभ मिल सकता है लेकिन जो उपेक्षित हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, जिनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधरे? यदि उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके कोई अपेक्षित परिणाम निकलेंगे।

एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुसलमानों की बहुत ही कम संस्थाओं को केन्द्र से मदद मिलती है। सिर्फ 67 फीसदी शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकारों से बहुत थोड़ी मदद मिलती है, जिनमें 57 फीसदी शिक्षण संस्थाओं का संबंध मजहबी तालीम से है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि गरीब मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। वहां बड़े पैमाने पर कांच का काम होता है। मुझे तकलीफ होती है क्योंकि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे कांच के कारखानों में काम करते हैं। इसकी वजह यह है कि यदि ये कारखानों में काम नहीं करेंगे तो इनके घर पर खाने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इस मजबूरी में बच्चे तालीम हासिल नहीं करते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों की माली हालत सुधरे और उनके परम्परागत उद्योगों को संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। जब कभी भी अल्पसंख्यकों की बात आती है, रासा सिंह रावत जी यहां बैठे हुए हैं, बची सिंह जी चले गए, रासा जी, आपने सब तरह के प्रयोग कर लिए और इस देश में जिस तरह के हालात बने, जब आप ताकत में आए थे, तो किसी नीति, सिद्धांत पर नहीं आए थे, बल्कि जज्बात पर आए थे। सियासत जज्बात से नहीं होती। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है और जब कभी देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने सिद्ध कर दिया कि इस देश की सरजमीं से जितनी हिन्दुओं को मोहब्बत है, उससे कम मोहब्बत मुसलमानों को नहीं है। इसके बाद भी बार-बार ऐसे सवाल उठाना जिससे उनकी नीयत पर शक हो, आत्यधिक चिन्ताजनक बात है।

मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग हैं। अगर इस देश की तरक्की करनी है, इस देश को मजबूत बनाना है, तो समाज की सारी शक्तियों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा।

हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो
चलो तो सारे जमाने को
साथ लेके चलो।

यह अपने आपको हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं। मैं रासा जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप हिन्दू धर्म की बात करेंगे, तो इस देश में विवेकानन्द का हिन्दू धर्म चल सकता है, लेकिन गोलवलकर का हिन्दू धर्म नहीं चल सकता। इसलिए उदार बनने की आवश्यकता है।

अंत में यही निवेदन करूंगा कि अकलियतों की शैक्षिक संस्थाओं में सुधार के लिए निश्चित रूप से यह एक अच्छा कदम है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अल्पसंख्यकों की माली हालत, तालीमी हालत कैसे सुधरे, सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मोहम्मद सलीम (कोलकाता-उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हालांकि पहले आर्डीनेंस लाया गया और उसके बाद यह बिल केवल संशोधन के लिए है। जब यह विधेयक लाया गया था, तब भी हम अपनी पार्टी की ओर से कह रहे थे कि इन सब मामलों में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे इसे बार-बार सदन में लाना पड़े, इसे वाइडर कंसल्टेशन करके ही करना चाहिए। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि वक्त का तकाजा था, जरूरत थी, क्योंकि जब यूपीए सरकार बनी, तब सब लोग चाहते थे कि इस मुल्क में अकलियतों के हालात को सुधारने में हुकुमत-ए-हिन्द एफरमेटिव एक्शन ले। आज के जमाने में पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वे धर्म के आधार पर हों, चाहे भाषा के आधार पर हों, चाहे जाति के आधार पर हों, उनके लिए एफरमेटिव एक्शन की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक ऐसा ही एक पॉजिटिव एफर्ट है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं विधेयक के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जब सुमन जी इसके बारे में बोल रहे थे, तो स्वामी विवेकानन्द की बात कह रहे थे। मैं बंगाल से आता हूं। स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि परिन्दा बहुत दूर तक उड़ सकता है अगर उसके दोनों पंख हैल्दी हों और वह दोनों पंखों का इस्तेमाल कर सके। इसी तरह अगर इस देश में हिन्दू-मुसलमान दोनों पंख समान तरीके से नहीं चला सकते, तो हम प्रगति के रास्ते पर बहुत दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई स्टैप लिया जाता है, मैंने सुना है, जिस तरह यात्रा की घोषणा की गई है, एपीजमैंट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटिज्म, वे तमाम दर्शन की बात करेंगे, जो

भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार की तरफ से प्रचार हो रहा है। मैं पोलीटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन सदन में यह बात होनी चाहिए, क्योंकि आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर देश की शैक्षिक संस्थाओं को देखें, रोजगार को देखें, सरकारी दफ्तरों में देखें, तो अकलियतों की हालत बिगड़ी है। कानून में उन्हें जो अधिकार दिए हुए हैं, वे भी पूरे हद तक लागू नहीं हुए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 20 सितम्बर, 1953 को मुख्य मंत्रियों को खत लिखे थे।

उनको ऐसा अंदेशा है, मैं इसे पूरा कोट नहीं कर रहा क्योंकि समय कम है, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ऐसे प्रावधान लेने चाहिए, ऐसा कानून लाना पड़ेगा वरना हम आम फोर्सेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी दफ्तरों, सैंट्रल गवर्नमैंट, स्टेट गवर्नमैंट में माइनोरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनोरिटीज की जो हिस्सेदारी है, वह घटती जा रही है। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सन् 1953 में मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर हमने सही कदम नहीं उठाया तो बाद में यह हालत और भी बिगड़ जायेगी। मुझे अफसोस है कि पंडित जी की सोच के बाद 50, 60 और 70 के दशक में उस तरह के इकदज़ामात नहीं उठाये गये। आज स्थिति काफी बिगड़ गयी है। आज माइनोरिटीज के सर्वे कराने पर देश में हंगामा मच गया। मैं राजस्थान का एक छोटा सा सर्वे कोट करना चाहता हूं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। अब 60-70 के दशक में कांग्रेस की हुकूमत थी लेकिन हालत तो बिगड़ी है। मैं जयपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां 9.3 प्रतिशत मुस्लिम पापुलेशन है। जयपुर के निर्माण में एक मुसलमान आर्किटेक्ट का योगदान रहा जो इंजीनियर थे। मैं उदाहरण के तौर पर जयपुर शहर के दो कालेजों के बारे में बताना चाहता हूं। यह मैं शहर की बात कर रहा हूं, गांवों में तो और भी बुरी हालत होगी। जयपुर में महाराजा गवर्नमैंट कालेज में वर्ष 2005-06 में टोटल 835 बच्चों के एडमिशन हुए जिनमें से सिर्फ छः मुसलमान हैं। इसी तरह गवर्नमैंट कामर्स कालेज में टोटल 1225 एडमिशन हुए जिसमें केवल 13 मुसलमान हैं। मैं किसी के विरुद्ध नाइंसाफी करने की बात नहीं कर रहा। यह वस्तुस्थिति है। मतलब वे लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। पंडित जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है–

"मैं आपको कतिपय आशंकाओं से अवगत करना चाहता हूं।"

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सलीम जी, आप कोलकाता के बारे में भी बता दीजिए।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : मैं पूरे देश के बारे में बता रहा हूं। मैंने केवल नमूना पेश किया है। कोलकाता में तो और भी ज्यादा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

मोहम्मद सलीम : मैं पंडित जी की लैटर कोट कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि आप रासा जी को एड्रेस न करके चेयर को एड्रेस कीजिए।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूं। रासा जी डिबेट में कुछ रस चाहते हैं। पंडित जी ने कहा है–

[अनुवाद]

"मुझमें बलवती हो रही कतिपय आशंकाओं से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि भारत में अल्पसंख्यक समूहों की स्थिति कई प्रकार से बदतर हो रही है। हमारा संविधान अच्छा है और हम विधि के नियमों और विनियमों में कोई भेदभाव नहीं करते किन्तु वास्तव में अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यकरण के कारण अंतर आ जाता है। कई बार यह परिवर्तन जानबूझ कर नहीं किया गया होता है तो कुछ बार ये जानते-बूझते होता है।"

[हिन्दी]

इसलिए कानून की जरूरत होती है, प्रावधान की जरूरत होती है। अभी हम यह करने जा रहे हैं तो वह कहते हैं कि माइनोरिटिज्म हो रहा है। आप देखिये कि यह कानून या ऐसा कोई भी कानून हो, यह संविधान से प्रोद्भूत है। कांस्टीट्यूशन में आर्टिकल 15 कहता है कि :

[अनुवाद]

"इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

[हिन्दी]

संविधान यह प्रावधान करता है कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक

[मोहम्मद सलीम]

क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है। मैंने इसलिए कहा कि यह राइट टू इक्विलिटि है। यह कहते हैं कि इक्विलिटि नहीं हो रहा। आप यह इक्विलिटि ठीक नहीं कर रहे हैं। यह अपीजमैंट हुआ, मतलब इक्विलिटि नहीं हो रहा। फंडामेंटल राइट इक्विलिटि की बात करता है। वह कहता है कि स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। बल्कि यह भी कहती है कि कहीं ऐसा देखा गया कि इक्वैल नहीं हो रहा तो स्पेशल अरेंजमैंट करना पड़ेगा। इसे करने की जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट को कोट करना चाहता हूं कि इक्विलिटि आने के बावजूद इक्विलिटि नहीं होता तो आपको डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा—टू ब्रिंग इक्विलिटि। इसको पोजीटिव डिसक्रीमिनेशन बोलते हैं।...*(व्यवधान)* यह मार्कसिज्म नहीं है। मार्क्सवादी कहेंगे कि सभी को समान माना जाना चाहिए।

यह मार्क्सिज्म नहीं है। हर कोई ईक्वल है। पचास साल के बाद हालात देखकर मैं कह रहा हूं कि एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है और आपको मैकेनिकली, ईक्वली बोलने से नहीं चलेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं। यह मार्क्सवादी कथन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह रूढ़ीवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है। यह आपके सूचनार्थ है। जो आप बता रहे हैं उस अल्पसंख्यक दर्शन को मैं खण्डित कर रहा हूं। अल्पसंख्यक दर्शन को खोखलापन, यह अल्पसंख्यक नहीं है। मैं सोली सोराबजी को कोट कर सकता हूं कि आपको पॉजीटिव डिसक्रिमिनेशन करने की जरूरत है। आप पिछड़े वर्ग को अगड़े वर्ग के समकक्ष नहीं ला सकते हैं। यह सोशल टेंशन बढ़ाता है। इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को पीछे छोड़ते जाएंगे तो वह पीछे से आपको खींचेगा। इसी प्रकार से जब वे अल्पसंख्यक के बारे में बात करते हैं, यह अनन्य प्रतिनिधित्व है...हिन्दुत्व या भारतीय संस्कृति के मूल्य या चारित्रिक गुण और भारतीय संविधान की भावना भी अनन्यता को बढ़ावा नहीं देती है। यह सबको साथ लेकर चलने को बढ़ावा देता है। सबको लेकर चलना पड़ेगा। यही कारण है कि हम इस विधेयक को समर्थन कर रहे हैं।

अकसर अखबारों में, टेलीविजन में बहुत से आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, भाषण दिये जा रहे हैं कि देखो, यह माइनॉरिटीज का अपीजमेंट हो रहा है, उस तथ्य को तोड़-मरोड़कर जो पेश किया जा रहा है, उसको मैं मुखालफत कर रहा हूं कि अगर शिक्षा में कोई पीछे है तो उसको अलग उठाकर शिक्षा में ले आते हैं और उसके लिए प्रावधान करते हैं तो वह देश के लिए या राइट टू एजुकेशन के खिलाफ नहीं है और आज की इस स्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं कि कानून में प्रावधान चाहिए और उस प्रावधान से यह होता है कि कोई अगर डिसक्रिमिनेशन करना चाहे तो उसमें रोकथाम होगी। विधेयक में इसी संबंध में कहा गया है कि अगर कोई एनओसी चाहता है और एनओसी अगर वर्षों से नहीं मिलता है तो उस जगह पर हम उसे टाइम-बाउंड कर सकते हैं। मैं उसका वैलकम करता हूं। मैं बंगाल से आता हूं। बंगाल में भी ऐसा है। जो सैट-अप है, मैंने नेहरू जी के खत का जो जिक्र किया कि अगर कोई माइनॉरिटीज का इंस्टीट्यूशन एस्टेबिलिश करना चाहे तो उसे एनकरेज करने की बजाए अगर डिसकरेज किया जाता है, मोटीवेट करने की बजाए अगर डीमोटीवेट किया जाता है, अगर उसे स्पीडी करने की बजाए स्लो-डाउन किया जाता है तो अगर कानून में प्रावधान होगा तो माइनॉरिटीज अपने हक का इस्तेमाल कर पाएगा। इसी कारण से मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन मैं सीपीआई(एम) की राजनीति और आशंकाओं की बात पर आता हूं।

हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है, हम ऐसे किसी सेंटर में बैठकर नहीं कर सकते कि जो इलैक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उनके अख्तियारों में कोई खामी हो जाए। डैमोक्रेसी सोसाइटी में है। एजुकेशन का जो कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह बैकवर्ड सैक्शन के साथ ज्यादा होता है, एक इंडिविजुअल अगर यह चाहे और अगर एक इंडिविजुअल को एपाइंट कर दिया जाए और वह माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन की आड़ लेकर जो डैमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या जो सैकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं या जो स्टेचुटरी प्रोविजन है, उसे अगर कोई बाइपास करना चाहे तो वह एक अंदेशा रह जाता है, इसलिए उसे एड्रैस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं समझता हूं कि वह कांफ्लिक्टिंग है। इसके लिए मैं कमीशन को भी बधाई देता हूं। कमीशन को इस बात को ध्यान में रखने का मौका मिलेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इट इज ए ज्यूडिशियरी, प्रोसैस, यानी उसे जस्टिस मिलना चाहिए और जब फाइनल जजमेंट की तरफ पहुंचेंगे तो इस मामले में, कांस्टीट्यूशन के प्रोवीजन्स को ध्यान में रखेंगे और हमारा जो फैडरल और सैकुलर स्ट्रक्चर है, वह टैम्पर नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यू.पी.ए. सरकार के नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया कि माइनॉरिटीज की एजुकेशन के लिए गंभीरता से काम करना पड़ेगा और उसके लिए मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया। सांकेतिक प्रयासों से काम नहीं चलेगा। अकसर इस देश में हमने माइनॉरिटीज के लिए लाल किले से घोषणा कर दी है, छोटामोटा कुछ टोकेनिज्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि एक सैक्शन को तो फायदा पहुंच

सकता है लेकिन जो लोग इस देश के लोगों को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, व कहते हैं कि सब कुछ मुसलमानों को मिल गया जबकि मिला तो कुछ नहीं और हालत बिगड़ी ही हुई है लेकिन घोषणाएं हो गई, उससे उसका नतीजा खराब हो गया। इससे आप भी थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं और स्थिति बिगड़ती जाती है। इसलिए एपीजमेंट की थियोरी से न डरते हुए, हमारे देश की जनता के दिमाग में जो जहर घोला जा रहा है, उसे आपको और हम सभी सेकुलर ताकतों को मिलकर काउण्टर करना होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अशोक प्रधान जी, आपकी पार्टी की तरफ से कई सदस्यों को बोलना है, इसलिए आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग विधेयक वर्ष 2004 में पारित किया गया था लेकिन इसमें कुछ कमियां रहीं। अल्पसंख्यक भाइयों के हित व्यवस्थित हों और जन भावनाओं को देखते हुए यूपीए सरकार यह जो विधेयक लाई है वह ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी है। इस विधेयक का हर वर्ग की ओर से समर्थन होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 30 इस बात की गारंटी देता है। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस तरह की संस्था बनाने का हक है और उनको इसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों देखा यह गया है कि राज्यों में कार्य कर रहे और पिछले अधिनियमों में इसे सिर्फ कुछ विश्वविद्यालयों तक ही सीमित रखा गया था। इससे माइनारिटी समुदाय के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और निचले स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए आयोग को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं और अनुसूचित विश्वविद्यालयों के बीच सम्बद्धता संबंधित विवादों के अवधारण करनी शक्ति इस विधेयक में दी गयी है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह आयोग संविधान के अनुछेद 30 के अंतर्गत दी गयी गारंटी से अल्पसंख्यक संस्थाओं को वंचित किए जाने या अतिक्रमण के मामलों में विनिश्चय करने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब यह है कि संविधान के अनुच्छेद 30 ने अल्पसंख्यकों को जो गारन्टी दी है, उसे और मजबूत बनाया जाए और ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि यदि किसी माइनारिटी संस्था को कहीं एफिलिएशन पाने के लिए लम्बे समय तक मना किया जाता है या एफिलिएशन नहीं दी जाती है तो 90 दिनों के भीतर किसी न किसी रूप में उसका निदान हो सके। हमारे माननीय साथी श्री बच्ची सिंह रावत जी ने इसके फेडरल स्ट्रक्चर की बात की। मैं समझता हूं कि उनकी आशंका कट्टरपन की आशंका है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय कृष्ण, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें, सदस्यों को नहीं।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र सरकार द्वारा सभी के लिए चलाया जा रहा है और इसमें कहीं से राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कोई सम्बद्धता है, कोई संगठन या संस्थान को उसमें बाधा हो रही है, तो उसे संरक्षण दिया जाए, यह प्रावधान इस बिल में किया गया है। मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि इस पर कहीं से भी फैडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं पहुंचती है। यूपी सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई है, यह उस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मैं मानता हूं।

अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में जो अड़ंगा लगाया जाता है, उससे इसे मुक्ति मिलेगी। अब आयोग को जो अधिकार मिलेगा, उसके तहत 90 दिनों के अंदर कोई न कोई फैसला हो जाएगा। इस तरह से एक संरक्षण की स्थिति बनेगी। इस विधेयक के पारित हो जाने से जो संरक्षण उन्हें मिलेगा, उसमें जो यह आशंका व्यक्त की गई है कि इससे तुष्टिकरण को बढ़ावा मिलेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसका एक प्रावधान यह भी है कि जो इनके नियम, कानून और कायदों को नहीं मानेगा, अतिक्रमण करेगा, ऐसी स्थिति में इस आयोग को उसे रद्द करने का भी अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह संस्था नियमों और विहित प्रतिशतता के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने में यदि असफल रही, तो वैसी स्थिति में सम्बद्धता को रद्द करने का भी अधिकार आयोग को दिया गया है। इस तरह से आयोग को चैक एंड बैलेंस करने का और समन्वित करने का अधिकार दिया गया है।

[श्री विजय कृष्ण]

इस आयोग को न्यायिक शक्तियां भी मिली हैं। विधेयक के उपबंध में यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और आयोग द्वारा किए गए आदेश को उसके द्वारा किसी सिविल न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकेगा। मैं समझता हूं यह एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। जो पीछे के दिनों में कमियां रही हैं, उनके देखते हुए यह विधेयक उन्हें परिमार्जित करने के लिए लाया गया है। अर्जुन सिंह जी की तरफ से, फातमी जी की तरफ से और यूपीए सरकार की तरफ से जो यह कदम उठाया गया है, इसे हर तरफ से समर्थन मिलना चाहिए।

जिन लोगों को इसमें मुस्लिम तुष्टिकरण की, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की बात नजर आती है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देश में विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 20 करोड़ है। इसलिए इस मामले को तूल देने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है। जिन लोगों ने पहले एक रथ यात्रा निकाली थी, अब फिर दूसरी रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। मैं कल की बात बताना चाहता हूं। वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के महंत जी ने उन लोगों को दरकिनार करने का काम किया, जो मंदिर में जाकर दर्शन के बाद धरना देने का काम करना चाहते थे। जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बहुमत की साम्प्रदायिकता से अल्पमत की साम्प्रदायिकता को रौंदने का काम करना चाहते हैं। दोनों चीजें खतरनाक हैं। अगर अल्संख्यकों की साम्प्रदायिकता ऊपर आती है तो बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता पनपती है और जब बहुसंख्यकों की साम्प्रदायिकता तेजी से रेंगती है तो अल्पसंख्यकों के मोडरेट लोगों की मौत होती है और कट्टरपंथी लोगों को बढ़ावा मिलता है। इससे आतंकवाद बढ़ता है। मैं हिन्दुओं के आध्यात्मिक पीठ संकट मोचन के महंत जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने कल कट्टरपंथियों को दरकिनार करने का काम किया।

आज दुनिया की जो स्थिति है, उसमें सोवियत रूस का अस्तित्व नहीं है। वह एक कमजोर स्थिति में है। इराक मामले में हम लोगों ने मजबूती से अपनी बात कहने का काम किया है। संसद ने भी उसकी निंदा करने का काम किया था। इसी तरह से ईरान के सवाल पर भी हमारी सरकार मजबूती से अपनी बात रखने का काम कर रही है। हम पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ठीक रखना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम उससे भी रिश्ते मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, हमारी ओर निगाहें लगाकर देख रहे हैं कि हम कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई तुष्टिकरण की बात नहीं है।

संविधान की धारा 30 में जो प्रावधान किया गया है, उसे संरक्षित करने का, मजबूत करने का काम इस सरकार द्वारा किया गया है। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इस कदम की हर तरफ से सराहना की जानी चाहिए। मैं अपने उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं जो साम्प्रदायिकता को तूल देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वे ऐसा न करें और सब लोग मिलकर यह जो संरक्षण देने की, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, उसमें सरकार का साथ दें। साम्प्रदायिकता का सिद्धांत बेइमानी का सिद्धांत है, अवसर का सिद्धांत ईमानदारी का सिद्धांत है, यह डा. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं हैं।

यह राममनोहर लोहिया जी के शब्द हैं। समानता का सिद्धांत बेईमानी का सिद्धांत है, विशेष अवसर का सिद्धांत ईमानदारी का सिद्धांत है। जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसे मजबूती से संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए और इस दिशा में यह विधेयक ऐतिहासिक है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : फातमी जी, मैंने आपसे एक क्लैरिफिकेशन लेनी है कि जब आप लास्ट में स्पीच करेंगे तो उसमें जरूर क्लीयर करेंगे कि एससी और एसटी की सीटें माइनोरिटीज के इंस्टीट्यूशंस में कितनी होंगी? मान लो कि उनमें 100 सीटें होंगी तो माइनोरिटी को 50 प्रतिशत के हिसाब से 50 सीटें चली जाएंगी और एससी को बाकी जो 50 मिलेंगी, उनमें से 17 मिलेंगी या टोटल जो 100 है उसमें से रिजर्वेशन मिलेगी या माइनोरिटीज की निकालकर बाकी 50 प्रतिशत सीटों में से सीटें मिलेगी। मान लो कि 100 सीटें हैं तो 50 तो माइनोरिटीज को निकल गयीं। जो 50 सीटें रह गयी और उनमें से 17 सीटें रिजर्वेशन होंगी या 100 में से 33 सीटें एससी को मिलेंगी।

श्री इलियास आजमी (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस केवल वह नहीं है जिसे माइनोरिटी ने कायम किया है, वरन वे हैं जिन्हें प्रदेश सरकार ने माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस होने की मान्यता दी है। एक समस्या आज तक यह थी कि एक इंस्टीट्यूशन कायम होता था, भूमि-भवन के हिसाब से वह मानक से बड़ा होता था लेकिन जब

तक राज्य सरकार उसको माइनोरिटी की मान्यता नहीं देती थी तब तक वह माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाता था। इस विधेयक से वह प्रॉब्लम कुछ कम होगी। मैंने खुद एक इंस्टीट्यूशन अपनी अगुवाई में कायम किया और भूमि-भवन के मानक से तीन गुना ज्यादा होने के बावजूद, 98-99 प्रतिशत रिजल्ट लाने के बावजूद 6 साल से आज तक राज्य सरकार ने उसको माइनोरिटी का दर्जा नहीं दिया है। इस विधेयक से ऐसे लोगों की परेशानियां कम होंगी। इसलिए इस विधेयक के जरिये कमीशन को यह अधिकार मिलेगा कि अगर राज्य सरकार सारे मानक पूरे होने के बाद भी माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं देती है तो वह इंस्टीट्यूशन इसमें अपील कर सकेगा और अगर उसका मानक सही है तो उसे वह दर्जा आसानी से मिले सकेगा।

अपरा 3.48 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

हमारे भाजपा के दोस्तों ने शिक्षा के अवसर का सवाल उठाया। मैं एक हजार मिसालें दे सकता हूं जब माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस से शिक्षा का स्तर ऊपर उठता है और टीचर्स पर अगर कंट्रोल मैनेजमेंट का होगा तो टीचर्स मेहनत से पढ़ाएंगे। माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस में क्योंकि टीचर्स को नौकरी से निकालने का भी अधिकार होता है और अपनी मर्जी के टीचर्स रखने का भी अधिकार होता है, इसलिए वहां शिक्षा अच्छी होती है।

क्रिश्चियन माइनोरिटी ने जितने भी इंस्टीट्यूशंस कायम किये हैं, उनमें सबसे ज्यादा भाजपा के लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लाइन में खड़े होते हैं। वे भी माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं लेकिन आपके दिमाग में केवल यही बात है कि मुसलमानों के ही इंस्टीट्यूशंस माइनोरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। भाजपा के लोगों को या तो माइनोरिटी लफ्ज से चिढ़ है या वे मैजोरिटी को खौफ में रखकर अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हमारे बच्चीसिंह रावत जी ने तुष्टिवाद, अल्पसंख्यकवाद और मेन-स्ट्रीम की बात की है। मैं पहले मेन-स्ट्रीम पर आता हूं। मैं पहले मेन स्ट्रीम की बात कहता हूं। यह सच्चाई है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं घंटों तक इस पर बहस कर सकता हूं कि आजादी के बाद से जो तथाकथित मेन स्ट्रीम है, जो राष्ट्रीय कौमी धुरी है, कभी भी अल्पसंख्यक उसके साथ चलने से पीछे नहीं था, लेकिन बदकिस्मती यह रही कि जो राष्ट्रीय कौमी धारा थी, जो मेन स्ट्रीम थी, वहीं अल्पसंख्यकों से किनारा करके निकल जाती थी, उसको शामिल ही नहीं होने देती थी। अब 10-15 सालों के बाद हालत कुछ बदली है और आपने देखा कि जब से कौमी धारा ने अल्पसंख्यकों से कतराकर निकलने का चलन छोड़ा है, तब से हर सतह पर, हर मैदान पर अल्पसंख्यकों ने अपनी योग्यता का सबूत दिया है। जहां तक हमारे देश की क्रिकेट टीम की बात है, पहले सिर्फ सेक्यूलर दिखाने के लिए, बड़ी मुश्किल से एक मुसलमान टीम में होता था और अब तीन-तीन, चार-चार लोग टीम में लिए जाते हैं यानी मेन स्ट्रीम अल्पसंख्यकों से कतरा के नहीं बह रही है और उनको साथ लेकर चल रही है। उसका फायदा देश को मिल रहा है। यह लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तुष्टीकरण किस का हुआ है? कभी तो आप ईमानदारी से बात करिए। मैं कहता हूं कि आजादी के बाद जब हमारे यहां आरक्षण लागू हुआ और अल्पसंख्यकों और तुष्टीकरण की बात आयी, तो उसके लिए आप या तो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं या फिर यूपीए पर आरोप लगाते हैं। आप और किस पर आरोप लगायेंगे, सरकार ही इन्हीं लोगों की है। जब शेड्यूल कास्ट्स के लिए आरक्षण दिया गया, तो संविधान में यह कहीं लिखा गया कि शेड्यूल कास्ट्स हिंदू होगा तभी यह माना जाएगा, लेकिन सरकार ने एक नोटीफिकेशन राष्ट्रपति से साइन कराके जारी कराया कि धोबी अगर हिंदू है, तो ही वह आरक्षण पाएगा, अगर मुसलमान या क्रिश्चियन है तो वह आरक्षण नहीं पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तुष्टीकरण इसी को कहते हैं? शेड्यूल कास्ट्स की सूची में इस तरह की 13 जातियां थीं, जिनको आज तक मुसलमान या क्रिश्चियन होने के कारण आरक्षण नहीं दिया गया। सिखों ने लड़ाई लड़कर अपना नाम इसमें जुड़वाया। बाद में श्री वी.पी. सिंह के समय में बुद्धिस्ट को भी इसमें शामिल किया गया। क्या यही तुष्टीकरण है कि आज तक मुसलमान धोबी शेड्यूल कास्ट नहीं है और हिंदू धोबी शेड्यूल कास्ट है? क्या इसी को आप तुष्टीकरण कहते हैं? महोदय, रात हो जाएगी, 12 बज जाएंगे, मैं जुबानी गिना सकता हूं और तुष्टीकरण की मिसाल आपको दे सकता हूं। अल्पसंख्यकवाद क्या है? आडवाणी जी ने भी यह कहकर रथयात्रा शुरू कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकवाद से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। क्या अल्पसंख्यकवाद यही है? आज सही मायने में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के वोट अगर देखे जाएं, तो उसको जितने वोट मिले हैं, उसमें मुसलमानों के वोट कितने हैं? कैबिनेट में उनका एक और ग्यारह का हिस्सा बनता है, अगर देश की आबादी के हिस्से से 13 प्रतिशत जोड़ा जाए, तो कैबिनेट में 13 प्रतिशत मुसलमान होने चालिए, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ दो ही है।

आप बंगाल की बात कर रहे थे। कांग्रेस के तीन एमपी, चाहे प्रणव मुखर्जी जी हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी जी हों और चाहे ए.बी. गनी खान चौधरी हों, तीनों भारी मुस्लिम आबादी

[श्री इलियास आजमी]

से, यहां तक कि मेजोरिटी कांस्टीच्युएंसी से जीतकर आए हैं, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ दो मुसलमान हैं। क्या यही अल्पसंख्यकवाद है? अभी 12 लोग राज्य सभा के लिए नामिनेट हुए हैं। वह सूची आप के जमाने में बनी थी। आपने उसको नहीं नामिनेट किया, जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, वे एक मुसलमान रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार चली गयी और एक मुसलमान नहीं तलाश कर पाए। क्या यही तुष्टीकरण है? 12 में से एक भी मुसलमान को इन्होंने शामिल नहीं किया। मैं सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। अगर तुष्टीकरण पर मुझको बोलना हो, अल्पसंख्यकवाद पर बोलना हो, तो 24 घंटे मैं बोल सकता हूं और मेरी मिसालें खत्म नहीं होंगी। तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। उनको पचास सालों से हर मैदान में पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। कभी तुष्टीकरण नहीं हुआ। ये शब्द गलत हैं, लेकिन आपने इनका इतना प्रचार किया, कभी हिटलर के जमाने में गोएवल्स का यह फार्मूला था कि झूठ को इतना ज्यादा बोलो, इतने बड़े पैमाने पर फैलाओं कि उसे दुनिया सच मान ले। आज भी वह सच होता है। तुष्टिकरण का लफ्ज आते ही हर आदमी समझ लेता है कि यह मुसलमानों की बात है। आप जब अल्पसंख्यकवाद की बात करते हैं तो हर आदमी समझ लेता है कि वह मुस्लिमवाद की बात है। अल्पसंख्यकवाद का यही मतलब है। आप राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं तो हर आदमी समझ लेता है कि आप मुसलमानों की शिनाख्त के दुश्मन हैं ताकि उनकी पहचान गुम हो जाए। हालांकि हमारा देश फुलवाड़ी और गुलदस्ता है। हमें सबसे ज्यादा फख्र इस बात पर है कि हमारे देश में हजारों नस्लें हैं, हजारों जुबानें बोली जाती हैं और सभी मजहबों को मानने वाले लोग हैं। यह केवल गुलाब की खेती नहीं है। यह फुलवाड़ी है, गुलदस्ता है। यही हमारी खूबी और खूबसूरती है। आपने अल्पसंख्यकवाद, तुष्टिकरण और राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने की बात कही। गलत इस्तलाह में सच्चाई छुप कर रह गई। मिस्त्री जी ने समाजवादी पार्टी के दोस्तों से कहा की आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक दो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें यह गलती करने की सलाह मत दीजिए। कांग्रेस के लोगों को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। मैं कहता हूं कि रथ यात्रा जम्हूरी हक है। वह उत्तर प्रदेश की धरती पर खूब दनदना कर निकालें। इंशा अल्लाह जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा पता लग जाएगा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चलती, इत्तफाक से एक बार उसमें खाना बन गया, अब हांडी जल जाएगी, खाना नही बनेगा। अब सब लोग समझ चुके हैं।

सभापति महोदया, मैंने कभी भी अपने निश्चित समय से ज्यादा समय नहीं लिया है। इससे पहले आप घंटी बजाएं, मैं एक बात कह कर खत्म करता हूं। मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरी ताईद के साथ इस विधेयक का समर्थन करती है। पहले वाले विधेयक की खामियों को दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसलिए मैं अर्जुन सिंह जी और फातमी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकवाद देता हूं। यह एक नई शुरुआत है। अगर आगे नीयत सही रही तो बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 जिसे राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और अब हम जिस विधेयक पर विचार कर रहे हैं, पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

विधेयक की विषय-वस्तु की बात करने से पहले, मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमने दिसम्बर, 2004 में इस विधेयक की संकल्पना पर विचार किया था और यह अधिनियम 6 जनवरी, 2005 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के लागू होने के केवल 8 महीने बाद अगस्त, 2005 में इसमें संशोधन करने पर विचार किया गया। इस अधिनियम पर 23 जनवरी, 2006 को अध्यादेश जारी किया गया और 16 फरवरी, 2006 को संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। जब तीन या चार सप्ताह बाद ही सत्र शुरू होना था तो इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता और तात्कालिकता थी? यदि मंत्री जी इस सभा को इस अध्यादेश को लाने की तात्कालिकता के बारे में बताएंगे तो मुझे खुशी होगी।

अपरा 4.00 बजे

इस विधेयक पर वर्ष 2004 में चर्चा की गई थी। चर्चा में मैंने भी भाग लिया था और मेरी अंतिम पंक्तियां यह थीं कि "इस विधेयक को जल्दबाजी में न लाइए"। पश्चिम बंगाल से वाम दल के माननीय सदस्य मो. सलीम ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए थे कि अधूरे मन से किसी विधेयक को न लाएं अथवा अध्यादेश को प्रख्यापित न करें या अधिनियम को लागू न करें क्योंकि आप बार-बार अध्यादेश लाएंगे और बार-बार संशोधन करेंगे।

मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं और न ही भविष्य के बारे में जानता हूं। मेरी आशंका यह है कि वर्तमान सरकार को नहीं तो किसी और सरकार को इसी वर्ष के भीतर इस विधेयक, जिसपर हम आज चर्चा कर रहे हैं, में और संशोधन करने की जरूरत पड़ सकती है।

यह अच्छी बात है कि अनुसूची, जिसमें छह विश्वविद्यालयों का नाम दिया गया था, को हटा दिया गया है। सर्वप्रथम, मैं यह कहूंगा कि बीजद इस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों की शिक्षा में उन्नति के हक में है। हम धार्मिक अल्पसंख्यक के उस वर्ग विशेषकर महिलाओं का समर्थन करते हैं जिन्हें पूरी तरह से पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया है और जिन्हें शिक्षा के अधिक अवसर नहीं मिलते हैं, अतः उनकी शिक्षा पर सर्वोच्च ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा गत अनेक वर्षों से नहीं किया जा रहा है।

परंतु साथ ही साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करना कोई गलती नहीं है। न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इस विचार से सहमत है। बल्कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को और अधिक सहायता व समर्थन दिया जाना चाहिए। हम इस विचार का समर्थन करते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा और अधिक सहायता दी जानी चाहिए।

साथ ही साथ बार-बार उठने वाले इस प्रश्न पर कि आखिर अल्पसंख्यक है कौन, संविधान मौन है। अनुच्छेद 30 में धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषायी अल्पसंख्यक दोनों का स्पष्ट उल्लेख है। जब भी इस देश में अधिनियम प्रख्यापित किया गया, जब इस सभा में कोई संशोधन अथवा विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो हमें धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषायी अल्पसंख्यक दोनों पर चर्चा करनी पड़ी है।

मैंने यह महसूस किया है कि, जैसाकि पिछली बार भी हुआ, इस सभा में भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या पर कभी चर्चा नहीं की जाती। संकुचित मानसिकता की वजह से विभिन्न पक्षों के सदस्य हमेशा धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में बात करते हैं। मैंने किसी को भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में बोलते हुए नहीं सुना है। मैं इस मुद्दे पर बाद में आऊंगा।

प्रारंभ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने की मंशा उदात्त है। परंतु जिस तरीके से इस विधेयक को लाया गया है उसका वास्तविक प्रयोजन क्या है? जैसाकि मैंने बताया है, यह विधेयक दिसंबर, 2004 में लाया गया, संशोधन अगस्त में आया और अध्यादेश जनवरी में लाया गया। इस बीच इसे स्थायी समिति को भेजा गया तथा अब यह संशोधन मार्च 2006 में लाया गया है। इससे सरकार की मंशा साफ जाहिर हो जाती है। इससे इस सभा में ही नहीं बल्कि सभा के बाहर भी अनेक लोगों को इस विधेयक को लाने के पीछे की मंशा के बारे में निन्दा करने का मौका मिल जाता है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के अनुसार आयोग यह निर्धारित करेगा कि कौन संस्था अल्पसंख्यक संस्था है। इस विधेयक को पढ़ने पर मैंने पाया और मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां यह उल्लिखित है कि, 'वर्ष 1992 से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम लागू है। एक राष्ट्रीय आयोग विद्यमान है जो यह निर्धारित करेगा कि कौन-सी संस्था अल्पसंख्यक संस्था है।

यदि अल्पसंख्यक आयोग इस बात का निर्धारण नहीं करता है तब यह मामला अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था संबंधी आयोग के पास आएगा। क्या यह निर्धारित करने के लिए कि कौन-सी संस्था अल्पसंख्यक संस्था है, हमारे देश में दो संस्थाएं होनी चाहिए? क्या इस विधेयक के माध्यम से मात्र अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था संबंधी आयोग ही यह निर्धारित करेगा कि कौन संस्था अल्पसंख्यक संस्था है? इससे दूसरा प्रश्न उठता है कि आप किस आधार पर किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था ठहराएंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति आवेदन के साथ आता है और दावा करता है कि : "मेरी संस्था अल्पसंख्यक संस्था है", तदनुसार इसे अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए। क्या कानून के आधार पर आपने कतिपय मानदंड व कतिपय दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं ताकि कोई अल्पसंख्यक संस्था यह स्थापित कर सके कि वह अल्पसंख्यक संस्था है? मानदंड क्या है? दिशा-निर्देश क्या है? नियम कहां है? मैं इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं पा रहा हूं।

मूल प्रश्न कि आखिर अल्पसंख्यक कौन है, अभी भी अनुत्तरित है। जैसाकि मैंने बताया है, दो तरह के अल्पसंख्यक हैं—भाषायी अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। यह विधेयक राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करता है। इस सभा में पहले ही यह विचार-विमर्श हो चुका है कि हमारा संघीय ढांचा है। शैक्षणिक संस्थाओं का निर्धारण व संचालन करने हेतु कतिपय दिशा-निर्देशों और कानून द्वारा राज्यों को शक्तियां प्रदान की गयी हैं। देश के संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है तथा इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हासिल करने की अनुमति दिए जाने की क्या मजबूरी है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सरकार हमें यह बता सकती है कि क्या यह जानने के लिए ऐसा कोई अध्ययन कराया गया है कि क्या ऐसे किसी संदस्य अथवा ऐसी किसी संस्था को उस राज्य के संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा रही है तथा ऐसे कितने उदाहरण सामने आए हैं कि यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है और संसद को कानून पारित करना पड़ रहा है? यह संबंधित राज्य का विशेषाधिकार है। राज्य को शैक्षणिक संस्था का संचालन करना चाहिए। विसंगति यह समवर्ती सूची का विषय है। विधेयक में प्रयोक्त जगह कहीं 'संस्थाएं'

[श्री भर्तृहरि मेहताब]

लिख गया है तो कभी कहा गया है कि उन्हें उस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, मान्यता प्राप्त करनी अपेक्षित है। इस प्रकार एक भाव पैदा किया जाता है कि 'संस्थाओं' का अर्थ मात्र उच्च शिक्षा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ मात्र उच्च शिक्षा से है स्कूली शिक्षा, माध्यमिक अथवा प्राथमिक से नहीं? सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य श्री मधुसूदन मिस्त्री ने कतिपय आंकड़े रखे हैं। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के आंकड़े दिए हैं। यदि यह विभिन्न विश्वविद्यालयों का मामला है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी संस्थाओं ने उस राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता अथवा मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है जिसे अस्वीकार कर दिया गया है अथवा विलम्ब किया गया है। कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस संबंध मुझे जानकारी दी जाती है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि इस देश में ईसाई समुदाय ने देश के हर कोने में शिक्षा के विस्तार हेतु महति सेवा की है। परन्तु साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि कहीं भी, इस समुदाय के एक भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ने कभी भी यह शिकायत नहीं की है कि उस राज्य के विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार ने उन्हें सम्बद्धता और मान्यता देने से मना किया है।

मैं पुनः यह बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने व उन्हें संचालित करने का अधिकार संविधान में उल्लिखित है। हम इसका समर्थन करते हैं तथा यह आवश्यक है कि सभी भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु उनको सहायता देने हेतु राज्य को मुख्य उत्तरदायित्व लेना चाहिए। यह विधेयक जहां एक ओर राज्य की शक्ति और शिक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करता है वहीं राष्ट्र के संघीय ढांचे को चुनौती भी देता है।

यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर वित्तपोषण कहां से हो रहा है। क्या इस आयोग को वित्तीय क्षमता निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? मैं इस विधेयक में कहीं नहीं देखता कि संस्था की वित्तीय क्षमता निर्धारण हेतु इसे शक्तियां प्राप्त हैं। मात्र राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है। यदि आप इस सभा में पुनः संशोधन लाते हैं तो यह सभा पुनः उस पर विचार करेगी परंतु ऐसी व्यवस्था वहां मौजूद नहीं है। ठीक इसी प्रकार, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह पता लगाए कि वह संगठन अथवा वह संस्था किस प्रकार से कार्य करती है।

दूसरे, इस विधेयक के अंतर्गत किस प्रकार के संस्थानों की स्थापना की जाएगी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अभियंत्रण, चिकित्सा और प्रबंध संस्थानों को विद्यमान कानून के अनुसार चलना होगा। ये सभी संस्थान इस आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं। यदि ऐसा है और केवल उच्च शिक्षा की बात करें, तो क्या कला, विज्ञान, वाणिज्य के सामान्य महाविद्यालय और इस प्रकार के उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाएंगे? मुझे नहीं पता ये कैसे संचालित होंगे।

संस्थानों के व्यवसायीकरण का भी उल्लेख किया गया है। मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं कृतज्ञ होऊंगा यदि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण कर सकें कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड रखा जाएगा। क्या इसका आधार अल्पसंख्यक छात्रों का प्रतिशत लेगा? यह विधेयक आरक्षण मानदंड के बारे में और अल्पसंख्यक संस्थानों के संचालन के बारे में कोई संकेत नहीं देता है।

अब, मैं भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करूंगा।

सभापति महोदय : अब, आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। आपके दल को केवल पांच मिनट दिए गए हैं। आपने 15 मिनट से ज्यादा समय लिए हैं। ठीक है, कृपया आप अपनी बात एक या दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि मेहताब : हमारे देश में भाषा एक प्रमुख कारक रहा है। भाषाई राज्यों का गठन किया गया है। साथ ही, हम सभी यह जानते हैं कि संबंधित राज्यों के कतिपय भाषाई अल्पसंख्यक हैं। ऐसा कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ है। ऐसा केरल और तमिलनाडु में हुआ है। ऐसा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुआ है। ऐसा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुआ है। पूरे देश में भाषाई अल्पसंख्यक हैं।

अब क्या होगा? यहां मुझे यह आशंका है कि जब किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का गठन किया जाता है और जब यह किसी अन्य राज्य से सम्बद्धता प्राप्त करता है, तो जब तक आप निर्धारित नहीं करते, इससे उक्त राज्य, उक्त स्थान और उक्त जिले में संघर्ष पैदा होगा। हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिसमें संघर्ष बढ़ेगा और कानून और व्यवस्था की स्थिति उक्त संबंधित राज्य का उत्तरदायित्व बन जाएगा, जिसका नियंत्रण करना उनके लिए कठिन होगा। इस अधिनियम का लाभ किसे मिलेगा? क्या इसका लाभ धनी लोगों

को मिलेगा। वे एक संस्थान का गठन कर उसे अल्पसंख्यक संस्थान का नाम देंगे और अन्य राज्य से सम्बद्धता और मान्यता प्राप्त कर लेंगे। इससे आवश्यक संघर्ष बढ़ेगा।

अतएव, महोदया, मेरा यह कहना है कि विधेयक नामांकन, आरक्षण और अल्पसंख्यक संस्थानों के वित्त पोषण के बारे में कुछ नहीं कहता है। आयोग को उक्त संस्थान में शिक्षा के मानक को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।...*(व्यवधान)* रोजगार के लिए भी मुझे स्मरण दिलाने के लिए धन्यवाद। हम अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ करने के समर्थक हैं। बल्कि उन्हें और प्रभावी और सुदृढ़ बनाया जाए। राज्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? आप अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य सरकार के माध्यम से आगे आने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? यदि राज्य सरकार सम्बद्धता देने से इंकार करती है अथवा उक्त संबंधित विश्वविद्यालय उक्त संस्थान को मान्यता या सम्बद्धता नहीं देता। केवल तभी आयोग हस्तक्षेप करेगा। मेरे विचार से केवल इसी तरीके से हम अपने देश की संघीय प्रवृत्ती को अक्षुण्ण रख सकते हैं। राज्य की शक्ति को भी मान्यता दी जाएगी और आयोग भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक के हितों का भी ध्यान रख सकता है।

परन्तु पहले मैंने कहा था, इस प्रकार के विधेयक के लिए शीघ्रता न करें। इस पर गंभीर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। मैं वाद-विवाद के पक्ष में नहीं हूं, परन्तु संबंधित इच्छुक समूह के बीच चर्चा अनिवार्य है। पुन: यह संशोधन इस तरीके से रखा गया है कि यह स्पष्टत: दर्शाता है कि, यह अनमने ढंग से किया गया प्रयास है। अध्यादेश इसको स्पष्टत: दर्शाता है। आज, मैं यह कहूंगा कि और संशोधन आयेंगे। मेरी यह आशंका है। इस विधेयक की मंशा अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करना नहीं है बल्कि राजनीति करना है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मैं इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उर्दू के एक शायर ने कहा है:

न सूरत बुरी है, न सीरत बुरी है,
बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है।

सभापति महोदया, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यू.पी.ए. सरकार जिस भावना से यह बिल लेकर आयी है, उस संदर्भ में मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। एक विदेशी विद्वान भारत यात्रा पर आया। जब वह वापस जाने लगा और जहाज पर सवार होने के लिये आया तो कई पत्रकार उसके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपको हिन्दुस्तान में सब से विचित्र क्या चीज लगी? वह विदेशी विद्वान लिखता है उसने सब जगह पूर्व में नागालैंड से लेकर पश्चिम गुजरात तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखा। मैंने लोगों से एक ही सवाल पूछा कि आप कौन हैं लेकिन किसी ने बताया कि वह कश्मीरी है, किसी ने पंजाबी बताया, किसी ने बंगाली बताया और उसके बाद जब जाति के आधार पर पूछा तो बताया कि वह ब्राह्मण है, या राजपूत है या हरिजन है या यादव है। इसके बाद जब उसने लोगों से धर्म के आधार पर पूछा तो अपने आपको किसी ने हिन्दू, किसी ने मुसलमान, किसी ने ईसाई बताया लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने यह नहीं बताया कि वह भारतीय है।

सभापति महोदया, आज समस्या इस बात की है कि हमारी पार्टी पर हर समय यह आरोप लगाया जाता है कि हम अल्पसंख्यकों का विरोध करते हैं। हम उनका विरोध करने वाले नहीं हैं। हम तो यह कहते हैं कि नागालैंड से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक देश है और इस देश के निवासी भारतीय हैं। वे चूंकि भारतीय हैं, इसलिये उन्हें वे सब अधिकार मिलने चाहिये। हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती रही है कि सबको न्याय और किसी को तुष्टीकरण नहीं सब को न्याय मिले जो इस देश के गरीब, शोषित, कमजोर, दुर्बल, चाहे किसी वर्ग, धर्म या जाति का हो, उसे उसका अधिकार मिलना चाहिये। लेकिन धर्म के नाम पर इस देश को बांटना, बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद – यह नई शब्दावली हम देश के विभाजन के रूप में देख चुके हैं। 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गये और पाकिस्तान बन गया। साम्प्रदायिकता के नाम पर, अल्पसंख्यवाद के नाम पर दूसरे नेताओं के नाम पर भारत का विभाजन हो गया जब कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी लाश पर पाकिस्तान बनेगा। देश ने विभाजन का कड़वा फल चखा। आज इतने वर्षों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में उल्टा-पुल्टा चलने वाली यूपीए सरकार जब से सत्ता में आई है, उसकी हमेशा से नीति रही है कि अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की नीति को सर्वोपरि स्थान देते हुए समाज को बांटे और समाज में भेद की खाई पैदा करे। अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के आधार पर वोट बैंक का निर्धारण करने की जब से प्रवृत्ति चली है, तब से देश पतन की ओर जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन में साफ कहना चाहता हूं कि इस समय राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम नेशनल

[प्रो. रासा सिंह रावत]

इंटीग्रेशन और इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। वह एकता कैसे आएगी अगर समाज को बांटा जाएगा – कभी शिक्षा के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर, कभी युनिवर्सिटीज के नाम पर या और किसी नाम पर। परिणामस्वरूप हमारा समाज कहां जाएगा, हमारा देश कहां जाएगा?

महोदया, एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर हजारों पक्षी रहा करते थे। मैं फातमी साहब को बताना चाहता हूं कि एक अज्ञानी व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसके हाथ में कैरोसीन का पीपा था और माचिस जेब में थी। उसको अज्ञानता का भूत सवार हुआ। उसने मिट्टी का तेल पेड़ पर छिड़क दिया और माचिस से पेड़ को आग लगा दी। पेड़ धू-धू कर जलने लगा और सारे पक्षी चीं-चीं करने लगे। सभी पक्षी जलने लगे और मरने लगे। उसी समय एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। उसने कहा–

"आग लगी इस पेड़ को, जलने लग गए पात
तुम क्यों जलते परोक्षन्जी, पंख तुम्हारे पास।"

इस पेड़ को आग लग गई है और इसके पत्ते जलने लगे हैं। तुम क्यों जलते हो, चल उड़ जा रे पंछी। उस समय आप जैसा कोई समझदार पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा था। उसने कहा–

"फल खाए इस पेड़ के गन्दे कीने पात
यही हमारा धरम है, जलें इसी के साथ।"

हमारी मातृभूमि, हमारा भारतवर्ष ऋषि-मुनियों का देश है, राणा और रसखान का देश है, कबीर और नानकजी का देश है, सूर और तुलसी का देश है, राम और कृष्ण का देश है, गौतम और महावीर का देश है। इस देश के अंदर आजादी के इतने वर्षों बाद अगर हम समाज को बांटने के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर या बहुसंख्यकों के नाम पर अगर ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा करते रहेंगे, विष-वमन करते रहेंगे तो देश कहां जाएगा?....*(व्यवधान)* महोदया, मुझे मेरी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : देखिए, इस उम्र में भी ताकत से बोल रहे हैं। जरा सुनिये।

डॉ. रासा सिंह रावत : महोदया, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में मानवाधिकार आयोग बना हुआ है। हम सब मानव हैं और यदि कोई भी परेशानी या समस्या हो तो वह उस आयोग के सामने रखी जा सकती है। सारे देश में उसका कार्यक्षेत्र है। फिर आगे बढ़ें तो अल्पसंख्यक आयोग बन गया। अच्छी बात है। समाज के तथाकथित अल्पसंख्यक इनकी परिभाषा में शिक्षा की दृष्टि से या और दृष्टियों से पिछड़े हुए हैं, इससे उनका कल्याण होगा। कल्याण से कोई इंकार नहीं करता। अगर ये उनका कल्याण चाहते हैं तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मदरसों के अंदर कंप्यूटर पढ़ाने की व्यवस्था हो, विज्ञान और गणित पढ़ाने की व्यवस्था हो और उसके लिए एक करोड़ रुपये भी दिये जाते तो हम मानते कि सरकार वास्तव में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना चाहती है। लेकिन उसके स्थान पर अल्पसंख्यक आयोग बना और अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था आयोग बना रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कैसे अल्पसंख्यकवाद देश में एक खाई पैदा करने की ओर बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश में नौकरियों के मामले में पहले एक समुदाय विशेष को आरक्षण प्रदान किया गया। हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ निर्णय दिया। फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण प्रदान किया गया। सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उन्होंने शुरू में कहा था जब राष्ट्रीय चेतना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई थी। एक राष्ट्रवादी मुसलमान होने के नाते उन्होंने जो कहा था, मैं उसको क्वोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था–"अपने सहपाठियों को यह परामर्श देने में मैंने कोई झिझक नहीं दिखाई कि वे अपने आपको हिन्दू कहे जाने दें।" क्योंकि उनके अनुसार हिन्दू शब्द का तात्पर्य हिन्दुस्तान के निवासियों से है जो हिन्दू, मुसलमानों तथा अन्य लोगों की संतुष्टि है।

हां, सर सैयद अहमद खां ने इसी बात की पुष्टि करते हुए अपनी पुस्तक में लिखा और समर्थन किया है। सर सैयद अहमद खां ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक सुंदर वधु की दो आंखें कहा था और अब उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि नहीं केंद्र सरकार के कोष से जनता की गाढ़ी कमाई का, खून का पसीना बना कर कमाए पैसे से टैक्स दिया जाता है, वह पैसा वहां पर लगता है। सबके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए, लेकिन सरकार उसका अल्पसंख्यक स्वरूप तय करने के लिए कोई और कानून बनाने जा रही है और बना रही है। यह स्थिति बताती है कि देश कहां जा रहा है। इसी प्रकार की असम की बात है। असम में बंगलादेश से भारी संख्या में घुसपैठिए घुस आए हैं। शरणार्थी का प्रकरण हुआ। संसद के अंदर कानून बनाकर कोर्ट के फैसलों को भी बदल दिया। एक तरफ कहते हैं कि हम कोर्ट का

आदर करते हैं। कोर्ट के फैसले में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा, आंध्र हाईकोर्ट ने क्या कहा, असम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अभी यूसी बनर्जी समिति की रिपोर्ट रखी जा रही है। सच्चर समिति के माध्यम से, महोदया, सेना, जो राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है और सेना का हर जवान चाहे किसी भी धर्म या किसी भी मजहब को मानने वाला हो, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। चाहे अब्दुल हमीद हो, कर्नल उस्मान हो, नीकम्मल हो, शैतान सिंह कोई भी हो। देश के लिए, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। वहां पर भी गिनती हो रही है और सच्चर समिति बनाकर सेना में फूट की खाई बनाई जा रही है। इस अलगाववाद के खिलाफ यह भारतीय जनता पार्टी है, जिसके कारण ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। मंदिरों के अंदर विस्फोट होने लगे हैं। संकट मोचन मंदिर में विस्फोट हुआ, जहां हम राष्ट्र का संकट दूर करने की कामना करते थे। देश में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, एकात्मकता की भावना पैदा हो, हम ऐसी कामना करते थे। हम पहले भारतीय हैं। यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूं, अगर यह भावना जनता में आ जाए, तो फिर कोई बेटा मातृभूमि को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोचेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय एकता यात्रा निकालने का निश्चय किया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अभी श्री मिस्त्री साहब ने बहुत से आंकड़े अल्पसंख्यकों के बारे में पेश किए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 50-55 सालों में से हमने सिर्फ 5-6 साल राज किया। बाकी वर्षों में कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें थीं और अल्पसंख्यकों को वोट बैंक मान कर और उनका कोरा उपयोग करते रहे। शिक्षा से, रोजगार से जनता को निरंतर वंचित करते रहे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन हालात के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है।

महोदया, अब मैं इस बिल की ओर आना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की थी। मैं कांग्रेसी बंधुओं को याद दिलाना चाहता हूं कि 1986 में राजीव गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए समान हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो और शिक्षा तक सबकी पहुंच हो। लेकिन इस बिल के अंदर उन सभी बातों को भुला दिया गया है। सिद्धांतों को अलग कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि केरल के अंदर और कर्नाटक के अंदर सर्वाधिक अल्पसंख्यकों की संस्थाएं हैं। चाहे मुसलमान बंधुओं की संस्थाएं हों, चाहे ईसाई बंधुओं की संस्थाएं हों, लेकिन उन संस्थाओं में आज तक किसी की एफिलिएशन के बारे में अथवा एफिलिएशन के बारे में कोई समीक्षा या शिकायत अल्पसंख्यक आयोग को प्राप्त हुई हो, तो आप बता सकते हैं। मैं इन लोगों को चैलेंज देता हूं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी।

महोदया, मैं राजस्थान में रहता हूं। वहां अजमेर शरीफ है, वहां ख्वाजा साहब की दरगाह है, जहां सारी दुनिया के लोग माथा टेकने आते हैं। चिश्ती ने जिस जगह पर पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस धरती पर चहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) आप पानी पी-पी कर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भाषण क्यों दे रहे हैं?

प्रो. रामा सिंह राव : हम खिलाफ कहां बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक मति, एक गति, एक रीति और एक नीति हो।

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप जैसी बुलन्द आवाज, सब की नहीं होती।

प्रो. रामा सिंह राव : महोदया, जैसी होगी दृष्टि, वैसी होगी सृष्टि। यदि सबके लिए, सब को न्याय और किसी को तुष्टीकरण नहीं हो, तो कोई शिकायत ही नहीं है। मैं कहना चाहता था कि कोई राजस्थान की अल्पसंख्यक संस्था है, यदि वह पंजाब से अपनी संस्था को एफीलिएट कराना चाहती है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या बिगाड़ा है? पहले वहां की यूनिवर्सिटी नाराज होगी, फिर वहां की गवर्नमेंट नाराज होगी, क्योंकि वे पंजाब से एफीलिएशन लेना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जिस राज्य में जो संस्थाएं हों, यदि वहां का अच्छा वातावरण है, वहां की शिक्षा अच्छी है, सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहीं से एफीलिएशन होना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बिल में एक बात है, जब 93वां संशोधन हुआ, तो भारत सरकार ने, यू.पी.ए. गवर्नमेंट ने और हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट संस्थाओं में भी 25 परसेंट या एस.सी., एस.टी. के लिए निर्धारित ओ.बी.सी. के लिए निर्धारित या कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित, आरक्षण प्राप्त हो। उस आरक्षण से माइनारिटी की तथाकथित संस्थाओं को अलग करने के लिए और दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, यह आरक्षण नहीं देना पड़े। इसलिए उनका अधिकार छीन लिया गया और माइनारिटी के लिए यह अलग से बिल ले आया गया है ताकि माइनारिटी में जो बड़े-बड़े सेठ हैं, ऐसी संस्थाएं स्थापित कर के, फीसों का सुख उठा सकें।

[श्री. रासा सिंह रावत]

माननीय इसमें एक एन.ओ.सी. की बात है। एन.ओ.सी. तो चाहे माइनॉरिटी की संस्था हो या कोई संस्था हो, सभी को एन.ओ.सी. प्राप्त करने में समय लगता है। हम भी प्रार्थनापत्र देते हैं, उसके लिए बकायदा ए.आई.एस.टी.ई. अथवा मेडिकल की संस्था हो, इंजीनियरिंग की संस्था हो, बी.एड. की अलग, इंडियन मेडिकल कौंसिल अलग और भी दूसरी संस्थाएं बनी हुई हैं, वे जांच करती हैं और जांच कर के वे इन संस्थाओं को एन.ओ.सी. देती हैं। कौन सी ऐसी राज्य सरकार है या कौन सा ऐसा संगठन है, जो 60 दिन के अंदर एन.ओ.सी. दे सके? 60 दिन में कोई नहीं दे सकता। लेकिन इसमें लिखा है कि 60 दिन में न दे, तो मान लो कि दे दिया और वे एफीलिएशन की सीधी कार्रवाई कर सकते हैं। एन.ओ.सी. का सरलीकरण हो, यह हम भी चाहते हैं, लेकिन सभी संस्थाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, चाहे वह माइनॉरिटी की हो, मैजोरिटी की हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, नॉन एडेड हो, चाहे जिस समाज की हो, सभी संस्थाओं को एन.ओ.सी. में सरलीकरण हो, इसमें एन.ओ.सी. के सरलीकरण की बात तो नहीं की गई, बल्कि यह कह दिया गया कि यदि 60 दिन में एन.ओ.सी. नहीं मिले, तो एफीलिएशन की कार्रवाई कर दी जाए।

महोदया, दक्षिण भारत में, केरल में टैक्नीकल एवं मेडिकल लाइन की अनेक संस्थाएं हैं। बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कालेज खुले हुए हैं। मुंशी जी, बंगाल में कम हैं, लेकिन हमारे और आपके बच्चे जब दक्षिण में जाते हैं, तो हमें असलियत का पता चलता है। जब वहां एस्टीमेट कमेटी जाती है, तो वह देखती है कि ए.आई.सी.टी.ई. के नॉर्म्स के अनुसार जो संस्थाएं सभी कायदे-कानूनों को फुल-फिल करती हैं, उन्हें मान्यता दी। उसकी शर्तों का पालन किया या नहीं, उन सबको देख कर उन्हें मान्यता या एफीलिएशन प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर यह शॉर्टकट है। फातमी जी, मैं क्षमा चाहूंगा, जो भी सरकार के लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अल्पसंख्यकों के साथ, छलावा करना बन्द करें और अल्पसंख्यकों का यदि उत्थान करना है, तो उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। वे एक राम हो जाएं। जैसे दूध और पानी मिलते हैं, दूध में जब पानी गिरता है, तो दूध और पानी समान हो जाते हैं। दूध को जब आग पर चढ़ाते हैं, तो पानी पहले जलता है और दूध को जलने नहीं देता। ऐसे ही दूध और पानी की तरह, सारे अल्पसंख्यक, भारतीय हो जाएं, राष्ट्रीयता का उद्घोष करें, तब जाकर अल्पसंख्यकवाद की बीमारी दूर हो सकती है।

महोदया, हम भी चाहते हैं कि कमजोरों का उत्थान हो, हम भी चाहते हैं कि सब को शिक्षा मिले। कौन नहीं चाहेगा कि सभी वर्गों की उन्नति हो। सलीम साहब, सभी चाहते हैं कि देश में रहने वाले सभी वर्गों को शिक्षा मिले, उनकी उन्नति हो, लेकिन सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। इनकी लगातार वोट बैंक पर नजर रहती है। ऐसे-ऐसे कानून बना देना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पता ही नहीं लगता, कहां की ईंट, कहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं तो हैरान हो गया हूं कि आप जैसे आदमी के रहते हुए भी सुदर्शन जी कैसे सरसंघचालक हो गये, मालूम नहीं होता।

श्री. रासा सिंह रावत : एक बात और है, आपकी आज्ञा से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक संस्था आयोग का यह जो संशोधन है, यह संस्था आयोग बने हुए लगभग एक साल हो गया, जो भी मंत्री सरकार की तरफ से अभी उत्तर दे, अगर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उत्तर दें तो यह बतायें कि एक साल के अन्दर माइनोरिटी स्टेटस कितनी संस्थाओं को आपके इस आयोग ने प्रदान किया? माइनोरिटी स्टेटस प्राप्त करने के लिए कितनी संस्थाओं ने आपके आयोग के सामने एप्लाई किया? स्टेटस प्राप्त करने वाली संस्थाओं के आर्थिक घाटे के लिए और फंडिंग के लिए आपने क्या व्यवस्था की? हम लोगों को जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार थी और मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, आप पहले तीन करोड़ रुपये कांग्रेस के जमाने में, नरसिंहराव जी के जमाने में खर्च करते थे, हमने उसे 10 करोड़ रुपये दिये। आपने अभी केवल तीन करोड़ रुपये बढ़ाये, जबकि हमने तीन करोड़ के दस करोड़ रुपये किये। इन्होंने उसमें तीन करोड़ रुपये और बढ़ाकर 13 करोड़ रुपये किये। मगर के आंसू बहाने वाले अल्पसंख्यकों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति पर देश को चलाने वाले समाज में खाई पैदा करने के लिए यू.पी.ए. की सरकार ऐसी तुष्टीकरण की नीतियों को छोड़कर राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का हित, राष्ट्र नागरिक एकात्मकता को सोचकर कल्याण की बात करे।

हार्दिक धन्यवाद। मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. अब्दुल रशीद (पेरियाकुलम) : सभापति महोदया, मैं आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

हमारे संप्रग की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी के मार्ग दर्शन और डा. मनमोहन सिंह और मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह के कुशल नेतृत्व में संप्रग सरकार इस विधेयक को अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक संस्थाओं के कल्याणार्थ लाई है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

सरकार इस विधेयक को सही मंशा यानि अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए लाई है। उस तरह नहीं जिस तरह से प्रो. रासा सिंह रावत ने कहा। कांग्रेस के लोग वोट के लिए ऐसा नहीं करते। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे हैं। तमिल में एक कहावत है कि धर्म के नाम पर कोई देश एक नहीं होता है। यदि ऐसी बात है तो दो पाकिस्तान, दो जर्मनी और दो वियतनाम नहीं होते, इसलिए केवल धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत ही एक देश अक्षुण रह सकता है। यही बात है कि हम एक हैं और यही संदेश मेरे नेता का इन राजग के लोगों के लिए है।

भारत के दक्षिण भाग में मुसलमान कुछ पढ़े-लिखे हैं जबकि उत्तरी भाग विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अवसर नहीं मिल पाये हैं। अल्पसंख्यकों को स्कूलों में भर्ती नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को यहां तक होटलों में भी ठहरने नहीं दिया जाता है, हाल ही में, मैं, गुजरात गया था। वहां होटल के स्वागत कक्ष में जब मैंने अपना नाम 'आरुन रशीद' लिखा तो मुझे स्वागतकर्ता ने कहा 'आरुन रशीद' के नाम से अपना नाम न लिखें। आप अपना नाम 'अरुण' लिखिए और तब ही हम आपको कमरा देंगे।'' मैंने अपना नाम 'अरुण' लिखा और इस तरह से मैंने एक रूम बुक कराया, भाजपा शासित गुजरात जैसे राज्यों में यह स्थिति है। यह इस देश के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से जीते हैं। यह शर्म का मामला है कि आप इस बात को नहीं मान पाये हैं।...*(व्यवधान)*

मो. सलीम : क्या यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है?

श्री खारवेल स्वाईं : यह वोट बैंक की राजनीति नहीं है।... *(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद : आप लोगों के लिए यह शर्म की बात है क्योंकि आप राज्य में शासन कर रहे हैं। वहां रह रहे मुसलमान समृद्ध नहीं हैं; मुसलमाल वहां डरके रह रहे हैं।

इसाई समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं दे रहा है। तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों के 600 शैक्षिक संस्थान हैं। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री से इन संस्थाओं को और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि वे प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कक्षाओं के लिय कमरे आदि जैसी अपनी अवसंरचना का विकास कर सकें। इन अल्पसंख्यक संस्थाओं के शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है। जब इन संस्थाओं को चलाने वाले लोग सरकार से सम्पर्क करते हैं तो उनसे संबंधित अल्पसंख्यक संस्थाओं से इस आशय के पत्र के लिए पूछा जाता कि वे राज्य सरकार से कोई अनुदान नहीं लेंगे और तब जाकर वे उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र देते हैं।

संप्रग सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए नये दिशानिर्देश लेकर आई है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित प्रमाण-पत्र को आवेदन करने के छह दिनों के अंतर्गत जारी कर दिया जाए। सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि न तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है और ना ही आवेदक को इस अवधि के भीतर कोई सूचना दी जाती है तो आवेदक अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य कदम है। इस तरह के उपाय देश में अल्पसंख्यकों के विश्वास को आवश्यक प्रोत्साहन ही देंगे। संप्रग सरकार अल्पसंख्यको के कल्याणार्थ बहुत अच्छा कार्य कर रही है।

अल्पसंख्यक संस्थाएं देश में छह विश्वविद्यालयों यथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय, नागालैण्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय आदि में से अपनी इच्छा किसी भी संस्था से सम्बद्धता ले सकते हैं। बेहतर परिलब्धियों की तलाश में अन्य संस्थाओं में जाने वाले अल्पसंख्यक संस्थाओं के अध्यापकों की संरक्षा की जानी चाहिए। सरकार को इन अध्यापकों को उचित वेतन देना चाहिए। सरकार को उनकी अवसंरचना और शिक्षा स्तर का विकास करके इन संस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए।

मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि विधेयक से ''भाषाई अल्पसंख्यक'' शब्द को हटा देना चाहिए। विपक्ष से मेरे मित्रों ने भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है। मैं तमिल हूं। जब मैं केरल या मध्य प्रदेश जाता हूं तो मैं इन राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाता हूं। इसी प्रकार से एक राज्य का बहुमत वाला आदमी कुछ अन्य राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक हो जाता है। यदि आप भाषाई अल्पसंख्यक के नाम पर संस्थाएं शुरू करने देते हैं तो बहुमत समुदाय के हमारे भाइयों को लाभ मिलेगा न कि अल्पसंख्यकों को। इसलिए, मानव संसाधन मंत्री से मेरी ईमानदारीपूर्ण अपील है कि ''भाषाई'' शब्द हटा देना चाहिए।

[श्री के.एच. आबन रशीद]

श्री येदुरप्पा सहित विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भाजपा अल्पसंख्यक के पक्ष में कहा था। 'भाजपा' शब्द राजग के लोगों का गुप्त एजेन्डा है। इस शब्द को हटाना चाहिए। जब यह शब्द हटा लिया जाएगा तो इस राजग का वास्तविक फल मुसलमान, इसाई, सीख, जैन और अन्य छोटे-छोटे अल्पसंख्यक समुदायों को मिलेगा।

श्रीमती केसरिनली पोरेडेस (कन्नकपुरा) : कुछ राज्यों में हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं। जम्मू और कश्मीर में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं।

श्री के.एच. आबन रशीद : अन्य समुदाय छोटे-छोटे समुदाय हैं। मैं पांच समुदाय ही प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय हूं।

जो संस्थाएं बहुमत समुदाय के लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें अल्पसंख्यक छात्रों को कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। राजग के छह वर्ष के शासन के दौरान उन्होंने केन्द्रीय विद्यालयों में एक अल्पसंख्यक छात्र को भी प्रवेश नहीं दिया है। उन्होंने केन्द्रीय विद्यालयों को भाजपा के विद्यालय बना दिया है। उन्होंने इन विद्यालयों का भगवाकरण कर दिया था।

[हिन्दी]

ए फॉर एप्पल की जगह खुश और सिखा दिया, बी फॉर बॉल की जगह खुश और सिखा दिया, सी फॉर चोकलेट की जगह खुश और सिखा दिया, ई फॉर इनीड की जगह खुश और सिखा दिया। इन लोगों ने बच्चों के दिमाग में दूसरी चीजें घुसा दीं।

[अनुवाद]

इस सरकार के सत्ता की बागडोर संभालने के बाद शिक्षा प्रणाली से ऐसी बाधाएं दूर कर दी गई हैं। माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष महोदया सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शैक्षिक प्रणाली में समानतावादी विचारों का सूत्रपात किया गया है। सरकार अल्पसंख्यक समुदायों को यह अच्छा संदेश दे रही है कि संप्रग सरकार इन कठिन क्षणों में अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है।

यह सभी देश में सांप्रदायिक झगड़े और सामाजिक अशांति को लेकर चिन्तित होते हैं, जो कुछ गैर राग यात्राओं पर जाने की बात करते हैं। आडवाणी जी ने कहा है कि वह रथ यात्रा निकालेंगे। तत्काल ही राजनाथ सिंह ने कहा है कि वह भी रथ यात्रा पर जाएंगे। इन रथ यात्राओं से देश की एकता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मैं सरकार से इन रथ यात्राओं को रोकने और देश में सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

सम्मुनल हार्मनी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

विपक्ष के सदस्यों को जलियांवाला बाग की घटना को नहीं भूलना चाहिए।

[हिन्दी]

आजादी के समय हजारों मुसलमानों ने अपने खून दिए। इसे नहीं भूलना चाहिए। अब्दुल हमीद साहब को नहीं भूलना चाहिए। ये लोग जलियांवाला बाग को भूल गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी को स्पेशल स्टेट्स देना चाहिए।

[अनुवाद]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सईद साहेब ने इस संस्था को स्थापित करने के लिए घूम-घूम कर धनराशि एकत्रित की थी तथा पूरे देश से चंदा लिया था। परंतु ब्रिटिश शासन मात्र एक आदेश जारी करके इस संस्थान को अस्तित्व में लाया था। धनराशि मुस्लिम समुदाय द्वारा खर्च की गई है। अतः, मैं सरकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को विशेष दर्जा देने का अनुरोध करता हूं। अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, बस्ते और वर्दी जैसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। 86वें संविधान (संशोधन) विधेयक में 6 से 14 वर्ष की आयु के ग्रामीण बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। मौलिक अधिकारों को बहाल किया जाना चाहिए और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूल जाने वाली अल्पसंख्यक मुस्लिम बालिकाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अध्यापिकाओं की भर्ती की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

केंद्रीय विद्यालयों में सरकार द्वारा कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां 15 और 7.5 प्रतिशत

आरक्षण है उन केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में और अल्पसंख्यकों का प्रवेश सुनिश्चित करें। इसी प्रकार, सरकार केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु अल्पसंख्यकों को कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण दे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत लगभग 750 आवासीय विद्यालय हैं।

सभापति महोदया : कृपया विधेयक पर बोलिए।

श्री पी.एम. अब्दुल रशीद : अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत और अधिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। अल्पसंख्यक लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये। प्रतिभावान विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेजों आदि में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदया : कृपया समाप्त करें। आपने सभी बातें रख दी हैं।

श्री पी.एम. अब्दुल रशीद : मैं वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहले अनेक वक्फ बोर्ड विद्यालयों को राज्य सरकारों द्वारा चलाया गया था अथवा उनकी निगरानी की जाती थी। प्रत्येक वक्फ बोर्ड विद्यालय में 1500 से 2000 विद्यार्थी थे। परंतु पढ़ाई छोड़ने के कारण इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक अन्य विद्यालयों में जा रहे हैं। अत:, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वक्फ बोर्डों की निगरानी केंद्रीय एजेंसी द्वारा कराई जानी चाहिए।

मैं पुन: अनुरोध करता हूं कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों के शैक्षिक स्तर में सुधार लाएगा और वे कंप्यूटर इंजीनियर, साफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस आदि बनेंगे। अल्पसंख्यक मुस्लिमों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें शैक्षिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। यहां मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से संप्रग सरकार और इसकी अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी के पीछे चलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया : इसके बाद, प्रत्येक सदस्य को केवल पांच मिनट मिलेंगे।

श्री टी.के. हमजा।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी) : सभापति महोदया, इस विधेयक के संबंध में कुछ शब्द बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 और इस संशोधन में विधेयक, 2006 का मूल उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना और उनका प्रशासन चलाना है।

पूरे विश्व में अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं। भारत में यह एक गंभीर समस्या है। हमारे देश में छोटे-बड़े दोनों ही प्रकार के बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। इस बात को हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा महसूस किया गया और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए संविधान में कतिपय अनुच्छेदों का उपबंध किया। वास्तव में, हमारे देश में अल्पसंख्यक ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा किए बिना, वे कभी भी भारतीय समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। भारत में सभी अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की संख्या सबसे अधिक है। इस अल्पसंख्यक समुदाय में अधिकांश व्यक्ति गरीब और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

इसलिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए इस कानून को लाया जाना आवश्यक है। परंतु शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने के अधिकार देने वाले ऐसे कानूनों को लागू करते समय विशेष लाभों का दुरुपयोग किए जाने की बहुत संभावना है। मैं इसके बारे में एक उदाहरण देता हूं। इस विधेयक खंड 10(1), अध्याय तीन कहता है:-

> "अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का इच्छुक कोई व्यक्ति अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।"

मेरा निवेदन यह है कि "अल्पसंख्यक" एक समुदाय है न कि एक व्यक्ति। जब एक व्यक्ति को एक शैक्षिक संस्थान स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, तो संभव है कि कानून का दुरुपयोग किया जाए और इसे शोषण करने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। अत: हमारे लिए इस विधेयक में उपबंधों के दुरुपयोग के विरुद्ध बचाव वाले खंडों को जरूर रखना चाहिए।

हमारा अपने राज्य केरल में कड़वा अनुभव रहा है। तीन वर्ष पूर्व, जिस समय माननीय श्री ए.के. एंटनी मुख्यमंत्री थे, उस समय

[श्री टी.के. हमजा]

सरकार ने तकनीकी अध्ययन सहित शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका संचालन करने के लिए सभी इच्छुक लोगों को स्व-वित्तपोषित संस्थान के रूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया था। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय सरकार और प्रबंधन के बीच यह तय था कि 50 प्रतिशत सीटों को योग्यता के आधार पर भरा जायेगा और शेष 50 प्रतिशत सीटों को भुगतान सीटों के रूप में भरा जायेगा। किन्तु अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बाद, जब संस्थानों ने कार्य करना आरंभ कर दिया तो प्रबंधन ने उक्त सूत्र का अनुपालन नहीं किया और उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि वे संस्थानों की स्थापना के लिए निवेश कर रहे हैं और उनके पास अपनी इच्छानुसार छात्रों से फीस वसूलने की पर्याप्त शक्ति है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र में बचाव पक्ष में कोई खण्ड अथवा समुचित कानूनों के अभाव में सरकार न्यायालय में विफल हो गई।

इसलिए, मैं कहता हूं कि यदि 'अन्य व्यक्ति' की अवधारणा को स्वीकार किया जाता है तो समाज में सुदृढ़ वित्तीय रसूख वाले व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि इन संस्थानों में 50 प्रतिशत सीटों को अल्पसंख्यकों विशेषकर समाज के निर्धन वर्गों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। तभी वह संस्थान अल्पसंख्यक संस्थानों के विशेषाधिकार और अधिकारों का लाभ उठा पायेगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस आयोग के बनने से हिन्दुस्तान के तमाम अकलियत भाई खुश हुए हैं। अभी हमारे कुछ सम्मानीय सदस्य जो बात कह रहे थे, वह सत्य है। इससे पहले भी सदन में कई बार चर्चा हुई है कि क्या कारण है कि हमारे मुसलमान भाई, जो पहले सर्विसेज में 30-35 परसेंट थे, वर्तमान समय में केवल एक या दो परसेंट हैं। इसका क्या कारण है, यह हमें सोचना पड़ेगा। मैं यूपीए के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाकर एक बहुत बड़ा काम किया।

ऐसा करके अल्पसंख्यक भाइयों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। यूपीए सरकार ने कम से कम यह सोचा है कि इनके लिए हमें कुछ करना है। अभी जब मैं इस बजट सत्र में बोल रहा था तो मैंने देखा कि केवल मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान पिछली बार था और इस बार बढ़ाकर केवल दो सौ करोड़ किया गया है जबकि एक हजार करोड़ रुपये की डिमांड थी लेकिन केवल दो सौ करोड़ किया गया है। यह बहुत कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से फातमी जी से कहना चाहूंगा, वह हमारे मित्र भी हैं और दोस्त भी हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के बारे में गंभीरता से वह सोचें और बजट बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी से बात करें।

दूसरी बात 11 नवम्बर, 2004 को उद्घोषित अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान का आयोग बनाने की जो घोषणा की, उसके लिए मैं यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन संवैधानिक अधिकार इस आयोग को मिलने चाहिए। हमारे देश में एससीएसटी आयोग है लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है जिसका कारण यह है कि कोई भी मामला उस आयोग में जाता है तो उस पर गंभीरता से सुनवाई नहीं होती है। इसलिए यह आयोग जब बनाया जा रहा है तो संवैधानिक अधिकार जैसे चुनाव आयोग को दिये गये हैं, वैसे ही अधिकार इस आयोग को देने की बात यहां पर होनी चाहिए।

तीसरी बात, इस आयोग में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से उल्लंघन संबंधी जो शिकायतें हैं, उन पर गंभीरता से इस आयोग में विचार-विमर्श किया जाए और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ इसे सम्बद्ध करने की जो बात है, यह बहुत अच्छी बात है, खासकर इस आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य मिलकर काम करने की जो शुरुआत हुई है, यह बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि जैसे-जैसे इसका विस्तार हो, कम से कम इसमें सदस्य बोर्ड की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। जब मैं समाचार-पत्र पढ़ रहा था और जब इस आयोग के बनाने की बात आई तो मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक मंत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो तमाम हमारे साथी उछल पड़ेंगे, उन्होंने कहा कि इस आयोग को बनाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब वह मंत्री थे तब पूरे सिलैबस का भगवाकरण हुआ। उसका भी जबर्दस्त पूरे देश में विरोध हुआ था तो मैं उनसे यह कहूंगा कि वह इस आयोग के सामने टिप्पणी करें तो सोच-समझकर उन्हें टिप्पणी करनी चाहिए कि कम से कम यूपीए सरकार ने शुरुआत तो की है।

जहां तक आयोग को बनाने का जो मेन मकसद था कि इसमें शिक्षा की बेहतरी को नया वादा-आयाम बनाने के लिए कहा गया है। इस आयोग के बनने से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आएगा और अल्पसंख्यकों को जो वादे यूपीए सरकार ने दिए थे, उन्हें निभाने की

बात कही गई है। खासकर संविधान की धारा 30 में इस बात का उल्लेख है कि स्वेच्छा से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की सबको इजाजत है और इसलिए इस आयोग का बहुत महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे अल्पसंख्यकों को आगे आने का मौका मिलेगा और जो यह आयोग बनाने की बात आई है, तमाम साथियों ने आशंका जताई है कि इससे अलगाववाद और भावनात्मक दूरियां बढ़ेंगी। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा कहना बीमार मानसिकता का परिचायक है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए खासकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आज हम देखें तो पाएंगे कि मुस्लिम आबादी का औसतन 60 प्रतिशत हिस्सा अशिक्षित है और शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो पाएंगे कि 54 प्रतिशत मुस्लिम भाई अशिक्षित हैं। आज 23 प्रतिशत लड़कियां मैट्रिक तक पहुंच पाई हैं लेकिन उसके आगे पढ़कर नहीं पहुंची है। इसलिए आज इस आयोग की सार्थकता साफ जाहिर हो रही है और मैं कह रहा था कि 13 प्रदेशों में, अभी मैं समाचार-पत्र पढ़ रहा था, मुस्लिम द्वारा संचालित 70 संस्थाओं में देखा जाए तो इनी-गिनी प्रिंसीपल मुसलमान मिली है लेकिन बाकी कोई नहीं मिली। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि अगर यूपीए सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग बनाने की बात कही है तो मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और इसकी सार्थकता तभी पूरी होगी, जैसे कि सम्मानित सदस्य ने विचार रखे हैं और मैं कहूंगा कि देश की आजादी से लेकर अब तक का इतिहास देखा जाए तो आप पाएंगे कि देश की आजादी में अगर अबू कलाम आजाद और वीर हमीद पैदा हुए तो संगीत के क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्ला खान और अजमल अली खान हुए हैं और अगर उन्हें बैट पकड़ा दिया गया है कि इरफान पठान और मोहम्मद कैफ़ जैसे नौजवानों ने देश का नाम उज्जवल किया है।

अपरा 5.00 बजे

अभी आपने अपने भाषण में कहा था कि यहां हिन्दुत्व और भारत की बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आपका यही एजेण्डा है। अभी जब वाराणसी में एक मन्दिर में बम विस्फोट की घटना हुई थी उस समय आपके प्रदेश अध्यक्ष वहां जाकर कहने लगे कि हमें मंदिर कैम्पस में धरना-प्रदर्शन का अधिकार मिलना चाहिए। जब सलमान खुर्शीद जी वहां गए तो आपके कुछ लोगों ने कहा कि मन्दिर को गंगाजल से धोया जाना चाहिए। आप लोग यह कौन सी मानसिकता लोगों को दे रहे हैं? आप देश को धार्मिक और साम्प्रदायिक भावना में बांटने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस बिल का विरोध करने के बदले आपको इसका पुरजोर समर्थन करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदया, मैं अपनी बात वहीं से जारी करूंगा जहां माननीय सदस्य, श्री मिस्त्री ने अपनी बात समाप्त की है और मैं मोहम्मद सलीम का अत्यन्त कृतज्ञ हूं जिन्होंने अवधारणा का नया और क्रान्तिकारी अर्थ दिया है। अल्पसंख्यक अधिकारों की महत्ता के संबंध में, मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एस.एम. सिकरी की एक उक्ति उद्धृत करना चाहूंगा:

> "वास्तव में, हमारे राष्ट्र की तुलना कोई भी उस जम्बो जेट से कर सकता है जो अशान्त मौसम में स्वर्णिम गन्तव्य की ओर बढ़ रहा है। इस उड़ान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को इतने अच्छे ढंग से एकसूत्र में पिरोना है जितना किसी ढांचे के विभिन्न हिस्से जुड़े होते हैं। किसी भी ढांचे की ताकत उस ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी के बराबर होती है। एक छोटी सी दरार, अर्थात् असंतुष्ट अल्पसंख्यक वर्ग' जेट को तब तक उड़ने नहीं देगा जब तक उस दरार को भर नहीं दिया जाता।"

न्यायमूर्ति एस.एम. सिकरी ने एक बार भारत के संविधान में विशेष संरक्षण के रूप में अल्पसंख्यक अधिकारों की महत्ता के बारे में यह बात कही थी।

महोदया, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का मूल ढांचा है और अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे विशेष अधिकार और संरक्षण धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले हैं तथा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के तथाकथित सिद्धांत अथवा अमान्य व्यवहार अथवा विशेष संरक्षण देने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में इस पर बल दिया गया है और यह निर्णय दिया गया कि यह आधारहीन है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के सभी सिद्धांत आधारहीन हैं।

इसके अलावा, यहां यह बात कही जा रही है कि वर्तमान सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण में संलग्न है। मैं दूसरे पक्ष के अपने साथियों को यह जताना चाहूंगा कि वे इस सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों अथवा उपायों की आलोचना कर रहे हैं। क्या उनके कहने का यह अर्थ है कि वे संविधान के निर्माताओं से अधिक बुद्धिमान अथवा उनसे अधिक जानकारी रखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया था कि इस देश में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार और संरक्षण दिया जाए। यह हमारे संविधान का मूल ढांचा है। अब, हम यह सुन रहे हैं कि ये कदम अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए उठाए जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कई बार मुझे आश्चर्य

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

भी होता है। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि सदस्य संविधान के निर्माताओं से अधिक समझदार और अधिक जानकारी रखते हैं। अन्ततः सरकार जो भी कर रही है क्या वह असंवैधानिक है? क्या यह विधेयक संविधान की भावनाओं के विरुद्ध है? क्या यह विधेयक राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है? क्या यह विधेयक हमारे संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे के विरुद्ध है? यदि आप ये प्रश्न पूछते ही तो उत्तर नहीं होगा। यह विधेयक जो लाया गया है वह संविधान के अंतर्गत है और यह धर्म-निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला है जो कि हमारे संविधान का मूल ढांचा है। यह अनुच्छेद 30 का विस्तार है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य उस समय तैयार किया गया जब एन.डी.ए. सत्ता में थी। यह उल्लेख किया गया था कि दसवीं योजना का उद्देश्य इस योजना के अंत तक 18-23 वर्ष के बीच उच्च शिक्षा में नामांकन को 10 प्रतिशत तक करने का है। अब कितना प्रतिशत है? यह केवल 8 प्रतिशत है। मैं यह महसूस करता हूं कि यह संभव है कि यदि हम अल्पसंख्यकों को व्यावसायिक ज्ञान और शिक्षण के संस्थानों को खोलने की अनुमति देते हैं। हम दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 में रखे गए इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है तो मुझे कुछ कड़ी आपत्तियां हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 2004 का आरंभिक विधेयक में अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान था। मैं इस विशेष विधेयक को पढ़कर आश्चर्यचकित हूं। इसने मूलतः सभी बातों का क्षेत्राधिकार बढ़ा दिया है। आप मान्यता, अनुमति और सम्बद्धता के बारे में बात कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक का मसौदा किसने तैयार किया है?

यदि इस विधेयक को किसी भी न्यायालय में पेश किया जाता है तो यह एक मिनट भी टिक नहीं पायेगा। इसे अधिकारातीत घोषित कर दिया जायेगा दूसरा पक्ष ऐसा कह रहा है इसलिए नहीं अपितु इस विधेयक में एक विशेष मुद्दा है। अध्याय 3, खण्ड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना करना चाहता है वह सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 30 एक मूल अधिकार है। यह एक अक्षय अधिकार है और संसद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आपने यह प्रावधान किसलिए रखा है? मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं; खुदा माफ करें, यदि इस विधेयक को न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो पीठासीन न्यायमूर्ति को इस खण्ड की वजह से इसे अधिकारातीत् घोषित करने में एक मिनट का समय लगेगा। मैं माननीय मंत्री जी से इसे पुनः एक बार पढ़ने का अनुरोध करता हूं। यह आपके द्वारा किये जा रहे समस्त कार्यों के विरुद्ध है। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं। हम आपकी मंशा पर संदेह नहीं कर रहे हैं। मगर जिस प्रकार से इसका प्रारूप तैयार किया गया है, यह कानूनन बहुत ही गलत है। यह सैद्धांतिक रूप से गलत होगा। मैं आपको यह बता रहा हूं। यह हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे के विपरीत जाता है।

सरकार ने एक नए मंत्रालय की स्थापना की है, जिसे अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय नाम दिया गया है। वास्तव में अच्छा होता, यदि इस विधेयक को अल्पसंख्यक मामले मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा जाता। यह विधेयक वास्तव में इससे संबद्ध है। इसके अतिरिक्त उर्दू में एक कहावत है।

[हिन्दी]

नमाज़ अता करने गए तो रोजे गले पड़ गए।

यहां पर यह परेशानी आ गई कि पहले का जो बिल था, वह एफिलिएशन तक महदूद था। अब ये कह रहे हैं कि रिकोग्नीशन उसमें आएगी, खोलने से पहले इजाजत लेना चाहते हैं। यह आर्टिकल 30 के खिलाफ है। यह हिन्दुस्तान के संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। इसलिए मैं यहां पर पुरजोर एहतजाज करना चाहता हूं और मुतालबा करता हूं कि हुकूमत इस पर दोबारा नजरसानी करे। आपके इकदामात जरूर नेक होंगे, मगर इसमें बहुत सी गलतियां हैं।

मैं छठा पाइंट नोटेड गुजार करना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा।

[उर्दू]

[अनुवाद]

मैं बीजू जनता दल के अपने एक अच्छे मित्र से यह सुनकर वास्तव में आश्चर्यचकित हुआ कि हमारे यहां संघीय ढांचा है और यह विधेयक संघवाद के हित में नहीं है। किंतु हमारे संविधान में एक

संशोधन किया गया है और शिक्षा अब तीसरी सूची (समवर्ती) सूची में शामिल है। यह अब दूसरी (राज्य) सूची में शामिल नहीं है। इसलिए, सरकार को विधान बनाने का पूरा अधिकार है। एक अन्य तथ्य, जो मैं इस ओर से सुनकर आश्चर्यचकित हूं, यह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और भारतीय चिकित्सा प्रसिद्ध मौजूद हैं। अब लोग अनुमति के लिए वहां नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इस विधेयक का समुचित अध्ययन करें, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी का क्या अर्थ है। सक्षम प्राधिकारी का अर्थ है, यदि कोई इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करना है, तो ए.आई.सी.टी.ई. की अनुमति लेनी होगी। यदि एक मेडिकल कालेज की स्थापना करनी है, तो भारतीय चिकित्सा परिषद् की आवश्यकता और मानदंडों को पूरा करना पड़ेगा। सर्वप्रथम, यह दर्शाना होगा कि 300 बिस्तर वाला अस्पताल, जो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कल यदि कोई भी सामान्य व्यक्ति यह निर्णय करता है कि वह एक इंजीनियरिंग कालेज खोलना चाहता है, तो वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास जाएगा, उसकी अनुमति लेगा और किसी झोंपड़ी में इंजीनियरिंग कालेज शुरू कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार द्वारा इस विधान को लाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबद्ध किए जाने और मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया ज्यादा सरल बन सके अथवा वास्तव में न्याय किया जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पूववर्ती सरकार सत्ता में थी, तो उसके द्वारा अनेक शिकायतें प्राप्त की गईं। मैं अपने राज्य से एक तथ्य के बारे में जानता हूं, जिसमें सरकार ने पक्षपात दर्शाया था। सरकार अनुमति देना ही नहीं चाहती थी।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री अब्दुल्ला अजीजी : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कम से कम इस मुद्दे पर थोड़ी सी उदारता दिखाएं।

एक और अन्य मुद्दा यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि यह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है। वस्तुतः, यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है कि ऐसे तथाकथित सकारात्मक उपायों की वजह से हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ। सरकार द्वारा सेना में गिनती कराए जाने की वजह से आतंकवादी विभिन्न होते जा रहे हैं और पू.सी. बनर्जी रिपोर्ट के कारण इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है। यह किस प्रकार की मनगढ़ंत बात है। यहां पर एक विधान लाया गया है। इसकी, उन कठिनाइयों से कैसे तुलना की जा सकती है, जिन्हें सुनाया जा रहा है। यह विशुद्ध रूप से एक दुष्प्रचार है। आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग आतंकवादी ही हैं। राष्ट्रविरोधी कार्य करने वाले लोग, राष्ट्रविरोधी हैं, चाहे वे हिन्दु हों या मुसलमान। किसी भी आतंकवादी गतिविधि को साम्प्रदायिक रंग देना या सरकार द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी सकारात्मक कदम को सांप्रदायिक रंग देना अच्छा नहीं है। आप मुस्लिम अल्पसंख्यक के विकास के पक्ष में हैं या नहीं? आप कहते हैं कि न्याय सबके लिए हो, तुष्टिकरण किसी का न हो।

मैं इसे इस प्रकार से कहना पसंद करूंगा—न्याय किसी के लिए भी नहीं और तुष्टिकरण केवल संघ परिवार का। यदि कोई कहे, "सबके लिए न्याय", तो क्या हम न्याय का हिस्सा नहीं हैं? लोग भारत को भारत माता कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यदि किसी मां के पांच बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा बहुत कमजोर है, तो मां अपने अन्य बच्चों की अपेक्षा सबसे कमजोर बच्चे का ज्यादा ध्यान रखेगी। वो ऐसा क्यों करेगी? आखिरकार, मां के लिए उसके सभी बच्चे बराबर हैं। किंतु वह कमजोर बच्चे का इसलिए विशेष ध्यान रखती है क्योंकि वह असक्त है और संविधान का अनुच्छेद 30 उसी प्रकार का है।

महोदया, मैं आप जैसी वरिष्ठ सदस्या को यह समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। भारत में मुसलमानों की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? यह 59 प्रतिशत है। राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत है। एक साक्षर व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति के बीच भारी अंतर है। कोई भी साक्षर व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति नहीं बन सकता और कोई भी शिक्षित व्यक्ति साक्षर व्यक्ति नहीं बन सकता। "साक्षर व्यक्ति" की परिभाषा क्या है? कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी भाषा में अपना हस्ताक्षर कर सकता हो या कर सकती हो, एक साक्षर व्यक्ति माना जाता है। क्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शिक्षा स्तर के संबंध में कोई जनगणना कराई गई है? पिछली बार यह तब कराया गया, जब गोपालकृष्ण आयोग ने यह कहा था कि मुसलमान और नव-बौद्धधर्म अनुयायी शैक्षणिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। बौद्धधर्म अनुयायियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। मुसलमानों के बारे में क्या किया गया है? कुछ और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।

अन्ततः निष्कर्ष के रूप में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती, यदि इस विधेयक में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा लाया गया होता। यहां पर एक सदस्य द्वारा बहुत ठीक उल्लेख किया गया है कि सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने हर किसी से याचना की थी। इसकी वर्ष 1921 में स्थापना की गई थी। सारा विश्व जानता है कि यह एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अब जबकि एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक गलत

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

निर्णय दिया गया है। तो इस गलती को ठीक करने का दायित्व सरकार का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए। वर्ष 1981 में, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत इन्दिरा गांधी द्वारा एक विधान लाया गया था। अब मुसलमान इस सरकार की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थायी रूप से एक विधान लाना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्थायी रूप से अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए। मैं यहां इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं, इसका कारण यह है कि लगभग तीन महीने की अवधि में अकादमिक सत्र शुरू होने जा रहा है। हम इस सम्माननीय सभा में एक विधेयक पहले ही पारित कर चुके हैं कि आरक्षण का नियम उन सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा, जो अनुच्छेद 30 से शासित हैं। क्या यह सरकार नहीं चाहती कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण का नियम लागू हो? कांग्रेस पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि यह किया जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि कब? सरकार इस संबंध में विधेयक क्यों नहीं ला सकती है?

महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में ही नहीं बल्कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उनके संबंध में भी विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। विधान के रूप में विधेयक अच्छा नहीं है तथा सरकार को इसे देखना चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान की मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। वह खण्ड जिसमें अनुमति लेने तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उल्लेख है सिवाय मुझे विधेयक के शेष उपबंधों से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं यह संविधान कि भावना के विरुद्ध है।

श्री फ्रांसिस फैन्यम (नामनिर्दिष्ट) : सभापति महोदया, इस विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। लेकिन कतिपय बातें हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री उन पर ध्यान दें। मैं पूर्व वक्ता, मेरे साथी श्री ओवेसी द्वारा विधेयक के संबंध में की गई टिप्पणियों का पूर्ण समर्थन करता हूं।

विधेयक की संरचना में प्राथमिक तौर पर अल्पसंख्यक संस्थाओं को अपनी पसंद के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने संबंधी मुद्दों का उल्लेख किया गया है, लेकिन विधेयक का जो मसौदा पेश किया जा रहा है उसमें कतिपय संशोधन किए गए हैं इनसे अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार संस्थान स्थापित करने के अधिकार का पूर्ण हनन होता है। हम यह पाते हैं कि अध्याय-III के एक उपबंध में यह उल्लेख है कि यदि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित की जानी है तो पहले सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है तथा यह अनुच्छेद 30 में किसी अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वह भाषायी हो या धार्मिक हो को अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। यह कई दशकों से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं समझ सकता हूं कि राज्य सरकारें या केन्द्रीय सरकार मान्यता प्रदान करने के लिए सम्बद्धता हेतु नियम एवं प्रक्रिया बना सकती है।

लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वे अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं उन्हें चलाने के अधिकार के साथ कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे मामले पर ध्यान दें तथा आवश्यक संशोधन भी करें। मैं एक और बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा। इस विधेयक में कतिपय बाधाओं जिनका यहां उल्लेख किया गया है के बावजूद भी ऐसी बातें शामिल हैं जिसमें मुख्य उपबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है जिन्हें संसद में पेश किया जा रहा है। यह विधेयक मूलत: अल्पसंख्यक समुदायों को राष्ट्र की मुख्य धारा में भाग लेने तथा इसके सशक्तकारी प्रावधानों के संबंध में राष्ट्रीय विकास में योगदान करने में सक्षम बनाता है। पूर्व में हुई कई वार्तालापों में इस बात को सभी सदस्यों ने माना है कि यह एक स्थापित सत्य है कि अल्पसंख्यकों ने इस देश में अपनी संख्या से कहीं अधिक राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दिया है। यह सर्वविदित है कि इसाई संस्थानों ने इस देश में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला रखी है। विभिन्न जातियों, वर्गों तथा सम्प्रदायों को सरकारी संस्थानों द्वारा अवसर प्रदान करने से काफी पहले से इसाई समुदाय शैक्षणिक प्रक्रिया में लगा हुआ था। आधुनिक भारत को इस समुदाय द्वारा आज का भारत बनाने में किए गए योगदान को स्वीकार करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय भी अब जागरूक हुआ है क्योंकि उस समुदाय को वह सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो आधुनिक भारत में उपलब्ध हैं। यह उचित ही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय को प्रौद्योगिकी के लिए प्रबंध शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा आदि चिकित्सा क्षेत्रों में संस्थान स्थापित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह दूरदृष्टि है जो देश अपने लोगों के प्रति रखता है तथा अल्पसंख्यक अवसर प्राप्त करना चाहते हैं जो प्रदान करना इस विधेयक का उद्देश्य है।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विद्यालय शिक्षा की तुलना में उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यक अधिक संख्या में नहीं हैं। जैसे-जैसे देश विकास करता है, यह महत्वपूर्ण है कि जो नींव स्थापित की गई है और देश को जैसा विकास करना चाहिए वैसा आधुनिक भारत में विकास करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

यहां यह उल्लेख किया गया था, तथा मैं समझता हूं कि यह गलत है कि इस प्रावधान से देश के अधिक वर्गों को संभवत: खुश किया जाएगा। मैं मेरे मित्रों तथा साथियों से यह समझने का अनुरोध करूंगा कि देश के सभी वर्गों को भागीदार बनाने, इकट्ठे होने तथा इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मूल अधिकार है। यह महत्वपूर्ण है कि तुष्टीकरण करने की यह सोच इस सभा की संवेदनशीलता तथा समझ से समाप्त कर देनी चाहिए। अन्य समुदायों की तरह ही अल्पसंख्यक भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जबकि इस बात के संकेत दिए गए थे कि संभवत: अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, विधि का यह मूल सिद्धांत है कि असमानों के मामलों में समानता असमान रूप से की जानी चाहिए। समानता तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती है जब तक समुदायों में असमानता हो। इसलिए अल्पसंख्यकों के साथ असमान व्यवहार किया जाना संविधान का महत्वपूर्ण घटक है जो कि आज विद्यमान है। मैं समझता हूं कि इसे सभा के सभी वर्गों को समझना चाहिए तथा यह नहीं कहा जाना चाहिए कि संभवत: अल्पसंख्यकों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं तथा यह संवेदनशीलता कई बार सामाजिक ढांचे में पाई जाती है। इससे समुदाय के सभी वर्गों में असौहार्द पैदा होता है। मैं एक बार पुन: अनुरोध करूंगा तथा जोर दूंगा कि असमानों को प्रक्रिया में भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाना महत्वपूर्ण है।

भाषाई अल्पसंख्यकों का भी जिक्र आया था तथा मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। यह कहा गया था कि भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से बहुत अलग हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों को समान भूमिका अदा करनी है। आंग्ल भारतीय समुदाय जिसका इस सभा में प्रतिनिधित्व करने का मुझे विशेषाधिकार है, ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जबकि हम इसाई हैं, हम भाषाई तथा जातीय अल्पसंख्यक भी हैं। मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह जिक्र किया कि ''भाषाई अल्पसंख्यक'' शब्दों का संविधान का संभवत: विधेयक के उपबंधों से लोप किया जाए, ने संभवत: वर्तमान समुदायों के सम्पूर्ण वर्गीकरण का अध्ययन नहीं किया है।

आपका धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया : अब श्री वरकला राधाकृष्णन बोल सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : महोदया, उन्हें केवल पांच मिनट ही दिए जाने चाहिएं।

सभापति महोदया : माननीय सदस्यों, आपको सभा की कार्यवाही चलाने की आवश्यकता नहीं है। सभा की कार्यवाही चलाने के लिए मैं यहां हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदया, विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं आने वाले समय में पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों पर टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया, वह ठीक नहीं है। उन्हें विधेयक ऐसे लाना चाहिए था जिस पर बिना किसी पूर्व धारणा के मुक्त रूप से चर्चा होनी चाहिए थी। यह ऐसा विधेयक है, जोकि एक अध्यादेश का स्थान लेगा। इसलिए सरकार ने इस मामले में पहले ही कुछ निर्णय ले लिए हैं, जिन्हें अध्यादेश के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। अब हम कोई और परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि इससे वर्तमान स्थिति बिगड़ जाएगी। अत: सामान्यत: सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को अध्यादेश के माध्यम से लाना ठीक नहीं है। मैं यह स्पष्ट करूंगा कि मैं इस प्रकार की टिप्पणी क्यों कर रहा हूं।

पिछले सत्र में, हमने एक संविधान (संशोधन) विधेयक पारित किया था। मैं उनमें से था, जिन्होंने कुछ कारणों से इस विधेयक का विरोध किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि संविधान संशोधन ने अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसन्द के संस्थान चलाने का बिना किसी रोक-टोक अथवा निरंकुश अधिकार मिलता है। तो इसलिए इसे एक ''लाइसेंस'' ही माना जाता है। यह मामला दूसरा है कि उस ''लाइसेंस'' का उपयोग एक शैक्षणिक संस्था चलाने के लिए किया जाता है अथवा एक कंपनी अथवा एक उद्योग चलाने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान रुझान शिक्षा के व्यवसायीकरण का है। इसलिए ऐसा बिलकुल सामान्य है कि अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा इस विशेषाधिकार के ''व्यवसाय'' के रूप में उपयोग किए जाने की पूरी संभावना है, जिससे धनी लोगों को वरीयता मिलेगी।

शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। गरीब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

नहीं कर सकते। उच्च शिक्षा का सामान्यत: व्यवसायीकरण हो चुका है। इस पर केवल धनी लोगों का कब्जा हो गया है। हमें इसे रोकना होगा। यही कारण है कि हमने इसका विरोध किया है।

हम सभी जानते हैं कि केरल जैसे राज्य में लगभग सभी उच्च शिक्षा संस्थाएं तथा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाएं अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय हिसाब से ये अल्पसंख्यक हैं। परंतु राज्य में ये अल्पसंख्यक नहीं हैं। इसाई समुदाय, केरल राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। ये राज्य की कुल जनसंख्या का चालीस प्रतिशत है।

अब तक ये सभी संस्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण हेतु राज्य के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। यही प्रथा है। इनमें से कुछ ईमानदारी से इसका पालन कर रहे हैं। परंतु संशोधन के लागू के पश्चात् ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। आरक्षण समाप्त हो जाएगा। हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते कि वे इन समुदायों को वह आरक्षण दें जो पहले उन्हें मिला हुआ था। इस संशोधन के लागू हो जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग प्रवेश का अपना अधिकार खो देंगे। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।

राज्य केवल नगण्य संस्थान ही चला रहा है। आपको यह समझना चाहिए। कुल मिलाकर 90 प्रतिशत संस्थान, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। अगले वर्ष जून में स्थिति बहुत अनिश्चित हो जाएगी माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि अल्पसंख्यक के बारे में यह निर्णय लेते समय कि ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए या राज्य स्तर पर, इस मामले में कुछ किया जाएगा। अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। इस बारे में तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। अन्यथा, आप समुदाय के एक बड़े वर्ग के साथ अन्याय करेंगे। मैं एक बार फिर आपको इस बारे में याद दिला रहा हूं।

केरल राज्य में भी, मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि वे इन समुदायों को दिए गए आरक्षण की रक्षा के लिए एक कानून लाएंगे। परंतु अब वहां चुनाव हो रहे हैं। कोई अध्यादेश अथवा कानून नहीं लाया गया। जिन छात्रों को आरक्षण मिल रहा है, अगले शैक्षणिक वर्ष में वे घाटे में रहेंगे। मैं इसीलिए, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् उत्पन्न होने वाले प्रभावों के बारे में बोल रहा हूं। इसलिए, मैं सरकार से एक बहुत ही कड़ा निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं। हालांकि, आप इस मामले में निर्णय ले ही चुके हैं। इसलिए आप कृपया अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में निर्णय लेने के प्रश्न पर फैसला करें।

केरल राज्य में इसाई समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अन्य राज्यों में भी ऐसा ही है। इसलिए, हमें इस मामले में निर्णय लेना होगा। सबसे पहले यह किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अब, मैं इस कानून पर आता हूं। इस विधेयक में कतिपय उपबंध ऐसे हैं जो कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं। बात यह है कि "व्यक्ति" शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। अत: अलीबाबा – आप जानते हो कि अलीबाबा भी अल्पसंख्यक समुदाय के नाम पर एक संस्था चलाने के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो "व्यक्ति" शब्द की परिभाषा के बारे में सही निर्णय लीजिए।

दूसरी बात यह कि केवल कॉरपोरेट निकायों, कॉरपोरेट संस्थाओं को ही रियायतें दी जानी चाहिएं, व्यक्तिगत संस्थाओं को नहीं। यदि व्यक्तिगत संस्थाओं को ये रियायतें दी जाती हैं तो इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। इसलिए, इसमें और खतरा है। अत: केवल कॉरपोरेट निकायों को ही रियायतें दी जानी चाहिएं। एक कठिनाई और है। मान लीजिए कि केरल अथवा तमिलनाडु जैसे राज्य में कुछ अल्पसंख्यक कॉरपोरेट निकाय कार्य कर रहे हैं और वह किसी कारणवश कश्मीर विश्वविद्यालय में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। आप उसे रोक नहीं सकते। जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया वे "उनकी अपनी पसन्द" के हैं। इसलिए, केरल अथवा तमिलनाडु राज्य में एक संस्था चला रहा व्यक्तियों का एक समूह अथवा एक व्यक्ति और कश्मीर विश्वविद्यालय अथवा उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : वह नागालैंड भी जा सकता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : हां, वह नागालैंड भी जा सकते हैं। कठिनाई यह है कि इन संस्थानों का नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। ये लोग (अनुज्ञप्ति) लाइसेंस के लिए सक्षम प्राधिकरण आवेदन कर सकते हैं। यदि सक्षम प्राधिकरण 6 महीनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसा माना जा सकता है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया है।

इसके बाद, यदि इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वह इस

मामले को राष्ट्रीय आयोग में ले जा सकता है और इसकी अपील केवल उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती है। स्थिति ऐसी ही है। इसलिए कुछ बेईमान लोग, जो आयोग के कार्यकरण में बाधाएं डालना चाहते हैं, वे उत्तर-पूर्वी अथवा उत्तरी राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र का आवेदन करने संबंधी विकल्प पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।

ये ऐसी कुछ बाधाएं हैं जो अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् सामने आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया : इसके पश्चात् प्रत्येक वक्ता को केवल दो मिनट दिए जाएंगे।

श्री खारवेल स्वाईं : सभापति महोदया, श्री राधाकृष्णन के बारे में ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है क्योंकि केवल ये ही ऐसे सदस्य हैं जो सभा में देर रात तक बैठते हैं। कोई भी देर रात तक नहीं बैठता इसलिए हमें इनकी सराहना करनी चाहिए। हमें इनको दोष देने के स्थान पर इनकी सराहना करनी चाहिए।

सभापति महोदया : मैं इन पर आरोप नहीं लगा रही हूं।

श्री खारवेल स्वाईं : महोदया, सत्ता पक्ष की ओर से हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री राधाकृष्णन के विरुद्ध व्यंगात्मक टिप्पणियां की जा रही हैं। मैं इससे आहत हूं। मैं वास्तव में बहुत दु:खी हूं क्योंकि केवल ये ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सभा के देर रात तक चलने तक सभा में देर रात तक बैठते हैं।

सभापति महोदया : आप सही कह रहे हैं। श्री राधाकृष्णन के विरुद्ध किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : सभापति महोदया, मैं, हमारी सरकार द्वारा पुर:स्थापित किए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए, खड़ा हुआ हूं। मैं केवल कतिपय विधिक बातों का उल्लेख कर इस विधेयक का समर्थन करूंगा।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह अधिनियम 17.05.1992 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। यह आयोग केवल सिफारिशें करने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सत्ता पर काबिज होने के बाद, 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक को पुर:स्थापित किया गया था। इस विधेयक को लोक सभा में 16.12.2004 को और राज्य सभा में 21.12.2004 को पारित किया गया था। यह अधिनियम 06.01.2005 से प्रभावी हुआ। मूल अधिनियम की धारा 2, के उपखंड (क) में इस बात का उपबंध किया गया है कि केवल छ: विश्वविद्यालयों द्वारा ही सम्बद्धता प्रदान की जाएगी, जिनका उल्लेख अनुसूची में किया गया है। ये विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय), पांडिचेरी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वविद्यालय। अब इस अनुसूची को समाप्त कर दिया गया है। तत्पश्चात् इस विधेयक के माध्यम से धारा 18 का भी लोप कर दिया गया है।

वर्तमान विधेयक की धारा 10(क) में अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश के किसी भी भाग में स्थित किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त कर सकती है और इसके अतिरिक्त धारा 10 के उपखंड (1) में कहा गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को शुरू करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 10 के उपखंड (2) में सक्षम प्राधिकरणों को सत्यापन करने और आवेदन करने वाले व्यक्ति को सुनने का अधिकार दिया गया है। धारा 10 के उपखंड (3) में कहा गया है कि आवेदन को जमा करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उस आवेदन का निपटान कर दिया जाएगा। कुछ माननीय सदस्यों ने टिप्पणी की थी कि 60 दिन का ही समय क्यों दिया गया है, और अधिक समय क्यों नहीं दिया गया है। यदि किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु दिए गए आवेदन के सत्यापन की समयावधि बढ़ायी जाती है तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हम सभी को ज्ञात है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और ए आई सी टी ई में क्या हो रहा है। यदि निरीक्षण के लिए किसी समिति की नियुक्ति की जाती है तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इसे रोकने के लिए धारा 10 के उपखंड (2) में वैयक्तिक सुनवाई के बाद आवेदन के सत्यापन और आवेदन के निपटान का उपबंध किया गया है। यदि 60 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान नहीं किया जाता, यदि किसी व्यक्ति को अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता अथवा उसके आवेदन को

[श्री एस.के. खारवेनवन]

उक्त अवधि के दौरान अस्वीकृत नहीं किया जाता तो इस बात की उपधारणा की जाएगी कि आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और आवेदक संस्था को शुरू कर सकता है। माना उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो आवेदक 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग में अपील कर सकता है। ऐसा उपबंध धारा 12(क)(झ) में किया गया है। इसके माध्यम से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को 30 दिनों के अंदर आयोग के समक्ष अपील करके राहत प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

इस विधेयक में धारा 12 (ख) उपखंड (झ) के माध्यम से आयोग को अल्पसंख्यक स्थिति का निश्चय करने का अधिकार दिया गया है। आयोग को धारा 12ग के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की स्थिति को रद्द करने की शक्ति भी दी गई है। पहले वाले विधेयक में ऐसा नहीं था उस समय केवल अनुमति थी। सम्बद्धता और असम्बद्धता ही गई है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो आयोग धारा 12घ के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

इस विधेयक में एक अन्य महत्वपूर्ण मामला धारा 12 उपखंड च से संबंधित है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दीवानी न्यायालय के समक्ष वाद नहीं ला सकता। यदि वे कोई राहत चाहते हैं तो वे संबंधित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। दीवानी क्षेत्राधिकार पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण मामला है। गरीब छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ उपबंध होने चाहिए।

इस विधेयक पर चर्चा करते समय मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। इस विधेयक को स्थाई समिति के पास भेजा गया था। स्थाई समिति ने अपनी टिप्पणी में कहा "कि समिति यह महसूस करती है कि एक संस्था द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा पाने संबंधी दुरुपयोग को रोकने के लिए इस विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।" मैं माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस देश में अल्पसंख्यकों के बीच अनेक गरीब लोग हैं अतः छात्रों को इन सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश देते समय ऐसे गरीब छात्रों को 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाए।

इन दृष्टिकोणों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपरा 5.37 बजे

[श्री करकल रामकृष्णन पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, कल भी आप ही चेयर पर थे। आज नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अमेंडमेंट बिल पर बहस हो रही है, मैं इस बिल की ताइद में खड़ा हुआ हूं। गवर्नमेंट ने यह बिल लाकर अच्छा काम किया है और मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से इस पर काम किया गया तो यकीनन माइनोरिटीज को, मुसलमानों को इससे फायदा होगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस देश के अंदर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं, मैं तो 30 करोड़ से कम नहीं समझता। यानी मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में माइनोरिटी के हैं, लेकिन उनके साथ बेइंसाफ नहीं किया जाए और तालीमी मैदान में भी उनके साथ दोहरा सलूक हो, तो यह अफसोस की बात है।

महोदय, यह देश सब का है और सब ने ही मिलजुल कर इस देश को आजाद कराया है। मुसलमानों ने भी इसके लिए कुर्बानियां दी हैं तो कोई वजह नहीं है कि मुसलमानों को इस देश से मोहब्बत न हो। मुसलमानों को भी इस देश से उतना ही प्यार और लगाव है, जितना अन्य लोगों एवं कौमों को है। मुसलमान कुर्बानी देने में किसी से पीछे नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश में मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए और उनके साथ तालीम जैसे मैदान में भी अगर नाइंसाफी होती है तो फिर मुसलमान कैसे तालीम हासिल करेगा। अगर वह अपना स्कूल, इंस्टीट्यूशन खोलता है तो उस पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं, उसे एफिलिएशन नहीं मिल पाता, लेकिन इस बिल के जरिए जो सहूलियतें देने की कोशिश की गई है, बहरहाल मैं उसे एप्रीशिएट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसी तरीके से इस बिल पर, जो इसमें दफात रखी गई है, उसी अंदाज में इंसाफ से काम लिया गया तो यकीनन मुसलमानों के सामने जो परेशानियां हैं, वे दूर हो सकती हैं।

महोदय, जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का सवाल है, उसका अकलियती किरदार, माइनोरिटी करेक्टर खत्म कर दिया गया है। यह हमारे साथ हाईकोर्ट के जरिए नाइंसाफी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट उसका माइनोरिटी करेक्टर बहाल करे और इसी सत्र में वह बिल लाए। एक अमेंडमेंट बिल लाकर उसके अंदर जो कमियां हैं, उन्हें दूर करके, जिस तरीके से 1981 में अमेंडमेंट बिल लाया गया था, इसी वक्त सरकार को बिल लाना चाहिये क्योंकि अगला सैशन दो-तीन महीने बाद आने वाला है। उस समय बच्चों के एडमीशन के लिये बहुत परेशानी आयेगी। मैं कहना चाहता हूं कि बी.जे.पी. वाले हमें एक आंख से नहीं देखना

चाहते हैं। हम भी इसी देश की पैदावार हैं। हमारी कुर्बानियां इन लोगों से कम नहीं हैं। जब हिन्दुस्तान की आजादी के लिये कुर्बानी मांगी जा रही थी, तो हम लोग आगे थे और ये लोग बहुत पीछे थे। हमने सिर कटाकर और कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया। मोहम्मद अली जौहर इंग्लैंड की राउंड टेबल कांफ्रेंस में भाग लेने के लिये गये थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए वकालत की थी और यह भी कहा था कि मैं गुलाम देश से आया हूं, या तो मुझे आजादी का परवाना दो, अगर परवाना नहीं दोगे तो मैं गुलाम देश वापस नहीं जाऊंगा और मेरी कब्र के लिये जगह देनी होगी। उनका वहीं इंतकाल हो गया। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उन पर गद्दारी का चार्ज लगाना, उन्हें टैररिस्ट कहना बिलकुल बेइंसाफी है। यह मुसलमानों को टैरराइज करने की बात है। हम इस देश में रहेंगे, इज्जत के साथ रहेंगे। आप हमें कोई चीज देते हो, उसके लिये हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा यह हक है, हम मांगेंगे तो हमें देना होगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलि नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : ये लड़ाई झगड़े में माहौल को बिगाड़ रहे हैं। यह इनका काम है और हाउस के अंदर भी ये ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ बेइन्साफी की है...*(व्यवधान)* पहले भी आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, उस समय बलवे हुये थे। इस बार भी वह यात्रा निकालकर माहौल को खराब करना चाहते हैं और देश के अंदर बलवे कराना चाहते हैं। इस पर पाबंदी लगाई जाये...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य अपना मत व्यक्त कर सकता है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : डा. शफ़ीकुर्रहमान बर्क, आपका समय समाप्त हो चुका है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : जहां तक मुसलमानों के मसाइल्स का ताल्लुक है, मुसलमानों के हुकूक का ताल्लुक है, चाहे तालीम से मुतलिक हो, चाहे सर्विसेज से मुतलिक हो या इकसादियात से ताल्लुक हो...*(व्यवधान)* वह पूरे होने चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अन्य सदस्यगण भी इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं। कृपया समाप्त कीजिए।

अब, श्री इकबाल अहमद सरडगी।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : जिसकी वजह से ये तालीम में पिछड़े हुये हैं। मैं चाहूंगा कि मुसलमानों को सर्विसेज में जगह दी जाये। उन्हें पुलिस और मिलिट्री में भर्ती किया जाये। इस तरह से मुसलमानों के अदारों को मजबूत किया जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. बर्क, आप काफी समय से बोल रहे हैं। कृपया समाप्त कीजिए। मैं पहले ही अन्य सदस्य को बोलने के लिए कह चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : हमें पूरी आजादी मिलनी चाहिये। हमारा माइनौरटीज करेक्टर है, वह हमें दिया जाये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल इस सैशन में लाकर मुसलमानों का माइनौरटीज करेक्टर फिर से बहाल किया जाये, यह हमारी मांग है।

इन्हीं अलफाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री इकबाल अहमद सरडगी के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرادآباد): چیرمین صاحب کل بھی آپ چیر پر تھے۔ آج نیشنل کمیشن فار مائنوریٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے امینڈمینٹ بل پر بحث ہورہی ہے، میں اس بل کی تائید میں کھڑا ہوا ہوں۔ گورنمنٹ نے یہ بل لاکر اچھا کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایمانداری سے اس پر کام کیا گیا تو یقیناً مائنوریٹیز کو، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہے، میں تو 30 کروڑ سے کم نہیں سمجھتا یعنی اس ملک میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مائنوریٹی کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے اور تعلیم جیسے میدان میں بھی ان کے ساتھ دوہرا سلوک ہو تو یہ افسوس کی بات ہے۔

جناب یہ ملک سب کا ہے اور سب نے ہی مل جل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اس کے لئے قربانیاں دی ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے محبت نہ ہو۔ مسلمانوں کو بھی اس ملک سے اتنا ہی پیار اور لگاؤ ہے جتنا دوسرے لوگوں و قوموں کو ہے۔ مسلمان قربانی دینے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور ان کے ساتھ تعلیم جیسے میدان میں بھی اگر ناانصافی ہوتی ہے تو مسلمان کیسے تعلیم حاصل کریگا۔ اگر وہ اپنا اسکول انسٹیٹیوشن کھولتا ہے تو اس پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسے ایفیلیشن نہیں مل پاتا، لیکن اس بل کے زریعے جو سہولیات دینے کی کوشش کی گئی ہے بہرحال اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے اس بل پر جو اس میں دفعات رکھی گئی ہیں، اسی انداز میں انصاف سے کام لیا گیا تو یقیناً مسلمانوں کے سامنے جو پریشانیاں ہیں، وہ دور ہوسکتی ہیں۔

جناب جہاں تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سوال ہے، اس کا اقلیتی کردار، مائنوریٹی کریکٹر ختم کردیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہائی کورٹ کے زریعے ناانصافی ہوئی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی زمہ داری ہے کہ گورنمنٹ اس کا مائنوریٹی کریکٹر بحال کرے اور اسی سیشن میں وہ بل لائے۔ ایک امینڈمینٹ بل لاکر اس کے اندر جو کمیاں ہیں، انہیں دور کرکے اس طریقے سے 1981 میں امینڈمینٹ بل لایا گیا تھا، اسی وقت سرکار کو بل لانا چاہئے، کیونکہ اگلا سیشن دو۔ تین مہینے بعد آنے والا ہے۔ اس وقت بچوں کے ایڈمیشن کے لئے بہت پریشانی آئیگی۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی۔ جے۔ پی۔

والے ہمیں ایک آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی اسی ملک کی پیداوار ہیں۔ ہماری قربانیاں ان لوگوں سے کم نہیں ہیں۔ جب ہندوستان کی آزادی کے لئے قربانی مانگی جارہی تھی، تو ہم لوگ آگے تھے اور یہ لوگ بہت پیچھے تھے۔ ہم نے سر کٹا کر اور قربانی دیکر اس ملک کو آزاد کرایا۔ محمد علی جوہر انگلینڈ کی راونڈ ٹیبل کانفرنس میں بھاگ لینے کے لئے گئے تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لئے وکالت کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں غلام ملک سے آیا ہوں۔ یا تو مجھے آزادی کا پروانہ دو، اگر پروانہ نہیں دو گے تو میں غلام ملک واپس نہیں جاؤں گا اور میری قبر کے لئے جگہ دینی ہوگی۔ ان کا وہیں انتقال ہوگیا۔ جن لوگوں نے ملک کے لئے قربانی دی، ان پر غداری کا چارج لگایا جاتا ہے، ان کو ٹیررسٹ کہنا بالکل بے انصافی ہے۔ یہ مسلمانوں کو ٹیرارائزڈ کرنے کی بات ہے۔ ہم اس ملک میں رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے۔ آپ ہمیں کوئی چیز دیتے ہو، اس کے لئے ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، ہمارا یہ حق ہے، ہم مانگینگے تو ہمیں دینا ہوگا۔

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرادآباد): یہ لڑائی جھگڑے میں ماحول کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ انکا کام ہے اور ہاؤس کے اندر بھی یہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بے انصافی کی ہے۔ (مداخلت) پہلے بھی اڈوانی جی نے رتھ یاترا نکالی تھی، اس وقت بلوے ہوئے تھے، اس بار بھی وہ یاترا نکال کر ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے اندر بلوے کرانا چاہتے ہیں۔ اس پر پابندی لگائی جائے۔۔۔۔۔ (مداخلت)

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرادآباد): جہاں تک مسلمانوں کے مسائل کا تعلق ہے، مسلمانوں کے حقوق کا تعلق ہے، چاہے تعلیم سے متعلق ہو، چاہے سروسز سے متعلق ہو یا اقتصادیات سے تعلق ہو ۔۔۔۔۔ (مداخلت) وہ پورے ہونے چاہیں

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرادآباد): جس کی وجہ سے یہ تعلیم میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مسلمانوں کو سروسز میں جگہ دی جائے۔ انہیں پولس اور ملٹری میں بھرتی کیا جائے۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اداروں کو مضبوط کیا جائے۔

ڈاکٹر شفیق الرحمٰن برق (مرادآباد): ہمیں پوری آزادی ملنی چاہئے۔ ہماری مائنوریٹی کریکٹر ہے، وہ ہمیں دیا جائے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بل اس سیشن میں لاکر مسلمانوں کا مائنوریٹی کریکٹر پھر سے بحال کیا جائے، یہ ہماری مانگ ہے۔

انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپکا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے دیش کا بٹوارہ کیا ہے ----(مداخلت) وہ مجرم ہیں

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसा लगता है कि जब मुख्य विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया था, वह सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने या अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए था। अल्पसंख्यकों के दिमाग में कुछ आशंकाएं थी कि विधेयक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रमुख ध्येयों और उद्देश्यों का पूरा नहीं कर रहा है।

महोदय, इस विधेयक में आज लाए गए संशोधन आयोग को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए हैं, आयोग को अधिक अधिकार देने के लिए हैं और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संरक्षण के लिए भी हैं।

मैं संप्रग सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ऐसा प्रभावशाली विधेयक लाने के लिए स्वागत करता हूं। ऐसा ऐतिहासिक विधेयक विगत 50 वर्षों के दौरान नहीं लाया गया।

अत:, इन संशोधनों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के गलत आदेश के विरुद्ध अपील करने की शक्ति दी गई है। मामले की छानबीन के लिए आयोग को शक्ति दी गई है। आयोग के पास सूचना मांगने का अधिकार है। ये सभी शक्तियां दी गई हैं।

[हिन्दी]

मैं भाई रावत जी से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि उनके कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। अगर चार या पांच हैं, और उसमें से एक की सेहत कमजोर हो तो मैं समझता हूं कि उसे दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज्यादा अंडे, दूध और अच्छी खुराक दी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक बच्चे के साथ डिसक्रिमिनेशन कर रहे हैं और दूसरे का हक मार रहे हैं, बल्कि जैसे कमजोर बच्चा होता है, उसी प्रकार सोसाइटी में कोई सैक्शन अगर कमजोर होता है तो उसके आगे बढ़ने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए कोई न कोई ऐसी मदद दी जानी चाहिए, चाहे वह एजुकेशनल फील्ड में हो या दूसरी फील्ड में हो। यह रिलीजन के नाम से नहीं है कि मदद दी जा रही है।

[अनुवाद]

इसका आधार अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां हैं। इसका आधार इस समाज का कम शैक्षणिक प्रतिशत है। बैंकिंग क्षेत्र में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं? रेलवे में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं? केन्द्र सरकार में कितने प्रतिशत मुस्लिम हैं? विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी साक्षरता कितने प्रतिशत है। उनमें से कितने प्रतिशत शिक्षा

बीच में ही छोड़ देते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों में 80 प्रतिशत लोग शिक्षा बीच में छोड़ देते हैं। उनकी यह स्थिति है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : ऐसी असाधारण स्थितियों में उनकी सहायता करने और संविधान में संशोधन करके और नियमों में संशोधन करके कुछ विशेषाधिकार प्रदान करना या विशेष रियायतें प्रदान करने के लिए तत्परतापूर्वक आगे आना सरकार का नैतिक दायित्व है। संप्रग सरकार यही कर रही है। यह अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रावधान कर रही है। यही तंत्र है।

विभिन्न मौकों पर, अनुच्छेद 30 पर जोकि अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, चलाने और प्रबंध करने का अधिकार देता है, उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में भी चर्चा की गई थी और उसे चुनौती दी गई थी। इस पर कई बार चर्चा की गई थी और चुनौती दी गई थी। किंतु आज तक विभिन्न मामलों में निर्वाचन में अस्पष्टता रही है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को 100 प्रतिशत प्रवेशाधिकार नहीं दिया गया है।

मैं यह महसूस करता हूं कि इस असाधारण स्थिति में, संप्रग सरकार ने सोचा कि उनके संरक्षणार्थ और उन्हें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून होना चाहिए। मैं यह सोचता हूं कि इस विधेयक को लाने का ध्येय और उद्देश्य संरक्षण और वह प्रदान करना है जो कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों में प्रदान नहीं किया गया है।

मैं सम्माननीय सभा को सूचित करना चाहूंगा कि कर्नाटक में देवराज अर्स के शासन में इसकी अनुमति दी गई थी। उसने अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान स्थापित करने, चलाने और अपने प्रबंधन द्वारा उनका प्रशासन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक में सैकड़ों संस्थान हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संवर्धन के लिए सरकार का नजरिया एकदम स्पष्ट है।

यही कारण है कि इसे प्रोत्साहित किया गया था। यदि संपूर्ण भारत में यही व्यवस्था लागू की जाती है तो मैं सोचता हूं कि मुस्लिम समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय की साक्षरता के कम प्रतिशत को सुधारा जा सकता है। निश्चित रूप से यही समय की मांग है। एक बार पुन: मैं संप्रग सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संरक्षण हेतु ये संशोधन लाने के लिए बधाई देता हूं।

सभापति महोदय : अब, श्री खारबेल स्वाईं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, क्या मैं यहीं से बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : जी, हां।

श्री खारबेल स्वाईं : धन्यवाद, महोदय।

महोदय, इस विधेयक के बारे में मैं माननीय मंत्री से कतिपय स्पष्टीकरण चाहूंगा। मेरा पहला सवाल यह है। एक अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होनी चाहिए? पंजाब का उदाहरण लीजिए। पंजाब में सिख, मुसलमान और हिन्दू हैं। सिक्ख भारत में अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं। इसाई और मुसलमान हर जगह अल्पसंख्यक हैं। इसका अर्थ यह है कि पंजाब में हर कोई अल्पसंख्यक संगठन खोलने को स्वतंत्र है। अत: मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह स्पष्ट करें कि वास्तव में कौन अल्पसंख्यक है और किसे संस्थान खोलने का अवसर प्राप्त होगा।

दूसरी बात इस विधेयक के पृष्ठ तीन पर दिए गए खण्ड 10क के बारे में है।

"कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय से इस बात के अधीन रहते हुए सहबद्ध होने की मांग कर सकेगी कि ऐसी सहबद्धता उस अधिनियम के भीतर अनुज्ञेय है, जिसके अधीन उक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।"

मान लिया जाए कि एक अल्पसंख्यक संस्थान किसी विश्वविद्यालय से सहबद्धता मांगता है और वह विश्वविद्यालय मना करता है तब क्या होगा? एक स्पष्टीकरण इस बारे में मैं माननीय मंत्री से मांगना चाहूंगा।

हमें क्या यह कहना चाहिए कि उड़ीसा में एक इसाई शैक्षणिक संस्थान नागालैंड विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की मांग करेगा? क्या यह संभव होगा या केरल में कोई मुसलमान संस्थान जम्मू और कश्मीर से सम्बद्धता की मांग करेगा? क्या यह अनुमत्य और व्यावहारिक होगा? दूसरा स्पष्टीकरण इस बारे में माननीय मंत्री से मैं मांगना चाहूंगा।

अब पृष्ठ 3 पर खण्ड 4(ग) में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग किसी न्यायालय के समक्ष

[श्री खारवेल स्वाईं]

अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के किसी पंचन या अतिक्रमण को अन्तर्वलित करने वाले किसी कार्यवाही में उस न्यायालय को इजाजत से हस्तक्षेप करेगा।

संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक को स्वयं किसी शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गयी है। तब किसी तरह का पंचन या उत्पीड़न कैसे हो सकता है? मेरे विचार से यह खण्ड अनावश्यक है। मुझे नहीं पता यहां यह खंड क्यों दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा। वे इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

एक और अनुबंध में ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर कोई न्यायालय आयोग द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण नहीं करेगा। मेरे विचार से इस किसी उच्च न्यायालय से रिट अधिकार नहीं छीन सकते हैं। मेरे विचार से, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास हमेशा रिट अधिकार रहेगा और कोई भी वहां जा सकता है...(व्यवधान) बात यह है कि यदि यह ठीक है तो शायद मैंने ही गलत समझा है। इसे स्पष्ट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान)

महोदय, मैं दो मिनट के भीतर समाप्त कर दूंगा। एक दल के रूप में भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि वे भी समृद्ध हों क्योंकि वे देश की आबादी का 13 प्रतिशत हैं और एक राष्ट्र के रूप में हम नहीं चाहते कि इस देश के 13 प्रतिशत लोग पिछड़े रहें। लेकिन मेरा कहना है कि सारे समय इन माननीय सदस्यों में से कुछ लोग कहते रहते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिशत कम है। किन्तु मैं एक साधारण सा प्रश्न पूछूंगा। क्या मुसलमान होने के कारण किसी मुसलमान को उसकी नौकरी या शैक्षणिक अधिकारों से वंचित रखा गया है? ...(व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : हां, हमें नहीं मिलता है। यह सच है...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : अब, इस प्रकार का जवाब इस सभा के माननीय मुसलमान सदस्यों द्वारा दिया जा रहा है।...(व्यवधान) मैं कांग्रेस पार्टी जितने लम्बे समय तक इस देश पर राज किया है से जानना चाहूंगा, उन्हें कहने दीजिए कि उन्होंने किसी को मुसलमान होने की वजह से वंचित रखा है...(व्यवधान) आई.ए.एस. या किसी अन्य सेवा के साक्षात्कार में, क्या प्रश्न पत्र अथवा उत्तर पुस्तिका पर यह लिखा रहता है कि अमुक उम्मीदवार मुस्लिम है?...(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : हां।...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : अभी सरकार के माननीय मंत्रियों में से एक मंत्री यह कह रहे हैं कि 'हां' सरकार मुस्लिमों को वंचित कर रही है।...(व्यवधान) मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप इसे पढ़ें। मैं भी एक भुक्तभोगी हूं। यादव होने की वजह से मुझे पीछे कर दिया गया।...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : आपको पीछे कर दिया गया।...(व्यवधान) परन्तु आप मुस्लिम नहीं हैं। मैं इससे पहले सरकारी सेवा में था। मैं सिविल सेवा में था। फार्म में धर्म अथवा जाति का उल्लेख नहीं रहता था। ऐसा उल्लेख नहीं रहता था क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैंने सुना है कि आप रेलवे में मेरे कर्मचारी थे। मैंने आपके बारे में सुना है।...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : आपके कर्मचारी?...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आपने रेलवे में नौकरी की है।...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : क्या इसका अभिप्राय यह हुआ कि मैं आपका कर्मचारी था?...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : नहीं,...(व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : आपने कहा 'मेरे कर्मचारी'...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं रेलवे कर्मचारी कह रहा था।... (व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, उन्होंने कहा : 'मेरे कर्मचारी'। ...(व्यवधान) एक समय मैं रेलवे में केन्द्रीय सेवा अधिकारी था। परंतु मैं आपका कर्मचारी नहीं था।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मेरे कर्मचारी नहीं बल्कि रेलवे के।... (व्यवधान)

श्री खारवेल स्वाईं : यही बात मैं कह रहा हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी जिसने यह सिफारिश की थी कि...*

आप कहते हैं कि हम मुस्लिमों के विरुद्ध हैं। परंतु हम ऐसे नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वह राष्ट्रपति का नाम न लें।...*(व्यवधान)* उन्हें राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख यहां नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : मैंने ऐसा किया तो इसमें हानि क्या है? क्या मैंने कुछ गलत कहा। यह तब किया गया जब हम सत्ता में थे।...*(व्यवधान)* हमने यह किया...*

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राष्ट्रपति जी से संबंधित उल्लेख को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें। ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : मैंने उनका नाम नहीं लिया है।... *(व्यवधान)*

श्री अभय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : आपको उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : महोदय, मुझे नियमों की जानकारी है। मैंने उनका नाम नहीं लिया।...**(व्यवधान)* हमारे समय के दौरान भाजपा के नेतृत्ववाली राजग सरकार सत्ता में थी जिसने नाम की सिफारिश की थी, जिसने इस नाम का समर्थन किया था।...*... *(व्यवधान)*

आप कैसे कह सकते हैं कि हम मुसलमानों के विरुद्ध हैं?...*(व्यवधान)* महोदय, हम मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : अगर ऐसी बात है, तो फिर आप इस बिल का सपोर्ट करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। चूंकि ये मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए हैं। मैं अपने दल की ओर से इसका उल्लेख कर रहा हूं। महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

मैं इस देश के मुस्लिम समुदाय से अपील करूंगा कि उन्हें मुख्य धारा में आना चाहिए, उन्हें इस पर भी विचार करना चाहिए कि वे सबके समान हैं। इस देश में एक कानून होना चाहिए ताकि इस देश में हिन्दू, मुस्लिम, इसाई सभी तरक्की कर सकें। हम यही चाहते हैं। हम मुसलमानों के विरुद्ध नहीं हैं। परंतु हम तुष्टिकरण के विरुद्ध हैं, हम वोट बैंक की इस राजनीति के विरुद्ध हैं।

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा (चित्रदुर्ग) : धन्यवाद महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बस तीन मिनट लूंगा।

प्रारंभ में, मैं सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2006 को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही, इसमें कई प्रशंसनीय प्रावधान हैं। परंतु साथ ही मेरे अनुसार इसमें कुछ कानूनी कमियां भी हैं। अवश्य ही मैं उनकी पसंद के संस्थानों की स्थापना की बात दोहराना नहीं चाहता हूं, चाहे वे अपनी भाषा अथवा अपने धर्म अथवा संस्थान को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थानों का ही उल्लेख करते हों। यह निर्णय करना उनका काम है न कि हमारा क्योंकि उनकी पसंद के संस्थान ही विचार का मुद्दा है।

सम्बद्धता के विस्तार के संबंध में, पूर्व के अधिनियम में यह केवल छह विश्वविद्यालयों तक ही सीमित था और अब यह कहा जाता है कि वे अपनी पसंद के किसी भी संस्थान से सम्बद्ध हो सकते हैं। निश्चित ही यह बहुत ही अस्पष्ट है और यह कई समस्याओं को भी जन्म देता है। उदाहरण के लिए, यदि हैदराबाद में कोई संस्थान आरंभ किया जाता है और हैदराबाद में अथवा इसके आस-पास की जगहों में इस प्रकार के संस्थानों को नियंत्रित तथा प्रशासित करने हेतु विश्वविद्यालय मौजूद हैं, और यदि संस्थान यह महसूस करता है कि विश्वविद्यालय में सम्बद्धता की कतिपय शर्तें विद्यमान हैं, जो कि इस संस्थान के पक्ष में नहीं है, फिर वे दिल्ली, लखनऊ, बंगलौर अथवा अन्य स्थानों में जाते हैं और उक्त विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त करते हैं।

[श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा]

सायं 6.00 बजे

इसलिए, हमें ऐसी बातों के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। अन्यथा, इस पर कुछ प्रतिबंध अथवा बल दिया जाएगा कि इसकी सम्बद्धता हेतु किसी विशेष विश्वविद्यालय द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा। यह एक बात है।

सभापति महोदय : अभी, 6 बज रहे हैं। अभी मेरे पास दो अथवा तीन वक्ताओं की सूची उपलब्ध है। यदि सभा सहमत है, तो समय को एक घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम समय 45 मिनट तक बढ़ा सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम समय आधा घंटा बढ़ाते हैं।

अभी दो या तीन सदस्यों को बोलना है। इसके बाद मंत्रीजी उत्तर देंगे, तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा। हमें इस सारे कार्य को 30 मिनट में पूरा करना होगा। इसलिए, वक्ताओं को सहयोग देना चाहिए अन्यथा हम इसे 30 मिनट में पूरा नहीं कर सकेंगे।

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा : सभापति महोदय, यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक संस्थाएं अपनी इच्छा की संस्थाएं चला सकती हैं। दुर्भाग्यवश, अ.जा./अ.ज.जा. के विद्यार्थियों हेतु आरक्षण का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए आरक्षण हेतु शिक्षा संस्थाओं से संबंधित अन्य सभी अधिनियमों में प्रावधान हैं। लेकिन, दुर्भाग्यवश इस विधेयक में ऐसा प्रावधान नहीं है, संबंधित मंत्रालय द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, जीरो ऑवर पहले ले लें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 'शून्य काल' इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा : सभापति महोदय, अ.जा. या अ.ज.जा. हेतु सभी शिक्षण संस्थाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। अन्यथा मेरे विचार में संविधान के अनुच्छेद 16 का कोई लाभ नहीं होगा।

नि:संदेह मानद दर्जे से संबंधित यह खण्ड बहुत विलम्ब से आया है, कोई भी विवेकपूर्ण आवेदक किसी भी तरह से कार्यालय से व्यवस्था करा लेगा कि 90 दिनों के भीतर कोई भी निर्णय न हो और ऐसा घोषित करवा लेगा कि मानद दर्जा स्वीकार कर लिया गया है। इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। जब अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन भेजा जाता है तो सम्बद्धता देने अथवा न देने संबंधी निर्णय से पहले चर्चा और सुनवाई होगी। तत्पश्चात् निर्णय लिया जाएगा। जहां तक इस खण्ड का संबंध है, इसे हटाया जाना चाहिए।

यही तीन अनुरोध मैं करना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइनोरिटी कमीशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (एमेंडमेंट) बिल पर उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए अगली पंक्ति में, बल्कि सबसे आगे खड़ा रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विश्लेषणात्मक रूप से बातों को रखा है। लेकिन हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, उनकी बातों से आज भी यह महसूस हो रहा है कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन की टेंडेंसी बिल्कुल कम नहीं हुई है और बढ़ती जा रही है। राजनैतिक लाभ के लिए विश्लेषण बिल्कुल ही बायस्ड ढंग से किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक समाज की सुरक्षा की जब बात आती है तो यह एक तरह की सुरक्षा है और सुरक्षा नहीं, अधिकार है। इंडियन कांस्टीट्यूशन के फाउण्डेशन में कल्याणकारी और सुरक्षात्मक अधिकार दिय गये हैं। सुरक्षा उनका अधिकार है, कोई मर्सी या गिफ्ट नहीं है। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का बहुत-बहुत समर्थन करते हैं।

आये दिन देखा जाता है कि जब कभी भी मदरसे की बात आई तो बेबाकी के साथ आरोप लगाया गया और मदरसे की एक आम भाषा बताई गई।

एक आम बात की तरह बोल दिया गया कि मदरसे आतंकवादियों का केन्द्र है। यह भी असुरक्षित करने का एक तरीका है। मुख्यधारा का क्या मतलब है? इसमें धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिनकी सोच कट्टरपंथी है और जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके अनुसार चले। मैं कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथियों को मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए।

सायं 6.06 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अल्पसंख्यक संस्थानों को जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, इस विधेयक से उन्हें लाभ होगा। एआईसीटी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अन्य संस्थाओं को भी अलग से इन्सट्रक्शन जारी होनी चाहिए कि अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रक्रिया है, उसे सरल बनाएं। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक और रोजगारपरक शिक्षा बनायी जानी चाहिए। मैं अपने देश के तमाम अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए, जो गैप बच गया है, उस गैप को पूरा करें और पढ़-लिखकर मुख्यधारा में शामिल हों।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, अगले वक्ता श्री बृज किशोर त्रिपाठी होंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे मित्र श्री महताब इस मामले पर पहले ही विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु यह छोटा कानून कम प्रभावी है। यहां लाया गया यह संशोधन इस प्रकार है जैसे खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। पिछली बार यह अधिनियमन बिहार के चुनावों से पूर्व किया गया था। अब, देश में पांच राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं और इस प्रयोजन से यह संशोधन हमारे सामने आया है। यह अध्यादेश संसद सत्र से चार सप्ताह पूर्व प्रख्यापित किया गया था। इसलिए हम इस सरकार के प्रयोजन से भली-भांति परिचित हैं परंतु शैक्षिक हितों और सभी अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक लाभों के लिए हम इसका समर्थन कर रहे हैं। मेरा दल और स्वयं मैं दोनों इसका समर्थन करते हैं।

परंतु आज क्या हो रहा है? संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उपबंध करता है और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है। इसलिए, संवैधानिक अधिकारों का उपबंध है। इन्हें कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है? इसे मैं कांग्रेसी मित्रों से पूछ रहा हूं। कांग्रेसी लगभग 50 वर्षों तक सत्ता में रहे। आपने अल्पसंख्यकों के लिए यह कार्य पहले क्यों नहीं किया? ऐसा करने में क्या कठिनाई थी? अल्पसंख्यक विद्यार्थी उच्च शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? इसका कारण अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों और अन्यों की खराब आर्थिक स्थिति होना है। इसी कारण वे उच्च शिक्षा प्राप्त न करने के लिए बाध्य हुए हैं।

इस विधेयक से उन्हें किस प्रकार सहायता मिलेगी? यह विधेयक सिर्फ अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना के लिए पुरःस्थापित किया गया है। गरीब अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा? उन्हें इस संस्थान में कैसे प्रवेश मिलेगा? इसके लिए अधिनियम में क्या उपबंध है? उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है? उन्हें इन संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए अनुमति कैसे मिलेगी? यदि कुछ अल्पसंख्यक व्यक्तियों अथवा संस्थान को स्वीकृति मिलती है, तो इस अधिनियम से उन्हें अल्पसंख्यक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार मिलता है। यह ऐसा नहीं कहता है कि अल्पसंख्यक अथवा समुदाय के गरीब विद्यार्थियों को इस संस्थान का लाभ मिलेगा।

क्या माननीय मंत्री महोदय अथवा सरकार कोई यह गारंटी दे सकता है कि इन संस्थानों में मुस्लिम विद्यार्थियों, अल्पसंख्यक समुदाय हेतु कुछ निश्चित प्रतिशत न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। क्या आप यह गारंटी दे सकते हैं? क्या यह विधेयक ऐसा कहता है? यह ऐसा नहीं कहता है। आप जनता को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आप अधिनियमन करने जा रहे हैं, परंतु इससे गरीब मुस्लिमों अथवा अल्पसंख्यक समुदाय को सहायता नहीं मिलेगी।

मैं अन्य बातों को दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि मेरे मित्र ने पहले ही उल्लेख किया है इसका आशय राज्य सरकारों की भूमिका को कम करना है। आप राज्य सरकारों की उपेक्षा क्यों करना चाहते हैं? हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत ये शक्तियां राज्यों में निहित हैं परंतु

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

जो भी शक्तियां राज्यों को दी गई हैं आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। क्या आप देश में व्याप्त शांतिपूर्ण माहौल को इस अधिनियमन द्वारा बिगाड़ना चाहते हैं?

यदि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय और गरीब अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के कल्याण करने की सत्यनिष्ठा रखते हैं तो हम आपकी सहायता करेंगे। आप बजट में जो भी वित्तीय प्रबंध करना चाहते हैं हम आपका समर्थन करेंगे। परंतु जनता को इस विधेयक द्वारा अनावश्यक रूप से गुमराह मत कीजिए। मैं आपको बता सकता हूं कि आप पुन: अन्य संशोधन लाएंगे क्योंकि यह उन्हें वास्तविक न्याय नहीं देगा। उसे वर्षों के बाद भी आप देखेंगे कि उनकी स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए, यदि आपकी सत्यभाव से इसमें रुचि है तो, आपको बेहतर उपबंध करने चाहिए ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु आरक्षण की बेहतर संभावना रहे। हम आपका समर्थन करेंगे।

इन संस्थानों से किस प्रकार सहायता मिलेगी? जहां तक तकनीकी उच्च शिक्षा का संबंध है तो राज्य चयन समितियां हैं। अधिकांश तकनीकी शिक्षा संस्थानों में राज्य चयन बोर्ड विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर करते हैं।

[अनुवाद]

प्रबंधन के पास केवल 10 प्रतिशत कोटा है और शेष 90 प्रतिशत सीटें योग्यता के आधार पर उपलब्ध हैं। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय स्थापित किये जाने वाले इन संस्थानों से किस प्रकार लाभान्वित होंगे? इससे अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन छात्रों को सहायता नहीं मिलेगी। यदि आप उचित सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं तो आपको बेहतर अधिनियमन करना होगा और हम इसमें आपको समर्थन देंगे।

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद (मेरठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। यूपीए सरकार द्वारा जो बिल लाया गया है, यह अल्पसंख्यकों और अकलियतों के लिए एक सराहनीय कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और साथ ही यह भी अनुरोध करता हूं कि हमारे कुछ साथियां ने इसके अंदर संशोधन करके सुधार करने के जो मामले उठाए हैं, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हों या कोई और हों, उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर अकलियतों के जो तालीम-ए-हालात हैं, उन हालातों पर आज चर्चा हो रही है। मुझसे पूर्व साथियों ने उन पर विस्तृत रूप से सदन को जानकारी उपलब्ध करवाई कि अगर सर्वे करवाया जाए, मैंने खुद अपने इलाकों में सर्वे करवाया तो पाया कि दो फीसदी बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं वे गुरबत की वजह से नहीं पढ़ पाते तो कहीं इसकी वजह यह भी है कि जब वे दरख्वास्त लेकर स्कूलों में जाते हैं, तो उन्हें दाखिला नहीं दिया जाता। यह एक कड़वा सच है। उनके कागज फेंक दिए जाते हैं। हमारे साथी भले ही कहें कि ऐसा कहीं नहीं है कि अकलियत के लोगों के लिए तालीम के सारे दरवाजे बंद कर रखे हों। ऐसा भी नहीं है कि अकलियत के लोग तालीम लेना नहीं चाहते। वे तालीम लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके लिए दरवाजे बंद हैं। यह इस बिल से संबंधित बड़ा अहम इशू है कि हाल ही में, दुनिया में सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी मुसलमानों की यूनीवर्सिटी है, उसके नाम के आगे अलीगढ़ मुस्लिम लगाया हुआ है। यह साबित करता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की यूनीवर्सिटी है। देश के अंदर वह एक ऐसी वाहिद यूनीवर्सिटी थी जहां मुसलमानों के कुछ प्रतिशत बच्चे पढ़ रहे थे और तालीम हासिल करके देश की सेवा कर रहे थे। उसके दरवाजे बंद करने के लिए ...*अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। इस वाक्य को डिलीट कर दिया जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिद : हमारा अनुरोध है कि जहां यह बिल लाया गया है, वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के लिए भी सरकार को बिल लाना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के लिए हमारी सरकार अलग से कार्यवाही कर रही है। आप चिन्ता मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : शाहिद जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में भी हिन्दु बच्चे पढ़ते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : इनका कहना है कि मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में नाम मुस्लिम है, इसलिए वह मुस्लिम यूनीवर्सिटी है। मैं पूछना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हिन्दू नाम है, इसका मतलब है कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी सिर्फ हिन्दुओं की है।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शाहिद के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आजमी जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

मोहम्मद शाहिद : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को बांट रहे हैं। अकलियतों की बात सदन में सुनना इनको बर्दाश्त नहीं है।...*(व्यवधान)* हमारे साथी कह रहे थे कि हम अकलियतों की तालीम के लिए समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अकलियतों की तालीम के मुतास्सिक समर्थन करती है, तो फिर क्यों कहा जाता है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? हमारा अनुरोध है कि अल्पसंख्यकों को हिन्दुस्तान में, शिक्षा संस्थाओं में रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि उनकी जो बदहाली है, वह दूर हो सके। जब हम देश को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं तो एक तबके को तालीम से महरूम क्यों किया जा रहा है? हमारा कहना है कि इस बिल में जो भी अमेंडमैंट्स करने हैं, उसे आप करें और अकलियतों की तालीम के लिए, तरक्की के लिए काम करना चाहिए। मैं यूपीए सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बिल लाकर मुसलमानों की तालीमी हालत को सुधारने की कोशिश की, जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री जी के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए और इसके अलावा कुछ नहीं।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं तकरीबन 23 सम्मानीय संसद सदस्यों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। सभी सदस्यों ने यहां अपनी बातें रखी हैं। दरअसल आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल 11 नवम्बर, 2004 को इस मुल्क में लागू हुआ था। इस दफा हम इस बिल में सिर्फ अमेंडमैंट्स लेकर आये हैं। यह बिल राज्य सभा में पास हो चुका है जिसे हम आज लोक सभा के सामने लाये हैं। मुख्य रूप से जो अमेंडमैंट्स हैं, वे इसलिए लाये गये क्योंकि इस कमीशन को एक्ट बनाने का हमारा जो उद्देश्य था, हम जो एचीव करना चाहते थे, वह एचीवमैंट हमें प्राप्त नहीं हुआ। कुछ संसद सदस्यों ने यहां यह भी सवाल उठाया कि अकलियतों को इससे फायदा पहुंचा? हम लोगों के पास जो इन्फोर्मेशन है, उसके हिसाब से जब एक्ट पास हुआ था, तब से उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। हम लोगों के पास राज्यों से कोई इन्फोर्मेशन नहीं आयी कि कितने लोगों को एनओसी मिला या कितने माइनौरिटीदारों को इसके तहत ऐफिलिएशन मिले। यही कारण है कि तकरीबन 350 एप्लीकेशन्स कमीशन के पास पूरे मुल्क से हासिल हुईं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की कम्पलेंट्स थीं। उन कम्पलेंट्स में सबसे बड़ी कम्पलेंट यह थी कि स्टेट की तरफ से जो एनओसी मिलनी चाहिए, जहां से किसी दायरे की शुरुआत होती है, जब एनओसी ही नहीं मिलेगा तो फिर ऐफिलिएशन की बात, उसका माइनोरिटी करैक्टर है या नहीं की बात...*(व्यवधान)*

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : आप यह बताने की जहमत करें कि बीजेपी की कितने स्टेटस ने एनओसी नहीं दी।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : जब यह देखा गया कि जो इनीशियल नो ऑब्जेक्शन सर्टीफिकेट है, जो राज्यों से मिलता है, वही नहीं मिल पाया तो आगे की बात नहीं हो सकती थी, इसलिए हम लोग अमेंडमैंट्स के साथ राज्य सभा में 13 अगस्त को पहुंचे। लेकिन उसे सलेक्ट कमेटी में भेजा गया और सलेक्ट कमेटी में विस्तार से डिसकशन हुआ। इसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी में विस्तार से उस पर डिसकशन हुआ और उन बातों के बाद, उन चर्चाओं के बाद सरकार ने बैठकर जो इनपुट्स कमीशन और राज्यों से लिए, कुछ चीजें जो निकलकर आईं, वह हम लोग जो इस अमेंडमेंट बिल में लाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि 90 दिन के अंदर जब कोई भी सरकार के पास दरख्वास्त देता है कि हमें स्कूल खोलना है या कॉलेज खोलना है, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है तो स्टेट 90 दिनों के अंदर या तो इजाजत देगी कि हां, हम एनओसी देते हैं या नहीं देगी या जवाब नहीं देगी। अगर जवाब दे देती है तो बहुत अच्छा है और अगर जवाब नहीं देती है तो उसका कोई कारण बताती है और वह कारण अगर एक संस्थान के खुलने के लिए मुनासिब नहीं है या फिर कोई जवाब नहीं देगी तो उसे माना जाएगा कि उसे एनओसी मिल गया। लेकिन जवाब देती है और मैं समझता हूं कि जो जवाब होना चाहिए और वह मुनासिब नहीं है, इसीलिए स्टेट को कहीं पर छोड़ा नहीं जा रहा है, इसीलिए वह कमीशन के पास 90 दिन के बाद जाएगा। पहले वह स्टेट के पास जाएगा और स्टेट अगर जब एनओसी नहीं देती है तो वह कमीशन के पास आएगा। जब वह कमीशन के पास आएगा तो कमीशन खुद बैठकर फैसला नहीं कर देगा कि उसे एनओसी दे दिया गया बल्कि उसके बाद वह राज्य से भी पूछेगा कि आपने एनओसी क्यों नहीं दिया? जब एनओसी उसे अगर मिलने वाला है, मिल सकता है और मिलना चाहिए तो कमीशन उसे एनओसी देगा और देने के बाद जो दूसरी बात आई कि पहले जो हमारा बिल पास हुआ था, उसके अंदर प्रोवीजन था कि सिर्फ 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ही एफिलिएशन ले सकता है। यहां पर इधर के तथा उधर के कई माननीय सदस्यों ने कहा कि केरल का रहने वाला नागालैंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले या नॉर्थ का रहने वाला साउथ की किसी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से ले। जो एफिलिएशन लेंगे, उनके लिए इससे बहुत मुश्किल होगी और उस यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसे फिर से रिव्यू करने के बाद अब हम लोगों ने इसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया है। अब हिन्दुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से चाहे वह स्टेट-रन हो या सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां से वह अब एफिलिएशन ले सकता है। यह एक बड़ा कदम उठाया गया है।

अब यह बात यहां उठी कि क्या वह किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलिएशन ले लेंगे? वह यूनिवर्सिटी जो एफिलिएशन देती है और उसका एक दायरा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी है और दिल्ली के अंदर एफिलिएशन देती है तो यू.पी. में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन खोलेगा तो वह एफिलिएशन नहीं देगी। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर उत्तर प्रदेश में कोई इंस्टीट्यूशन खुलता है, उसे अगर एफिलिएशन देती है तो उनको एफिलिएशन देना होगा। इसका दायरा बढ़ाया गया है। पूरे मुल्क के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से वह एफिलिएशन ले सकता है।

तीसरे, अगर कोई एफिलिएशन नहीं देता है तो 60 दिन के बाद पूछ सकते हैं कि एफिलिएशन क्यों नहीं दिया गया? उसके अलावा जब हमारा 93 अमेंडमेंट हुआ, जब वह 15(5) नया संविधान संशोधन हुआ है, उसके बाद यह जानना बहुत जरूरी था। सब लोगों ने कहा कि क्या जल्दबाजी थी कि आप ऑर्डिनेंस ले आए। अभी इलेक्शन की चर्चा हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन से कोई लेना-देना नहीं है। न इलेक्शन से लेना-देना है बल्कि अब जब यह हो गया कि आपने भी एक सवाल रखा था कि एससीएसटी का रिजर्वेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में होगा या नहीं तो यह जो 15(5) अमेंडमेंट के बाद जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा, उसके अंदर ओबीसी, एससीएसटी के रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है और ऑलरेडी यह पार्लियामेंट में पास हो गया है। यह पता लगाना कि कौन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है क्योंकि फिर वह एप्लाई होगा, जो माइनॉरिटी इदारा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी के लोग हैं जो अपना जनरल इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं और जिसे माइनॉरिटी करैक्टर नहीं प्राप्त है तो वहां पर तो फिर एससीएसटी और बैकवर्ड क्लासेज का रिजर्वेशन एप्लाई होगा।

इसलिए यह तय करने का हक भी इस कमीशन को होगा कि कौन सा माइनॉरिटी इदारा है। जहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया है कि उसका कोई स्टैण्डर्ड नहीं होगा और यह कमीशन की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह जिसको चाहे उसे कॉलेज या युनिवर्सिटी का स्टेटस दे देगा। ऐसा नहीं है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई, एमसीआई, डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि सभी इदारों के इंस्ट्रक्शन्स और गाइडलाइंस इन माइनारिटी इदारों पर लागू होंगे और इन सभी की निगाह ऐसे इदारों पर रहेगी। क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि माइनारिटी इदारा खुल गया तो वह किसी दायरे में नहीं है, ये सभी दायरे उन पर भी लागू होंगे। इन माइनारिटी इदारों में क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। यहां कॉमर्शियलाइजेशन हो जाने की बात यहां उठाई गयी। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी इदारा हिन्दुस्तान में एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन

नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है और आपके सामने ऐसा मामला आता है तो हमें बताइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

जहां तक ओवेसी साहब ने यह कहा कि इससे संविधान में आर्टिकल 30 में इन्टरफेरेंस होगी, मैं कहना चाहता हूं कि इससे कोई इन्टरफेरेंस नहीं होगी। स्टेट और सेन्टर रिलेशन्स के खराब होने की भी बात कही गयी है। हमने पहले भी कहा है कि जब भी एनओसी देने या एफिलिएशन देने का कोई मामला सामने आएगा तो हम स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके ही उस पर निर्णय लेंगे। इस प्रक्रिया में हम स्टेट को इग्नोर नहीं करेंगे। जहां तक यह सवाल है कि माइनारिटी कौन है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश के स्तर पर हमने मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जोरैस्ट्रियन, इन पांच वर्गों को माइनारिटी के रूप में नोटीफाई किया है। लेकिन अगर कोई हिन्दू पंजाब में रहता है, तो वह वहां माइनारिटी होगा। कोई हिन्दू या बौद्ध कश्मीर में रहता है, तो वे वहां माइनारिटी माने जाएंगे। इसी तरह अगर नागालैंड में कोई हिन्दू है तो उसे वहां माइनारिटी माना जाएगा। इसके बारे में राज्य सरकार नोटीफाई कर सकेगी और जिसे राज्य सरकार माइनारिटी घोषित करेगी, हम भी उसे वहां पर माइनारिटी मानेंगें। इसलिए आप यह बात जेहन से निकाल दीजिए कि हमने जो फैसला कर दिया उसे सभी को मानना पड़ेगा। स्टेट्स इस बात के लिए आजाद हैं कि वे अपने हिसाब से माइनारिटी को आइडेण्टीफाई कर सकें।

अब इस बिल से माइनारिटीज को फायदा होगा या नहीं होगा, यह प्रश्न भी उठाया गया है। हम लोग तिनका-तिनका जोड़कर महल बनाना चाहते हैं। जब से ये यूपीए सरकार बनी है, उसका सीधा कहना है कि हम समाजी इन्साफ और सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं और यह उसी दिशा में एक कदम है। हमारे माननीय साथी श्री रावत जी ने एक पेड़ का जिक्र किया। अगर यह देश एक पेड़ है तो हम उसकी चन्द शाखाएं हैं, एक शाखा हिन्दु है, एक शाखा मुसलमान है, एक शाखा सिख है तो एक शाखा क्रिश्चियन है। आपने कहा कि उस पर परिन्दा रहता था, जब उस पेड़ पर आग लग गयी तो उसने कहा कि मैं इसी पेड़ पर रहता था लेकिन आज उसमें आग लग गयी है। इस अवस्था में मैं इस पेड़ को नहीं छोड़कर नही भागूंगा। इस पर आपने खुद ही कहा है कि कोई नहीं भागा है। अगर हम सभी भाई एक हैं तो हम मिलजुलकर रहेंगे, अगर कोई आग लगाता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे और देखेंगे की आग कौन लगाता है। बात देखने वाली यह है कि आग लगाने वाला कौन है? आग लगाने वाला कौन हे, उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। यह मुल्क हम सभी के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चेयर को संबोधित करते हुए अपनी बात कहिए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। यह मुल्क आपका है, हम सभी का है जिसमें हम सभी को मिलजुलकर रहना है, सभी को फलना-फूलना है, आगे बढ़ना है और मैं यह समझता हूं कि अगर हम इस देश को दरख्त मान लें तो हम सभी शाखाएं यह देखें की कोई शाखा न जले और जो जलाने वाला हो, हम उस हाथ को ही जला दें।

यह जो बिल है, उसकी तरफ एक कदम है। इसलिए आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पूरा सदन मिलजुल कर इस बिल का समर्थन करे और इसे पास करे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया था, जो कि पूरा हो चुका है। अगर माननीय सदस्यों की अनुमति हो तो सदन का समय इस बिल के पास होने और स्पेशल मैंशंस खत्म होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि संकल्प के प्रस्तावक सभा में उपस्थित नहीं हैं, अत: मैं संकल्प को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं:

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 23 जनवरी, 2006 को प्रख्यापित किए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का संख्यांक 1) का निर्नुमोदन करती है।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

प्रश्न यह है:

"खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा विशेष उल्लेखों पर चर्चा करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, ईरान परमाणु मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठक कल समाप्त हुई। आई.ए.ई.ए. बोर्ड की बैठक में, ईरान परमाणु मुद्दे के संबंध में यह सिफारिश की गई है कि इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपा जाए। महानिदेशक की रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अग्रेषित किए जाने के साथ ही, अब यह मामला आई.ए.ई.ए. के दायरे से बाहर है।

अमरीका ने यह स्पष्ट किया है कि वह सुरक्षा परिषद में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा करता है। हमने अमरीका के उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया वक्तव्य देखा है कि ईरान को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मामले पर इस सभा में चर्चा और वाद-विवाद हुआ। वाद-विवाद पर जवाब देते वक्त, माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि "आई.ए.ई.ए. बोर्ड की बैठक के संबंध में निर्णय लेते वक्त इस सभा के सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता पर ध्यान दिया जाएगा।"

हमने देखा है कि हमारी सरकार को जो भूमिका, आई.ए.ई.ए. में निभानी चाहिए थी, उसे हमारे प्रतिनिधि द्वारा निभाया गया। इस समस्या का कूटनीतिक समाधान खोजने के रूस द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अमरीका और यूरोपीय संघ-तीन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मैं, वह उद्धृत करना चाहता हूं, जो अमरीका के अंडर सेक्रेटरी, श्री निकोलस बर्न ने कांग्रेशनल कमेटी के समक्ष कहा। मैं उद्धृत करता हूं:

"पूरे विश्व में हमारे सहयोगी देशों और इच्छुक देशों के लिए यह दर्शाना लाजिमी होगा कि वे संयुक्त राष्ट्र के शब्दों और संकल्प के यथेष्ठ न होने की सूरत में कार्रवाई करने के लिए इच्छुक हैं।"

यह बहुत ही प्रासंगिक है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा में इस मामले पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वही तरीका और वही पद्धति अपनायी गई ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर पहले ही लंबा वाद-विवाद कर चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जो हमने यहां कहा है, जो आशंका हमने व्यक्त की थी तथा जो प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद के उत्तर में जो कहा, वही रास्ता तथा वही पद्धति अमेरिका ने इराक पर अपनाई थी। संयुक्त राष्ट्र को ये अनुचित मांगें स्वीकार कर लेनी चाहिए तथा यदि ये मांगें स्वीकार नहीं की जाती हैं तो वे संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर देंगे तथा अपने सहयोगियों के साथ कार्रवाई करेंगे। यह बात अमेरिका के विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए बयानों से स्पष्ट होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं? मेरे पास बोलने वाले 30 से अधिक सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं खेद प्रकट करने लायक है कि संप्रग सरकार ने फरवरी में अमेरीका तथा ईयू-3 के साथ मतदान किया। इस बार मतदान नहीं हुआ था। रूस का प्रस्ताव अमेरिका द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। हमारी सरकार ने अमेरिका तथा ईयू-3 द्वारा अपनाए गए रूप का समर्थन किया है। मलेशिया द्वारा दिया गया वक्तव्य...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस समय भाषण नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह बहुत महत्वपूर्ण है, महोदय। मैं अपना भाषण समाप्त ही कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल एक मिनट का समय दिया गया था तथा आप पांच मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : अमेरिका के इरादे बहुत स्पष्ट हैं। यहां तक की शांति प्रयोजनों के लिए परमाणु मुद्दे के छोटे प्रस्ताव पर भी अमेरिका ने स्वीकृति नहीं दी। हम चाहते थे कि यह अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के दायरे में होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वास्तविक इरादा ईरान के विरुद्ध प्रतिबंध लगाना है। जो उन्होंने ईरान के मुद्दे पर किया, वही पद्धति अपनाई जाएगी तथा इसका इशारा अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यकता से अधिक है। आप कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे। कृपया एक ही मिनट बोलिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित माननीय सदस्य श्री वसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हैं:-

श्री असादुद्दीन ओवेसी

श्री रूपचंद पाल

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, संकट मोचन मंदिर वाराणसी ने साम्प्रदायिक सौहार्द की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि दोनों सदनों ने, बम धमाकों के बाद मृतक परिवारों के लिए दो मिनट का शोक किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के लिए पांच-पांच लाख रुपए और घायलों के लिए एक-एक लाख और पचास-पचास हजार रुपए दिए हैं। बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर के कैंपस में हमें धरना देने की परमीशन दी जाए। मंदिर के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, मैं आज सदन के माध्यम से उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मंदिर में धरना-प्रदर्शन की परमीशन नहीं दी। यही नहीं हमारे तमाम राजनीतिक दल के लोग, बड़े-बड़े नेता वहां गए और खासकर सलमान खुर्शीद साहब जब वहां गए, तो भाजपा के संगठन के लोग और विद्यार्थी परिषद के लोगों ने कहा कि पूरे मंदिर को गंगा जल से धोना चाहिए। इससे साफ जाहिर हो रहा है साम्प्रदायिकता और धार्मिक उन्माद को फैलाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। आज पूरे देश में जो अमन-चैन और शांति है, जिसके लिए हम लोग साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, कौमी एकता का नारा देते हैं, लेकिन यह पार्टी हर जगह जहां पर दंगा होता है और उस दंगे में जो मृतक होते हैं, उनकी लाशों पर अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम करती है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि ऐसे संगठन पर रोक लगायी जाए, जो सांप्रदायिकता का माहौल फैलाने का काम करती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चौधरी लाल सिंह (डुमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से हाउस का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट की ओर से सेंट्रली स्पौंसर्ड स्कीम्स अलग-अलग नाम से हमेशा राज्यों में जाती रही हैं। उनका मकसद और उनके सिस्टम के बारे में मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। जैसे - एक स्कीम जवाहर रोजगार योजना बनायी गयी, उसमें रोजगार देने की बात की गयी, अभी इस स्कीम ने अपना काम पूरा नहीं किया है और स्कीम खत्म हो गयी तथा स्कीम का नाम बदलकर इंप्लायमेंट अश्योरेंस स्कीम रख दिया गया। उसमें जेआरवाई के अंतर्गत जो काम हुए थे, वे वहीं टिके रहे। किसी की गली बन रही थी लेकिन आधी रह गई। कहीं सड़क बन रही थी लेकिन छूट गई, कहीं बिल्डिंग का काम हुआ लेकिन छत बननी रह गई। फिर अगली स्कीम चल पड़ी। नई स्कीम आई। वह आधी शुरू हुई लेकिन खत्म हो गई। एक और नाम आ गया। उसे स्वर्ण जयन्ती स्व-रोजगार नाम दे दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको पता है कि आप रूलिंग पार्टी से हैं?

चौधरी लाल सिंह : मैं सौ फीसदी सही कह रहा हूं। मैं अपनी पार्टी के हक में बात कर रहा हूं और गलतियों को दुरुस्त करने की बात कह रहा हूं। अवार्ड भी वहां पर आई। सीआरएफ स्कीम बनी। नेशनल रूरल एम्पलायमेंट गारंटी एक्ट बना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना। सारी स्कीमें आम लोगों के लिए बनती हैं लेकिन हर स्टेट की अलग-अलग मुश्किलें और सिस्टम हैं। उनको जमीनी सतह पर नहीं देखा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भाषण नहीं करना है। अपनी बात खत्म करिए।

चौधरी लाल सिंह : मैं भाषण नहीं करता हूं। हमारे यहां इस योजना के अंतर्गत काम हुए। जब एक स्कीम दूसरे के नाम पर आती है तो सारे काम दूसरी स्कीम को हैंड ओवर करने चाहिए। अगर वे हैंड ओवर नहीं होते हैं तो वे काम नहीं हो पाते हैं। जिस भी स्कीम का नाम लेंज हो, उसमें इन सब चीजों को देखना चाहिए। आपने 200 जिले लिए हैं। जो दूसरे जिले नहीं लिए हैं उनको भी लिया जाए क्योंकि एम्पलायमेंट का सवाल है। इसकी तरफ ध्यान देना होगा वरना मकसद हल नहीं होगा।

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धनबाद लोक सभा का सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धनबाद में बोकारो जिला आता है। वहां पानी को लेकर लोगों में हाहाकार मची है। गांव-गांव तक कहीं भी पीने का पानी नहीं है। जिस के चलते लोगों में पलायन की स्थिति आ गई है। बोकारो जिला के चास एवं चन्दन कियारी प्रखंड में पेय जल का घोर संकट है। वहां के लोग गंदे तालाब एवं गरगा नदी का पानी पीने पर विवश हैं। चास के लोग प्रति गैलन 10 रुपए के हिसाब से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। चास में 15 वर्षों से पेय जल जलापूर्ति योजना सिर्फ कागज पर बनी हुई है जो अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पायी है जिस के चलते पेय जल का घोर संकट है। इस दृश्य को जिले के सभी उच्च अधिकारी देखते हैं परंतु किसी ने संवेदनशीलता नहीं दिखायी। बोकारो स्टील से सटा हुआ मारफारी, शिवनडीह, रितुडीह, कुर्मांडीह, बालीडीह है। उन क्षेत्रों की महिलाओं को पानी लेने के लिए दो-दो किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इन क्षेत्रों के सभी चापानल खराब हो गए हैं और तालाब सूख गए हैं। बोकारो स्टील के आवासीय कालोनी को छोड़ कर पूरे क्षेत्र में कमोवेश पेय जल की यही स्थिति है। मैं इन क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा बहाल करने की मांग करता हूं क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है। पूरे झारखंड में यह समस्या है। पानी कहीं नहीं है। जल स्तर काफी नीचे चला गया है। कुंए और तालाब सूख गए हैं। स्थिति बहुत ही खराब है।

[अनुवाद]

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, उच्चतम न्यायालय ने कल बेस्ट बेकरी मामले में एक ऐतिहासिक और आंखे खोल देने वाला निर्णय दिया है। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में आगे बढ़ने का अनुरोध करता हूं। अपराध से निपटने वाले हमारे प्रशासन तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

हम लम्बे समय से परिवर्तनों के बारें में बात करते रहे हैं और इसके लिए गठित अनेक आयोगों ने इन परिवर्तनों से संबंधित अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। लेकिन अभी तक इन रिपोर्टों पर विचार नहीं किया गया है। पश्चिमी देशों की तुलना में हमारी यहां आपराधिक मामले में दोषसिद्धि दर बहुत कम है। इसलिए हमारी जांच प्रणाली आधुनिक समय के अनुकूल नहीं है। अब समय आ गया है कि हमें सबसे पहले साक्ष्य अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। साक्ष्य अधिनियम पुराना हो गया है। इसलिए, हमें साक्ष्य अधिनियम को आधुनिक स्थितियों और आधुनिक सुविधाओं के अनुकूल बनाने के लिए इसमें परिवर्तन करने होंगे। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में भी आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक धारा का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं पिछली आधी सदी से अधिक समय से अधिवक्ता

हूं। धारा 162 जांच प्रक्रिया में एक अहस्ताक्षरित बयान से संबंधित है। हम हमेशा देखते हैं कि गवाह पक्षद्रोही हो जाता है। इस आधार पर जेसिका लाल और बेस्ट बेकरी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों और नृशंश मामलों में अपराधी छूठ जाते हैं। ये सभी इस बात के उदाहरण हैं कि हमारी आपराधिक जांच प्रक्रिया में कुछ मूलभूत खामियां हैं।

मैं सरकार से आपराधिक जांच प्रक्रिया के मामलों में साक्ष्य अधिनियम के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए ठोस प्रस्ताव के साथ आगे आने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री एस.के. खारवेलवन (पलानी) : महोदय, पूरे देश के युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में चलाए जा रहे अधिप्रमाणन केन्द्र से अधिप्रमाणन करवाना पड़ता है। तमिलनाडु से एक बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। वे अधिप्रमाणन के लिए कई दिन प्रतीक्षा करते हैं और साथ ही भारी धनराशि भी खर्च करते हैं। केरल में पहले ही तीन केन्द्र खोले जा चुके हैं। पहला त्रिवेन्द्रम में और बाकी दो केन्द्र एर्णाकुलम और कोझीकोड में खोले गये हैं और इन केन्द्रों को नोरका (एन ओ आर के ए) द्वारा चलाया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में यह केन्द्र हैदराबाद में कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र में यह केन्द्र मुम्बई में और कर्नाटक में यह बंगलौर में स्थित है। तमिलनाडु से सबसे अधिक युवा विदेश जाते हैं। दिल्ली केन्द्र में अधिप्रमाणन के लिए जाने वाले युवाओं में सबसे अधिक युवा तमिलनाडु के होते है। रहने और भाषा की समस्या के कारण छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को ऐसे प्राधिकरणों की पहचान करने के लिए कहा है जिन्हें क्षेत्रीय अधिप्रमाणन केन्द्र के रूप में प्राधिकृत किया जा सके। लेकिन तमिलनाडु सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और वह इस मामले में जानबूझकर विलम्ब कर रही है। इससे हजारों छात्रों को अनावश्यक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में उचित कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु राज्य सरकार के गृह विभाग को यह निदेश दे कि वह तमिलनाडु के युवाओं के लिए एक क्षेत्रीय अधिप्रमाणन केन्द्र के रूप में कार्य करे।

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान खासतौर से उत्तर प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश से देश के किसानों एवं अन्य लोगों को हुई जन-धन एवं फसलों की बर्बादी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले तीन दिन, दिनांक 8, 9 और 10.3.2006 को उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड क्षेत्र में और जहां से मैं चुनकर आया हूं, हमीरपुर, महोबा क्षेत्र में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान के कारण किसानों की फसल पूर्णतया बर्बाद हो गई है। इसमें काफी लोगों की जानें भी गई हैं और अनेक लोग घायल हुए हैं। गांव की बिजली व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो गई है। संचार के साधन खराब हो गए हैं। तेज हवाएं चलने से खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। पिछले चार वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के किसानों की किस्मत खराब है कि हर बार उनके मुंह का निवाला छिन जाता है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि के बाद इस साल शुरूआत में ही माहू कीट से मसूर और अरहर की फसल बर्बाद हुई है। पाला से खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और भारी बारिश के कारण पूर्णतया पककर खड़ी हुई फसल गिर गई है। पिछले साल भी मैंने सत्र के दौरान केन्द्रीय मदद के लिए मांग की थी और केन्द्र सरकार ने वहां सर्वे कराया, लेकिन पैसे के नाम पर एक रुपया भी किसानों को प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे तो पूरा बुन्देलखंड ही बरबाद हुआ है, लेकिन मैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वहां केन्द्रीय सर्वेक्षण टीम भेजकर किसानों को हुए नुकसान को जायजा लिया जाए तथा वहां तुरंत केन्द्रीय मदद प्रदान की जाए और एक आपदा कोष की स्थापना की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक समस्या की ओर सदन का ध्यान दिला रहा हूं, कल बहन वसुन्धरा जी ने राजस्थान का बजट विधान सभा में रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह समय तो बीत गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : राजस्थान की वार्षिक योजना में 195 करोड़ रुपये की कटौती कर केन्द्र सरकार ने राजस्थान के वाजिब हक में से 636 करोड़ रुपये पर रोक लगा दी है। योजना का समुचित आकार 8185.23 करोड़ रुपये है। योजना आयोग ने 8350 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। 11वें और 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

आधार पर वित्तीय प्रबंधन से वाजिब हक हासिल करने के बावजूद प्रदेश के 636 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने रोक लिए हैं। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजस्थान को गाडगिल फार्मूले के तहत योजना आयोग की सिफारिश प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। भारत सरकार से गाडगिल-मुकर्जी फार्मूले में क्षेत्र, मरुस्थल, आधारभूत ढांचा, विकास का सूचकांक, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सात जमा के कम अनुपात को भी समुचित व्यय दिया जाता है। इस तरह से जो रकम राजस्थान को मिलनी चाहिए थी, वह आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार ने जो 636 करोड़ रुपये रोक रखे हैं, वे राजस्थान को ठीक प्रकार से व्यवहार करके दिये जाएं, जिससे कि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं बहन वसुन्धरा जी ने चला रखी हैं, राज्य सरकार उन योजनाओं को पूरा कर सके और गरीबों का भला कर सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नवीन जिन्दल, आप केवल वाराणसी में हुई घटना के बारे में बोलें तथा सदन की कार्यवाही के संचालन के बारे में कुछ न कहें।

[हिन्दी]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब सात तारीख को वाराणसी में अटैक हुआ, उसमें हमारे बहुत से भाई-बहन मारे गए। उसके बाद आठ तारीख को जब हम संसद में मिले, तो पहले दो मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद में जिस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप किए, उनसे नया सांसद होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ कि आतंकवादी आकर हमारे लोगों को मारते हैं और हम उन्हें पकड़ने की बजाय, उनसे निपटने की बजाय अगर हम एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस तरह से हम उनके हाथों में खेल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम सभी का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने देश की सेवा करें, हम अपने देश को मजबूत करें। मैं समझता हूं कि हमें एकजुट होकर ऐसे मुद्दों के ऊपर विचार करना चाहिए तथा जहां देश की सुरक्षा का मामला आता है, वहां हमें एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। मैं किसी एक दल विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि हम भी यही काम करते हों, लेकिन हमें इन सब बातों से हटकर ऐसे मुद्दों पर एकजुट होकर यह दिखाना होगा कि हम सब आपस में मिलकर बाहरी ताकतों का मुकाबला करेंगे, न कि हम आपस में लड़ेंगे।

[अनुवाद]

सायं 6.58 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

चौबीसवें प्रतिवेदन

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, कुछ समय से हमारे देश के लगभग सभी मुख्य विमानपत्तनों पर अव्यवस्था फैली हुई है। अवांछित विलम्ब हो रहा है तथा यात्रियों को सभी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रख-रखाव की भी कमी है। विमानों का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जा रहा। इसलिए हो यह रहा है कि सुरक्षा मानकों से समझौता किया जा रहा है। कल शाम को कोलकाता-दिल्ली उड़ान के नोज व्हील में बाधा उत्पन्न हो गई थी, जब वह उतर रहा था। यह बाधा ऐसी थी कि भारी दुर्घटना हो सकती थी। इस फ्लाइट में 170 यात्री थे जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इसमें काफी यात्री थे। रख-रखाव की कमी है। विमान कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा कोई रख-रखाव नहीं किया जा रहा। स्टाफ की कमी है और सरकार बिना सोचे समझे निजीकरण कर रही है। कोई नागर विमानन नीति नहीं है। सहारा एयरलाइंस तथा जेट एयरलाइंस का विश्व के सिद्धांतों के विरुद्ध विलय हो रहा है।

सायं 7.00 बजे

इससे विमानपत्तन की जगह तथा अन्य चीजों पर एकाधिकार बन

रहा है। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि सरकार को यह बताना चाहिए कि वह स्थिति में कैसे सुधार लायेगी, विमानपत्तनों पर चल रही अव्यवस्था को कैसे समाप्त करेगी तथा नागर विमानन नीति में कैसे सुधार लायेगी।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : ईस्टर रविवार सारी दुनिया के ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र रविवार है। यह अंतर्राष्ट्रीय अवकाश का दिन भी है। ईसाई लोग उस दिन चर्च में प्रार्थना तथा इससे जुड़े कार्य करेंगे। परंतु ऐसा लगता है कि हमारे संघ लोक सेवा आयोग को इसकी जानकारी नहीं है। यह नेशनल लेवल प्रिमेडिकल एक्जामिनेशन ईस्टर वाले दिन करवा रहा है। इस वर्ष यह 16 अप्रैल को है। पिछले वर्ष भी यू.पी.एस.सी. ने यह परीक्षा ईस्टर वाले दिन करवाने का निर्णय लिया था। केरल में सभी क्षेत्रों के लोगों ने इस कदम का विरोध किया तथा धरना, रेले रोको तथा अन्य विरोध प्रदर्शन किए। इरिनजलाकुडा के डायोसीज के कई पादरियों के विरुद्ध रेलवे कोर्ट, पालाकड में आपराधिक मामले लंबित पड़े हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह 'ईस्टर दिवस' पर राष्ट्रीय स्तर पर प्री-मेडिकल परीक्षा आयोजित करने के निर्णय को वापस लेने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को आवश्यक निदेश दें। मैं केंद्र सरकार से उन लोगों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने गत वर्ष इस कदम के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था।

श्रीमती पी. सतीदेवी (वडागरा) : मैं सभा का ध्यान रियाध में प्रवासी भारतीयों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हजारों भारतीय पासपोर्ट धारक व्यक्ति साऊदी अरब, विशेषकर रियाध में कार्य कर रहे हैं। वे अपने रोजगार और कल्याण से संबंधित बहुत सी समस्याएं उठा रहे हैं। किंतु रियाध में भारतीय दूतावास में प्रथम कल्याण अधिकारी का पद गत कुछ महीनों से रिक्त है। अत: रियाध में कर्मचारियों की पासपोर्ट के पुनर्नवीकरण सहित अनेक समस्याओं के समाधान का कोई उपाय नहीं है।

अत: विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से रियाध में भारतीय दूतावास में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि 1956 तक केन्द्रशासित प्रदेश रहे तथा राजस्थान के बीचोंबीच अजमेर स्थित, जो ऐतिहासिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण नगर है, वहां पर कार्यरत राजस्थान के सबसे पुराने रेल डाक सेवा मंडल को डाक विभाग के महानिदेशक के निर्देशानुसार समाप्त कर अन्यत्र स्थानान्तरित करने का षडयंत्र किया जा रहा है। इस कारण इस मंडल में कार्यरत हजारों कर्मचारियों एवं अधिकारियों में घोर रोष व्याप्त है। रेल डाक सेवा मंडल अजमेर मुख्यालय राजस्थान का सबसे पुराना डिवीजन है। जयपुर एवं जोधपुर डिवीजन इसके बाद बने हैं। यह रेल डाक सेवा मंडल कार्यालय इकाइयों एवं स्टाफ की संख्या, डाक प्रेषण की मात्रा, कार्यभार आदि दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा है। वहां दरगाह शरीफ है और वहां देश-विदेश की डाक आती है, महत्वपूर्ण तीर्थ पुष्कर यहीं पर स्थित है। केन्द्र तथा राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यालय यहां पर विद्यमान हैं। महानिदेशक डाक विभाग अपनी हठधर्मिता के कारण इस सबसे बड़े एवं पुराने कार्यालय के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं।

इसलिए आपके माध्यम से संचार मंत्रालय से अनुरोध है कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप कर हजारों कर्मचारियों के हित, व्यापक जनहित तथा अजमेर की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए रेल डाक सेवा मंडल अजमेर को पूर्ववत एवं यथावत कार्य करते रहने दिया जाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, बरेली में कार्यरत है। यहां तीन प्रकार के अधिकारी कार्यरत हैं – वैज्ञानिक वर्ग, तकनीकी वर्ग और प्रशासनिक वर्ग। वैज्ञानिक वर्ग के जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, उन्हें पांच वर्षीय असेसमेंट, 25 प्रतिशत नानप्रेक्टिसिंग एलाउंस और वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। तकनीकी वर्ग में भी इस प्रकार की सुविधा है, पांच वर्षीय असेसमेंट पद्धति के अंतर्गत प्रमोशन तथा तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धियां भी दी जाती हैं और तकनीकी वर्ग में कक्षा पांच पास ट्रैक्टर चालक, वाहन चालक, दूध मापने वाले, बूचड़ का काम करने वाले, रोटरी सेकने वाले, हिन्दी अनुवादक, कंप्यूटर चालक, की-पंच ऑपरेटर आदि सब शामिल हैं, परंतु जो कर्मचारी प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं, जो आईटीआई से लेकर उच्च शिक्षा जैसे स्नातक, परास्नातक, एमबीए, एलएलबी आदि की डिग्री प्राप्त हैं, उन्हें इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।

एक वर्ग के लिए पांच वर्षीय प्रमोशन पद्धति है और दूसरे वर्ग तृतीय श्रेणी के स्केल में 12 वर्ष के बाद प्रमोशन दी जाती है। जब

[श्री संतोष गंगवार]

ये कर्मचारी और अधिकारी प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारी हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, इंटरनेट टेलीप्रिंटर्स, फोटोस्टेट मशीन आदि सभी तकनीकी यंत्रों का संचालन करते हैं तो इनके साथ विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसलिये मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस संबंध में सरकार आवश्यक विचार करे और प्रशासनिक वर्गों के कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समान वेतन-वृद्धि तथा सुविधायें दी जायें।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर, म.प्र. से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-26, का कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4-लेन एक्सप्रेस हाईवे के रूप में उन्नयन होने जा रहा है। यह मार्ग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सागर से नागपुर जाने वाले रास्ते पर बम्होरी तिगड्डा पड़ता है। इसके अलावा रहली पाटन, जबलपुर होकर जाने में मार्ग में 30 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। वाराणसी से जो मार्ग रीवा-सतना-कटनी-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-7 है, वह इस मार्ग से जुड़ता है। अभी सागर से जबलपुर जाने के लिये दमोह होकर जाना पड़ता है। जाने में समय भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन दोनों राजमार्गों क्रमशः 26 और 7 को सागर से बमौरी, रहलीपाटन से जबलपुर तक जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अथवा सेंट्रल रोड फंड योजना में शामिल कर इस मार्ग को बनाने की व्यवस्था की जाये।

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

उपाध्यक्ष जी, राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है जिसकी अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है। राजस्थान में सब से बड़ी इन्दिरा गांधी नहर परियोजना है। वर्ष 1981 में हुये समझौते के अनुसार पंजाब 6 एम.ए.एफ. पानी रखेगा और बाद में जब परियोजना पूरी हो जायेगी तो राजस्थान को भी पानी मिलेगा। वर्तमान में वह परियोजना पूरी हो गई है लेकिन पंजाब राज्य राजस्थान को पानी नहीं दे रहा है। वर्तमान समय इस नहर में 1301 मिलियन एकड़ फीट पानी है लेकिन पंजाब पानी देने से मना कर रहा है। जब पिछली बार 1295 एम.ए.एफ. पानी था या इसके पहले 1262 एम.ए.एफ. पानी था तो राजस्थान को पानी मिलता रहा लेकिन इस बार राजस्थान को पानी देने से मना कर दिया है। अगर राजस्थान को पानी नहीं मिला तो किसानों की पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जायेगी। यह एक राष्ट्रीय क्षति है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पंजाब सरकार को निर्देशित किया जाए कि राजस्थान का हिस्सा 6 एम.ए.एफ. पानी उसे दिया जाये। एक मेजर शेयर राजस्थान सरकार का है। इसके अलावा भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में चेयरमैन रोटेशन के आधार पर बने हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा के बन चुके हैं लेकिन राजस्थान का आज तक नहीं बना है। यहां तक कि राजस्थान की तरफ से कोई सदस्य भी बोर्ड में नहीं रहा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान प्रदेश की तरफ से एक सदस्य बोर्ड में मनोनीत किया जाये।

श्री रामेन्द्र कुमार (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र हरिद्वार के ग्रामों अमरपुर, बालेकी, नन्हेड़ा, सरठेड़ी, मानकपुर, सुनहैटी, खाटखेड़ी, बेहडेकी, माजरा, खेलपुर, सिरचन्दी और डेलना आदि में जल स्तर बहुत कम हो गया है जिसके कारण यहां के निवासियों को पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है जिससे किसानों के भूखों मरने की नौबत हो गई है।

मुहम्मदपुर से तासीपुर होते हुये जो नहर बनाई जा रही है, उसमें से एक अन्य नहर या एक छोटी नहर (खाशाया) इन ग्रामों के बीच में पहुंचाई जाये जिससे यहां के जल स्तर में सुधार हो सके तथा किसानों को पर्याप्त पानी की सुविधा प्राप्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय : राम लखन सिंह जी, मैं आज तो आपको टाइम दे रहा हूं लेकिन फ्यूचर में आप पहले नोटिस देंगे तभी आपको मौका दिया जायेगा।

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मध्य प्रदेश का किसान बहुत बड़े संकट के दौर में से होकर गुजर रहा है। पिछले दो-तीन दिनों से लगातार वर्षा और ओलावृष्टि हो रही है। इसके पहले गत वर्ष जुलाई में 9 जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी, उसके बाद 8 जिलों में सूखा पड़ा और अब प्रदेश के 29 जिलों में अति वर्षा और ओलावृष्टि हुई है। इसके कारण किसानों की खड़ी फसल, जिसको उसने पूरे साल मेहनत से उगाया था, बरबाद हो गई है। इसके अलावा जानवर भी मारे गए हैं। जो कल तक की रिपोर्ट है, उसमें 29 व्यक्ति मारे गए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसानों की फसल चौपट होती है और उसका जो मुआवजा मिलता है, वह रस्म अदायगी होता है। यहां सभी लोग किसानों के पक्षधर हैं और जब किसी की सरकार बनती है तो कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी है, मजदूरों की

हितैषी है। आज तक जो राजस्व पुस्तिका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको हमसे बेहतर जानकारी होगी कि किसानों को ओलावृष्टि हो, आगजनी हो या बाढ़ आ जाए, उनको मुआवजे के रूप में जो पैसा दिया जाता है, वह बिल्कुल नगण्य है, न के बराबर है और एक तरह से रस्म अदायगी है। यदि सरकार को किसानों के हितों की चिन्ता है तो इसमें परिवर्तन करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

हमारा आपसे दूसरा निवेदन है कि अभी कार्मिक एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी भोपाल गए थे। उन्होंने उस समय जो बाढ़ आई थी और उसमें जो व्यक्ति मारे गए थे, उनके लिए घोषणा की थी कि एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति दिये जाएंगे लेकिन वह राशि अभी तक राज्य के पास नहीं पहुंची है तथा मवेशियों के लिए जो मुआवजे की घोषणा की गई थी, वह भी नहीं पहुंची है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 48 जिले हैं जिनमें से सिर्फ दो जिले बचे हैं और बाकी सारे जिले बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि की चपेट में आ गए हैं।...*(व्यवधान)* आज वहां मदद की बहुत आवश्यकता है और सरकार ने मदद करने के लिए कहा भी है। आज वित्त मंत्री जी ने फसल बीमा की बात की। मैंने बार-बार निवेदन किया कि जब तक किसानों को उनकी फसलों की सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक वे ठीक से अपना काम नहीं चला पाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 मार्च, 2006 को पूर्वा ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 11 मार्च, 2006/20 फाल्गुन, 1927 (शक) के पूर्वा ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री राजनरायन बुधौलिया श्री असादुद्दीन ओवेसी	282
2.	श्री चन्द मणि त्रिपाठी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	283
3.	श्री अनंत गुढे श्री इंसराज जी. अहीर	284
4.	श्री कासीराम राणा श्री जीवाभाई ए. पटेल	285
5.	श्री दरोगा प्रसाद सरोज	286
6.	श्री प्रभुनाथ सिंह	287
7.	श्री सनत कुमार मंडल श्री जसुभाई धनाभाई बारड़	288
8.	श्री सुप्रीय सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	289
9.	श्री सुनिल कुमार महतो श्री वीर सिंह महतो	290
10.	श्री पी.सी. थामस	291
11.	श्री डी.वी. सदानन्द गौडा	292
12.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री प्रहलाद जोशी	293
13.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री मखबोत सिंह सिद्धू	294
14.	श्री मोहन सिंह	295
15.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	296
16.	डा. के. धनराजू श्री आलोक कुमार मेहता	297
17.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार श्रीमती अर्चना नायक	298
18.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री अशोक कुमार रावत	299
19.	श्रीमती जयाप्रदा	300
20.	श्री जुएल ओराम	301

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अख्तर रशीद, श्री जे.एम.	2186
2.	आचार्य, श्री वसुदेव	2217, 2263
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2245, 2282, 2295, 2301

1	2	3
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2239, 2277
5.	आठवले, श्री रामदास	2216, 2301
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	2172, 2202
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2169, 2235, 2276, 2313
8.	बर्मन, श्री रनेन	2202
9.	बखला, श्री जोवाकिम	2257
10.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2307
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2186
12.	बिश्नोई, श्री जसंवत सिंह	2173, 2238
13.	चौरे, श्री बापू हरि	2171
14.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2308
15.	चिन्ता मोहन, डा.	2205
16.	चौधरी, श्री पंकज	2225, 2269
17.	चौधरी, श्री अधीर	2193, 2243, 2278
18.	धनराजू, डा. के.	2261
19.	धोत्रे, श्री संजय	2171
20.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2180
21.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2204, 2219, 2274
22.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2253
23.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2186
24.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2257
25.	जयाप्रदा, श्रीमती	2271
26.	झा, श्री रघुनाथ	2174, 2266, 2287, 2297, 2302

1	2	3
27.	जिन्दल, श्री नवीन	2182
28.	जोगी, श्री अजीत	2215, 2301
29.	करुणाकरन, श्री पी.	2197
30.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2168, 2260
31.	खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	2306
32.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2165, 2267
33.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2240, 2257, 2310
34.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2164, 2236
35.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2198
36.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2208
37.	कुरूप, श्री सुरेश	2224
38.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2205, 2221
39.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2232
40.	महताब, श्री भर्तृहरि	2201, 2252
41.	महतो, श्री टेक लाल	2207
42.	मंडल, श्री सनत कुमार	2237
43.	माने, श्रीमती निवेदिता	2204, 2274
44.	मसूद, श्री रशीद	2213, 2270
45.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2185, 2265
46.	मेघवाल, श्री कैलाश	2175
47.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2261
48.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2231, 2265, 2270, 2272, 2291
49.	मिश्रा, डा. राजेश	2186, 2246

1	2	3
50.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2190
51.	मुकीम, मो.	2305
52.	मोहिते, श्री सुबोध	2212
53.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2218, 2264, 2286, 2295
54.	नायक, श्री अनन्त	2230
55.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	2304
56.	निखिल कुमार, श्री	2206
57.	ओराम, श्री जुएल	2193
58.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2262, 2285
59.	पलनिसामी, श्री के.सी.	2214
60.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2195
61.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2191, 2246, 2251, 2289
62.	पाठक, श्री ब्रजेश	2194, 2211, 2259, 2311
63.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2223, 2267, 2288, 2298
64.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2267
65.	पटले, श्री शिशुपाल	2270
66.	पिंगले, श्री देविदास	2210, 2283
67.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2229
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2195
69.	रामदास, प्रो. एम.	2167, 2244, 2279, 2293
70.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2233
71.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2187, 2248, 2268, 2281
72.	राव, श्री डी. विट्टल	2187

1	2	3
73.	रावले, श्री मोहन	2194, 2249
74.	रावत, श्री अशोक कुमार	2209, 2222, 2247, 2270
75.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2189
76.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2178, 2256, 2312
77.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2217, 2220
78.	रिजीजू, श्री किरेन	2176
79.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2196, 2268
80.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2184
81.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2275
82.	शक्य, श्री रघुराज सिंह	2226
83.	शर्मा, श्री मदन लाल	2214
84.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2234, 2284, 2301
85.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2209, 2222, 2247, 2270
86.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2181, 2258
87.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2200, 2263
88.	सिंह, श्री दुष्यंत	2191
89.	सिंह, श्री गणेश	2170
90.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2204, 2273, 2274, 2292, 2303
91.	सिंह, श्री मोहन	2255, 2283, 2299
92.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2242, 2280, 2294, 2300
93.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2203, 2254
94.	सिंह, श्री रेवती रमन	2228
95.	सिंह, श्री सुग्रीव	2251

1	2	3
96.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2166, 2241, 2301
97.	सुमन, श्री रामजीलाल	2221
98.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2177
99.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2192, 2257, 2309
100.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2227
101.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2308
102.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2199, 2250, 2290
103.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2209, 2222, 2270
104.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2179
105.	जाहेदी, श्री महबूब	2188

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	300
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	283, 284, 289, 296, 299
वित्त	:	282, 295, 297, 298
विधि और न्याय	:	294
महासागर विकास	:	
ग्रामीण विकास	:	290, 291, 292
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	288
शहरी विकास	:	286, 287, 301
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	293
वस्त्र	:	285

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	2171, 2180, 2250
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2172, 2173, 2198, 2199, 2200, 2202, 2203, 2206, 2213, 2227, 2232, 2239, 2246, 2251, 2257, 2269, 2274, 2276, 2280, 2289, 2292, 2295, 2301, 2302, 2306, 2307, 2309, 2310, 2311, 2313
वित्त	:	2164, 2165, 2169, 2176, 2177, 2178, 2182, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2192, 2204, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2214, 2217, 2223, 2224, 2230, 2231, 2247, 2254, 2255, 2258, 2259, 2261, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2270, 2271, 2272, 2283, 2284, 2285, 2286, 2288, 2291, 2293, 2296, 2298, 2300, 2303, 2304, 2305, 2308, 2312
विधि और न्याय	:	
महासागर विकास	:	2183, 2193

ग्रामीण विकास	:	2167, 2170, 2179, 2189, 2190, 2195, 2229, 2233, 2234, 2244, 2268. 2275, 2278, 2287, 2294
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2166, 2175, 2191, 2216, 2245. 2277, 2281
शहरी विकास	:	2168, 2174, 2194, 2196, 2197, 2201, 2215, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225, 2226, 2228, 2236, 2237, 2238, 2240, 2242, 2243, 2249, 2253, 2260, 2290, 2297
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	2252
वस्त्र	:	2181, 2205, 2212, 2218, 2222, 2235, 2241, 2248, 2256, 2262, 2273, 2279, 2282, 2299.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।